लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

6th

LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Forth Session]





[खंड 13 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XIIIcontains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य: चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 36, बुधवार, 12 अप्रैल, 1978/22 चैत्र, 1900 (शक)
No. 36, Wednesday, April 12, 1978/Chaitra, 22 1900 (Saka)

विषय	Subject	PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	Oral Answers to Questions	1-15
तारांकित प्रश्न संख्या 697, 699, 700 से 702 और 704	Starred Questions Nos. 697, 699, 700 to 702 and 704	1-15
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 5	Short Notice Question No. 5	15-22
प्रश्नों के लिखित उत्तर	Written Answers to Questions :	22-159
तारांकित प्रश्न संख्या 699, 703 और 705 से 719	Starred Questions Nos. 699, 703 and 705 to 719	22-34
अतारांकित प्रश्न संख्या 6531 से 6575, 6577 से 6665, 6667 से 6692, 6695 से 6700, 6702 से 6704, 6706 से 6719 और 6721 से 6730	Unstarred Questions Nos. 6531 to 6575, 6577 to 6665, 6667 to 6692, 6695 to 6700, 6702 to 6704, 6706 to 6719 and 6721 to 6730	34-159
विपक्ष के नेता को मान्यता प्रदान करने के बारे में घोषणा	Announcement re. recognition of the Leader of the Opposition	159-160
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	160-164
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	164
66 वां प्रतिवेदन	Sixty-sixth Report presented	164
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolution—	164
16 वां प्रतिवेदन	Sixteenth Report presented	164

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव मे पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—132 LSS/ND/78

विषय	Subject	PAGE
एक स्विस बैंक को 100--110 लाख डालरों के कथित अन्तरण के बारे में वक्तव्य	Statement re. Alleged Transfer of 100—110 million dollars to a Swiss Bank—	164-165
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	164-165
वर्ष 1978-79 के विपणन मौसम के लिए गेहू की मूल्य वसूली नीति के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. Price and Procurement Policy for Wheat for 1978-79 Marketing Season—	165-166
श्री सुरजीत सिंह बरनाला	Shri Surjit Singh Barnala	165-166
समितियों के निर्वाचन—	Elections to Committees—	166-169
(1) प्राक्कलन समिति	(i) Estimates Committee	166
(2) लोक लेखा समिति	(ii) Public Accounts Committee	166-167
(3) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	(iii) Committee on Public undertakings	167
(4) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	168-169
लोकपाल विधयक—	Lok Pal Bill—	169
संयुक्त समिति के लिए सदस्य नियुक्त करने के लिए राज्य सभा से सिफारिश	Recommendation to Rajya Sabha to Appoint Members to Joint Committee	169
खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक	Khadi and Village Industries Commission (Amendment) Bill—Introduced	169
नियम 377 के अधीन मामले—	Matters under Rule 377—	170-171
(1) डाक और तार विभाग द्वारा शिक्षित युवक और युवतियों के शोषण का कथित समाचार	(i) Reported Exploitation of Educated Youth by Posts and Telegraph Department—	170
श्री हरिकेश बहादुर	Shri Harikesh Bahadur	170
(2) बिहार के समस्तीपूर जिले के रोहज-रामपूर गांव में आग लगने की कथित घटनायें—	(ii) Reported Fire Incident in Rohuha Rampur village in Samastipur district of Bihar—	170
श्री राम सेवक हजारी	Shri Ram Sewak Hazari	170

विषय	Subject	PAGE
(3) डाक और तार विभाग द्वारा केवल हिन्दी के टेलिफोन बिल फार्मों के इस्तेमाल किये जाने का कथित समाचार— श्री के० गोपाल	(iii) Reported Use of Telephone Bill Forms in Hindi by Post and Telegraph Department— Shri K. Gopal	170 170
(4) अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ, अहमदाबाद डिवीजन के पदाधिकारियों द्वारा कथित आमरण अनशन— श्री अहसान जाफरी	(iv) Fast unto Death by office bearers of All India Postal Employees Union, Ahmedabad Division— Shri Ahsan Jafri	170-171 170-171
अनुदानों की मांगे 1978-79	Demands for Grants, 1978-79—	171-187
शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग	Ministry of Education and Social Welfare and Department of Culture—	171
श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण	Shrimati Premlabai Chavan	171
प्रो० शिबबन लाल सक्सेना	Prof. Shibban Lal Saksena	171-173
कुमारी मणिबहन बल्लभभाई पटेल	Km. Maniben Vallabhbhai Patel	173
श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh	173-175
श्री राम अवधेश सिंह	Shri Ram Awadhesh Singh	175
श्री एस० एस० सोमानि	Shri S. S. Somani	175-176
श्री कचरुलाल हेमराज जन	Shri Kacharulal Hemraj Jain	176-177
डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र	Dr. Pratap Chandra Chunder	178-187
श्रम मंत्रालय—	Ministry of Labour—	187-200
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	187-192
श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर	Shrimati Ahilya P. Rangnekar	192-193
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	Dr. Subramaniam Swamy	194-195
श्री मनोहर लाल	Shri Manohar Lal	195-197
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	197-199
डा० कृपाल सिन्हा	Dr. Ram Kirpal Sinha	199-200
श्री रामदास सिंह	Shri Ramdas Singh	200
आधे घंटे की चर्चा	Half an hour discussion	200-204

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 12 अप्रैल, 1978/22 चैत्र, 1900 (शक)
Wednesday, April 12, 1978/Chaitra 22, 1900 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha Met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Amendment in IAS (Appointment by Promotion) Regulations

*697. **Shri Sukhendra Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether during emergency Government proposed an amendment in the Indian Alministrative Service (Appointment by Promotion) Regulations that for the purpose of promotion of a Deputy Collector to the post of Collector the criteria of only merit/capability will be adopted by abolishing the principle of merit-cucm-seniority in this regard ;

(b) whether this principle was accepted and published by the Government in June, 1977 ;

(c) whether the principle of merit or the principle of merit-cum-seniority is adopted in the State services in a State for purposes of promotion ; and

(d) whether the principle of merit will result in situations where senior officers will work under the junior officers in the same district and whether it will not affect adversely the efficiency of the officers or the administration?

गृह मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) तथा (ख) : यद्यपि भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 को संशोधन करने के लिए 1974 में कार्रवाई आरंभ कर दी गई थी, किन्तु औपचारिक प्रस्ताव मई, 1976 में हुए मुख्य सचिवों के सम्मेलन की सिफारिशों पर तैयार किए गए थे । राज्य सरकारो तथा संघ लोक सेवा आयोग से, तदनुसार परामर्श किया गया था और जून, 1977 में वर्तमान सरकार द्वारा विनियमों को संशोधित किया गया था ।

(ग) भारत सरकार के पास सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) ऐसी स्थिति संभव है । जून, 1977 में किए गए संशोधनों से पूर्व भी तत्कालीन विनियमों के अधीन ऐसी स्थिति पैदा हो सकती थी । चूंकि चयन योग्यता के आधार पर किए जाते है इसलिए सरकार ऐसा नहीं समझती कि इससे अधिकारियों अथवा प्रशासन की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

Shri Sukhendra Singh: Mr. Speaker, I want to point out that during emergency the Congress Government proposed amendment to the Indian Administrative Service (Appointment by promotion) Regulations, 1955 to the effect that for the purpose of promotion of a Deputy Collector to the post of Collector the criteria of only merit/capability would be adopted in place of the principle of merit-cum-seniority. It was proposed just to ignore senior officers in the name of merit and give benefit of this new principle to those juniors who are favourite of higher officers. I am very sorry that our Government has accepted this in June 1977. I do not know its results in other States but I can cite an example of Madhya Pradesh. These are such senior officers in Madhya Pradesh whose record was very good through out and there were no charges against them but they were ignored for the purpose of promotion and promotions to the posts of Collector were given to those against whom there were many charges. What has happened in Madhya Pradesh might have taken place in other states too. May I know whether he will conduct an inquiry into it?

श्री एस० डी० पाटिल : माननीय सदस्य ने कोई विशेष प्रश्न नहीं पूछा है । हां, सरकार को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

Shri Sukhendra Singh: Mr. Speaker, when under these rules such things are being done arbitrarily in the name of merit, can these rules not be amended again after giving due consideration to the issue. In this situation the authorities act according to their whims. The senior and capable persons having good records at their credit have been neglected and the favourite persons even with no better records have been given promotions in this situation are you considering to amend these rules?

श्री एस० डी० पाटिल : मैंने पहिल ही उत्तर दे दिया है कि यह मामला विचाराधीन है ।

Shri Raghubir Singh Machhand: Mr. Speaker, I want to know through you whether it is a fact that those persons, who were promoted during emergency, are working even today for the same party.

श्री एस० डी० पाटिल : सरकार के पास इसकी सूचना नहीं है । यदि माननीय सदस्य कोई विशेष मामला लाते हैं, तो उसको देखूंगा ।

Shri Om Prakash Tyagi: May I know whether it is a fact that in different Government offices promotions are being given on the basis of caste and birth besides merit and capability.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं उठता है ।

Shri Om Prakash Tyagi: Mr. speaker it is a question about promotion.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न नियमों का है क्या यह मात्र योग्यता अथवा योग्यता तथा वरिष्ठता के आधार पर होना चाहिए ?

Shri Om Prakash Tyagi: I want to know the facts and the hon. Minister is giving reply.

अध्यक्ष महोदय : यह आप और 'मन्त्री' के बीच की बात नहीं है । यहां मेरा भी कुछ दायित्व है ।

Shri Om Prakash Tyagi: Mr. Speaker, Promotions are being given on the basis of caste and birth besides merit and capability.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री जगन्नाथ राव : इस समय केन्द्रीय सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भरती करती है और उन्हें राज्य सरकारों को आवंटित करती है । अब क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा का

माध्यम बनाया गया है। क्या इस प्रक्रिया को बदलने पर विचार हो रहा है? राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मापदन्डों के अनुसार अधिकारियों की भरती करनी चाहिए और...

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं उठता है।

हरिजनों को संरक्षण देने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था

698. **श्री आर० के० महालगी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 अक्टूबर, 1977 को केन्द्रीय सरकार ने हरिजनों को संरक्षण देने के लिये प्रशासनिक व्यवस्था का सुझाव देते हुए विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र भेजे थे;

(ख) हरिजनों पर हुए अत्याचारों के संबंध में गत छः महीनों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में कितने मामले रजिस्टर किये गये;

(ग) महाराष्ट्र में हरिजनों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर, 1977 के बाद कौनसी विशेष प्रशासनिक व्यवस्था करने की बात कही है; और

(घ) यदि कोई व्यवस्था नहीं की गई है तो इस संबंध में राज्य सरकार ने क्या कारण बताये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रेषित आंकड़ों के अनुसार सितम्बर, 1977 से फरवरी, 1978 तक की अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों के लोगों के विरुद्ध हुए आपराधों के 411 मामले दर्ज किये गये थे।

(ग) तथा (घ) : राज्य सरकार के अनुसार निम्नलिखित कदम उठाये गये :—

(1) हरिजनों और विमुक्त जातियों को सताने तथा उन पर हुए अत्याचारों की सभी शि क पर कार्यवाही करने के लिए राज्य मख्यालय में एक कक्ष स्थापित किया गया है।

(2) रेंज और जिला स्तरों पर कार्य के पर्यवेक्षण के लिए मुख्यालय में एक एकक बनाया गया है जिसके प्रधान पुलिस उप-महानिरीक्षक हैं।

(3) रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक के मुख्यालय में वर्तमान तंत्र को सशक्त किया गया है।

(4) इस कार्य के लिए जिला मैजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया गया है।

(5) शिकायतों को रजिस्टर करने और जांच-पड़ताल के लिए स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित कर दिये गये हैं।

श्री आर० के० महालगी : महाराष्ट्र में गत छह महीनों के दौरान अनुसूचित जातियों के सदस्यों पर किए गए अपराधों के 411 मामलों को दर्ज किया गया है। केन्द्रीय सरकार के निदेश और राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों के बावजूद अत्याचारों की संख्या अभी भी बहुत अधिक है। सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्री धनिक लाल मंडल : हमने बताया है कि जहां तक हरिजनों पर अत्याचारों के बढ़ने की प्रवृत्ति का संबंध है, महाराष्ट्र सरकार ने बताया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। एक संसदीय समिति ने महाराष्ट्र का दौरा किया और उस समिति ने मुख्य मंत्री के साथ बातचीत की है। मुख्य मंत्री और श्री रामैया की अध्यक्षता में नियुक्त संसदीय समिति ने बताया है कि हरिजनों पर बढ़ रहे अपराधों की बात गलत है। हमने कुछ कदम उठाए हैं और महाराष्ट्र सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं जिनको मैं बता चुका हूं। हम इस मामले में सावधान हैं।

श्री आर० के० महालिंगी : उत्तर में बताया गया है कि महाराष्ट्र की सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और ऐसी घटनाओं के लिए जिला मैजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेंडेंट को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि 411 मामलो में से कितने मामलो में जिला मैजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिन्टेनडेण्ट को जिम्मेदार ठहराया गया है ?

श्री धनिक लाल मंडल : हरिजनों पर अत्याचारों की घटनाओं के संबंध में जहां तक जिला मैजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेनडेंट को जिम्मेदार ठहराने का प्रश्न है, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब कोई घटना अचानक होती है, तो उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जब कोई बात पहले से चली आ रही है और वे यथोचित कार्यवाही करने में असमर्थ होते हैं और इसको रोक नहीं पाते हैं तो इसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

Shrimati Ahilya P. Rangnekar: The hon. Minister has not replied to the question put to him. I want to know in how many cases action has been taken against D.I.G. and I.G. ? No action has been taken in any case in Maharashtra. The hon. Minister may kindly clarify the position.

Shri Patil knows a person named Kakade remained in Bombay for three months. The Maharashtra Government had given him protection. He could not go to his home. I have revealed you the name. Now what are you going to do in this matter? In how many cases prosecution has been initiated against the offenders. So far I know no case has been filed against anyone.

Shri Dhanik Lal Mandal : If the hon. Member brings such cases into our notice we will certainly take action..... **(Interruptions)**

Shri Keshavrao Dhondge: Despite the arrangement made by the Maharashtra Government the incident of atrocities are taking place. How many persons have been arrested under this? You cannot take action against D.I.G. and I.G. Do you intend to take action against the Chief Minister of that State ?

Shri Dhanik Lal Mandal: I have replied it.....**(Interruption).**

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पुनः करिए।

Shri Keshavrao Dhondge: Inspite of the arrangement made by the Maharashtra Government, the atrocities are still going on. You cannot take action against D.I.G. and I.G. I want to know how many persons have been arrested and whether you are going to take any action against the Chief Minister of Maharashtra ?

Shri Dhanik Lal Mandal: This is no such proposal.....**(Interruption).**

Shri Keshavrao Dhondge: This is no reply to my question. The answer should be clear cut.

Shri Dhanik Lal Mandal : I have stated there is no proposal to take action against the Chief Minister of Maharashtra Government.

श्री बी० सी० काम्बले : क्या केन्द्रीय सरकार के निदेशन उचित रूप से क्रियान्वित किये जाते हैं और क्या इस बात का ध्यान रखने के लिये कि निर्देश लागू हुए हैं अथवा नहीं, किसी तंत्र की व्यवस्था है ?

श्री धनिकलाल मंडल : हमारा तथा सदन का विशेषतया सम्बन्ध, जो अत्याचार हुए हैं, उनसे हैं। हम उनके बारे में पता करते हैं, परामर्श देते हैं। प्रधान मंत्री तथा गृहमंत्री मंत्रियों के सम्मेलन में परामर्श देते हैं। ये प्रणाली हैं। मैंने माननीय सदस्यों को बता दिया है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसका स्पष्टीकरण करने के लिये मैं यहां पर बैठा हूं। प्रश्न यह है कि यदि क्रियान्वयन नहीं होता है तो क्या सरकार के पास कोई तंत्र है जो इन्हें लागू करा सके। उन्होंने यह प्रश्न पूछा है।

श्री धनिकलाल मंडल : प्रश्न में कोई अगर और परन्तु नहीं होने चाहियें। हमने कुछ सुझाव दिये हैं, उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब बैठ जाइए। डा० सुब्रह्मणियम स्वामी।

डा० सुब्रह्मणियम स्वामी : मैं प्रश्न के भाग एक, के उत्तर के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूं कि क्या 2 अक्तूबर, 1977 के पत्र के अनुसरण में सरकार ने, विशेषतया प्रधान मंत्री अथवा गृह मंत्री ने मुख्य मंत्रियों को फिर से कोई पत्र लिखा है, यदि हां, तो कुछ और इन पत्रों में क्या कुछ कहा गया है ?

श्री धनिकलाल मंडल : प्रधान मंत्री ने एक पत्र लिखा है। इसके बाद, गृह मंत्री ने 2 अक्तूबर, 1977 को एक पत्र लिखा है। इसके बाद 26 अक्तूबर, 1977 को मैंने मुख्य मंत्री को लिखा था। इसके बाद कोई पत्र नहीं भेजा गया है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 699 **(व्यवधान)** कृपया बैठ जाइये। मैं खड़ा हुआ हूं। आप अपनी बात कह चुके हैं। इस प्रश्न पर पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है। अब इस पर और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जायेगी। **(व्यवधान)**

Shrimati Mrinal Gore : This is not proper. We want specific reply, the question has not been properly answered, so I also want to ask a question.

श्री के० गोपाल : इस ओर के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : दल के अनुसार ऐसा नहीं किया जाता है। **(व्यवधान)**

श्री के० गोपाल : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। **(व्यवधान)**

Shrimati Mrinal Gore : The question has not been properly answered, therefore, I would like to ask a question. Kindly allow me.

प्रो० पी० जी० मावलंकर : आपने दूसरों को अनुमति दी है। आप अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं।

श्री के० गोपाल : जब सत्तारूढ़ दल के सदस्यों से अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गयी है तो हम अनुपूरक प्रश्न क्यों नहीं पूछ सकते ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं देख रहा हूं कि प्रत्येक सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता है। समय है नहीं। इस प्रश्न पर सदन में 6 घन्टे तक चर्चा हो चुकी है। **(व्यवधान)**

श्री के० गोपाल : मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जब कोई व्यवस्था का प्रश्न उठता है तो मुझे दो बातें देखनी होती हैं, सबसे पहले प्रश्नसत्र में नियमों के अनुसार व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता दूसरे आपको... कभी कभी सभी अनुपूरक प्रश्न एक और के सदस्यों को पूछने की ही अनुमति दी जाती है जैसा कि क्षेत्र की रुचि पर निर्भर करता है। जहां तक हमने चुना है मंत्री महोदय ने महाराष्ट्र सरकार की कोई आलोचना नहीं की है। ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अनुसार प्रश्न काल में अनुपूरक प्रश्नों का समान रूप से वितरण किया जाये। फिर भी मैं ऐसा करने का प्रयास करता हूं। **(व्यवधान)**

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं दोनों ही ओर के माननीय मित्रों से यह बात पूछना चाहता हूं कि यदि हम खड़े होकर एक साथ जोर से बोलते रहें तो क्या कोई कार्य कर सकगे । किसी की समझ में कुछ नहीं आयेगा । इसमें अध्यक्ष क्या करे । **(व्यवधान)**

आपने फिर वहीं बात की । कोई भी सदस्य प्रश्न उठा सकता है । तभी अध्यक्ष कुछ बता सकते हैं । लेकिन आज लोग स्वयं ही निर्णय करना चाहते हो । क्या उस मामले पर निर्णय हो सकता है । **(व्यवधान)**

श्री एम० सत्यनारायणराव : पहली बार हमने देखा है कि आपने विपक्ष के सदस्यों को कोई अवसर नहीं दिया है । आप सदव निष्पक्ष रहे हैं । आप प्रत्येक को अवसर दे रहे हैं । इस बार आपको इस ओर के सदस्यों को भी अवसर देना चाहिये था । इसलिये सदस्यों को नाराजगी है ।

श्री वयालार रवि : व हरिजनों की सुरक्षा करने के लिये तैयार नहीं है । उनको रुचि सरकार पर दोषारोपण करने में है और वे राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं **(व्यवधान)**

श्री के० गोपाल : मुझे दो बातें उठानी है... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : और कोई प्रश्न नहीं... **(व्यवधान)**

श्री के० गोपाल : दो बातें हैं । पहली यह कि आपने कहा है कि यह एक क्षेत्रीय प्रश्न है और केवल महाराष्ट्र के सदस्य ही प्रश्न पूछ सकते हैं । यह ठीक नहीं है । यह मेरा अनुरोध है । दूसरी बात यह है कि आपको विपक्ष के सदस्यों को भी बुलाना चाहिये... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपकी यह बात ठीक नहीं है कि विपक्ष के सदस्यों को अवसर नहीं दिया गया है । चार या पांच दल अथवा ग्रुप यहां हैं । मैंने श्रीमती रांगनेकर, श्री केशवराव धोंडगे, श्री काम्बले को अनुमति दी हैं । प्रत्येक बार प्रत्येक दल, प्रत्येक ग्रुप को अवसर देना संभव नहीं है । **(व्यवधान)**

श्री के० लक्कप्पा : मामला यह है कि प्रधान मंत्री के निर्देश की अव लना की गई है । गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री के अनुदेशों का पालन नहीं किया है । परन्तु वे महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगा रहे है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईये । इस विषय पर और अधिक चर्चा नहीं हो सकती । अगला प्रश्न सं० 699.

प्रो० पी० जी० मावलंकर : आपने मेरी बात नहीं सुनी है । कई बार... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुनी है । मै लगातार सभी 544 सदस्यों की बात नहीं सुन सकता ।

लघु उद्योग अनुसन्धान एवं विकास योजना पर हुआ खर्च

700. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग अनुसंधान एव विकास योजना पर कितना राशि खर्च हुई है;

(ख) लघुउद्योगों के विकास के लिए बने अनुसंधान एककों द्वारा विकसित की गई प्रोद्योगिकी का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अनुसंधान प्रयोगशालाओ में किये गये कार्य का कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) फरवरी 1978 तक मंत्रालय के बजट से लघू क्षेत्र के लिये अनुसंधान तथा विकास की योजनाओं पर 3.20 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। चूंकि विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग तथा वैज्ञानिक एव औद्योगिक अनुसंधान परिषद् भी लघु उद्योगो के लिये अनुसंधान एवं विकास की योजनायें चला रहे हैं अत: अपेक्षित जानकारी उनसे इकठ्ठी की जा रही है और यथा समय संसद् के समक्ष रख दी जायेगी।

(ख) और (ग) : चूंकि इस मत्रालय के बजट के अधीन योजना क्रियान्वयन की प्रारम्भिक अवस्था में है, किसी भी प्रोद्योगिकी का विकास नहीं किया गया है और अभी तक कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। विज्ञान एव प्रोद्योगिकी विभाग तथा वैज्ञानिक एव औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के बारे में अपेक्षित जानकारी इकठ्ठी की जा रही है।

Shri Surendra Bikram: It has been said in reply to part (b & c) of the question that the requisite information is being collected and it will be placed on the Table. May I know whether the question can be postponed till the information is collected?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी। बहुत से संस्थान इस मामले में कार्य कर रहे हैं और मंत्री महोदय को जानकारी एकत्र करके सभा पटल पर रखनी पड़ेगी। इसमें कुछ समय लगेगा। यदि आप अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं; तो पूछ सकते हैं। अन्यथा आप प्रश्न बाद में पूछ सकते हैं।

Shri Surendra Bikram: Will you postpone the questions part (b) and (c) have not been replied to.

एक माननीय सदस्य : कोई अनुपूरक प्रश्न तब तक नही पूछा जा सकता जब तक उचित उत्तर प्राप्त हो जाये।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो और प्रश्न पूछ सकते हैं।

Shri Surendra Bikram: The plan regarding Small Industries is in preliminary stage. I want to know the scheme under consideration of the Government to make the plan village-oriented.

Shri George Fernandes: Sir, the reply I have given is limited to the research and development arrangement regarding Small industries in my Ministry. The question relates to total research and development regarding Small Scale industries. The work is being done by the different organisations, laboratories and regional research laboratories under Science & Technology and Council of Scientific and Industrial Research situated at Jorhat, Jammu & Kashmir, Hyderabad Bhubaneshwar. Besides these ,there are certain other research centres and certain Private organisations. It will take time to collect information from all these organisations & centres etc. My ministry had started in 1975-76 in Ranchi, Process-cum-Product Development centre for Class and Ceramics and the project is in progress. We have spent Rs. 3,20,000 this year by the end of February. As work started during the last months of 1976 and is still in preliminary stage, therefore, nothing specific can be said about it.

Shri Surendra Bikram: The hon. Minister has said that a number of organisations are making research. Will the hon. Minister open such training camps at the village level for setting up Small Scale industries therein. Therefor so that the villagers are benefitted?

Shri George Fernandes: As I have said, the work of research and development is continuing progress it never stops.....**(interruption).**

It is true that it is not being applied. I admit that the research work done upto now has not yet been applied or made use of as it should have been. Now we are doing that. Now the Government is going to spend Rs 1481 crores during the next five years as against Rs. 813 crores for research and development and Science and technology work. We are going to spend more money in order to make use of the work done in the fields of research and development and Science and technology in accordance with Government's industrial policy and other policies.

Shri Lalu Prasad: The hon. Minister has stated that research work is going on for the development of Small Scale industries. I would like to know when it would be completed so as to complete the development work of the Small Scale industries.

अध्यक्ष महोदय : अनुसंधान का काम अभी पूरा नहीं होता है ।

Shri George Fernandes: Sir, you have yourself said that research work never ends and it is a continuous process. The Govt. are to take benefit from it and they are doing it.

श्री पी० वेंकटासुब्बैया : मंत्री महोदय ने इससे पूर्व कहा था कि अनुसंधान और विकास के कार्य में अनेक एजेन्सियां लगी हुई हैं ; कहीं प्रयोगशालाओं विभिन्न राज्यों में कार्य कर रही हैं। क्या यह देखने के लिये कोई समन्वय एजेन्सी है कि दोहरा कार्य न हो ? क्या मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिये कोई योजना बनाई है कि अनुसंधानों के परिणाम उनके उपयोग के लिय कार्यक्षेत्रों में प्रेषित किये जायें और क्या ऐसे लोगों की आवश्यक वित्तीय सहायता देने के लिये कोई संस्था है जो अनुसंधान और विकास कार्य के परिणामों को लघु उद्योगों में प्रयोग में लाना चाहे !

श्री जार्ज फर्नांडिस : औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद् इस समय समन्वय-एजेन्सी है और कुछ प्रयोगशालाओं को परस्पर सम्बद्ध करने का जो हाल ही में सरकार ने निर्णय किया है उससे मुझे विश्वास है कि अनुसंधान के परिणामों को उपयोग में लाने की दिशा में हमारा एक कदम होगा । जहां तक इस बात का संबंध है कि अनुसंधान कार्य के परिणामों को उपयोग में लाने वालों को सहायता दी जाये, प्रयोगशालाओं के ऐसे संस्थानों से अपने निजी संबंध हैं और अनेक नये तथा युवा उद्यमी इन प्रयोगशालाओं से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखते हैं तथा प्रौद्योगिकी को उत्पादक उपयोग में निरन्तर लाया जा रहा है ।

शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की द्रुत योजना

701. **डा० रामजी सिंह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान तथा छठी पंचवर्षीय योजना में भी शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की कोई द्रुत योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) । सरकार शिक्षित बेरोजगारों की समस्या के प्रति पूरी तरह से सचेत है । यह समस्या "द्रुत कार्यक्रमों द्वारा" हल नहीं की जा सकती । 1978-83

की पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में अथवा प्रस्तावित विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा शिक्षित युवकों के लिए रोजगार के क्षेत्र का विस्तार करने का हर संभव प्रयत्न किया जाएगा ।

Dr. Ramji Singh : I am happy that the Prime Minister has himself answered this question. On earlier occasions also a number of starred and unstarred questions were asked by Shri Ram Gopal Reddy and Shri Surendra Vikram. The Prime Minister is aware of the fact that the number of educated unemployed is increasing day by day. The draft of the Sixth Plan puts the number of matriculates between 370 lakhs to 520 lakhs and those of post-matriculates between 68 to 75 lakhs. And the literacy-campaign started by him would bring the number of educated people between 740 lakhs to 1270 lakhs. It is said that the crash programme in respect of educated unemployed will not do. This has caused disappointment among the educated unemployed people. As Keins had said—'In the long run we are all dead', their need..,.....

Mr. Speaker : You ask your question.

Dr. Ramji Singh : I want to know as to what arrangements would be made to provide employment to the educated unemployed in the next 2-3 years ?

श्री मोरारजी देसाई : श्रीमन् ऐसी आशा है कि आगामी दो-तीन वर्षों में संगठित क्षेत्र में लगभग 9.5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध हो जायेगा । और स्वयं रोजगार के लिये अन्य प्रोत्साहन योजनायें उपलब्ध कराई गई हैं। ग्राम उद्योग तथा ग्रामीन पुनर्निर्माण कार्यक्रमोंमें अनेक लोग खपा लिये जायेंगे। परन्तु इस संबंध में सही सही आंकड़े दे सकना कठिन है । फिर भी मुझे सन्देह नहीं है कि पांच वर्षों के भीतर इस समस्या के समाधान में उचित सहायता मिल जायेगी और पांच वर्षों के अन्त में बेरोजगार लोगों की संख्या बहुत कम रह जायेगी ।

Dr. Ramji Singh : Although in the report of Bhagawati Committee too the Idea of crash programme has not been favoured but they had drawn the attentions towards the bad condition of the educated unemployed. In this connection the dissent note was appended by Shri Jyotirmoy Basu, Dr. Ashok Mitra and Shri Gautam Mathur opinion was expressed about having a central employment fund and shorten plan too. There is an employment guarantee scheme in Maharashtra. The Government say that they provide employment though the scheme has not been implemented during the last 30 years; but if there is an employment guarantee scheme or central employment fund, then the Government would have a responsibility to provide employment in near future; otherwise the Govt. have been escaping from this responsibility for the last 30 years.

Shri Morarji Desai : It is said that nothing was done during the last 30 years and there has been no employment in this period. I cannot understand it. I donot have as much wisdom as the hon. Member has—I should say so ; but how can it be said that nothing has been done during the last 30 years, I can understand if it is said that it was not as much as it should have been. The hon. Member says it since he has not been here for the last 30 years. The work is going on, we are doing it. I cannot say more than that.

श्री एम० सत्यनारायण राव : मैं माननीय प्रधान मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या गत एक वर्ष के दौरान, जब से वह प्रधान मंत्री बने हैं तथा जनता पार्टी शासन में आई है, तब से कोई कदम इस दिशा में उठाये गये हैं ? उन्होंने यह भी स्पष्ट रूपसे कहा है कि और प्रतिदिन

कहते हैं कि 10 वर्षों में वह बेरोजगारी की समस्या को हल कर देंगे । अब तक एक वर्ष तो गुजर चुका है । इस अवधि में आपने इस समस्या को कहां तक हल किया है ? उन्होंने स्वयं रोजगार योजनाओं का जिक्र किया है । स्वयं रोजगार के लिये बहुत से शिक्षित बेरोजगार ऋणों के लिये आवेदन करते हैं परन्तु दुर्भाग्य से सभी राष्ट्रीयकृत बैंक तथा अन्य बैंक उन्हें कोई ऋण नहीं दे रहे हैं । मैं जानना चाहूंगा कि क्या वह बैंक कोई ऐसे अनुदेश जारी करेंगे कि जब भी ऐसे आवेदन पत्र आयें आवेदकों को ऋण दिये जायें ?

श्री मोरारजी देसाई : हर आवेदक को ऋण दे देना तो पागलपन होगा । हर आवेदक को ऋण कैसे दिया जा सकता है । परन्तु जो जरुरतमन्द है या इसके लिये पात्र हैं उनके बारे में विचार किया जा सकता है । **(व्यवधान)** बारबार व्यवधान डालने की यह आदत क्यों है ? यह कोई बुद्धिमानी तो नहीं है । यह सभा के नियमों के अनुकूल भी नहीं है । मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हमने जो योजनायें बनाई हैं उसके अन्तर्गत आगामी वर्ष में संगठित क्षेत्र में 19.5 लाख लोगों के अतिरिक्त काम उपलब्ध होगा।मैं यह नहीं कह सकता कि इस वर्ष और कितने लोगों को रोजगार दिया गया है । मैं कोई अनुमान नहीं लगाना चाहता ।

श्री के० लकप्पा : मैं प्रधान मंत्री को बड़े ध्यान से देखता रहा हूँ । वह इन बेरोजगारी लोगों के प्रति इतना कड़ा रवैया क्यों अपना रहे हैं ? हर बात के लिये वह बच निकलने की नीति अपना लेते हैं । अनेक राज्यो ने शिक्षित बेरोजगारों को कुछ गारंटी देने और गारंटी योजनायें तैयार करने में ईमानदारी के साथ प्रयास किये है । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कम से कम उन राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिये कोई योजना परिव्यय रखा गया है जिन्होने बेरोजगारो की समस्या का मुकाबला करने के लिये ऐसे साहसिक कदम उठाये हैं क्योंकि यह एक ज्वलन्त समस्या है और देश में एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है । मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह बरोजगारों की प्रति नर्म दिली का रवैया अपनाये और प्रति बच उनके निकलने की निती अथवा कड़ाई का रवैया न अपनायें तथा इस उद्देश्य के लिये राज्यों को कतिपय सुविधायें दे ।

श्री मोरारजी देसाई : विस्फोटक स्थिति को अनावश्यक रूप से यहां पर विद्यमान है । तभी तो उन्हें हर जगह विस्फोटक स्थिति नजर आती है क्योंकि इसी दिशा में तो उनका मस्तिष्क काम कर रहा है । मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की विस्फोटक तथा ऊंचे स्वर में कही गई बात किसी तरह लाभप्रद हो सकती है । यह मेरे उनकी अथवा किसी दल विशेष की समस्या नहीं है । यह सारे देश की, सभी बेरोजगारों की समस्या है और हम सभी इसको हल कहने में रुचि रखते हैं । यदि मेरे मित्र यह चाहते है कि मैं पिछली सभी भूलों की क्षतिपूर्ति कर दूं—मैं यह नहीं कहता कि जानबुझ कर भूलें की गई थीं—मैं उनपर इस तरह का आरोप नहीं लगा रहा हूँ—हमारे जैसे देश में हमें आधिक से आधिक शक्ति जुटाने की जरुरत दे जो की हम कर रहे हैं और हमें अधिक से अधिक गति लानी है । यदि मैं कर रहा हूँ और इसमें उनके सहयोग की अपेक्षा करता हूँ । बच निकलने की बात कही गई है । इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है । हम तो ऐसा नहीं करना चाहते हम किसी बात से बच निकलना नहीं चाहते । क्यों बचे ? अगर मैं यह कार्य नहीं कर सका तो मैं कह दूंगा कि मैं नहीं कर सकता । मैं बात बनाकर नहीं छोड़ दूंगा । मैं इस प्रश्न का उत्तर इसी तरह दे रहा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप राज्यों को वित्तीय सहायता देंगे ?

श्री मोरारजी देसाई : यदि राज्य हमारे साथ सलाह करके तथा हमारी सहमति से योजनायें बनायें तो निश्चय दे देंगे, मगर यदि वे अपने आप ही बनायेंगे तो नहीं ।

Shri Kanwar Lal Gupta: The hon. Prime Minister has very rightly said that it is an intricate, terrible and big problem. It cannot be solved forthwith. But it is also true that every year the number of unemployed is heavily increasing. Would the Prime Minister, therefore tell us whether at the end of 6th Plan, at least the increase in the number of unemployed would stop? Would he give such an assurance? Secondly, what is his reaction to unemployment allowance provided by certain State Governments?

Shri Morarji Desai: I have replied to both questions. I have already said that the number of unemployed people would decrease at the end of five years. It would not increase, it will be reduced.....**(Interruptions)** I am not a prophet to say to what extent it will decrease. I do not want to go into such a mathematical talk. If there is any statistic-experts among the hon. Members, they only can do it, I cannot.

As regard States, so I have already said that if they consult the Centre and make certain schemes. We shall surely do what we should. If they do it on their own, let them do it.

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैं माननीय प्रधान मंत्री से इस बात पर पूरी तरह सहमत हूँ कि बेरोज़गार की समस्या स्वाभाविक रूप से हो किसी द्रुत कार्यक्रम के जरिये हल नहीं की जा सकती और मैं उन की इस आशा वादिता का भी समर्थन करता हुं कि आगामी वर्षों में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या घट जायेगी इस संदर्भ में मैं आदरपूर्वक दो प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

एक यह सच है कि क्या संगठित क्षेत्र के अतिरिक्त सरकार को ऐसी कोई योजनाएं हैं जिनके द्वारा इस देश के शिक्षित लोगों को भारत के विभिन्न भागों में प्रौढ़ शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रम में खपाया जा सके । दूसरा इन लोगो के लिये रोज़गार प्राप्त करने के लिये ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के बारे में है । अंतमें, स्वनियोजित व्यक्तियों के बारे में मैं उनसे पूछना चाहता कि क्या ऐसे व्यक्तियों को, जो बैंक ऋण दिये जाने के अतिरिक्त स्व-नियोजित करना चाहते हैं, और जो विभिन्न एकको में कोई एप्रेन्टिसशिप अथवा प्रशिक्षण लेना चाहते हैं सुविधाएं और अवसर दिये जाते हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : बहुत से स्थानों में प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाती हैं और यह आशा की जाती है कि उन सभी व्यक्तियों को वहां खपाया जाये परन्तु ऐसा करना कठिन होगा क्योंकि यह उन व्यक्तियों की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है । अन्यथा हम इस समस्या के प्रति सजग हैं । जसा कि मैंने कहा कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों को खपाये बिना आरंभ नहीं किया जा सकता । वह योजना उस प्रयोजन के लिये है परन्तु इसे राज्यों में भी लागू करना होगा और हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे बड़े पैमाने पर लागू किया जाये ताकि साक्षरता कार्यक्रम और शीघ्रता पूर्वक पूरा किया जा सके । उसमें अधिक लोगो को खपाया जायेगा परन्तु यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने व्यक्ति ऐसा करना चाहते हैं । बहुत से लोग कहते हैं कि वे बेरोजगार हैं परन्तु जब उन्हें विशेष कार्य दिया जाता है तो वे उसमें स भी अच्छा काम चुनना शुरू कर देते हैं । अतः ऐसे मामलों में हमें उन्हें इस बात के लिए राजी करना पड़ेगा कि वे जो भी काम उनके सामने है, उसे शुरू कर दें ।

पद बनाने तथा पदों को भरने पर रोक

702. **श्री मोहन लाल पिपिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागो में गैर-संचालन (नान-आपरेशनल) ग्रुप 'घ' के कर्मचारियों के पदों के सृजन अथवा रिक्त पड़े पदों को भरने पर पूरी तरह से रोक है, यदि हां, तो यह रोक कब से लागू है;

(ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में 1 जनवरी, 1978 की गैर-संचालन ग्रुप 'घ' के कुल कितने पद रिक्त थे;

(ग) क्या यह सच है कि इन रिक्त पड़े पदों में से बहुत से पद बाद में दैनिक मजदूरी श्रमिकों में से भरे गये थे; और

(घ) क्या यह भी सच है कि दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहे बहुत से कर्मचारी इन रिक्त पड़े पदों पर खपाय जाने हेतु आन्दोलन कर रहे हैं ; यदि हां तो उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल): (क) चपरासियों/जमादारो के पदो को भरने पर 24 जून, 1976 से रोक लगा दी गई थी। समूह 'घ' को अन्य रिक्तियों को भरने के लिए ऐसी कोई रोक नहीं है।

(ख) तथा (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग समेत, चपरासियो के परिनियोजन से संबंधित समस्त नीति का पुनरीक्षित की जा रही है।

Shri Mohan Lal Pipil: Mr. Speaker, Sir, caste and colour are two categories in India by which the people of India are affected and a similar category of class IV has existed in our Central as well as State Government services. Thousands of Class IV employees in the name of casual labour or daily wages labour are employed and they are required to do work more than those who are regular Class IV employees. They are kept as casual labour for as long as to ten to twelve years and even then they are not confirmed. The hon. Minister has just stated that this ban was imposed w.e.f. 24-6-74, it is incorrect. If this ban was imposed w.e.f. 24-6-74, how can there be casual labour with 12 to 15 years service at their credit.

श्री एस० डी० पाटिल : मेसेंजर प्रणाली जिसकी अपनी गुणवत्ता है, के स्थान पर अन्य प्रणाली लाने की दृष्टि से रोक लगाई गई थी परन्तु अभी भी मसेंजर प्रणाली को लागू करने में कतिपय कठिनाईयां हैं और सरकार चपरासियो की नियुक्ति तथा दैनिक मजूरी वाले कर्मचारियों को नियमित बनाने से सम्बन्धित समूचित नीति पर पुनर्विचार करने के बारे में सोच रही है। जिस दिशा में इस योजना पर पुनर्विचार किया जायेगा, वे हैं :—

(क) 10 प्रतिशत की कटौती किये जाने के बाद 31 मार्च, 1978 को चपरासियों/जमादारों की मंजूर शुदा संख्या जैसा कि वित्त सचिव के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 14 (7) ई० कॉ आर्ड० दिनांक 13.5.1977 में अपेक्षित है ;

(ख) उपरोक्त भाग (क) में तैयार की गई मंजूर शुदा संख्या की तुलना में 31 मार्च, 1978 को चपरासियों/जमादारो के रिक्त पदों की कुल संख्या; और

(ग) दैनिक मजूरी आधार पर लगाये गये कर्मचारियों की संख्या और कर्मचारियों को वह संख्या जो नियमित किये जाने के योग्य हैं। यह जानकारी मिलने पर वर्तमान रोक में ढील देने पर विचार किया जायेगा और हम कुछ दैनिक मजूरी वाले कर्मचारियों को सीमित रूप से नियमित करने की अनुमति देंगे ।

Shri Mohan Lal Pipil : Mr. Speaker, Sir, the system of daily wages affects only Class III and Class IV i.e. Group 'C' and Group 'D' of employees. Groups A and B remain unaffectel. I want to know from the hon. Minister the time by which this evil will be removed. Time limit should be fixed for this purpose and if there happens any delay, reasons thereof should be sorted out.

श्री एस० डी० पाटिल : मैं प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं कि मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है। जांच करने में थोड़ा समय लगेगा...

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय निश्चित तारीख नहीं बता सकते हैं ।

श्री मोहन लाल पिपिल : आप 2 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष बता सकते हैं। मुझे तारीख बता दीजिए। कोई सीमा होनी चाहिये ।

श्री एस० डी० पाटिल : जब पुनर्विचार हो जायेगा तो उसके बाद निर्णय किया जायेगा।

Shri Ram Kanwar Berwa : Mr. Speaker, Sir, most of the persons among the daily wage-earners are sweepers. When I was a Member of the Parliamentary Committee on Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Fifth Lok Sabha, I noticed that the work of serving drinking water was got done from non-Harijans and they were shown as Harijans in number. Has this fact come to the notice of the hon. Minister that non-Harijans are working in the name of sweepers ?

Secondly, will the sweepers engaged on daily wages be regularised ?

श्री एस० डी० पाटिल : यदि इस बात के विशेष उदाहरण दिये जायें जिनमें यह बताया जाये कि जो व्यक्ति हरिजन हैं उनकी उपेक्षा की जा रही है और कुछ अन्य गैर-हरिजन लिये जा रहे हैं तो मैं इसकी जांच करूंगा। जहां तक दैनिक मजूरी कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सम्बन्ध है, मैं उत्तर दे चुका हूं कि मामले पर पुनर्विचार चल रहा है और ज्यों ही यह पूरा हो जायेगा, हम इस प्रश्न पर भी विचार करेंगे ।

संघ लोक सेवा आयोग में संगणकीकरण के विरुद्ध आन्दोलन

704. **श्री के० ए० राजन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग के कर्मचारी आयोग में संगणकीकरण किये जाने के विरुद्ध और अपनी अन्य मांगों के समर्थन में 25 फरवरी, 1978 से आन्दोलन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) सेन्ट्रल गवर्नमेंट क्लर्कस यूनियन तथा संघ लोक सेवा आयोग में कुछ गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों/एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों ने, अन्य कार्यालयों के कुछ कर्मचारियो तथा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय के थोड़े से कर्मचारियों के साथ मिलकर 23 फरवरी, 1978 को एक आंदोलन आरंभ किया था। उक्त आंदोलन 18 मार्च, 1978 को वापस ले लिया गया था।

(ख) आरंभ में, कार्यभार कम करने तथा अन्वेषको के 6 पदों को भरने के लिए मांगें की गई थीं। बाद में, समूह 'ख' सेवाओं में सीधी भर्ती के बंद किए जाने, प्रतिनियुक्ति बंद किए जाने तथा प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे व्यक्तियों को वापस बुलाए जाने, पदोन्नति वाले पदों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों द्वारा भरे जाने तथा समूह 'घ' कर्मचारियों की वरिष्ठता के आधार पर समूह 'ग' में पदोन्नति किए जाने की मांगें रखी गई थीं। कर्मचारियों की वैध शिकायतों को दूर किए जाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के पास उपयुक्त प्रबन्ध हैं और आन्दोलन में शामिल व्यक्तियों ने उनके द्वारा जारी किए गए एक पर्चे में स्वयं यह स्वीकार किया है कि उनकी बहुत सी मांगें मान ली गई थीं।

आंदोलन के दौरान उठाए गए कुछ मामले सरकार की सम्पूर्ण कार्मिक नीति के अन्तर्गत आते हैं और उन पर आयोग अपने आप निर्णय नहीं दे सकता। फिर भी, आंतरिक कार्य अध्ययन एकक, कार्य पद्धति के युक्तिकरण तथा सरलीकरण करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों के संदर्भ में कार्यभार का मूल्यांकन करने में पहले से ही लगा हुआ है। कार्य अपेक्षाओं के आधार पर अन्वेषको के समकक्ष वेतनमानों में 6 पदों का सृजन कर दिया गया है, जिनमें से दो को पदोन्नति द्वारा पहले ही भरा जा चुका है और शेष पदों को भरने के लिए कदम उठाए गए हैं।

श्री के० ए० राजन : मुझे खेद है कि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया है। गत नवम्बर में गृह मंत्री ने लोक सेवा आयोग के चेयरमैनों की बैठक बुलाई थी जिसमें उन्होंने स्पष्ट घोषणा की थी कि मैं संगणकीकरण के विरुद्ध हूं। बहुत ही अस्पष्ट शब्दों में उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया। इतना ही नहीं, भारत सरकार के जे० सी० एम० की एक परामर्शदात्री समिति प्रशासनिक क्षेत्र में संगणकीकरण के सभी पहलुओं की जांच करेगी। मंत्री महोदय की इस घोषणा के संदर्भ में तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जे० सी० एम० इस समस्या की जांच करेंगी। क्या मंत्री महोदय इस विशेष विभाग में संगणकीकरण के बारे में यथा पूर्व स्थिति बनाये रखेंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : यद्यपि आन्दोलन का मुख्य कारण संगणकीकरण का विरोध था तथापि मांगे बढ़ रही हैं और वे विभिन्न बातो के बारे में हैं। वस्तुतः प्रारंभ में यह संगणकीकरण योजना के विरुद्ध थी। जहां तक संगणकीकरण का सम्बन्ध है, सरकार का दृष्टिकोण यह है कि तकनीकी संस्थाओं में जहां गति महत्वपूर्ण है वहां अंतिम साधन के रूप में सरकार इसके लिये सहमत हो सकती है परन्तु बेरोजगारी की आम समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार संगणक लगाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने जो शिकायतें की हैं उनमें से कुछ पर विचार किया जा रहा है और कुछ मांगे स्वीकार किये जाने की संभावना है। संघ लोक सेवा आयोग के सचिव हर बुधवार को बैठकें बुला रहे हैं और शिकायतों को विचार विमर्श करके दूर कर रहे हैं। इस समय जो शिकायतें की जा रही हैं वे भिन्न प्रकार की हैं और बाहर के बहुतसे व्यक्ति इस क्षेत्र में घुस गये हैं।

श्री के० ए० राजन : मंत्री महोदय ने बताया है कि किसी विशेष विभाग की समस्याओं के बारे में कुछ विचार विमर्श हो रहा है। जहां तक कार्यभार का सम्बन्ध है, पहले एक कर्मचारी 750 आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में कार्य किया करता था अब उसे एक महीने में 1500 आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में काम करना पड़ता है। चूंकि कार्यभार बढ़ गया है इसलिये अतिरक्त कर्मचारियों को नियुक्ति का पूरा औचित्य है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय बढ़े हुए कार्यभार को पूरा करने के लिये अधिक कर्मचारी लगाने के बारे में सोचेंगे ?

श्री एस० डी० पाटिल : इन मामलों को परस्पर बैठकर निपटाया जाता है। यदि वास्तव में कार्यभार में वृद्धि हुई है तो हम इसकी गुणों के आधार पर जांच करेंगे।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

सीमेंट के आयात के लिए लाइसेंस

5. **श्री वसन्त साठे** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 मार्च, 1978 के 'नेशनल हैरल्ड' नई दिल्ली में "लाइसेंस फॉर सीमेंट इम्पोर्ट" (सीमेंट के आयात के लिये लाइसेंस) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें लगाये गए गम्भीर आरोपों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले के तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : यह कहना सही नहीं है कि भारत में सीमेंट का आयात करने के लिये किसी निजी पार्टी को कोई ठेका दिया गया है। सरकार ने स्थानीय कमियों को दूर करने के लिये राज्य व्यापार निगम के माध्यम से दस लाख मीट्रिक टन सीमेंट आयात करने का निश्चय किया था। राज्य व्यापार निगम ने कोरिया, रुमानिया तथा पोलैंड से 8.4 लाख मी० टन सीमेंट का आयात करने हेतु ठेका किया है। अतएव, आयातित सीमेंट की बिक्री के जरिये किसी भी भारतीय पार्टी के 100 लाख रुपये के लाभ उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

समाचार पत्र की इस रिपोर्ट में कोई सार नहीं है कि बम्बई स्थित औद्योगिक गृह द्वारा कलकत्ता के औद्योगिक गृह पर दबाव डाला गया है। मंत्रालय के ध्यान में ऐसी बिक्री का कोई मामला नहीं आया है।

श्री वसन्त साठे : 22 मार्च के समाचार-पत्र में ऐसा समाचार छपा था कि किसी कपड़े की मिल को सीमेंट का आयात करने के लिये एक लाइसेंस दिया गया था। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री ने स्पष्ट किया है कि किसी निजी पार्टी को ऐसा कोई लाइसेंस नहीं दिया गया था। मैं आगे केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य व्यापार निगम

द्वारा आयातित किया गया यह सीमेंट किन्हीं निजी पार्टियों के माध्यम से वितरित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो वे निजी पार्टियां कौन-कौन सी हैं, जो सीमेंट के वितरण के लिये राज्य व्यापार निगम की एजेंसियां होंगी।

यदि आप को मालूम है तो क्या आप हमें बम्बई स्थित इस औद्योगिक गृह का नाम बताने की कृपा करेंगे जिस पर यह आरोप लगाया गया है कि वह इस पूरे मामले पर नियंत्रण किये हुए हैं।

श्री जार्ज फर्नांडिस : यह समाचार एकदम झूठ और निराधार है जो कोई लिख सकता है। प्रासंगिक रूप से यह एक ऐसे समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ है जो कि किसी समय महान था लेकिन अब वह इस स्तर तक गिर गया है। मुझे आशा है कि इसमें कोई और गिरावट नहीं आयेगी।

यह समाचार-पत्र 'नेशनल हैरल्ड' है और समाचार में कहा गया है कि बम्बई स्थित किसी निजी कपड़ा औद्योगिक गृह को, जिनके शायद मेरे साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है सीमेंट का आयात करने के लिये एक लाइसेंस दिया गया था। इसकी मात्रा अज्ञात है लेकिन मिल को 100 लाख रुपये का लाभ होने जा रहा है और सरकार को इससे कोई लाभ नहीं होगा।

समाचार का दूसरा हिस्सा यह है कि कलकत्ता के व्यापार गृह के स्वामित्व वाली मध्य प्रदेश स्थित किसी कपड़ा मिल को जार्ज फर्नांडिस ने बम्बई के एक व्यक्ति को, कलकत्ता के उद्योगपति को यह कहते हुए, दिला दी है;

"यदि इसे आप बम्बई के उद्योगपति को नहीं सौंपते तो मैं इसे संकटग्रस्त एकक के रूप में घोषित करके अपने हाथ में ले लूंगा।"

यह समाचार है जो 22 मार्च को 'नेशनल हैरल्ड' ने प्रकाशित किया है। जैसा मैंने कहा है यह एकदम झूठ और मनगढन्त समाचार है।

मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने इस समाचार का उल्लेख नहीं किया है और वह केवल यही जानना चाहते हैं कि वे पार्टियां कौन-कौन सी हैं जो सीमेंट की बेच रही हैं।

इस देश में सीमेंट की बिक्री लगभग 24,000 विक्रेताओं द्वारा की जाती है। गत तीन महीनों में हमने 300,000 मीट्रिक टन से कुछ ज्यादा सीमेंट का आयात किया। सीमेंट को उतरने और बाद में इसे डिपुओं को भेजने का काम सीमेंट के कारोबार में लगी पार्टियों अथवा राज्य औद्योगिक निगमों को सौंप दिया गया है। नियमित विचार-विमर्श करने के बाद टेंडरों के बुलाने के उपरान्त यह कार्यवाही की गयी थी।

संबंधित पार्टियां हैं : बम्बई—दिगविजय सीमेंट कम्पनी और डालमिया भारत—ये दोनों सीमेंट के कारोबार में हैं। मद्रास इंडिया सीमेंटस और डालमिया भारत/कोचीन राज्य लघु उद्योग विकास तथा रोजगार निगम, जो एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। विशाखापत्तनम—आंध्र प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन जो सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है और आंध्र सीमेंट, गोवा और मंगलौर—एक जहाज के लिये ए०सी०सी० लिमिटेड क्योंकि प्रत्येक

पत्तन में अब तक हमने केवल एक जहाज से सीमेंट उतारा है । ये ऐसी एजेंसियां है जिन्होंने जहाजों से सीमेंट उतारने का ठेका लिया है क्योंकि सरकार अथवा राज्य व्यापार निगम के पास सीमेंट को उतार कर और बाद में सीमेंट को बेचने के लिये आधारभूत ढांचा नहीं है। हमने यह व्यवस्था की है ।

श्री वसंत साठे : क्या आप हमें औद्योगिक गृह के नाम के बारे में बता सकते हैं जिसका इस लेख में उल्लेख किया गया है ?

श्री जार्ज फर्नांडिस : यह 'नेशनल हैरल्ड' के सम्पादक का कार्य है, जिसका मुझे विश्वास है, माननीय सदस्य के साथ बहुत मैत्री है कि वह इस सदन और देश को इस औद्योगिक गृह का नाम बतायें जिसके शायद मेरे साथ बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध है और जो अब इस आयात से 100 लाख रुपये का लाभ उठा रहा है । मुझे नहीं मालूम कि 100 लाख रुपये कहां से आ रहे हैं। मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है। सरकार को इस समाचार से कोई सरोकार नहीं है ।

श्री वसंत साठे : आयात किये जा रहे सीमेंट का मूल्य क्या है और इसे किस मूल्य पर वितरित किया जा रहा है ?

श्री जार्ज फर्नान्डिस : इस देश में सीमेंट पूल मूल्य पर बेचा जाता है : इसके विभिन्न कारण हैं जिससे उत्पादन की लागत में अन्तर है। सरकार ने सीमेंट के विपणन के लिये मूल्य ढांचा तैयार किया है। इसमें भाड़ा-शुल्क, उत्पादन-शुल्क, निर्माता की लागत सहित खुदरा व्यापारी का मुनाफा आदि प्रत्येक बात को ध्यान में रखा जाता है। इस समय आयातित सीमेंट में सीमेंट के उतारने की लागत प्रायः देश के अन्दर निर्मित सीमेंट की वास्तविक लागत से दुगुनी है। अतः सरकार ने निर्णय किया है कि पूल मूल्य एक रुपये तक बढ़ जायेगा और यह राशि विदेशों से आ रहे सीमेंट को राजसहायता देने के लिये प्रयुक्त की जा रही है क्योंकि यदि हम उतारे गये मूल्य पर सीमेंट को बेचें तो यह मूल्य उस मूल्य से दुगुना होगा जिस पर सीमेंट बेचा जाता है। अतः सीमेंट की प्रत्येक बोरी पर एक रुपये की समान वृद्धि है। यह राशि सीमेंट कारखाने के मालिक के पास नहीं जाती । यह राशि न तो थोक विक्रेता अथवा खुदरा व्यापारी अथवा जहाज से सीमेंट उतारने वाले व्यक्ति के पास जाती है। यह राशि पूल में जाती है जिस पर सरकार का नियंत्रण है और अतिरिक्त राशि को पूरा करने के लिये प्रयोग में लाई जाती है जिसका हम भुगतान करते हैं ।

श्री एम० एन० गोविंदन नायर : कुछ वर्ष पूर्व हम सीमेंट का निर्यात कर रहे थे : इस कमी के क्या कारण हैं ? क्या इसका कारण सीमेंट के कारखाने द्वारा अपनी पूरी क्षमता के अनुसार उत्पादन-कार्य न करना है अथवा क्या इसका कारण सीमेंट की मांग में वृद्धि होना है ?

श्री जार्ज फर्नान्डिस : मैंने कई बार कहा है कि गत कुछ वर्षों के दौरान देश में सीमेंट की उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 1975-76 में सीमेंट का अधिष्ठापित क्षमता 211.4 लाख मीट्रिक टन, 1976-77 में 218.4 लाख मीट्रिक टन; 1977-78 में

218.7 लाख मीट्रिक टन थी। दूसरे शब्दों में गत कुछ वर्षों के दौरान कमी को पूरा करने के लिये आयोजना बनाई गई थी और न कि अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये : हमें प्रति वर्ष 20 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब से आगे हमें प्रत्येक वर्ष 30 लाख मीट्रिक टन के अतिरिक्त सीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आपने इसे गत 5, 6, 7 वर्षों के दौरान इस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा और देश की अतिरिक्त आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा अतः हमें इस कठिनाई का सामना करना पड़ा।

जहां तक उत्पादन का संबंध है हमने कीर्तिमान उत्पादन किया है। तथा जो उत्पादन क्षमता का 89 प्रतिशत है। आपात काल के दो वर्षों के दौरान उत्पादन क्षमता का उपयोग 82 प्रतिशत और 87 प्रतिशत था। स्वतंत्रता के वर्ष में यह 89 प्रतिशत तक हो गया है जो आपके पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है। **(व्यवधान)**।

श्री वयालार रवि : वह प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। **(व्यवधान)** यह प्रश्न अलग था... **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डिस : मैं आपकी बात नहीं स्वीकार कर रहा हूं। मुझे प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति दी जाये।

श्री वयालार रवि : माननीय मंत्री प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं; वह भाषण दे रहे हैं। प्रश्न बहुत विशिष्ट था ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री गोविन्दन नायर द्वारा यह प्रश्न पूछा गया था कि पहले हम सीमेंट का निर्यात कर रहे थे और अब हम इसका आयात क्यों कर रहे हैं और दूसरे पहले इसका मूल्य कम था और अब इसके मूल्य में वृद्धि होने के क्या कारण हैं। वह इन सभी मुद्दों का उत्तर दे रहे हैं।

श्री वयालार रवि : उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है। उनका उत्तर उत्पादन क्षमता के बारे में है और यदि उत्पादन-क्षमता विद्यमान थी तो सरकार द्वारा सीमेंट का निर्यात किया जाता ... **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डिस : वस्तुतः माननीय सदस्य श्री साठे ने जिस समाचार का उल्लेख किया है वह यह है।

"यह मालूम हुआ है कि बम्बई स्थित कपड़ा मिल को सीमेंट का आयात करने के लिये लाइसेंस दिया गया है जो जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद अत्यधिक कमी की वस्तुओं की सूची में है।

वे सारे देशों की बढ़िया चीज लेना चाहते हैं। मुझे खेद है कि मैं उन्हें अनुग्रहीत करने के लिये तैयार नहीं हूं। जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद यदि सीमेंट की कमी हुई है तो इसका कारण गत तीन वर्षों में विद्यमान परिस्थिति थी। अधिष्ठापित क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है। समस्या का रूप यह है। मार्च, 1978 में देशमें सीमेंट के उत्पादन में 104 प्रतिशत का सबसे अधिक कीर्तिमान था। **(व्यवधान)**

श्री वयालार रवि : वह श्री नायर द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। श्री नायर द्वारा यह प्रश्न पूछा गया था कि सीमेंट का आयात करने के क्या कारण है जबकि सीमेंट का निर्यात किया जाता था। उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। यह प्रश्न बहुत तर्कपूर्ण था। श्री जार्ज फर्नान्डिस ने कहा है कि गत तीन वर्षों के दौरान सीमेंट की उत्पादन-क्षमता 210 लाख मीट्रिक टन थी। तब भी सीमेंट का निर्यात किया जाता था और अब जब उत्पादन में वृद्धि हुई है तो सीमेंट का आयात करने के क्या कारण हैं? वह इसका अवश्य उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : श्री कछवाय।

श्री के० लकप्पा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

Shri Hukam Chand Kachwai: Mr. Speaker, you had called me.

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा।

श्री के० लकप्पा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न अत्यन्त विशिष्ट है ... **(व्यवधान)**।

Shri Hukam Chand Kachwai: You call him after me. **(Interruptions).**

अध्यक्ष महोदय : श्री उग्रसेन, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। प्रश्न काल के बाद यदि कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाता है और यदि इसमें व्यवस्था का प्रश्न है तो मुझे इसे सुनना पड़ेगा। **(व्यवधान)**

व्यवस्था का प्रश्न क्या है? कृपया अपना व्यवस्था का प्रश्न बताइये।

श्री के० लकप्पा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न अल्पसूचना प्रश्न के मामले में अपनाई गई इस प्रक्रिया के बारे में है। सभी प्रयोजनों के लिये किसी अन्य सामान्य प्रश्न के समान यह अच्छा है। नियम स्पष्ट रूप से इसको स्थापित करता है। मंत्री महोदय उत्तर दें और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वह इस बारे में आक्षेप न लगायें ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कार्यवाही वृत्तांत में और कुछ न सम्मिलित किया जाय।

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : मैंने निर्णय दे दिया है कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachwai: Mr. Speaker, Sir, nobody can deny the fact that there is great importance of cement in our country. It has been told by the Minister that 3000 tonnes cement has been imported. I would like to know as to what quantity of cement is produced in the country and also the quantity of cement, which is required to meet the internal demand of the country; whether the quantity imported will be sufficient to meet the requirement; whether permission will be given to set up mini cement plants in new areas and if so, the production capacity thereof in tonnes.

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

Shri George Fernandes: Sir, last year the production was one crore and 92 lakh tonnes. While the demand in the country was for 2 crore and 20 lakh tonnes. There was shortage of about 20 lakh tonnes of cement. We tried to import 10 lakh tonnes of cement during last 6 months. But only five lakh tonnes of cement could reach India by 30th of last month. During this and next months 5 lakh tonnes of cement is expected. Some ships have reached the ports and some are on the way on the high seas. In order to meet the shortage steps are being taken to increase the production in the country and to meet the immediate need by import.

As regards the setting up of cement factories or mini cement factories, efforts are being made to complete such factories, as are under construction, as soon as possible. There can be mini plants at 43 places. Such a report has been prepared by the Cement Research Institute. Some steps have already been taken to set up such mini cement plants. But we should work in this direction as expeditiously as we can.

श्री टी० ए० पाई : वर्ष 1975 में सीमेंट का उत्पादन 155 लाख टन था और एक वर्ष में हमने इसे 185 लाख टन तक बढ़ा दिया था। गत वर्ष उत्पादन में केवल 5 लाख टन की वृद्धि हुई। क्या यह सच है कि गत वर्ष 10 लाख टन सीमेन्ट के निर्यात के बावजूद काले बाजार में सीमेंट आसानी से उपलब्ध हो जाता था और अब उत्पादन में और आयात में वृद्धि के बावजूद बम्बई जैसे शहर में काले बाजार में सीमेंट के मूल्य बहुत अधिक है। सीमेंट की कमी है। अतः यह स्पष्ट है कि वितरण व्यवस्था में कोई गड़बड़ी है। क्या विश्व-बाजार में सीमेंट का मूल्य इसलिए तो नहीं बढ़ गया है कि हमने यह घोषणा कर दी थी कि हमारे यहां सीमेंट की कमी है।

श्री जार्ज फर्नांडिस : मेरे मित्र आंकड़े देने में बड़े चतुर है। परन्तु उन्होंने जो आंकड़े दिये है वे सही नहीं है। वर्ष 1975-76 में अधिष्ठापित क्षमता 211.4 लाख टन थी जबकि उत्पादन 172.9 लाख टन हुआ था अर्थात 82 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया था। वर्ष 1976-77 में अधिष्ठापित क्षमता में 6 लाख टन की वृद्धि हुई अर्थात् वह बढ़कर 218.4 लाख टन हो गई थी जबकि उत्पादन 188.4 लाख टन था जो कुल क्षमता का 87 प्रतिशत है वर्ष 1977-78 में अधिष्ठापित क्षमता बढ़कर 218.7 लाख टन हो गई थी और उत्पादन 192.7 लाख टन था। क्षमता उपयोग की दृष्टि से यह 89 प्रतिशत है जो सबसे अधिक है।

माननीय सदस्य यह जानते है कि जनता सरकार 12 महीने की अवधि में सीमेंट का कारखाना नहीं लगा सकती थी। एक सीमेंट कारखाने को लगाने में कम से कम तीन वर्ष लगते है। हम यही कर सकते थे कि विद्यमान परिस्थितियों में क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करें और निर्माणाधिन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करें। ये दोनों कार्य हमने सफलतापूर्वक किये हैं।

माननीय सदस्य ने एक बात यह कही है कि गत वर्ष 10 लाख टन के निर्यात के बावजूद सीमेंट आसानी से उपलब्ध थी। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि जुलाई 1977 तक जो करार किये गये थे वे पूरे करने थे। दूसरी बात यह है कि प्रति वर्ष देश में सीमेंट की मांग में 20 लाख टन की वृद्धि हो जाती है। यदि अधिष्ठापित क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होती तो यह प्रश्न पूछना तर्कसंगत नहीं है कि सीमेंट कहां गई।

तीसरी बात यह है कि जबसे जनता सरकार सत्ता में आई है तब से निर्माण-कार्य और विकास कार्य में तेजी से वृद्धि हुई है। सीमेंट की कमी का एक कारण यह भी है।

जहां तक आयात और मूल्य-वृद्धि का सम्बन्ध है, करार करने से पूर्व देश में या विदेशों में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई थी। राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों ने गोपनीयता से काम किया था और हमने विश्व मंडी में उस समय के भाव पर करार किया था। (अन्तर्बाधाएं)

श्री सौगत राय : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय ने मूल प्रश्न की उपेक्षा की है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत नहीं हूं।

श्री सौगत राय : सीमेंट उत्पादन में केवल 5 लाख टन का उत्पादन क्यों हुआ?

अध्यक्ष महोदय : शायद आप समझ नहीं पाये हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा विद्यमान उत्पादनक्षमता के आधार पर ही किया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य : वह गलत कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह गलत कह रहे हैं या ठीक, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, परन्तु उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है इससे बाद में कुछ भी रिकार्ड न किया जाय।

**(व्यवधान)

श्री श्यामनन्दन मिश्र : माननीय मंत्री के कथन से ऐसा लगता है कि सीमेंट उतारने और उसका वितरण करने के बारे में राज्य व्यापार निगम के पास पूरे साधन नहीं है। अब प्रश्न यह है कि माल उतारने में हाथ से काम करने वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यदि राज्य व्यापार निगम के पास इसके लिए पर्याप्त संख्या में श्रमिक नहीं है। क्या मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। राज्य व्यापार निगम को इस साधारण बात पर भी ध्यान देना चाहिए।

जहां तक सीमेंट के वितरण का सम्बन्ध है, उन्होंने कहा है कि सीमेंट के वितरण का दायित्व गैरसरकारी वितरकों को सौंपा गया है। क्या ऐसी फर्मों को भी वितरण का काम सौंपा गया है जो काली-सूची में दर्ज है या उन्हें छोड़ दिया गया है।

श्री जार्ज फर्नांडिस : वास्तव में राज्य व्यापार निगम की माल उतारने की असमर्थता का उल्लेख करने से मेरा तात्पर्य यह नहीं था कि मैं राज्य व्यापार निगम की सम्पूर्ण क्षमताओं और योग्यताओं के बारे में उत्तर देना चाहता हूं, क्योंकि राज्य व्यापार निगम वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है। मुझे इस बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है। जहां तक सीमेंट की कमी का प्रश्न है, यह एक अस्थायी समस्या है और इससे निपटने के लिए हम सीमेंट का आयात कर रहे हैं। माल उतारने का काम कुछ एजेन्सियों द्वारा किया जाता

**का वाही वृन्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

है और देश में सीमेंट के वितरण और बिक्री का काम एजेन्टों को सुस्थापित व्यवस्था द्वारा किया जाता है। हमने इस प्रश्न पर विचार किया था और इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि तात्कालिक व्यवस्था के रूप में सबसे ठीक यह रहेगा कि उन लोगों को टेन्डर मंगाकर ठेके दिये जायें जो सीमेंट उद्योग में लगे हैं और जिनके पास माल उतारने और अन्य ऐसे ही काम करने के लिए कर्मचारी है? हमने विभिन्न पार्टियों से इस बारे में भी विचार किया था कि क्या उनके पास इस काम को करने की क्षमता है। अतः मैं अपने साथी वाणिज्य मंत्री से बातचीत करूंगा कि क्या राज्य व्यापार निगम ऐसे साधनों से सम्पन्न किया जा सकता है।

जहां तक वितरण का सम्बन्ध है, मुझे यह पता करने के लिए नोटिस चाहिए की क्या काली सूची में दर्ज किन्हीं कम्पनियों को वितरण का काम दिया गया है अथवा नहीं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
ANSWERS TO QUESTIONS

पांडीचेरी में लघु अथवा बड़े सीमेंट कारखाने के लिए लाइसेंस

*699. **श्री जी० मुवारहन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने पांडिचेरी में लघु अथवा बड़ा सीमेंट कारखाना आरम्भ करने के लिए लाइसेंस दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) भारत सरकारने पाण्डिचेरी में मिनी अथवा बड़ा सीमेंट कारखाना खोलने के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Illegal sale of Intoxicants in Delhi

*703. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in 'Hindustan' dated the 17th March, 1978 that intoxicants are being sold openly in many areas in the capital, such as Paharganj, Kamala Market, Jama Masjit, Kowali, Sardar Bazar, Karol Bagh, Anand Parbat, Tilak Nagar, etc. ;

(b) whether it is a fact that this business is transacted with some code words through the children in the streets ; and

(c) if so, whether Government have received such complaints and Government's reaction thereto?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) Government have seen the news item published in Hindustan dated 17th March, 1978. However, no such open sale of intoxicants has come to the notice of the Government.

(b) No such fact has come to the notice of the Government.

(c) Whenever complaints/information regarding illicit sale of liquor and other intoxicants are received, the Excise Intelligence Bureau of Delhi Administration and the Police make necessary enquiries and appropriate action is taken according to law.

Tractor Factory at Pratapgarh

*705. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether the work of setting up tractor factory at Pratapgarh district in U.P has since been completed ;

(b) the reasons for the delay in its completion and the time by which it is likely to be completed ; and

(c) the original cost thereof and the target of annual production fixed ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) No, Sir.

(b) The State Government are assessing the project with reference to its viability and the extent of tractorisation desirable in the context of the plan priorities, with a view to determining the further decision on the project.

(c) The original cost of the project is Rs. 13 crores. The target production is 500 tractors in the first year of manufacture rising to 6,000 tractors by the fifth year.

आकाशवाणी के नाम में परिवर्तन

*706. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :**
श्री एस० एस० सोमानी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी का नाम परिवर्तित कर आकाश भारती करने का निर्णय लिया है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार को इस आशय का भी एक सुझाव मिला है कि इसके नाम को बदल कर भारतवाणी कर दिया जाय ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) विभिन्न लोगों द्वारा 'भारतवाणी' सहित भिन्न-भिन्न नाम सुझाए गये हैं ।

दिल्ली–बम्बई राजमार्ग पर चम्बल का पुल

*707. **श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री अगस्त, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5555 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-बम्बई राजमार्ग पर चम्बल के पूल के जल्दी ढ़ह जाने के अन्य किन कारणों का पता लगाया गया है और क्या उसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित की गई है और क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ;

(गे) क्या यह सच है कि पुल के शेष भाग में भी दरार पड़ गई है और पुल के बने रहने में संदेह है ;

(घ) इस पुल के पुनर्निर्माण के लिए कुल कितनी राशि का ठेका दिया गया है ; और

(ङ) क्या इसके पुनर्निर्माण का ठेका भी उसी कम्पनी को दिया गया है जिसने पहले यह दोषपूर्ण पुल बनाया था ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) : पीयर 16 और 20 (आगरा की ओर से) के बीच चार रीइन्फोर्सड कंक्रीट मेहराबी पाटों के गिर जाने के कारणों का पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त तकनीकि विशेषज्ञों की समिति विस्तृत सब-सायल जांच करने तथा उसके कारणों का अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ये चार पाट पीयर सं० 17 की नींव धंस जाने के बाद गिरे है। इस पोयर की नींव क्ले मैटरिक्स पिंडशिला के उच्च परिवर्तित भाग पर टिकी हुई थी जो उस पर आने वाले भार को सहन नहीं कर सकता थी। समिति ने यह भी बताया कि यह धसकन, इस पोयर के इर्दगिर्द नदी तल में अत्याधिक भारी सामग्री के अधिक कटाव के कारण प्रतीत होती है जिससे भूमि तल की सहन क्षमता कम हो गई जिस पर इस नींव के कुओं के सिरे टिके हुए थे।

समिति को पीयर 16 और 20 के बीच चार मेहराबों के गिर जाने के और कारणों का पता नहीं चला है। समिति की रिपोर्ट से उत्पन्न बातों की जांच निर्माण और आवास मंत्रालय तथा केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग जिनकी देख रेख में यह पुल शुरू में बनाया गया था, के परामर्श से जांच की जा रही है ताकि उस घटना के लिए जिम्मेदारी डाली जा सकी।

(ग) पुल के इस भाग में, जिसे अब रखा जा रहा है इस घटना के बाद तकनिकी समिति द्वारा विस्तृत जांच के दौरान इसके स्थायित्व को नुकसान पहुंचाने वाली कोई दरारें नहीं पाई गई।

(घ) 217.23 लाख रूपए।

(ङ) जी, नहीं।

सीमेन्ट अनुसंधान संस्थान

*708. **श्री जी० एम० बनतवाला :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 4 मार्च 1977 के "ब्लिटस" में छपे उस समाचार को देखा है जिस में उल्लेख था कि भारतीय सीमेन्ट अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय अपव्यय सिद्ध हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच की है और उसका कार्यकरण और अधिक अच्छा बनाने के बारे में कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार ने समाचार पत्र में छपी सूचना को देखा है।

(ख) और (ग) : भारतीय सीमेन्ट अनुसधान सस्थान एक स्वशासी निकाय होने के नाते इसकी प्रबन्ध परिषद ने आरोपों को देखा है और उन्हें निराधार पाया है। फिर भी, उक्त परिषद ने उपकरण खरीदने से संबंधित आरोपों की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त कर दी है।

'पैस मेकर'

*709. **श्री जी० एस० बनातवाला :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भारतीय इंजीनियरों ने एक ऐसा कम खर्चीला तथा लगाये जाने योग्य "पैस मेकर" बनाया है जो पश्चिम से आयातित इसी प्रकार के 'पैस मेकर' से सस्ता है ;

(ख) यदि हां, तो परिक्षणों के द्वारा यह किस हद तक प्रभावी सिद्ध हुआ है ; और

(ग) देश में इसका निर्माण बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की एक प्रयोगशाला में जिसका नाम इलैक्ट्रोनिकी तथा रेडार विकास प्रतिष्ठान बंगलौर है, कार्य कर रहे एक ग्रुप ने रोपित किए जाने वाले 'पैस मेकर' का विकास किया है। उनके अनुसार यह 'पैस मेकर' आयातित उपकरण से काफी सस्ता होगा ।

(ख) लगभग 20 मास पूर्व कुत्तों के शरीर में रोपित कर के इस उपकरण को प्रयोग प्रारम्भ किया गया था; इस उपकरण का अब तक 12 पशुओं पर प्रयोग किया गया है। एक व्यक्ति पर 7 मास पूर्व प्रारम्भ किया गया प्रयोग प्रगति पर है और रोगी ठीक चल रहा है। इस रोगी के हृदय की धडकन प्रति मिनट 35 से बढ़कर 72 हो गई है और नियमित है। एक दूसरे रोगी के शरीर में भी यह उपकरण लगाया गया है और वह गत 4 मास से ठीक काम कर रहा है। मनुष्यों और पशुओं का एक्सरे किया गया है और उनका नैदानिक ई० सी० जी० संतोषजनक है और वे सामान्य जीवन व्यतित कर रहे हैं। मनुष्य पर इस उपकरण के महत्व को देखते हुए यह विचार किया गया है कि प्रयोग को कुछ और समय तक तथा और अधिक रोगियों पर चालू रखा जाए ।

(ग) इस उपकरण का संतोषजनक मूल्यांकन पूरा हो जाने के बाद रोपित किए जाने वाले 'पैस मेकर' का उपयोग करने की जानकारी वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार हस्तांतरित कर दी जाएगी ।

सीमा सड़क विकास बोर्ड के अधीन जी० आर० ई० एफ०

*710. **श्री के० बी० चेतरी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सड़क विकास बोर्ड के श्रमिक वर्गों को दी गई सुविधायें क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि जी०आर०ई०एफ० के कर्मचारियों को अपने उचित अधिकारों की सुरक्षा के लिए यूनियन संगठित करने की अनुमति नहीं दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार निकट भविष्य में उन्हें यूनियन बनाने के लिए अनुमति देने पर विचार कर रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) अपेक्षित सूचना सदन के पटल पर रख गए विवरण में दी गई है ।

(ख) से (घ) : जी०आर०ई०एफ० के कर्मचारियों पर थल सेना अधिनियम तथा थल सेना नियम लागू होते हैं। इसलिए समस्याओं अथवा उचित शिकायतों का निराकरण करने के लिए संगठन के अपने मंच और उपाय हैं । कर्मचारियों को संघ बनाने अथवा ट्रेड यूनियनों के साथ सहयोग करने की अनुमति देना सम्भव नहीं है ।

विवरण

सीमा सड़क संगठन में नियमित कर्मचारियों और आकस्मिक श्रमिकों को निम्नलिखित वेतन तथा भत्ते और अन्य सुविधाएं दी गई हैं

(क) नियमित कर्मचारी :

(1) केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 1973 के अनुसार वेतन ।

(2) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्राधिकृत महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता और बाल शिक्षा भत्ता ।

(3) सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों (पायनीर और ऐसे ही वर्गों के सिवाय) को सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित किए गए अर्हक क्षेत्रों में कार्य करते समय निम्नलिखित दरों पर विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता मिलता है :—

(क) अफसरों को वेतन की संशोधन पूर्व दरों पर मूल वेतन के 33 1/3 प्रतिशत दर पर जो ग्रुप "बी" के अफसरों के लिए न्यूनतम 200 रुपए प्रति मास और ग्रुप "ए" के अफसरों के लिए 250 रुपए प्रति मास और ग्रुप "बी" के अफसरों के लिए अधिकतम 250 रुपए प्रति मास और ग्रुप "ए" के अफसरों के लिए 400 रुपए प्रति मास है।

(ख) ग्रुप "सी" और "डी" के कर्मचारियों को उस मूल वेतन के 40 प्रतिशत की दर पर मिलेगा जिसे वे वेतनमानों के संशोधन पूर्व लेते थे और यह तब देय होगा जब वे अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर और मिजोरम के वर्गीकृत क्षेत्रों में कार्य करते हों और जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, भूटान और अण्डमान तथा निकोबार ग्रुप समूहों में कार्य करते समय उन्हें 50 प्रतिशत की दर पर मिलेगा जो ग्रुप "सी" के लिए न्यूनतम 75 रुपए प्रतिमास और ग्रुप "डी" के लिए 50 रुपये प्रतिमास होगा। उसकी अधिकतम रकम 200 रुपए प्रति मास है ।

संशोधित वेतन मानों के संदर्भ में इन दरों को संशोधित किए जाने का प्रश्न सरकार विचाराधीन है ।

(4) अस्थेतिक यूनिटों में कार्य कर रहे जी०आर०ई०एफ० के कर्मचारी बिजली और घरेलू जल पूर्ति के साथ-साथ राशन और निःशुल्क एकल आवास के हकदार होते हैं ।

(5) जी०आर०ई०एफ० के सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को निःशुल्क वस्त्र दिए जाते हैं जबकि अफसरों को परिधान/नवीकरण भत्ता दिया जाता है।

(6) जी०आर०ई०एफ० के कर्मचारियों को केवल अपने लिए जी० आर० ई० एफ० की चिकित्सा यूनिटों/सैनिक अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा उपचार दिया जाता है। उनके परिवार केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना अथवा सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1944, जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधाओं के लिए प्राधिकृत हैं ।

(7) छुट्टी के लिए, जी०आर०ई०एफ० के कार्मिक केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 की व्यवस्थाओं से शासित होते हैं।

(8) जी०आर०ई०एफ० के कार्मिक केन्द्र सरकार के अन्य कर्मचारियों की तरह अवकाश यात्रा रियायत पाने के हकदार हैं परन्तु उन कर्मचारियों के परिवारों को यह रियायत नहीं मिलती है जो निःशुल्क राशन लेते हैं।

(9) जी०आर०ई०एफ० के कर्मचारियों को कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923 अथवा केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, जैसा भी मामला हो, के अनुसार मृत्यु/क्षति लाभ मंजूर किए जाते हैं।

(ख) आकस्मिक श्रमिक :

(1) आकस्मिक कार्मिकों को स्थानीय सिविल प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके चीफ इन्जीनियरों द्वारा निश्चित मजदूरी की दैनिक अथवा मासिक दरों पर लगाया जाता है । परन्तु ये दरें न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निश्चित न्यूनतम मजूरी से कम नहीं होती है।

(2) ये कार्मिक जब अपने घरों से काफी दूर कार्य करते हैं तो उन्हें सार्वजनिक निर्माण विभाग अथवा अन्य नियोक्ता एजेन्सियों द्वारा स्थानीय प्रबंध को ध्यान में रख कर स्थानीय सामान से अथवा प्रयोग किए हुए टेंटों अथवा तिरपालों से बनाए गए आवास का प्रबंध किया जाता है।

(3) आटा/चावल, दाल, नमक, चीनी, चाय, बनस्पती और मिट्टी के तेल जैसी राशन की कुछ अनिवार्य मदें नकद भुगतान करने पर दी जाती है ।

(4) आकस्मिक श्रमिकों को नकद भुगतान करने पर चीफ इंजीनियर द्वारा प्राधिकृत व्यवहार्य सीमा तक निम्नलिखित वस्त्र दिए जाते हैं :—

(क) भारी वर्षा वाले स्थानों में प्रत्येक श्रमिक को एक वाटर प्रूफ टोपी।

(ख) 5000 फुट की ऊंचाई से कम के स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति को एक कम्बल/रजाई और 5000 फुट से ऊंचे स्थानों पर कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दो कम्बल/रजाइयां।

(5) उपर्युक्त के अतिरिक्त, जो व्यक्ति 10,000 फुट से ऊंचे स्थानों पर कार्य करते हैं उन्हें एक जर्सी पुलोवर, एक कैप कम्पार्टर और दस्तानों का एक जोड़ा दिया जाता है ।

(6) कार्य के स्थान पर बीमार हो जाने अथवा चोट लग जाने पर बहिरंग और अन्तरंग मरीजों के रूप में व्यवहार्य सीमा तक निःशुल्क चिकित्सा उपचार/आवश्यक मरीजों को अस्पतालों में ले जाने के लिए निःशुल्क परिवहन।

(7) कार्मिकों को सभी रविवारों और 26 जनवरी, 15 अगस्त तथा 2 अक्तूबर, को राष्ट्रीय छुट्टियों के लिए वेतन पर अवकाश दिया जाता है।

(8) चोट/मृत्यु के मामलों में श्रमिक कर्मचार मुआवजा अधिनियम, 1923 द्वारा शासित होते हैं।

Scale of Pay to the Staff of Letter Press J.C.B.

*711. **Shri L. L. Kapoor:**
Shri Ugrasen:

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 277 on 22nd February, 1978 regarding anomalies in the pay scales of employees of J.C.B. Press and Government of India Press and state:

(a) whether the Readers Gr. I and Copyholders in Joint Cypher Bureau Photo Litho Branch have been granted scales of Rs. 425-600 and 260-400 respectively vide Ministry's letter No. 11312/JCB/2/57/A/D(GS.IV), dated the 9th December, 1977;

(b) if so, the reasons for not granting these scales of pay to similar category employees in Letter Press of the same department in January, 1974; and

(c) the reasons for linking this case with other Ministries?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) Yes, Sir. The Government letter was issued on 9th December, 1974.

(b) and (c): The scales of pay of Readers Grade I and Copy Holders of Photo Litho Branch were based on the pay-scale applicable to similar categories of employees in Government of India Press. But pay-scales of similar posts in JCB Press were different even before and after the Third Pay Commission and hence the disparity. The grant of similar pay-scales to the employees of both the Presses was under examination in the context of similar posts in other Ministries. Government have considered the matter and have decided to grant to Readers Grade I and Copy Holders in the Letter Press of JCB the same scales of pay as are applicable to similar category of employees in Photo Litho Branch of JCB. The orders are under issue.

Smuggling of Coal from Kirtinagar Godown of D.S.I.D.C.

*712. **Shri Ramanand Tiwary** ; Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) whether the President of the Delhi Coal Dealers Association has alleged that the Bharat Coking Coal Ltd. is responsible for coal shortage in Delhi and that the Delhi State Industrial Development Corporation has stocked coal in its Kirtinagar godown from where the same is being smuggled outside Delhi; and

(b) Government's reaction thereto and the facts in regard to the Coal being sold from Kirtinagar godown and action proposed to be taken in this regard?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) The Delhi Administration have reported that they have received no such allegation from the President of the Delhi Coal Dealers Association. Bharat Coking Coal does not undertake distribution of coal in Delhi.

(b) The Delhi Administration have reported that no coal is being smuggled from the Kirti Nagar godown of DSIDC. The coal dust which had accumulated in that godown during the last three years is being disposed off and its movement outside Delhi is being allowed by that Administration only under permits and proper checks.

सीमेंट कारखानों का उत्पादन और अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग

*713. **श्री एस० आर० दामानी** क्या **उद्योग** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1976–77 और 1977–78 के आरम्भ में सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के सीमेंट कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता के आंकड़े क्या थे ;

(ख) दो वर्षों में वास्तव में कितना उत्पादन हुआ और कितनी क्षमता का उपयोग किया गया;

(ग) क्या सीमेंट की वर्तमान कमी का कारण चालू वर्ष में आन्तरिक खपत के लिये अधिक खरीद और अधिक सीमेंट का निर्यात है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) छठी योजना के अन्त तक सीमेंट की अनुमानतः कितनी मांग होगी तथा इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (घ) : वर्ष 1976-77 और 1977–78 के शुरू में अधिष्ठापित क्षमता और इन वर्षों में हुआ उत्पादन और क्षमता उपयोग निम्न प्रकार रहा है :—

	वर्ष 1976–77			वर्ष 1977–78		
	क्षमता	उत्पादन	प्रतिशत उपयोग	क्षमता	उत्पादन	प्रतिशत उपयोग
सरकारी क्षेत्र .	2.31	1.95	84	2.51	1.93	77
निजी क्षेत्र .	18.85	16.90	90	19.16	17.35	91
योग .	21.16	18.85	89	21.67	19.28	89

*मार्च, 1978 के अनुमानित उत्पादन के आधार पर।

वर्ष 1977-78 में सीमेंट का उत्पादन 192.8 लाख मी० टन होने का अनुमान है। जो अब तक किया गया अधिकतम उत्पादन है। रिकार्ड उत्पादन के होते हुए भी सरकारी निर्माण कार्यों और साथ ही कृषि उद्योग और आवास में सीमेंट के उपभोग की अधिक मांग के कारण सीमेंट की कमी रही। आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आये तूफान से हुए नुकसान की मरम्मत के लिए भी काफी मात्रा में सीमेंट की जरूरत पड़ी थी। वापस न लिये जा सकने वाले निर्यात के ठेकों के दायित्वों को छोड़कर जूलाई, 1977 में निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फलस्वरूप वर्ष 1976–77 के 8.33 लाख मी० टन सीमेंट

के निर्यात की तुलना में वर्ष 1977–78 में केवल 4.99 लाख मी० टन सीमेंट का निर्यात हुआ था। वर्ष 1982–83 के अंत तक 300 लाख मी० टन सीमेंट की आंतरिक मांग होने का अनुमान है। यदि विद्यमान प्रवृति का संकेत माना जायं तो आंकी गई यह मांग कम भी हो सकती है तथा मांग बढ़कर 350 लाख मी० टन तक पहुंच सकती है। सरकार विद्यमान एककों द्वारा अधिक उत्पादन करने अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने और सीमेंट के परिरक्षण और अच्छे उपयोग के लिए अनेक उपायों के क्रियान्वित कर रही है। अधिक महत्वपूर्ण कदमों में प्री० केल्सिनेटर प्रोद्योगिकी का उपयोग करना और स्लैग/फलाई ऐश तथा अन्य पोजलानिक पदार्थों का अधिक उपयोग, स्थानीय स्लैक और चूने के पत्थर का उपयोग करने के लिए स्टील संयंत्रों के स्थापना-स्थलों के समीप नए सीमेंट संयंत्रों की स्थापना चूने के पत्थर के छोटे भण्डारों का उपयोग करने के लिए छोटे सीमेंट संयंत्रों की स्थापना तथा नए एककों के विस्तार निर्माण संबंधी कार्यक्रमों में तेजी लाना भी शामिल हैं। आशय पत्रों/लाइसेंसों द्वारा लगभग 156 लाख मी० टन० की अतिरिक्त क्षमता के लिये स्वीकृति दे दी गई है।

निर्बाध परिवहन क्षेत्र बनाना

*714. **श्री महेन्द्र सिंह सैयावाला :**
श्री राम सेवक हजारी :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जुलाई, 1978 से कुछ उत्तरी राज्यों का एक निर्बाध परिवहन क्षेत्र बनाया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उससे क्या लाभ होंगे ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) : दिल्ली प्रशासन और पंजाब हरियाणा और जम्मू तथा काश्मीर की राज्य सरकारों ने एक करार स्वीकार किया है जिसमें यह व्यवस्था है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू और काश्मीर के राज्यों वाला यह सम्पूर्ण क्षेत्र एक ज़ोन होगा, जहां एक राज्य के ट्रक, प्रतिहस्ताक्षर और निर्धारित फीस और करों की अदायगी की शर्तों के अधीन उनके नम्बरों पर बिना किसी प्रतिबन्ध के दूसरे राज्य के क्षेत्र में चल सकते हैं। यह करार, सभी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने राजपत्रों में प्रकाशन के बाद 1-7-78 से लागू होगा।

(ग) यह योजना, सड़क परिवहन द्वारा एक जोन में माल की अन्तर्राज्यीय ढुलाई की सुविधाजनक बनाने के लिए बनाई गई है।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा जलाई गई फाइलें

*715. **चौधरी बलबीर सिंह :** क्या गृह मंत्री भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा फाईलों के कथित जलाये जाने के बारे में 14 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3855 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बारे में इस बीच कोई गहन जांच की गई है और जानकारी एकत्र कर ली गई है कि नष्ट की गई फाईलें किस प्रकार की थीं; और

(ख) क्या किसी संबंधित अधिकारी का पता लगाया गया है और इस मामले में आगे कार्यवाही के लिये उसे सम्बद्ध किया गया है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) :(क) और (ख) : इस मामले में अभी जांच पड़ताल की जा रही है

Issue of Licences for Low Cost Indigenous Cars

*716. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state whether consequent upon the failure of Maruti Company, Government would issue licences to all the applicants for the manufacture of low cost indigeneous cars so that the people can get cars of good quality at competitive prices ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : There are no pending applications for licence for the manufacture of low cost indigenous cars. The question of issue of such licences, therefore, does not arise.

हिमाचल प्रदेश में व्यास-सतलुज सम्पर्क परियोजना में कर्मचारी

*717. **श्री भगत राम :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में व्यास-सतलुज सम्पर्क परियोजना पर इस समय कितने कर्मचारी नियमित आधार पर और कितने कर्मचारी दैनिक मजूरी आधार पर काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या परियोजना के नियमित कार्य करने के लिए नए कर्मचारियों को दैनिक मजूरी पर नियुक्त किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) गत 6 मास में कितने नियमित कर्मचारियों को छंटनी की गई है और कितने कर्मचारियों को दैनिक मजूरी के आधार पर नौकरी दी गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) हिमाचल प्रदेश में व्यास सतलुज लिंक परियोजना पर इस समय 13,400 कामगार नियमित आधार पर और 1400 कामगार दिहाड़ी के आधार पर काम कर रहे हैं ।

(ख) और (ग) : परियोजना के विभिन्न निर्माण स्थलों पर तात्कालीक किस्म की मरम्मत तथा सुरक्षात्मक कार्यों जैसे अल्पावधि कार्यों के लिए, जो मानसून के आरम्भ होने से पहले पूरे करने होते है, कुछ छटनीशुदा कर्मचारियों को दिहाड़ी पर रखा जाता है ।

(घ) अक्तूबर, 1977 से मार्च, 1978 तक, 3554 नियमित कर्मचारियों को छंटनी की गयी । पिछले छः महीनों में दिहाड़ी पर रखे गए कर्मचारियों की महीनावार स्थिति नीचे दी गई है :—

अक्तूबर, 1977	कोई नहीं
नवम्बर, 1977	कोई नहीं
दिसम्बर, 1977	1155
जनवरी, 1978	1279
फरवरी, 1978	1541
मार्च, 1978	1400

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में प्रोड्यूसरों के पदों को भरना।

*718. **श्री राममूर्ति** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 अप्रैल, 1973 को सदन में यह उत्तर दिया गया था कि प्रोड्यूसरों के 80 पद रिक्त पड़ हैं और उन्हें भरा जायगा;

(ख) यदि हां, तो तब से प्रोड्यूसरों के कितने पद भरे गये हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रोड्यूसरों के पद उसी प्रकार से नहीं भरे जाते हैं जिस प्रकार से प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव्स के पद भरे जाते हैं ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 7523 के भाग (ख) और (ग) के संबंध में एक विवरण 18-4-1973 को सदन की मेज पर रखा गया था। 80 प्रोड्यूसरों के बारे में प्रोग्राम स्टाफ एसोसियेशन द्वारा उठाई गई बात और सरकार द्वारा उक्त विवरण में दिया गया अक्सर इस प्रकार है :—

प्रोग्राम स्टाफ एसोसियशन द्वारा उठाई गई बात	सरकार की प्रतिक्रिया
80 प्रोड्यूसरों की प्रस्तावित भर्ती तत्काल रोक दीं जाएं क्योंकि इस प्रकार की भर्ती चन्दा समिति मसानी समिती एवं स्टाफ निरीक्षण एकक की सिफारिशो के प्रतिकुल है।	आकाशवाणी के प्रोड्यसरों की प्रसारण व्यवस्था की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरी करने वाली एक भिन्न श्रेणी है। प्रोड्यूसर की भर्ती, संगठन की बढ़ती हुई और विविध कार्यक्रम आवश्यकताओं के कारण रोकी नहीं जा सकती।

(ख) 1973 से प्रोड्यूसरों के 72 पद भरे गए है।

(ग) प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के संवर्ग में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। प्रोड्यूसरों के पद स्टाफ आर्टिस्टों के पद है, इसलिए इनके संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नहीं भरा जाता।

हिंसा रोकने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद् की सिफारिशें

*719. **श्री नटवर लाल बी० परमार** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय एकता परिषद ने अपनी हाल ही की बैठक में देश में साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाओंको रोकने के लिये कोई सिफारिशें की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है !

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) : राष्ट्रिय एकता परिषद की अन्तिम बैठक 1968 में श्रीनगर में हुई थी। उसकी शिफारिशों का सारांश सदन के पटल पर रखा जाता है। इन शिफारिशों की एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेजी गई थी।

सारांश

साम्प्रदायिक दंगों के बारे में जून, 1968 में आयोजित राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में की गई सिफारिशों का सारांश

1. मार्गदर्शी किस्म की सिफारिशें :

1. राज्य तथा केन्द्रीय स्तरों पर एक विशेष आसूचना यूनिट का गठन किया जाए। इस यूनिट में विशेष रूप से प्रशिक्षित तथा इस कार्य में रुचि रखने वाले एवं इस प्रकार के कार्य के लिए आवश्यक पूरी निष्पक्षता वाले व्यक्ति होने चाहिए।

2. आसूचना एजेंसियां को अपनी रिपोर्टें तथा मूल्यांकन जिला मेजिस्ट्रेटों और जिला पुलिस अधीक्षकों को नियमित रुप से अविलम्ब प्रस्तुत करने चाहिए।

3. साम्प्रदायिक दंगों की पूर्व रोकथाम के लिए इन रिपोर्टों की जांच करने तथा तुरन्त निवारक कार्रवाई करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों तथा जिला पुलिस अधीक्षकों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाई बनाया जाए।

4. अफवाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाए।

5. राज्य सरकार यदि साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के हित में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संतुष्ट हो जाए तो एक विशिष्ट अवधि जो दो माह से अधिक न हो के लिए किसी मामले को छापने या प्रकाशित करने को आदेश द्वारा रोक सकती है।

6. साम्प्रदायिक दंगों क निवारण या रोकथाम के लिए तुरन्त कार्रवाई करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक को निजी तौर पर उत्तरदायी ठहराया जाए।

7. साम्प्रदायिक दंगों के दौरान किए गए अपराधों की जांच के लिए विशिष्ट जांच दल भेजे जायं।

8. तुरन्त तथा प्रभावशाली कार्रवाई करने में असफलता की कर्तव्य की अवहेलना समझा जाए तथा संबंधित अधिकारियों को तदनुसार दंड दिया जाए। यदि आवश्यक हो तो सेवा नियमों में संशोधन किया जाए।

9. साम्प्रदायिक दंगों को रोकने अथवा उनसे निपटने में की गई सेवाओं के लिए उपयुक्त सम्मान देने की प्रणाली प्रारंभ की जाए।

10. अपराधों की जांच करके अपराधियों को तुरन्त सजा दी जाए।

11. एक बार चलाये गए मुकदमों को वापस न लिया जाए।

12. प्रत्येक साम्प्रदायिक दंगे के तुरन्त बाद विशिष्ठ जांच की जाए।

13. यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली उपाय किए जाय कि सभी स्तरों पर सेवाओं की भर्ती में पक्षपात न किया जाए।

14. शांतिपूर्वक त्योहार मनाना सुनिश्चित करने के लिए नागरिक समितियां धार्मिक नेताओं के साथ अग्रिम परामर्श करें। वे उत्सवों में सभी साम्प्रदायों द्वारा भाग लेने के लिए उपाय करें।

15. शिक्षण व्यवसाय के सदस्य ऐसी गतिविधियों से दूर रहे जो धर्म निर्पेक्षता के विरुद्ध हो अथवा जो साम्प्रदायकि द्वेष पैदा करें।

2. विधायी कार्रवाई के संबंध में सिफारिशें :

1. पूजा के स्थानों का उपयोग ऐसी बैठकों के लिए न किया जाए जिन से साम्प्रदायिक कटुता या द्वेष उत्पन्न हो जाता हो। ऐसी बैठकों को रोकने तथा उससे निपटने के लिए विशिष्ट उपाय किए जाएं।

2. साम्प्रदायिक बैर भाव या घृणा बढ़ावा देने या साम्प्रदायिक सद्भाव को दूषित करने वाले संभावित सनसनीखेज या उत्तेजित करने वाले समाचारों या विचारों के प्रकाशन को रोकने के लिए सरकार को शक्ति दी जाए।

3. साम्प्रदायिक घटनाओं से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए तुरन्त जांच करने की शक्ति के विशिष्ठ न्यायालय गठित किए जाएं।

4. दण्ड की व्यवस्था करने के लिए भा० द० स० की धारा 153-क का संशोधन किया जाए।

5. ये अपराध प्रज्ञेय होने चाहिए और इसके लिये भोगा गया दण्ड लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन अयोग्यता समझा जाए।

6. अफवाह फैलाना तथा सनसनीखेज समाचार और विचार प्रकाशित करना धारा 153-क के अधीन अपराध घोषित किया जाए।

3. प्रशासनिक कार्रवाई के बारे में सिफारिश :

1. राज्य तथा केन्द्रीय स्तर पर विशेष सतर्कता यूनिट गठित की जाए।

2. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153-क के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर संबंधित समाचार पत्र को सरकारी विज्ञापन स्थगित कर दिया जाए।

3. साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने और उसे बनाये रखने के लिए राज्य, जिला तथा थाना स्तरों पर सलाहकार निकायों के रूप में नागरिक समितियां गठित की जाय।

4. ऐसे अध्यापक जिनकी गतिविधि धर्म निर्पेक्षता के विरुद्ध हो या जो साम्प्रदायिक कटुता पैदा करने के लिए अपराधी हों उन्हें नौकरी से निकालने के लिए सरकारी या सहायता प्राप्त सरकारी स्कूलों और कालेजों साथ ही विश्वविद्यालय और कालिजों के अध्यापकों के लिए निर्धारित सेवा विनियमों मे संशोधन करने की आवश्यकता की जांच की जाए।

5. समय समय पर साम्प्रदायिक स्थिति आदि की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एकता परिषद् की एक उपसमिति गठित की जाए।

Licences for Manufacturing of Apollo Scooter

6531. **Shri S. K. Sarda :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether a licence for the manufacture of Apollo Scooter was granted to Praja Sahkari Udyog, Bharatpur Ltd., Bharatpur (Praja Cooperative Industries Bharatpur Ltd., Bharatpur) ;

(b) whether an amount of rupees one crore was collected by the said industry as share capital and rupees two lakh as enrolment fee in 1972 ;

(c) whether Government also deposited an amount of rupees one crore with this firm as representative of the public sector ;

(d) whether this industry has made some progress;

(e) whether Government would protect public money by taking action against the Chairman and the Directors of this firm by making out a case of cheating public by them; and

(f) whether Government would take any steps towards refunding the share-holders' money and of general public if this firm has since been closed?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) No, Sir.

(b) The exact figures are not available. However, Rs. 10,54,211/- and Rs. 1,08,155/- were deposited by the above party in Punjab National Bank and Central Cooperative Bank, Bharatpur respectively. These are under attachment.

(c) and (d) : No, Sir.

(e) Yes, Sir. Two Civil suits have already been filed in the court of Sessions Judge, Jaipur city. After prolonged investigation, the case was also challenged in the court of Chief Judicial Magistrate, Bharatpur against S/Shri H. C. Kumar, L. N. Kapoor and R. S. Jain under Section 420, 468, 471 and 120 (b) I.P.C.

(f) Since the case is *sub-judice*, action to refund share money etc. would be taken after the case has been decided by the Court.

बंबई, कलकत्ता और मद्रास में माल-सुविधाएं

6532. **श्री विजयकुमार मल्होत्रा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री बंबई कलकत्ता और मद्रास में माल सुविधाओं के बारे में, 1 मार्च, 1978 के आतरांकित प्रश्न संख्या 1219 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी योजना के अन्त के बाद कलकत्ता में धाटों और जेट्टियों की संख्या में कमी होने के क्या कारण हैं तथा तीसरी योजना के अन्त के बाद, कलकत्ता और मद्रास में क्रनों की संख्या में कितनी कमी हुई ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : 1 जनवरी 1978 को चार कलकत्ता जेट्टी घाटों तथा दो गार्डनरीच जेट्टी घाटों को बन्द किया जाने पर योजना के अन्त में सामान्य माल घाटों / जैट्टियों की संख्या में 37 से 31 की कमी की गई। भारी वस्तुओं अर्थात् लौह अयस्क, कोयला इत्यादि की धराउठाई के लिए दो नए घाटोंके चालू करने से कलकत्ता में धाटों के बन्द होने से प्रतिपूर्ति हो जाती है।

कलकत्ता पत्तन में क्रेनों की संख्या को 301 से घटाकर 221 तथा मद्रास पत्तन पर 88 से 76 कर दिया गया है क्योंकि जिन क्रेनों का कार्यकाल पूरा हो चुका था, को बन्द / रद्दी घोषित कर दिया गया। बंबई पत्तन में केवल 249 से 247 का मामूली परिवर्तन हुआ है।

चूंकि बहुत से जहाजों पर स्वयं माल की धराउठाई के साज सामान विद्यमान होते हैं अत. घाट क्रेनों की संख्या में कमी करने से माल की धराउठाई की कमी स्वयं विवेकपूर्ण प्रतीत नहीं होती।

नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन की मोटर गाड़ियों का दुरुपयोग

6533. **श्री राम नरेश कुशवाहा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन की मोटार गाड़ियां जयपुर तथा अन्य स्थानों तक चलती हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन मोटार गाड़ियों को लम्बी यात्राओं पर कितना व्यय हुआ ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी हां ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन मोटार गाड़ियों द्वारा की गई लम्बी यात्रा पर 3,096/- रुपए व्यय हुए थे ।

कोयले की ढुलाई के लिए कोयले के भंडार बनाया जाना

6534. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों को कोयले की शीघ्र ढुलाई हेतु चुने हुए स्थानों पर कोयले के भंडार स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य तथ्य क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन्) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण क्षेत्रों में कंट्रोल के कपड़े का वितरण

6535. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में कंट्रोल के कपड़े के वितरण के बारे में सरकार की नीति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार प्रत्येक राज्य में ऐसा कितने मीटर कपड़ा वितरित किया गया ;

(ग) क्या सरकार का विचार पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कंट्रोल के कपड़े की श्रेणी के अंतर्गत ऊनी कपड़ा शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1978–79 के दौरान हिमाचल प्रदेश को कितने मीटर कंट्रोल का ऊनी कपड़ा वितरित करने का विचार है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) विभिन्न राज्यों को जनसंख्या के आधार पर यथानुपात मिलों द्वारा उपादित नियंत्रित कपड़े का मासिक आबंटन किया जाता है; राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों को 55947 खुदरा दुकानों (ग्रामीण क्षेत्रों में 44,790 और शहरी क्षेत्रों 11,157) के माध्यम से वितरण करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है ।

(ख) राज्यों को निम्नलिखित आबंटन किए गये :—

1975	. . .	4,90,272.25 गांठे
1976	. . .	3,28,423.50 गांठे
1977	. . .	2,45,358.75 गांठे

(एक मानक गांठ 1500 वर्ग मीटर की होती है)

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

मिजोराम में राष्ट्रीय राजमार्ग

6535. **श्री डा० आर० रोथुअम : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश की मुख्य भूमि पर मिजोराम ही एक मात्र ऐसा राज्य है जहां स्वाधीनता प्राप्ति के 30 वर्षों के बाद भी अब तक एक भी राजमार्ग नहीं है ;

(ख) क्या सरकार का विचार सिल्चर से आइजल तक की मुख्य सड़क को, जो मिजोराम की देश के शेष भाग के साथ एक मात्र सम्पर्क सड़क है और जो इस समय बी० आर० टी० एफ० के अधीन है, अपने नियंत्रण में लेने और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करके राष्ट्रीय राजमार्ग की विशिष्टियों के अनुसार इसे चौड़ा करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ करने का है; और

(ग) क्या पक्की सड़कों के निर्माण के बारे में पहले राज्य द्वारा किए गए खराब कार्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार आइजल से थन्जूल रोड होते हुए लुन्गमी तक प्रस्तावित सड़क का पूरा या कम से कम 50 प्रतिशत निर्माण कार्य बी० आर० टी० एफ० को सौंपने का प्रश्न पर विचार करेंगे?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी नहीं। मिजोराम, अरूणाचल प्रदेश के अलावा मुख्य भूमि पर पांडिचेरी और दादरा नगर हवेली के अन्य संघ राज्य क्षेत्र जहां पर इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। परन्तु वहां राष्ट्रीय राजमार्ग से भिन्न अन्य सड़के हैं।

(ख) वित्तीय कठिनाइयों और अन्य प्राथमिकताओं के कारण सरकार इस समय किसी भी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में लेने में असमर्थ है।

(ग) सीमा पथ विकास बोर्ड को स्थानीय प्रशासन से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है चूंकि यह स्थानीय सड़क है अतः यदि आवश्यक हुआ तो वे निसंदेह सीमा पथ विकास बोर्ड को लिखेंगे।

परमाणु विस्फोट पर रोक

6537. **श्री चित्त बसु : क्या परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शान्तिपूर्ण प्रयोजनों सहित सभी प्रयोजनों के लिए परमाणु विस्फोट करने पर पूरी तरह रोक लगा देने की सरकार को नीति है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे निर्णय के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) ऐसा विस्फोट करने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

एच० एम० टी० घड़ियों का निर्यात

6538. **श्री पो० राजगोपाल नायडू : क्या उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० एम० टी० घड़ियों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1977-78 के दौरान कितनी घड़ियों का निर्यात किया गया; और

(ग) क्या अधिक संख्या में घड़ियां का निर्माण करने के लिए इस वर्ष एच० एम० टी० की क्षमता मे वृद्धि की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, हां। फिर भी एच० एम० टी० का घड़ियां बनाने का मुख्य उद्देश्य देश घड़ियों की अंदरूनी मांग को पूरा करना है, एच० एम० टी० घड़ियों का निर्यात कम से कम स्तर पर किया जाता है।

(ख) वर्ष 1978-77 में 18656 घड़ियां निर्यात की गई थीं।

(ग) जी, हां।

आरक्षित सैनिक का पेंशन संस्थान को स्थानान्तरण

6539. **श्री के० मालन्ना** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 19-11-77 के यू० ओ० संख्या 4375/पेन आफ 1977 के द्वारा 1 जनवरी, 1973 को अथवा उसके बाद पेंशन संस्थान को स्थानान्तरित किया जाने वाला ओ० आर० आरक्षित सैनिक को 50 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन दी जायेगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जो इस तिथि से पेंशन संस्थान को स्थानान्तरित किये गये थे वे 10 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन प्राप्त करते रहेंगे;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार 1 जनवरी, 1973 से पूर्व पेंशन संस्थान को स्थानान्तरित किये गये पेंशन पाने वाले आरक्षित सैनिकों की पेंशन दर का पुनरीक्षण करने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां। तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 जनवरी, 1973 से सैनिक कार्मिकों की पेंशन की दरों में की गई वृद्धि के परिणामतः उन सभी अन्य रैंक रिजर्विस्टों की पेंशन दरें भी बढ़ाकर 50 रुपये प्रति मास कर दी गई हैं जिन्हें 1-1-1973 को या इसके बाद रिजर्विस्ट पेंशन मंजूर की गई है। इन्हें इस समय पेंशन के अलावा 35 रुपये प्रतिमास सामयिक राहत भी दी जाती है और इस प्रकार इनकी कुल पेंशन 85 रुपये प्रतिमाह है।

(ख) और (ग) : जिन रिजर्विस्टों को 1-1-73 से पूर्व किन्तु 1-4-68 को या इसके बाद रिजर्विस्ट पेंशन मंजूर की गई है उन्हें 15 रुपये प्रतिमाह की दर से मूल पेंशन मिलती है परन्तु जिन्हें 1-4-68 से पहले ही पेंशन मंजूर की गई थी उन्हें 10 रुपये से 12 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है। पेंशन के अलावा उपर्युक्त दोनों वर्गों के पेंशनरों को 15 रुपए की तदर्थ वृद्धि और 15 रुपए की तदर्थ राहत और 35 रुपए प्रतिमाह की सामयिक राहत पाने का भी हक है। इस प्रकार इनकी कुल पेंशन 75 रुपए से 80 रुपए प्रतिमाह बन जाती है।

1-1-1973 से पूर्व जिन रिजर्विस्टों को पेंशन मंजूर की गई थी उनकी और जिन्हें इस तारीख को या इसके बाद पेंशन मंजूर की गई है, उनकी पेंशन की कुल परिलब्धियों के बीच का वास्तविक अन्तर 5 रुपए से 10 रुपए प्रतिमाह के बीच है।

(घ) जी नहीं। दूसरे वर्गों के पेंशनरों की तरह ही, 1-1-73 से पहले रिजर्विस्ट पेंशन मंजूरशुदा अन्य रैंकों के पेंशनरों की पेंशन में संशोधन करने का भी कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के स्टेनोग्राफरों के लिए सैलेक्शन ग्रेड

6540. **श्री मही लाल :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० एस० एस० एस० के स्टेनोग्राफरों को सैलेक्शन ग्रेड दिया गया है तथा अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जन जातियों की सेवावधि में छूट के अलावा सामान्य आरक्षण भी प्रदान किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो अनुसूचित जातियों/जनजातियों को सैलेक्शन ग्रेड देने के लिए सेवा काल में छूट न देने के क्या कारण हैं और सरकार का विचार सी० एस० एस० एस० में अनुसूचित जातियों/ जनजातियों के कर्मचारियों के लिए 15 वर्ष की सेवा अवधि को कब तक कम कर देने का है ;

(ग) क्या स्टेनोग्राफरों के 'बी' ग्रेड में आरक्षित पद अनुसूचित जातियों/जनजातियो के उन स्टेनोग्राफरों को दिये गये हैं जो सी० एस० एस० एस० के 'सी' ग्रेड में 8 वर्ष से अधिक अवधि तक सेवा कर चुके हों; और

(घ) क्या स्टेनोग्राफरों के 'डी' ग्रेड में पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी सामान्य नियमों का पालन किया जाता है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटिल) : (क) तथा (ख) सी० एस० एस० एस० के ग्रेड 'सी' स्टेनोग्राफरों के लिए रु० 650-960 के वेतनमान में सैलेक्शन ग्रेड लागू कर दिया गया है। सलेक्शन ग्रेड में नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'सी' मे 15 वर्ष की न्यूनतम सेवा निर्धारित की गई है तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 15% तथा $7\frac{1}{2}$% के हिसाब से आरक्षण रखे गए हैं। न्यूनतम "सेवाधि" के संबंध में सामान्य पात्रता की शर्तें चयन ग्रेड मे आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों पर भी लागू होती हैं। विद्यमान आदेशों के अधीन, निर्धारित "न्यूनतम सेवाधि" के मामले में कोई छूट दिया जाना अनुज्ञेय नहीं है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान। सी० एस० एस० एस० के ग्रेड 'बी' में पदोन्नति के लिएउक्त सेवा के ग्रेड 'सी' में 8 वर्ष की न्यूनतम सेवा के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि उम्मीदवार कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित पदोन्नति के जोन के भीतर आता हो।

(घ) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'डी' उक्त सेवा का निम्नतम ग्रेड है। इस ग्रेड में भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जा रही है और अनुसूचित जातियों/ जनजातियों के लिए सामान्य आरक्षण इस ग्रेड में भर्ती तथा आगे पदोन्नति दोनों के लिए उपलब्ध हैं।

Setting up of Mini Cement Plants

6541. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the number of new mini cement plants proposed to be set up in the country and the State-wise number of these plants sanctioned upto 31st March, 1978 and the number of those, out of them, in respect of which work of setting up has been completed, the number of those in respect of which work in this regard is in progress and work of the setting up has not been started so far ;

(b) the State-wise number of new mini cement plants sanctioned in 1978-79; and

(c) the daily production capacity of a mini plant?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) Three proposals have been registered with the Government upto 31st March, 1978; of this two schemes are in Gujarat and one in Maharashtra. None of above schemes have completed their projects.

(b) One more scheme in the State of Rajasthan has also been registered with Directorate General of Technical Development in the month of April, 1978.

(c) Maximum 60 tonnes.

सनबेदा (उड़ीसा) में नौसैनिक आयुध डिपो

6542. **श्री बैरानी जेना :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सनबेदा (उड़ीसा) में नौसैनिक आयुध डिपो के विकास का ब्यौरा क्या है ;

(ख) चिल्का स्थित नौसैनिक प्रशिक्षण केन्द्र कब से प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ कर रहा है; और

(ग) क्या गोपालपुर (उड़ीसा) स्थित हवाई सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान ने अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इस परियोजना की आधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण करने का काम जारी है। परियोजना स्थल तक पहुचने के लिए आवश्यक सड़कों और निर्माण-कर्मचारियों के लिए मकान बनाने जैसे आरंभिक कार्यों के लिए "काम चालू करो" स्वीकृत जारी कर दी गई है और इन दिशाओं में काम शुरू कर दिया गया है।

(ख) चिलका स्थित बाइजट्रेनिंग संस्थान में 1979 के शुरू में ही कार्य शुरू हो जाने की आशा है।

(ग) परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। पानी की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही एक संयुक्त योजना में हिस्सा बटाया जा रहा है। यह परियोजना तीन चरणों में आरम्भ की जानी है जो 1991 तक पूरी हो जाएगी। परियोजना की योजना बनाने और उसे स्वीकृति देने का काम शुरू कर दिया गया है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा की स्थापना का उद्देश्य

6543. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किन उद्देश्यों के लिए की गई है ;

(ख) वे कहां तक पूरे हुए हैं ;

(ग) वर्ष 1977-78 के दौरान यदि कोई अतिरिक्त यूनिट बनाये गये हैं तो उनकी संख्या क्या है; और

(घ) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्य उसकी उपयोगिता पर पुनः विचार करने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) : केन्द्रीय औद्योगिक सरक्षा बल को गठन औद्योगिक उपक्रमों के बेहतर सुरक्षण तथा सुरक्षा के लिये किया गया है। बल ने उन औद्योगिक उपक्रमों म जिनमें उसे तैनात किया गया था, इन उददेश्यों को पूरा किया है । 1977-78 मे बल को पांच उपक्रमों में तैनात किया गया था ।

(घ) यह निर्णय लिया गया है कि उन उपक्रमों में जहां वह पहले से तैनात है, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनातो को जारी रखने की आवश्यकता के संबंध में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों द्वारा पुन: विचार किया जायेगा ।

भारतीय व्यापारी बेड़े को छोड़ने वाले अधिकारी

6544. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों में बहुत से अधिकारियों ने भारतीय व्यापारी बेड़ा छोड दिया है,

(ख) क्या उन अधिकारियों के विदेश चले जाने से बेड़े का कार्यकरण पंगु हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) भारतीय व्यापार पोत के कुछ अधिकारी विदेशी पंजीकृत जहाजो में रोजगार के लिए विदेश जा रहे हैं । वर्ष में आने वाले सनदी अधिकारियों में यह अनुमान है कि लगभग 15 से 20 प्रतिशत नौ-शाखा में से तथा 5 प्रतिशत इंजीनियरी शाखा के अधिकारी विदेशी में रोजगार खोजने के लिए भारतीय जहाजों को छोड़ देते हैं ।

(ख) जी नहीं । परन्तु, बेड़े में सुचारू कार्य करने के लिये अधिकारियों को कमी है ।

(ग) जनशक्ति आवश्यकताओं की निरन्तर समीक्षा की जाती है तथा कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(i) प्रशिक्षण पोत "राजेन्द्र" पर प्रवेश पूर्व योग्यताओं को दायर सेकन्ड्री से बढ़ाकर इन्टर साईंस कर दिया गया है तथा प्रशिक्षण की अवधि को 1975 से दो वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दिया गया है। जिसके परिणामस्वरूप नैविगटिंग कैडटों की भर्ती संख्या में प्रतिवर्ष 125 से 250 की वृद्धि हुई है ।

(ii) कलकत्ता बंबई समुद्री इंजीनियरी प्रशिक्षण निदेशालय में समुद्री आधार पर 1975 से यांत्रिक तथा विद्युत स्नातक इंजीनियरों के लिए एक विशेष उद्योग प्रधान पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है यह संस्थान में नियमित चार वर्ष के समुद्री इंजीनियरी के पाठ्यक्रम के अलावा है इसके फल-स्वरूप प्रतिवर्ष प्रशिक्षित इंजीनियरों की संख्या में 100 से 200 की वार्षिक वृद्धि हुई है ।

(iii) जितनी संख्या में उद्योग की आवश्यकता में प्रशिक्षित इंजीनियरों कैडटों को तैयार करने में कमी होगी, नौवहन कम्पनियाँ डैक प्रशिक्षुओं तथा कनिष्ट इंजीनियरों की सीधी भर्ती कर सकेगी ।

सरकार भी व्यापार नौवहन अधिनियम 1958 के अन्तर्गत जारी किए गए सक्षमता प्रमाणपत्र धारियों पर उपयुक्त रूप से रोक लगाने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिससे कि वे विदेशी जहाजों अथवा विदेशी पोत स्वामियों के अन्तर्गत उनके रोजगार को रोका जा सके, तथा भारतीय जहाजो इत्यादि पर रोजगार की उपलब्धता को बढाया जा सके ।

दादरा और नागर हवेली के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

6545. **श्री आर० आर० पटेल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977 के दौरान दादरा और नागर हवेली के लोगों से दादरा और नागर हवेली प्रशासन के आबकारी और कुछ पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो जो शिकायतें की गई हैं, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन शिकायतों की जांच की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ड.) : वर्ष 1977 के दौरान दादरा और नागर हवेली प्रशासन के अधिकारियों के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी । उन मामलो में आवश्यक जांच की गई थी और उपयुक्त कार्रवाई की गई थीं। परन्तु सभी शिकायतों तथा प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई के ब्यौरे देना मुश्किल है ।

Cigarettes Manufactured by Foreign and Indigenous Companies

6546. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the percentage of total cigarettes being manufactured in India by the foreign companies and the indigenous companies respectively ;

(b) whether Government propose to reduce the capacity of the foreign companies and gradually indianise them with a view to encourage the indigenous companies and to make the country self-sufficient in the matter of cigarettes production ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) to (c) : Action to regulate the foreign equity of foreign majority companies manufacturing cigarettes in India has already taken in accordance with the guidelines for administering section 29 of the Foreign Exchange Regulations Act, 1973. There is, as at present, only one company which is yet to bring down its foreign equity to 40% ; the production of cigarettes by this company accounted for only 5% of the total production of cigarettes in the country in 1977. There is no proposal under consideration of Government for reducing the capacity already held by them.

बंबई-हैदराबाद और बंबई-बंगलौर राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत

6547. **श्री आर० के० महालगी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंबई-हैदराबाद और बंबई-बंगलौर राजमार्गों पर बंबई-पूणे और पूणे-कोल्हापुर के बीच अनेक मरम्मत के काम हो रहे हैं;

(ख) उनकी संख्या कितनी है और मरम्मत के काम कब तक पूरे हो जाएंगे; और

(ग) उनके पूरा न होने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम): (क) से (ग) : महाराष्ट्र को बंबई-पुणे-कोल्हापुर सड़क जोकि बंबई-बंगलौर-मद्रास सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 4 का एक भाग है। 1972 से लगभग 19.70 करोड़ रुपए की लागत से पूरे दो लेन राष्ट्रीय राज मार्ग स्तर पर वर्षानुवर्ष धन की उपलब्धता के अनुसार सुधार किया जा रहा है। सुधार कार्यों में कालवा क्रीक के ऊपर नए पुल तथा घाटी, पातालगंगा, वेन्ना, कोयना तथा पंचगंगा नदियों के ऊपर पुल तथा थाना चौक कामशेट, वादगांव, सतारा, करद तथा कोल्हापुर के उपमार्ग शामिल हैं। कालवा क्रीक पर पुल तथा थाना, कामशेट, सतारा तथा कोल्हापुर उपमार्गों को छोड़कर बाकी सभी कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। सभी सुधार कार्यों पर अब तक का व्यय 16.71 करोड़ रु० है। कालवा पुल तथा थाना उपमार्गों की धन उपलब्धता पर दिसम्बर, 1980 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

मुगल लाइन्स के जहाज

6548. **श्री बापू साहिब पारलेकर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या यह सच है कि मुगल लाइन्स के जहाज मई, 1977 तक कोनबेर के पश्चिमी तट पर 11 पत्तनों पर नियमित रूप से और उपखनों पर सप्ताह में एक बार आते थे और अक्तूबर, 1977 से ये जहाज उक्त मार्ग पर केवल पत्तनों पर हो आते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार मई, 1977 से पहले की जहाजों को चलने की समय सूची को अपनाने के लिए मुगल लाइन्स को निर्देश देने का है; और

(ग) क्या इस बारे में किसी संसद सदस्य से दिनांक 23 नवम्बर, 1977 का एक पत्र प्राप्त हुआ है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) नवम्बर, 1973 से मुगल लाइन के जहाज बम्बई तथा पानाजी के बीच सभी 11 पत्तनों पर नहीं आ रहे थे परन्तु प्रतिदिन केवल 4 पत्तनों पर आ रहे थे। अक्तूबर 1976 से पहले ये अन्तर देकर आ रहे थे जिससे महाराष्ट्र सरकार द्वारा तैयार किए गए जहाजों की यात्रा के कार्यक्रम के अनुसार जहाज प्रतिदिन विभिन्न पत्तनों पर आ सकें।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां। सदस्य के सुझाव नोट कर लिए गए हैं।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए राजसहायता

6549. **श्री माधव राव सिंधिया** :

श्री छबिराम अर्गल :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के 36 जिलों में से केवल 22 जिलों में ही औद्योगिक विकास के लिए पूंजीगत राजसहायता देने की योजना लागू की गई है तथा वह भी केवल चुने हुए खण्डों में;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुविधा सभी जिलों में देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) :(क) पूंजोगत राज सहायता की योजना मध्य प्रदेश के 6 क्षेत्रों में लागू है जिसमें पिछड़े घोषित किये गये 32 जिलों में से 22 जिलों के 65 खण्ड आते हैं ।

(ख) इन क्षेत्रों की सूची नीचे दी गई है:—

क्षेत्र 1 : (पूर्वी क्षेत्र से) जिसमें 12 खण्ड हैं अर्थात् कोरबा, बलोदा, चम्पा, कोटा, मस्तूरी तथा बिल्हा (बिलासपुर) खण्ड (बिलासपूर जिले से), भाटपाड़ा, सिमगा, तिलडा; धारसीवा (रायपुर) अभनपुर तथा राजोम खण्ड (रायपुर जिले से) ।

क्षेत्र 2 : (पश्चिमी क्षेत्र से) जिसमें 10 खण्ड हैं अर्थात् देवास तथा टोंक खुर्द खण्ड (देवास जिले से), गुलाना, भुजालपुर तथा शाजापुर खण्ड (शाजापुर जिले से), पंचोर (सारंगपुर) तथा बियोरा खण्ड (राजगढ़ जिले से) तथा चचौरा, राघोगढ़ तथा गुना खण्ड (गुना जिले से) ।

क्षेत्र 3 : (उत्तरा क्षेत्र से) जिसमें 9 खण्ड हैं अर्थात् शिवपुरी तथा करेरा (शिवपुरी जिले से) दातिया तथा सिओंधा (दातिया जिले से), भिंड, महगांव तथा गोहाद (भिंड जिले से) तथा मुरैना तथा जौरा (मुरेना जिले से) ।

क्षेत्र 4 : (केन्द्रीय क्षेत्र से) जिसमें 11 खण्ड हैं अर्थात् बीना-इटावा, खुरी-बांदा (बिनायका) राहतगढ़, सागर, शाहगढ़ (अमरमाउ) (सागर जिले से) विदिशा तथा ग्यारसपूर (विदिशा जिले से) तथा छत्तरपुर (छत्तरपुर जिले से)

क्षेत्र 5 : (पश्चिमी क्षेत्र-2) जिसमें 12 खण्ड हैं अर्थात् पोतलवाद तथा मेघनगर (झबुआ जिले से) बदनावर, धार तथा नालोहा (धार जिले से), महेश्वर तथा बरवाहा (खारगोन जिले से), रतलाम तथा जौरा (रतलाम जिले से) मन्दसौर तथा नीमच (मन्दसौर जिले से) ।

क्षेत्र 6 : (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से) जिसमें 11 खण्ड हैं अर्थात् रीवा तथा रायपुर (गढ़) (रीवा जिले से) मझौली, सिद्धी, दूसर तथा बेधान (सिहडा जिले से) अंसेपहसट, बैकुण्ठपुर, मानेन्द्र गढ़, सूरजपुर तथा अंबिकापुर (सूरगुजा जिले से) ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) संबधित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किसी राज्य में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े चुने गये जिलों में से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े प्रत्येक राज्य से 6 जिले/"क्षेत्र" तथा अन्य प्रत्येक राज्य से 3 जिले/"क्षेत्र" चुने गये हैं ताकि वे पूंजीगत राजसहायता की योजना के योग्य बन सकें । मध्य प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े घोषित किये गये जिलों में से 6 "क्षेत्र" पूंजीगत राजसहायता की योजना के योग्य चुने जा चुके हैं । इस योजना का राज्य के सभी जिलों में विस्तार कर सकना संभव नहीं है ।

अन्तरिक्ष आर० एफ० एफ० यूनिट के एक्स-रे संयंत्र में रेडियोधर्मिता के कारण प्रजनन शक्ति की हानि

6550. **श्री वयालार रवि** : क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र की आर० एफ० एफ० यूनिट के एक्सरे संयंत्र में काम करने वाले कर्मचारियों ने रेडियो धर्मिता के कारण प्रजनन शक्ति की हानि होने की शिकायत की है;

(ख) क्या इन कर्मचारियों को कई अन्य बीमारियों ने प्रभावित किया है; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों को सुरक्षा के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : (क) एक्स-रे संयंत्र सूक्ष्म वैज्ञानिक अन्वेषणों के अधीन रहा है और यह पाया गया कि इसमें विकिरण संबंधी कोई भी खतरा नहीं है। फिर भी, हाल ही में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पहली बार एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि फरवरी, 1978 से एक्स-रे संयंत्र (आर० एफ० आफ० यूनिट) और केन्द्र की निकटवर्ती वर्कशाप में कार्य करने वाले कुछ कर्मचारियों ने कामप्रवृत्ति की हानि होने की शिकायत की थी और एक व्यक्ति ने प्रजनन शक्ति की हानि होने की शिकायत की। उपर्युक्त कर्मचारियों की चिकित्सा-परीक्षा विकिरण के किसी भी प्रकार के प्रभावों को व्यक्त करने में असमर्थ रही। चूंकि उपर्यूक्त जिन कर्मचारियों की जांच की गई थी, उनमें से एक कर्मचारी ने अपने पहले बच्चे के होने के बाद प्रजनन शक्ति की हानि होने की शिकायत की थी, उसे 10 फरवरी, 1978 को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, त्रिवेन्द्रम में आगे जांच करवाने के लिये कहा गया था। लेकिन जांच के बाद उसने वापस रिपोर्ट नहीं की।

(ख) कर्मचारियों से रेडियो धर्मिता के कारण अन्य किसी प्रकार की बीमारियों के होने की कोई अन्य शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) इस बात की पुष्टि की जाती है कि विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र की राकेट निर्माण सुविधा की केन्द्रीय वर्कशाप क्षेत्र में विकिरण सुरक्षा के लिये निर्धारित नियमों और विनियमों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने और उन सभी सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के बाद ही एक्सरे यूनिट की स्थापना और प्रचालन किया गया था, जिन्हें वैज्ञानिक अन्वेषणों के बाद विकिरण सुरक्षा के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रदान करना आवश्यक समझा गया था।

रक्षा प्रतिष्ठानों की मांगें

6551. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संपूर्ण देश में रक्षा प्रतिष्ठानों ने इस वर्ष जनवरी के दौरान सरकार को अपनी मांगें प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं। परंतु अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ से सम्बद्ध यूनियनों के कुछ सदस्यों ने कर्मचारियों की कुछ मांगे रखने के लिए 16 जनवरी 1978 से 21 जनवरी 1978 तक एक 'मांग सप्ताह' मनाया था।

(ख) संघ की मांगें इस प्रकार थी :—

(1) रक्षा तथा केन्द्र सरकार के अन्य कर्मचारियों के वेतन-मानों में असंगतियों को दूर करना।

(2) सभी दण्डित कर्मचारियों को बहाली

(3) स्थायी विचार-विमर्श तंत्र को पुनर्जीवित करना जिसे 1960 में एकतरफा निर्णय लेकर समाप्त कर दिया गया था।

(4) औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के बीच सभी तरह के भेदभाव को दूर करना।

(5) अनिवार्य जमा राशि का भुगतान, महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाना।

(ग) मांगों के बारे में स्थिति इस प्रकार है :—

1. रक्षा तथा केन्द्र सरकार के अन्य कर्मचारियों के वेतन-मानों मे असंगतियां को दूर करना .—इस मंत्रालय के निम्न विरचनाओं के सभी सिविलियन कर्मचारियों के वतन-मान तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार 1-1-73 से संशोधित कर दिए गए हैं। रक्षा सिविलियन कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों में असमानताओं पर रक्षा मंत्रालय में स्थापित असमानता समिति (एनामली कमेटी) विचार करती है ।

2. सभी दण्डित कर्मचारियों की बहाली :—गत आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान रक्षा सिविलियन कर्मचारियों के अनुशासनात्मक मामलों को जिन में बर्खास्तगी, सेवामुक्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति अथवा पदावनति के मामले सम्मिलित हैं, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली 1965 की संबद्ध व्यवस्थाओं के अनुसार समीक्षा की जा रही है। कुछ मामलों में यह समीक्षा पूरी कर ली गई है और समीक्षा के परिणामस्वरूप जहां न्यायसंगत समझा गया वहां संबंधित कर्मचारियों को बहाली के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है।

3. स्थायी विचार-विमर्श तंत्र को पुनर्जीवित करना जिसे 1960 में एकतरफा निर्णय लेकर समाप्त कर दिया गया था.—सरकार ने इस मामले पर विचार किया है और उसका यह विचार है कि पहला विचार-विमर्श तन्त्र संयुक्त परामर्शदात्री योजना के अनुसार ठीक नहीं बैठता है और इसलिए उसे पुनर्जीवित करना आवश्यक नही समझा गया ।

4. औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के बीच सभी तरह के भेदभाव को दूर करना .—चूंकि औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारियो की सेवा शर्तें भिन्न है इसलिए उनसे संबंधित नियमों में कुछ अन्तर आना आवश्यक है। आद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के बीच छट्टी की असमानता को दूर करने के एक मामले पर राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र) में विचार किया गया था। परन्तु तृतीय वेतन आयोग की इस बारे में सिफारिश को ध्यान में रखते हुए इन दोनों वर्गों के लिए एक जैसे छुट्टी नियम रखने की स्टाफ पक्ष की मांग को मानना सरकार के लिए सम्भव नहीं है ।

5. अनिवार्य जमा राशि का भुगतान, महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाना .—अनिवार्य जमा राशि का भुगतान अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अधिनियम 1974 की व्यवस्थाओं के अनुसार किया जाना है। कर्मचारियो की अनिर्वाय जमा (ब्याज सहित) की सारी राशि वापिस करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि इस प्रकार के कदम से मुद्रा स्फीति बढ़ सकती है। परंतु कुछ परिस्थितियों में समय से पहले भी भुगतान किया जाता है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 272 प्वाइंट की इन्डैक्स औसत पूरा करने पर मंजूर किए गए महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाने का प्रश्न 26/27 अगस्त 1977 को राष्ट्रीय परिषद् (संयुक्त

परामर्शदात्री तंत्र) की पिछली साधारण बैठक में कर्मचारी पक्ष ने उठाया था। इस बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार, यह प्रश्न परिषद् को एक समिति को विचारार्थ दे दिया गया है। इस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

बिहार में अनुसूचित जातियों की सूची में नोनिया समुदाय को शामिल किया जाना

6552. **श्री ए० के० राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार का नोनिया समुदाय अनुसूचित जातियों की सूची में अपने को शामिल कराने के लिए काफी समय से आन्दोलन कर रहा है ;

(ख) क्या इस आशय का एक ज्ञापन मंत्रालय को भेजा गया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि नोनिया समुदाय अपनी उत्पत्ति, रीति रिवाज, व्यवसाय और सामाजिक स्थिति के कारण अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनको अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल): (क) बिहार का 'नोनिया' समुदाय अनुसूचित जनजातियों की सूची में अपने को शामिल कराने के लिए मांग करता रहा है।

(ख) अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें कहा गया है कि 'नोनिया' परम्परागत पेशे से खारो नमक शोरा बनाने वालों का एक समुदाय है और यह भी कहा गया है कि इस समुदाय में आदिमजातियों और खानाबदोशों की विशेषताएं हैं।

(ग) तथा (घ) : बिहार का 'नोनिया' समुदाय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने के लिए निर्धारित मानदण्ड पूरा नहीं करता है।

उपयोजना कार्यक्रमों की क्रियान्विति हेतु प्रशासनिक मशीनरी में सुधार

6553. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्यों को एकल प्रशासन की पद्धति पर उपयोजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का सुधार करने का परामर्श दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से राज्यों ने अब तक इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है और परियोजना स्तर पर इसे क्रियान्वित किया है ; और

(ग) राज्यवार अब तक क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में पूर्ण विकास प्रयत्न के लिए एजेंसियों की अधिकता से बचने और एकल प्राधिकरण पद्धति स्थापित करने तथा प्रशासनिक संरचना का युक्तिकरण करने के लिए राज्यों से आदिवासी क्षेत्रों में पर्याप्त शक्तियों के प्रत्यायोजन के साथ प्रशासन का साधारण रूप अपनाने का अनुरोध किया गया है।

(ख) तथा (ग) : सभी राज्यों ने वरिष्ठ अधिकारियों को आदिवासी उप-योजना कार्यक्रमों का प्रभारी नियुक्त किया है तथा आदिवासी उप-योजना के कार्यान्वयन के लिये परियोजना अधिकारियों की नियुक्ति, परियोजना अधिकारियों को वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन तथा परियोजना स्तर की समितियों का गठन जैसे अन्य विभिन्न उपाय किए हैं।

Selection for the post of Assistant Station Director through U.P.S.C.

6554. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3324 on the 13th July, 1977 and state:

(a) how many Programme Executives out of the 226 Programme Executives rejected for appointment to the posts of Assistant Station Director by the UPSC, were promoted as Assistant Station Directors;

(b) whether, if a particular producer is rejected by the UPSC for appointment as Assistant Station Director, he is neither appointed as a Assistant Station Director nor is promoted as Deputy Chief Producer; and

(c) if so, the reasons therefor and whether Government propose to provide some relief to the producers?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) Under the existing recruitment rules for the post of Assistant Station Director, 75% posts are filled by promotion from the cadre of Programme Executive by Departmental Promotion Committee presided over by a Member of UPSC; and the remaining 25% posts are filled by direct recruitment from the open market. Against the direct recruitment quota of 25%, 250 Programme Executives working in AIR/Doordarshan also applied. The UPSC recommended a panel of 36 names in April, 1977, 24 of whom were Programme Executives. In May, 1977 the Departmental Promotion Committee recommended a panel of 28 names for promotion to the cadre of Assistant Station Directors. This contained 13 names out of the 226 names of Programme Executives who had earlier been considered by the UPSC against the direct recruitment quota and who had not found place in the direct recruitment select panel.

(b) & (c): Under the existing recruitment rules, Producers are not eligible to be considered for promotion to the post of Assistant Station Director in the departmental promotion quota, as the posts of Producers are in the staff artist category. The fact that a particular producer has been rejected by the UPSC for appointment as Assistant Station Director in the direct recruitment quota, does not debar him for consideration for promotion as Deputy Chief Producer provided he fulfils the qualifications and other requirements laid down in recruitment rules for that post.

त्रिपुरा में जनजाति विकास के लिए धन का आवंटन

6555. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में जन जातियों के लोगों की कुल संख्या क्या है और देश में जनजातियों के लोगों की कुल संख्या की यह कितने प्रतिशत है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1975, 1976, 1977 और इस वर्ष के दौरान त्रिपुरा और अन्य राज्यों में जनजाति विकास के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृति की है और इन योजनाओं के लिए अखिल भारतीय आवंटन में त्रिपुरा के लिए आबंटन की प्रतिशतता क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल : (क) तथा (ख) 1971 की जनगणना के अनुसार त्रिपुरा में अनुसूचित जातियों की जन संख्या तथा वर्ष 1974-75 से 1977-78 तक के दौरान त्रिपुरा को दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि की तुलनात्मक स्थिति का भी विवरण संलग्न है ।

विवरण

त्रिपुरा में जन-जातियों की जन संख्या तथा त्रिपुरा के लिए जन-जातीय कल्याण के लिए दी गई राशि का तुलनात्मक विवरण

	जनजाति उप-योजनाओं वाले सभी राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	त्रिपुरा	कालम 1 में कालम 2 का प्रतिशत
	1	2	3
I. 1971 की जनगणना में अनुसूचित जन-जतियों की जनसंख्या	* 357.03लाख	4.51लाख	1.26
II. विशेष केंद्रीय सहायताय के रुप में दी गई राशि : (रुपये लाखो में)			
1974-75 .	430.50	11.00	2.56
1975-76 . .	2000.00	36.00	1.80
1976-77	4000.00	68.00	1.70
1977-78 . . .	5500.00	96.40	1.75

*इसमें प्रधानतः आदिवासी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, लक्षद्वीप तथा दादरा नागर हेवेली की जनजाति जनसंख्या शामिल नहीं है । यदि सारे देश का जनजाति जनसंख्या का हिसाब लगाया जाए तो कुल जनजाति जनसंख्या 380.15 लाख है और त्रिपुरा में जनजाति जनसंख्या की प्रतिशत 1.19 होगा ।

Installation of a Grinding Mill near Ordnance Equipment Factory, Kanpur

6556. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state

(a) whether a grinding mill has been installed near Ordnance Equipment Factory, Kanpur ;

(b) if so, whether there was a scheme to carry the material ground therein to the factory by pipe ;

(c) if so, whether this scheme has been a failure ;

(d) if so, whether Government had no prior knowledge thereof ; and

(e) if so. the reasons for doing so ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Sher Singh): (a) Yes Sir.

(b) Yes Sir.

(c) No Sir.

(d) and (e) Do not arise.

Central Assistance for setting up Industries in Maharashtra

6557. **Shri Keshavrao Dhondge:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) the number of industries set up in Maharashtra by the Central Government or the industries for the setting up of which Central assistance was given during 1977-78; and

(b) the names of such industries together with the locations thereof and the expenditure incurred thereon?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) and (b): The list of the important central industrial projects which are implemented by the public sector undertakings together with the outlays provided for them in the Annual Plan 1977-78 is given below:—

(Rs. crores)

Name of the Project	Location	1977-78 Outlay
1. *Fertiliser Corporatior of India Limited :*		
(a) Trombay IV Plant	Trombay	18.00
(b) Trombay V Plant	Tombay	12.50
(c) Captive power Plant	Tombay	1.67
2. *Hindustan Insecticides Limited*		
(a) Malathion Project . . .	Rasayani	1.60
(b) D.D.T. Project	Rasayani	1.00
3. *Hindustan Organic Chemicals Limited* (Various projects)	Rasayani	2.96
4. *Hindustan Petroleum Corporation Limited* . . . Catalytic/Debottlenecking/Vacuum pipe still unit .	Bombay	0.92
5. *Bharat Refineries Limited* (modification schemes of the Refinery) .	Bombay	2.64
6. *Hindustan Antibiotics Limited* (Various projects)	Pimpri	1.96

It is not possible to give the details regarding the expenditure incurred on the above mentioned projects as the audited accounts for the financial year 1977-78 are not available. The State-wise and project-wise details of expenditure incurred are not centrally maintained in this Ministry.

Under the central scheme of capital subsidy, subsidy which is equal to 15% of the fixed capital investment subject to a maximum of Rs. 15 lakhs, is given to new units as well as to existing units undertaking expansion. A sum of Rs. 2,18,12,132 for this scheme was released to Government of Maharashtra during the year 1977-78. Thirteen districts of the State have been selected as industrially backward to qualify for concessional finance.

As regards the village and small industries sector, central assistance was provided for the following schemes during the year 1977-78 to the state government :—

(i) **Margin Money Assistance :** Under a new Central scheme of margin money assistance for setting up small industries, assistance to the extent of Rs. 40 lakhs was provided to the State Government during 1977-78.

(ii) **Handloom Industry :** Under the Central Programme of Handloom Industry, Maharashtra was allotted one Intensive Development Project (IDP) and one Export Production Project (EPP) in 1976-77. The total cost of IDP is Rs. 1.85 crores, which is to be shared between the Centre and the State in the ratio of 75:25 during first three years and 50:50 during last 2 years. In the case of EPP, the total cost of the project is Rs. 40 lakhs which is to be met fully by Centre.

(iii) **Handicrafts :** Under the Central Programme of Massive training in carpet weaving, 20 training centres were sanctioned for 1977-78 to Maharashtra.

(iv) **Rural Industries Project :** Under the centrally sponsored scheme of Rural Industries Project, seven projects have been allotted to Maharashtra namely (a) Osmanabad, (b) Ahmednagar, (c) Ratnagiri, (d) Wardha, (e) Dhulia, (f) Bhir and (g) Yeotmal. Rs. 23.04 lakhs were sanctioned for Rural Industries Projects in Maharashtra State during the financial year 1977-78.

The details regarding letters of intent and industrial licences, including those issued in favour of public sector undertakings, are being published in "Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences" and "Monthly list of Letters of Intent and Industrial Licences", copies of which are available in Parliament Library.

गुड़गांव स्थित भरती कार्यालय को भिवानी स्थानान्तरित किया जाना

6558. **श्री मनोहर लाल सैनी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व रक्षा मंत्री ने आपात स्थिति के दौरान गुड़गांव स्थित भरती कार्यालय को जो वहां गत लगभग 50 वर्षों से कार्य कर रहा था, भिवानी स्थानान्तरित करा दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गुड़गांव जिले के काफी बड़ी संख्या में लोग सेना में हैं और गत दो युद्धो में हताहत होने वाले अधिकतम व्यक्ति इस जिले के थे ;

(ग) क्या सरकार भरती कार्यालय गुड़गांव में पुनः खोलने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) गुड़गांव में भर्ती कार्यालय 1963 से कार्य कर रहा था और उसे अक्तबर 1976 में भिवानी नहीं बल्कि हिसार स्थानांतरित कर दिया गया था । यह स्थानांतरण हरियाणा में भर्ती कार्यालयों का सीमा क्षेत्र निश्चित करते समय किया गया था ।

(ख) हरियाणा में ज़िलाके पुनर्गठन से पहले सेना का लगभग 1.7 प्रतिशत भाग ज़िला गुड़गांव से है । गत दो युद्धो में ज़िला गुड़गांव के जिन सेना कार्मिकों की मृत्यु की रिपोर्ट मिला है उनकी संख्या निम्नलिखित है :—

भारत-पाक युद्ध 1965 . . .	14
भारत-पाक युद्ध 1971 . . .	55

(ग) और (घ) : इस बारे में कसबी व्यक्तियों से अभ्यावेदन मिले हैं और सरकार पहले ही इस मामले पर विचार कर रही है । इस बीच, इस ज़िले को 1-1-1978 से दिल्ली भर्ती कार्यालय के सीमाक्षेत्र में रख दिया गया है।

परमाणु ऊर्जा के उपक्रमों में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या

6559. **श्री शिव नारायण सरसूनिया** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन काम कर रहे निम्नलिखित उपक्रमों में श्रेणीवार (I, II III और IV) कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं :

1. इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
2. इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड
3. यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

(ख) प्रत्येक उपक्रम में प्रत्येक श्रेणी में अलग अलग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है ;

(ग) क्या इन उपक्रमों में भर्ती और पदोन्नति के मामले में रिक्त स्थानों में आरक्षण सम्बन्धी भारत सरकार के आदेशों का पालन किया जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) : परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन काम कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्त कुल कर्मचारियों तथा अनुसूचित जातियों

और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की वर्गवार संख्या का विवरण निम्नलिखित है :–

	इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड			इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड			यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड		
	कर्मचारियों का कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	कर्मचारियों का कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
	(1-3-1978 को)			(1-1-1978 को)			(1-2-1978 को)		
वर्ग क	263	..	..	75	..	..	59	1	1
वर्ग ख	303	27	1	94	2	..	97	..	..
वर्ग ग	3685	272	9	1091	51	1	744	21	79
वर्ग घ	1519	350	82	743	82	14	1623	153	794
कुल संख्या	6070	649	92	2003	135	15	2523	175	874

(ग) तथा (घ): जी, हां। तथापि, इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के मामले में केरल सरकार तथा मजदूर यूनियनों के साथ यह तय किया जा चुका है कि केरल स्थित प्लांटों में नियुक्तियां करते समय त्रावणकोर मिनरल्स लिमिटेड तथा हांफकिन एंड विलियम्स लिमिटेड के भूतपूर्व कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसी प्रकार, इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के मानवलाकुरुचि प्लांट में छंटनी किए गए कर्मचारियों को भी प्राथमिकता दी जाती है। उपर्युक्त मामलों को छोड़कर, जहां भी रोजगार कार्यालयों के माध्यम से तथा/या सीधी भर्ती की जाती है, वहां कम्पनी आरक्षण संबंधी अनुदेशों का पालन करती है।

Production and Sickness of Textile Mills

6560. **Shri Ram Kishan:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) the present number of cotton textile mills in the country, their production capacity and their actual production in 1976-77;

(b) whether it is a fact that most of these mills have become sick mills because of their mismanagement and their outmoded machinery and if so, the arrangement being made to run them; and

(c) the number of workers rendered unemployed as a result of these sick mills?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) Present number of cotton textile mills in the country is 704, with about 19.8 million spindles and 208,000 looms. There is considerable flexibility in terms of quantum of production depending upon shifts worked. Actual production during 1976-77 was 4162.38 million metres of cotton cloth including blended fabrics and 1065.10 million Kgs. of cotton yarn including blended yarn.

(b) There is no precise definition of a sick mill. However, a large cross-section of the textile industry has been passing through difficult conditions arising out of a variety of factors like raw material situation, defective management and neglect of modernisation in the industry which has a heavy back-log of outmoded machinery. Important steps taken to improve the situation are :—

1. Augmentation of raw material supplies.
2. Equitable distribution of the available supplies of cotton and disciplining of its prices.
3. Arrangements for soft loans for rehabilitation and modernisation of textile mills.

(c) Since the extent of sickness in textile industry is not ascertainable, its impact on employment cannot be quantified. Normally unemployment results at the stage of closure.

फिजो से वार्ता

6561. **श्री रोबिन सेन :**
श्री प्रद्युम्न बल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि अनेक नागा लोग यह अनुभव करते हैं कि नागालैंड की समस्या को हल करने के लिए भारत में किसी पड़ौसी देश में फिजो से एक और वार्ता आरंभ की जानी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में पहल करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) : विभिन्न वर्गों के लोगों द्वारा इस प्रश्न पर विचार व्यक्त किये जाते रहते हैं परन्तु ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

न्यूट्रोन बम

6562. **श्री समर गुह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय न्यूट्रोन बम बनाने में सक्षम देशों के नाम क्या हैं और उनके पास जमा विस्फोटक ईंधन के बारे में मुख्य जानकारी क्या है ;

(ख) क्या ए०ई०सी० ने कोई पुस्तक अथवा पुस्तिका तैयार की है जिसमें न्यूट्रोन बम के विरुद्ध सुरक्षात्मक उपायों के बारे में उल्लेख किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार को कोई अधिकृत सूचना नहीं मिली है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय और राज्य सेवाओं में मुसलमानों की प्रतिशतता

6563. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय और राज्य सेवाओं में मुसलमानों की प्रतिशतता देश में उनकी आबादी की तुलना में अपेक्षाकृत बहुत ही कम है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सशस्त्र सेनाओं के लिए भर्ती में मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनुसिंह पाटिल): (क), (ख) तथा (ग) : सरकार के अधीन, विभिन्न पदों तथा नियुक्तियों में भर्ती किये गए मुसलमानों अथवा अन्य समुदायों की संख्या के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा कोई आंकड़े नहीं रखे जाते, क्योंकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षणों की व्यवस्था को छोड़कर, संविधान के अधीन सेवाओं में कोई पृथक आरक्षण नहीं है। संवैधानिक उपबंधों के अनुसार मुसलमानों सहित सभी समुदाय, सेवाओं में तथा सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के मामले में उचित तथा समान अवसर पाने के हकदार हैं।

"राज्य सेवाएं" ऐसा मामला है, जो सम्बन्धित राज्य सरकारों के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। केन्द्रीय सरकार के पास राज्य सेवाओं में मुसलमानों अथवा अन्य समुदायों के अलग-अलग प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

Recommissioning of Closed Power Stations in Delhi

†6564. **Shri Rajendra Kumar Sharma**: Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether Government propose to recommission the closed power stations in Delhi; and

(b) if so, the expenditure involved therein and the annual power production to be achieved therefrom?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) & (b) : D.E.S.U. had closed down their generating units and associated boilers at Rajghat 'A' Power Station about two years ago as they had become old, unreliable and highly uneconomical to operate. In view of the high cost involved in recommissioning the sets and the availability of not more than 10-12 MW of power or about 60 MU of energy per annum, DESU have decided to retire the old and uneconomical sets and sell them.

दिल्ली नगर निगम द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर के लिए धनराशि एकत्र करना

6565. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपात स्थिति के दौरान दिल्ली नगर निगम ने ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए ट्रांसपोर्टरों से भारी धनराशि एकत्र की थी ;

(ख) यदि हां, तो कुल राशि कितनी थी तथा यह योजना क्या थी ;

(ग) इस योजना के बारे में अब तक कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण है ;

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम में कुछ विवाद है तथा उसका अभी तक समाधान नही किया गया ; और

(ड़) नगर से भीड़ भाड़ को कम करने के लिए उस परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु सरकार का क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) : जी हां, श्रीमन्। दिल्ली में ट्रांन्सपोर्टरों, दुकान मालिकों तथा दुकानों के प्लाट चाहने वाले व्यक्तियों द्वारा लगभग 78,34,000 रु० की धन राशि जमा की गई है। इस योजना में ट्रांसपोर्टरों आदि के लिए वर्कशाप तथा गोदाम आदि समेत सम्बद्ध सुविधाओं की व्यवस्था के साथ लगभग 300 एकड़ भूमि के विकास का विचार किया गया है ।

(ग), से (ड़०) : दिल्ली नगर निगम एवं दिल्ली विकास प्राधिकरण के बीच कोई विवाद नहीं है। नगर निगम तथा टाऊन व कन्ट्री प्लानिगं संगठन द्वारा उस क्षेत्र के लिए संशोधित लेआउट प्लान तैयार किया, जा रहा है। योजना सरकार के विचाराधीन है।

Irregularities and Corrupt Practices in Gandhi Ashram, Meerut

6566. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**
Shri Phool Chand Verma :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints regarding the irregularities and corrupt practices in Gandhi Ashram, Meerut from the employees union of the Ashram;

(b) if so, the main complaints made; and

(c) the steps taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) and (b): A representation from Shri Gandhi Ashram Workers Union, Meerut, U.P., was received and the main demands submitted by the Union are as under:—

(i) The Standing Orders regulating the service conditions of the employees of the Gandhi Ashrams should be got enforced, immediately.

(ii) There is no difference in the working of the Ashrams and that of the Khadi Commission inasmuch as both are working with the same objectives. It is, therefore, necessary that the scales of pay and other facilities available to the employees of the Commission should also be made available to the employees of the Ashrams.

(iii) In order to check the tendency of resorting discriminatory management of the Ashrams the employees who have put in 15 years of service should be allowed to participate in the management.

(c) The demands made by the Gandhi Ashram Workers Union relate to administrative matters such as the pay scales of the employees, their participation in the management, etc. which are the internal affairs of the Ashram. Neither the Government of India nor the Khadi and Village Industries Commission are in a position legally to interfere in the day-to-day administration and internal affairs of an Institution like that of Gandhi Ashram, Meerut.

Ashrams run by religious Gurus abroad

6567. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state.

(a) the names of religious gurus who are running Ashrams or institutions in foreign countries alongwith the names thereof with the permission or as per information of the Government of India for the last three years and the locations thereof;

(b) whether Government is helping these ashrams or institutions in any way; and

(c) if so, the full details thereof?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): (a) to (c): As a matter of policy, the Government do not release foreign exchange for maintenance of ashrams and religious institutions in foreign countries, and, as such, they have no information to furnish in the matter.

टेली साउन्ड इण्डिया, बल्लभगढ़

6568. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा में बल्लभगढ़ स्थित टेली साउन्ड इंडिया के कर्मकार केन्द्रीय सरकार से दो वर्ष पुरानी तालाबन्दी को समाप्त करने के लिए अभ्यावेदन कर रहें है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कंपनी का अधिग्रहण करने अथवा कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने के बारे में श्रमिकों को क्या आश्वासन दिये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) और (ख) : टेली साउन्ड इन्डिया लिमिटेड बल्लभगढ़ के कामगरों ने इस औद्योगिक उपक्रम के बन्द होने के बारे में अभ्यावदन किया है और इसे पुन: चालू करने के लिए अनुरोध किया है । इस उपक्रम के पुनर्जीवित करने की संभावना का पता लगाने के लिए इलैक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टैक्नालॉजी डेवलपमैन्ट कारपोरेशन बको तथा वित्तीय संस्थानों के साथ अनेक बैठके पहले हो को जा चकि हैं । इस मामले में कोई निर्णय लिया जाना संभव नहीं हुआ है । इस दृष्टि से उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक उपक्रम के प्रबन्ध के अधिग्रहण के लिए अथवा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं के बारे में कामगरों को कोई आश्वासन नहीं दिया गया है ।

उधमपुर में सेना के कब्जे में क्षेत्र

6569. **श्री बलदेव सिंह जसरोतिया** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला जम्मू एवं कश्मीर उधमपुर, राजौरी और पूंछ में कुल कितना क्षेत्र सेना के कब्जे में है और उसका कितना किराया दिया जाता है और वह क्षेत्र सेना के कब्जे में कब से है ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त क्षेत्र में यह सामान्य धारणा है कि लोगों को बहुत ही कम किराया मिलता है, जो एक पक्षीय आधार पर निर्धारित किया गया है ;

(ग) क्या निकट भविष्य में तहसीलवार सम्मेलन करके उक्त समस्या के बारे में निर्णय करना सम्भव है और यदि हां, तो ऐसा सम्मेलन कब तक आयोजित किया जायेगा जिससे गम्भीर परिणामों से बचा जा सके ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि करोड़ों रुपये की राशि का मुआवजा भूमि के मालिकों को नहीं दिया गया है यद्यपि जमीन सेना के कब्जे में है या उस के लाभ के लिए है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जम्मू, कथुआ, उधमपुर, राजौरी और पूंछ जिलों में किराए पर/अधिगृहित निज भूमि कुल 16,900 एकड़ है। इन भूमियों पर 1947 से विभिन्न तारीखों से कब्जा है ।

(ख) कुछ भूमि स्वामियों में यह भावना है कि उन्हें जो किराया/ आवर्त्ती मुआवजा मिल रहा है, वह कम है। किराए पर ली गई भूमि का किराया भूस्वामियों के साथ हुए समझौते के अनुसार दिया जाता है और अधिगृहित भूमि के लिए आवर्त्ती मुआवजा जम्मू और कश्मीर अचल सम्पति अर्जन तथा अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार दिया जाता है । राज्य सरकार ने आवर्ती मुआवजे की दरें समय-समय पर बढ़ाई है और सेना के लिए अर्जित भूमि के लिए मुआवजे के भुगतान में काफी वृद्धि हुई है। इसके पूर्वोक्त अधिनियम में ठोक मुआवजा निश्चित करने के लिए माध्यस्थ करने की व्यवस्था है। इसलिए यह कहना ठोक नहीं है कि किराया/आवर्त्ती मुआवजा एकतरफा निश्चित किया गया है ।

(ग) किराया निश्चित करने के लिए उपर्युक्त (ख) में बताई गई स्थिति को देखते हुए तहसीलवार सम्मेलन बुलाने से कोई लाभ होने की सम्भावना नहीं है । परंतु सामान्य समस्याओं का पता लगाने के लिए राज्य सरकार तथा सैनिक प्राधिकारियों के बीच समय-समय पर सिविल सैनिक सम्पर्क सम्मेलन पहले ही हो रहे है ।

(घ) अधिग्रहण कार्रवाई को अन्तिम रुप दे दिए जाने के बाद ही अधिगृहित भूमि के लिए मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। वित्तीय कठिनाइयों और अन्य सीमाओं को ध्यान में रखते हुए सभी अधिगृहित/ किराए पर ली गई भूमियों को एक साथ अधिगृहित नहीं किया जा सकता। जिसके भूमि की दीर्घकालीन आधार पर आवश्यकता है उसे चालू वर्ष से लेकर पांच वर्ष की अवधि में क्रमिक रूप से अधिग्रहीत करने का प्रस्ताव है ।

नैमित्तिक कैमरामैनों को नियमित करना

6570. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया**
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा } : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन केन्द्र, दिल्ली के लिए अगस्त, 1977 में हुए साक्षात्कार के आधार पर नियुक्त नमित्तिक कैमरामैनों को नियमित कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या टेलीविजन केन्द्र तथा फिल्म प्रभाग के लिए कैमरामैनों की भिन्न-भिन्न अर्हताएं निर्धारित की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : (क) अगस्त 1977 के दौरान दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र के लिए कैमरामैनों के लिए कोई इन्टरव्यू नहीं हुआ था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हां, ।

(घ) फिल्म प्रभाग और दूरदर्शन में कैमरामैन के कर्तव्य और कार्यआवश्यकताएं पूर्णतया एक जैसी नहीं हैं, इसलिए इन दो विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। भर्ती की पद्धति भी भिन्न भिन्न है।

Newsreel on ex-Prime Minister appearing in Local Court

6571. **Shri Raghavji:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether a newsreel on Shrimati Indira Gandhi appearing in a local court (A.D.M. court) in Delhi recently has been filmed and it is being exhibited; and

(b) if so, the justification therefor?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) A news-flash on Shrimati Indira Gandhi's appearance before the Chief Metropolitan Magistrate of Delhi on 27th February, 1978 was included in Indian News Review No. 1533 which was released in cinema theatres on 3-3-78.

(b) The event was considered newsworthy and suitable for inclusion in the newsreel.

गुजरात में आर्थिक संकटग्रस्त एकक

6572. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में और विशेष रूप से गुजरात में आर्थिक संकटग्रस्त एककों की बढ़ती हुई संख्या की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या ऐसे आर्थिक संकटग्रस्त एककों के बारे में प्रभावी और समय पर कार्यवाही करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी तन्त्र की व्यवस्था की गई है ;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है और यह किस प्रकार कार्य कर रहा है ; और

(ड़) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइति) : (क) तथा (ख) : सरकार को देश में औद्योगिक रुग्णता की विशदता के बारे में पता है। गुजरात राज्य सरकार ने सूचित किया है कि गुजरात में कोई बिल्कुल संकट नहीं है तथा राज्य में लगभग 2,000 रुग्ण एकक है। राज्य में रुग्ण एककों के पुनरुज्जीवन के लिए राज्य स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। जिला स्तर पर मामलों को सीधे निपटाने के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन भी किया गया है।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम में केन्द्रीय सरकार द्वारा रुग्ण एककों का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेने की व्यवस्था है। केन्द्रीय सरकार रुग्ण एककों का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेने हेतु इस अधिनियम के अन्तर्गत हस्तक्षेप करती है जब वह उद्योग के हित एवं जनहित में ऐसा करना उचित समझती है। सरकारी वित्तीय संस्थान भी रुग्ण औद्योगिक एककों को वित्तीय सहायता देते है। उदाहरण स्वरूप भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लि० ने 31-12-1977 तक 82 एककों

को 3986.42 लाख रु० की राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी है। इन एककों में 83,165 कर्मचारी कार्य करते है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के प्रयासों से 33 एककों को चलाने में सहायता मिली। सीमेन्ट, चीनी, सुती वस्त्र, पटसन तथा कुछ इंजीनियरी वस्तुओं से संबंधित एककों में विशेषत: पुराने तथा गत प्रयोग मशीनों के कारण उनको आसान शर्तों पर आई० डी० बी० आई०, आई० सी० आई० सी० आई० तथा आई० एफ० सी० आई० द्वारा लागू की जा रही साधारण ऋण योजना के अन्तर्गत उदार शर्तों पर ऋण दिये जाते है।

(ग) से (ङ) : भारतीय रिजर्व बैंक ने आरम्भ में ही रूग्णता का पता लगाने के लिए मानिटरिंग प्रकोष्ट स्थापित किया है ताकि समय पर उपचारात्मक अभ्युपाय किये जा सके। ऐसी संभावना है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप औद्योगिक एककों का बन्द होना और उसके फलस्वरूप होने वाली हानि कम हो जाएगी। औद्योगिक रूग्णता सम्बन्धी एक विशद नीति का निर्धारण करते समय प्रारम्भिक स्तर पर ही रूग्णता का कारण खोज निकालने के एक समुचित संस्थागत तंत्र के बनाये जाने का प्रश्न एक संगत कारक है, जो सरकार के विचाराधीन है।

कोयला क्षेत्रों की खोज

6573. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला क्षेत्रों में और उसके बाहर के स्थानों मे बहुत बडे क्षेत्र में कोयले की अभी तक खोज नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में कोयले की खोज करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) व (ख) : देश में कोयले के कुल भंडार 82,000 मिलियन टन से अधिक होने का अनुमान है। उत्पादन की योजना बनाते समय यह प्रयास किया जाता है कि कोयले का उत्पादन लक्ष्य देश में कोयले की मांग के अनुरूप रहे। 1978-83 अवधि के लिए कोयले की उत्पादन योजना की जरूरतों के अनुसार कोयले की खोज का कार्यक्रम लगभग पूरा कर लिया गया है। ऐसी योजना भी बनाई गई है कि 1992-93 में कोयले के उत्पादन के लिए अपेक्षित खोज और ड्रिलिंग का काम उस वर्ष से सात वर्ष पहले ही पूरा कर लिया जाए। कोयले के उत्पादन से सम्बद्ध खोज का कार्यक्रम एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और धीरे धीरे देश के अन्य कोयला धारी क्षेत्रों में भी काम शुरू किया जाएगा।

जूट बेलर्स एसोसिएशन द्वारा कच्चे पटसन के आयात के लिए अनुरोध

6574. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूट बेलर्स एसोसिएशन ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि भारतीय पटसन निगम के माध्यम से कच्चे पटसन का आयात करने के बजाय व्यापारियों को इसका आयात करने की अनुमती दी जाए; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1978-79 की आयात नीति में वास्तविक उपभोक्ताओं (औद्योगिक) के लिए कच्चे पटसन का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है।

हथकरघा उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए अध्ययन दल

6575. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कोई अध्ययन दल नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त दल के निदेश पद क्या है; और

(ग) उक्त अध्ययन दल कब तक सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइति) : (क) हथकरघा उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए हाल में किसी अध्ययन दल की नियुक्ती नहीं की गई है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

बंगलौर में माइका पेपर के उत्पादन के लिए फ्रांस की फर्म के साथ सहयोग

6577. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर में लक्षमणन बंधुओं की फर्म के साथ माईका पेपर और अन्य इंसूलेटिंग सामान बनाने के लिए फ्रांस की एक फर्म को सहयोग करने के लिए पचास प्रतिशत साम्य पूंजी की अनुमति दी गयी है ;

(ख) सहयोग की शर्तों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसे पचास प्रतिशत साम्य पूंजी लगाने की अनुमति क्यों दी गई है जबकि जापान और अन्य देशों के निर्माता 30 प्रतिशत साम्य पूंजी पर तकनीकी जानकारी देने को तैयार हैं; और

(घ) क्या सरकार इस मामले में स्थिति पर पुनर्विचार करेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइति) : (क) से (घ) : वर्ष 1974 में बंगलौर की एक कम्पनी के प्रस्ताव को 50 प्रतिशत सीधे विदेशी इक्विटी साझेदारी के साथ रिकन्स्ट्रक्टेड तथा इन्टीग्रेटेड अभ्रक उत्पादों का उत्पादन करने के लिए स्विस फर्म के साथ विदेशी सहयोग की अनुमति दी गयी थी। इस एकक की समग्र लाइसेंसीकृत क्षमता निम्नलिखित है :—

वस्तु का नाम	संयंत्र तथा मशिनिरी के अधिकतम उपयोगग के आधार पर वार्षिक क्षमता
1. अभ्रक कागज . . .	300 मी० टन
2. अभ्रक कागज से रिकन्स्ट्रक्टेड तथा इन्टीग्रेटेड अभ्रक उत्पाद	200 मी० टन

विदेशी सहयोग प्रस्ताव केवल रिकन्स्ट्रक्टेड तथा इन्टीग्रेटेड अभ्रक उत्पादों के उत्पादन के लिए स्वीकृत किया गया है तथा इसकी शर्तें है कि रायल्टी 5 प्रतिशत होगी तथा उसपर भारतीय कर लगेंग और कम्पनी प्रतिवर्ष लगभग 36 लाख रु० मूल्य के 200 मी० टन अभ्रक कागज/अभ्रक कागज उत्पा ों का निर्यात करेगी। यद्यपि उपर्युक्त सहयोग प्रस्ताव के लिए स्वीकृति 1974 में दी गई थी किन्तु 30% विदेशी इक्विटी वाले विदेशी सहयोग से माइका पेपर और माइका पेपर उत्पादों का उत्पादन करने हेतु प्रस्ताव अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है।

चूंकि सहयोग की शर्तें सभी प्रासंगिक कारणों पर विचार करने के बाद स्वीकार की गई हैं अत: इस अवस्था में किसी प्रकार की पुनवीक्षा का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

कपास तथा कपड़ा मिल मालिकों के कदाचारों के बारे में प्रतिवेदन

6578. **श्री वसन्त साठे :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कपास और कपड़ा मूल्यों के नियत करने विषयक समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ था ;

(ग) यदि हां, तो व्यापार में विचौलिया पद्धति स्थापित करने, मिल मालिकों द्वारा लेखों में हेरा-फेरी करने के लिये अपनाये गये विभिन्न कदाचारों और गलत मूल्यन पद्धति, कपास उत्पादकों के हितों क संरक्षण की आवश्यकता तथा सूती कपड़ा एवं अन्य उत्पादों के लिये मूल्य ढांचे को कपास उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों में युक्तिसंगत बनाने के बारे में महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार ने समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और मामले में निर्णय की घोषणा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) समिति के सदस्य डा० एम० जी० पोआरे द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियां क्या हैं और उन पर क्या कारवाई की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइति) : (क) से (घ) : यहां शायद उस समिति का उल्लेख किया गया है जो सरकार द्वारा कपास के मूल्य, कपास के मिल के बाहर सुपुर्दगी के मूल्य तथा धागे व कपड़े के मूल्य के बीच एक केन्द्र बिन्दु का पता लगाने के लिए नियुक्त की गयी थीं। समिति ने अपनी रिपोर्ट 25 नवम्बर, 1976 को प्रस्तुत कर दी थी। समिति ने यह निष्कर्ष निकाला था कि समिति द्वारा बतायी गई विभिन्न धारणाओं के आधार पर इस प्रकार के एक केन्द्र बिन्दु की स्थापना करना संभव है। एक ओर जहां कपास पैदा करने वालों के हित में कपास तथा धागा/कपड़े के सम्बन्ध में मूल्यस्थिरता बनाये रखने हेतु सुझाव दिये गये थे, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं के हित में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई थी कि कपास पैदा करने वालों को आसान ऋण की सुविधाएं प्रदान की जायें ताकि वे स्थानीय साहुकारों के चंगुल से बाहर निकल सकें, जिससे उन्हें अपने उत्पादों के बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके और कपास पैदा करने वालों के लिये लाभप्रद मूल्य, उद्योग के लिए उचित मूल्य, तथा उपभोक्ताओं के लिये भी उचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए जाने चाहिये। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समिति ने सिफारिश की थी कि भारतीय कपास निगम को चाहिये कि वह लगभग 15 लाख गांठों का एक मध्यवर्ती स्टाक बनाकर रखे। यह भी सुझाव दिया गया था कि जब उत्पादकों के लिये मूल्य अलाभप्रद स्थिति में आ जाते है तो भारतीय कपास निगम को भारतीय कपास करोदने का काम करना चाहिये।

केन्द्रबिन्दु अपनाये जाने के सूत्र के बारे में समिति की धारणा यह जान पड़ती है कि कपास व्यापार के स्वरूप तथा मिलों में प्रौद्योगिकी के परिवर्तन करने के विषय में संरचनागत प्रमुख परिवर्तन किये जायें क्या व्यवहारत : इन परिवर्तनों को किया जा सकता और यदि हां तो किस सीमा तक, इस पर गहराई से विचार करना होगा।

जहां तक विशिष्ट सुझावों जैसे मध्यवर्ती स्टाक का गठन, देश में कपास की खरीद और बिक्री करने में भारतीय कपास निगम को सौंपी जाने वाली बृहत्तर भूमिका से सम्बन्धित विषय सरकार के सक्रिय विचाराधीन है ।

(ङ) जिस रिपोर्ट में उपर्युक्त सुझाव दिये गये थे उस समिति के एक सदस्य डा० बोकारे ने भी उसमें हस्ताक्षर किये हैं । इसके अलावा, प्रमुख रिपोर्ट में डा० बोकारे ने एक पूरक नोट भी साथ में लगाया था । पूरक नोट में वे सुझाव शामिल है जो संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

विवरण

न्यूक्सस समिति के एक सदस्य ने श्री एम० जी० बोकारे द्वारा न्यूक्सस समिति की रिपोर्ट में संलग्न अपने टिप्पण में किए गये निरूपणों में निम्नलिखित सम्मिलित है :—

(i) कपास की प्रति एकड़ उपज में वृद्धि की जानी चाहिये तथा मिल में धागे/कपड़े की लागत में कमी की जानी चाहिए ।

(ii) एक बार यह मान लिया जाने पर कि मिल के कपड़ों की कीमत कपास की दी गई कीमतों से तय की जा सकती है । धागों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए ।

(iii) कपड़ो और धागों की मानक विशिष्टियां भारतीय मानक संस्थान द्वारा परिभाषित की जानी चाहिए तथा कपड़ों और धागों पर भारतीय मानक संस्थान की विशिष्टियां और चिन्ह अंकित होने चाहिए । उपभोक्ताओं को 5 रुपये का मामूली शुल्क देकर प्रयोगशालाओं में कपड़ों का परीक्षण कराने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए ।

(iv) वस्त्र आयुक्त के कार्यालय द्वारा धागो और कपड़ों की लागतों का नियमित अध्ययन और प्रकाशन किया जाना चाहिए ।

(v) केवल सरकारी क्षेत्र अथवा सहकारिता क्षेत्र की मिलों का ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र की मिलों के लागत लेखा-रिपोर्टों का प्रकाशन भी आमतौर पर लागत संवर्धन के प्रति जागरुकता पैदा करने तथा वस्त्र उद्योग में ऊंची लागत के केन्द्रों का पता लगाने की दिशा में काफी कारगर हो सकता है ।

(vi) सूती मिलों के एक प्रतिनिधि निकाय आई० डी० एम० एफ० को आमतौर पर अपनी सदस्य मिलों के सामाजिक उत्तरदायित्व का सवर्धन करने वाले एक विश्वस्त संस्थान के रूप में कार्य करना चाहिये । सरकार को आई०सी० एम० एफ जैसे प्रतिनिधि संगठनों के कार्यों और दायित्वों को परिभाषित करना चाहिए ताकि नीति निर्धारण जिस में सरकारी निधि निहित हो ऐसे कार्यक्रम निर्धारित करने सम्बन्धी नीति निर्धारित करने में अपना प्रतिनिधित्व सार्थक और उपयोगी बना सके ।

Idols smuggled out

6579. **Shri Nathu Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of countries to which idols of great artistic value representing ancient culture of India have been smuggled indicating the estimated value thereof and whether a list prepared in this connection by interpol will be placed on Table of the House;

(b) whether certain influential people have a hand in the smuggling of these important art pieces from the country;

(c) if so, whether such cases have come to the notice of Government; and

(d) if so, the action taken thereon?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): (a) to (d): Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

गैर-आदिवासियों द्वारा आदिवासी किसानों की छीनी गई भूमि

6580. **श्री के० प्रधानी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में आदिवासी क्षेत्र में गैर-आदिवासीयों द्वारा आदिवासी किसानों से कितनी भूमि छीनी गई; और

(ख) क्या सरकार ने गैर-आदिवासीयो द्वारा छीनी गई भूमि को आदिवासीयों को वापस दिलाने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकारो को कोई निर्देश दिये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) कुछ राज्य सरकारों से मिली उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) आदिवासी उपयोजना वाले राज्यों से आदिवासियो के हित को संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से उनके वर्तमान भूमि सम्बन्धी कानूनों का पुनरीक्षण करने और हस्तान्तरित आदिवासी भूमियों को वापस दिलाने के लिए कहा गया है । परियोजना प्रशासको द्वारा भूमि हस्तान्तरण और भूमि को वापस दिलाने की समस्याओं को प्रथम प्राथमिकता दी जाती है ।

विवरण

सन 1977 की पिछली छमाही के दौरान अनुसूचित जन-जातियों की हस्तान्तरित की गई भूमियां

राज्य का नाम	दर्ज किये गये मामलों की संख्या	भूमि क्षेत्र	निर्णित मामलों की संख्या	वापस दी गई भूमी का क्षेत्र
1. बिहार . .	2139	3539 एकड़	1689	1619.52
2. गुजरात . .	7702	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	9070 एकड़
3. मध्य प्रदेश .	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	27	86 एकड़
4. महाराष्ट्र .	42245	25700	--	15038 हैक्टर
5. उड़ीसा . .	2165	1458.48	--	593.22 एकड़
6. त्रिपुरा . .	5476	उपलब्ध नहीं	1480	1531.71 एकड़
7. अण्डे० और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8. गोवा, दमण और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

अश्लील साहित्य

6581. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि देश के महानगरों में अश्लील साहित्य की भारी बिक्री हो रही है और अनेक प्रकाशन लोकप्रिय विदेशी प्रकाशनों के अनधिकृत संस्करण होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बुराई को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): (क) और (ख) : ऐसी पुस्तकों, पत्रिकाओं का आयात जिनमें अश्लील सामग्री होती है वर्जित है। अश्लील प्रकाशनों को अभिनिषिद्ध करने का अधिकार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अधीन पूर्णत: राज्य सरकारों को हैं। भारतीय दण्ड संहिता के अधीन ऐसे अपराधों के लिए मुकदमें भी राज्य सरकारों को चलाने होते हैं। इस सम्बन्ध में आवश्यक सतर्कता राज्य सरकारों द्वारा बरती जा रही है।

प्राइज गैस टर्बाइन पावर प्लांट कोलोबोरेशन प्रोजेक्ट

6582. **श्री निर्मल चन्द्र जैन :**
श्री धर्मवीर वशिष्ठ :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आरोप की ओर लगाया गया है जिसमें कहा गया है कि प्राइज गैस टर्बाइन पावर प्लांट कोलोबोरेशन प्रोजेक्ट प्रधान मंत्री द्वारा रोक दी गई है क्योंकि टेंडर का प्रयास करने वाली एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने उद्योग मंत्री की निष्ठा के विरुद्ध आक्षेप किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं (जैसा यह प्रतीत होता है), तो क्या इसका व्यापक रूप से खण्डन किया गया है ; और

(घ) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) कुछ दिन पहले एक साप्ताहिक समाचार पत्रिका में इस आशय की एक समाचार रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी।

(ख) से (घ) : आरोप सत्य नहीं है और बिल्कुल ही निराधार है। अत: यह सरकार द्वारा ध्यान दिए जाने के काबिल नहीं है।

Criteria for Appointments for the Post of Assistant Station Directors and Station Directors

6583. **Shri Ram Murti**: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Verghese Committee has in its report recommended appointment of experts at higher posts in Akashvani and Doordarshan;

(b) if so, the number of those Assistant Station Directors and Station Directors who do not fulfil qualifications as stated in the agenda of Goa meeting; and

(c) whether Government propose to appoint at their places other qualified persons from among those in the Department?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) The Verghese Committee on Autonomy for Akashvani and Doordarshan has recommended that while there would be need to infuse fresh blood and ideas to ensure the best talents for sensitive senior posts, it has also admitted in its report the need to provide promotional avenues from lower ranks to the senior ranks.

(b) Under the existing recruitment rules for the posts of Assistant Station Directors and Station Directors, 75% of the posts in these two grades are filled by promotion from the lower grades, through Departmental Promotion Committee presided over by a Member of the UPSC, and only the remaining 25% by direct recruitment from open market. The qualifications stated in the agenda of the Consultative Committee meeting held in Goa are in respect of direct recruitment only and not departmental promotion.

(c) There is no proposal with the Government to appoint other persons in place of the existing Assistant Station Directors and Station Directors.

टायर के मूल्यों में वृद्धि

6584. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि टायर निर्माताओं ने अपने उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या छः महीनों में यह दूसरी बार मूल्य वृद्धि है ; और

(ग) क्या यह सच है कि टायर निर्माताओं के इन प्रस्तावों के संबंध में मंत्रालय सहमत हो गया है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, हां ।

(ख) कुछ टायर कंपनियों ने पिछले छः महीनों में टायरों तथा ट्यूबों के मूल्यों में दो बार वृद्धि की है ।

(ग) जी, नहीं ।

रेडियो तथा टेलीविजन के लाइसेंस शुल्क में वृद्धि

6585. **श्री मनोरंजन भक्त :**
श्री चतुर्भुज :
श्री एम० राजगोपाल रेड्डी :
श्री सरत कार :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्गीज समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर रेडियो तथा टेलीवीजन के वर्तमान लाइसेंस शुल्क को बढ़ाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : (क) और (ख) : वर्गीज समिति ने रेडियो और टेलीवीजन सेटों की लाइसेंस फीस में परिशोधन करने के लिए कतीपय सिफारिशें की हैं ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं

पतला मुलायम कागज (साफ्ट टिश्यू पेपर) बनाने वाली कागज मिलें

6586. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पतला मुलायम कागज बनाने वाली कोई मिलें हैं ; यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) क्या भारत में पतले मुलायम कागजों का उत्पादन देश की आवश्यकता से अधिक है ; यदि हां, तो विदेशी मुद्रा अर्जित करने की दृष्टि से इसके निर्यात की क्या संभावनाएं हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) आजकल भारत में मुलायम टिश्यू पेपर बनाने वाली कोई मिल नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रक्षा मंत्रालय तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पदों की भरा जाना

6587. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता सरकार की अवधि में मंत्रालय से संबंद्ध तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में पदों की प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने पदों को भरा गया और उसमें विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को कितना हिस्सा मिला तथा प्रत्येक श्रेणी में कितने पदों का आरक्षण समाप्त किया गया और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) पदों की प्रत्येक श्रेणी में कुल कितनी विभागीय पदोन्नतियां की गई/पदों का दर्जा बढ़ाया गया तथा इनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कितने पद मिले ; और

(ग) कुल कितने ठेके /लाइसेंस दिये गये और ऐसे ठेकों / लाइसेंसों की प्रत्येक श्रेणी में यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कोई हिस्सा मिला तो वह कितना था ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री(श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग): सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों को दिए गए लाइसेंस

6588. **श्री आर० एम० राकेश** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनता सरकार के सम्पूर्ण कार्यकाल के दौरान उनके मंत्रालय, उससे सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कुल कितने ठेके/लाइसेंस दिये गये और ऐसे ठेकों/लाइसेंसों के प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को अगर कोई ठेके/लाइसेंस दिये गये हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं तो क्यों ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति): उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस प्रत्येक आवेदन पत्र के गुणावगुणों के आधार पर जारी किये जाते हैं । यद्यपि पिछड़े क्षेत्रों के हुए विकास की ओर उचित ध्यान दिया जाता है किन्तु आवेदक की स्थिति, अर्थात् अधिसूचित जातियों और अधिसूचित जनजातियों से संबंधित है, की ओर ध्यान

नहीं दिया जाता है। अप्रैल, 1977-फरवरी, 1978 में जारी किये गये 398 औद्योगिक लाइसेंसों में से 97 लाइसेंस पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिए दिए गए थे। औद्योगिक लाइसेंसों के विवरण जिसमें लाइसेंस प्राप्तकर्ता का नाम, लाइसेंस की किस्म, स्थापना स्थल आदि शामिल हैं "वीकली बुलेटीन आफ इण्डस्ट्रीयल लाइसेंसिज इम्पोर्ट लाइसेंसिज तथा एक्सपोर्ड लाइसेंसिज" और "मंथली लिस्ट आफ लेटरस आफ इंटेन्ट एंड औद्योगिक लाइसेंसिज" में प्रकाशित किये जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

पोलिस्टर फिलामेंट यार्न के आयात के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच

6589. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलिस्टर फिलामेंट यार्न के आयात के बारे में 'ब्लिट्ज' तथा अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित रिपोर्टों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनुसिंह पाटिल) : (क) तथा (ख) : केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उक्त मामले में कोई जांच नहीं की है।

Capital Income, Profit and Loss in Hindustan Photo Film Company

6590. **Shri Mritunjay Prasad**: Will the Minister of **Industry** be pleased to refer to the reply given to SQ No. 411 on 14th December, 1977 regarding news item captioned Hindustan Photo Films a parasite on the film industry and state:

(a) complete information in respect of capital, income expenditure, profit and loss of the Hindustan Photo Film Company during the last four years;

(b) whether the right to sell films was given to only 3 or 4 families, if so, the names thereof indicating the sale area and conditions of sale, and the time upto which this right was given to them and when it was withdrawn;

(c) what has been the impact on profit and loss from the date on which the company itself started sale of its goods; and

(d) the profit earned by each family who were the Sales agents thereof and the amount of income tax paid by them?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) and (b): Statements are attached. (Annexure I & II).

(c) Between 1st October, 1977 (when the entire distribution of cine colour black and white and Agfa Gevaert and 62.5% of Orwo cine colour positive was taken up) to the end of February, 1978, HPF made a net profit of Rs. 8.42 lakhs.

(d) The Commission earned by these distributors is indicated in the attached statement (Annexure III). The profit made by them and the amount of income-tax paid thereon is not available. **[Placed in Library. Sec. No. L.T. 2083/78].**

Publications brought out by the Ministry of Energy

†6591. **Shri Ram Prasad Deshmukh :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the names of the publications and journals and periodicals brought out by the Ministry/Department in 1977;

(b) the number thereof brought out in Hindi also and the reasons for those not published in Hindi;

(c) whether it is proposed to bring out all such publications, journals and periodicals in Hindi which are still being brought out in English; and

(d) if so, the steps taken so far in this regard?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) A statement is attached.

(b) & (c): Of the fourteen publications listed in the statement, seven are brought out in Hindi. The delay in bringing out the remaining publications in Hindi is on account of the large amount of technical terminology involved. Progressively, they will also be brought out in Hindi.

(d) Personnel are being given training in Hindi language, typing and stenography. Government instructions on the subject have been circulated to all concerned and the organization strengthened wherever necessary.

STATEMENT

Statement showing the names of the publications, journals and periodicals brought out by the Ministry of Energy (Departments of Power and Coal) and its Attached and Subordinate Offices in 1977

Sl. No.	Name of the publication/journal periodical	Whether published in English or Hindi
1	Annual Report of the Department of Power	English and Hindi.
2	Annual Report of the Department of Coal	English and Hindi
3	Demands for Grants 1977-78, of the Department of Power	English and Hindi
4	Demands for Grants 1977-78, of the Department of Coal	English and Hindi
5	Performance Budget 1977-78, of the Department of Power	English and Hindi
6	Performance Budget 1977-78, of the Department of Coal	English and Hindi
7	Centrl Electricity Authority's Monthly Administrative Bulletin	English and Hindi
8	Electricity Supply Industry-Salient Data	English only.
9	Annual Report of the Central Electricity Authority, 1975-76	English only.
10	Tenth Annual Electric Power Survey of India	English only.
11	Report of the Inter-Ministerial Committee on the loading of Coal if transported and receipt at the Power Station and transit lossess and fixation of Responsbility etc. therefor	English only.
12	Public Electricity and All India Statistics 1975-76	English only.
13	Average Electric rates and Duties in India	English only.
14	Power Supply position in the Country	English only.

राजस्थान में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता

2592. **श्री चतुर्भुज :**
श्री रामकंवार बेरवा :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत और निर्माण की हालत पूर्णतया उपेक्षित है और राज्य का बहुत बड़ा भाग अभी भी दुर्गम है; और

(ख) क्या सरकार का विचार वित्तीय सहायता देने और राज्य में विशेषज्ञों की सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध करने तथा बहुत सी सड़को का निर्माण करने का है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) : केन्द्र सरकार को इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है और राजस्थान सरकार को इस स्थिति का अनुमान लगाना है और उपयुक्त उपचारी उपाय करना है। निम्नलिखित सारणी उस व्यय को दिखाती है जो पिछले कई वर्षों से राज्य योजना के अन्तर्गत सड़कों पर योजना परिव्यय से काफी अधिक खर्च किया जा रहा है :--

वर्ष	परिव्यय	व्यय	
		सभी प्रकार की सड़कें	3 में से एम० एन० पी० की ग्रामीण सड़के
1	2	3	4
			रुपये लाखों में
1974–75 .	670	800.26 (वास्तविक)	181.57
1975–76 .	450	2259.15† (वास्तविक)	274.43
1976–77 .	521	750.15 (वास्तविक)	506.71
1977–78	637	1130.03 (प्रत्याशित)	599.17
1978–79 .	1250	अभी व्यय किया जाना है	800.00 (परिव्यय)

†इस में अकाल सहायता कार्य के लिए अग्रिम योजना सहायता शामिल है।

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ द्वारा उद्योगों पर बकाया रायल्टी की वसूली

6593. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़ को उद्योग से रायल्टी की भारी राशि वसूल करनी है ;

(ख) यदि हां, तो वसूली के लिये कितनी राशि बकाया है और कब से है तथा उसे वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या फर्मों को दी गई अग्रिम राशि के कारण काफी लम्बे समय से अत्यधिक राशि बकाया है; और

(घ) अग्रिम राशि की कितनी राशि बकाया है और कब से है तथा उसकी वसूली या समायोजन न करने के क्या कारण है?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :(क) और (ख) : (1) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा दिये गये सी० एम० आई ओ० के प्रक्रमों की रायल्टी की बकाया राशि जो फर्मों से वसूल करनी थी वह इस प्रकार है :—

प्रक्रम	राशि (रुपयों में)
(i) चिकित्सा उपकरण (अवधि 31-3-73 से 31-3-75)	रु० 11,409
(ii) डिजीटल फ्रीक्वेंसी मीटर (अवधि 31-3-75) . .	रु० 53,400

(2) निम्नलिखित दो प्रक्रम संगठन द्वारा फर्मों को सीधे दिये गये थे :—

(i) मोएस्चर मीटर

(ii) ओपरेशनल एम्पलीफायर

मोएश्चर मीटर:—यह प्रक्रम दिनाक 20-12-66 को फर्म को दिया गया था। अनुबन्ध पूर्णतया 1-11-66 से दस वर्ष की अवधि के लिये लागू होना था। फर्म ने मार्च 1971 के पश्चात् रायल्टी का भुगतान नहीं किया है। बकाया रायल्टी की वसूली के लिये इस मामले पर फर्म से पत्र व्यवहार चल रहा है।

ओपरेशनल एम्पलीफायर :— फर्म के साथ अनुबन्ध अप्रैल, 1970 में दस वर्ष की अवधि के लिये किया गया था। फर्म ने केवल 31-12-73 तक रायल्टी का भुगतान किया है। अग्रिम भुगतान से संबंधित मामला फर्म के साथ पत्राचार के अंतर्गत है। फर्म ने यह सूचना नहीं दी है कि उसने अभी तक कितने उपकरण विक्रय किये हैं, परिणाम स्वरूप बकाया धनराशि का हिसाब नहीं लगाया जा सका।

(ग) और (घ) : सी० एम० आई० ओ० चण्डीगढ़ के विकास और अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत संयंत्र और मशीनरी आदि खरीदने के लिये फरवरी 1978 तक लगभग 15.288 लाख रुपये की पेशगी अग्रिम के रूप में विभिन्न फर्मों को संस्थान द्वारा दी गई थी। अधिकांश मामलों में सामान प्राप्त कर लिया गया है और पेशगी में दी गई रकम का हिसाब मिलाया जा रहा है।

Setting up of centre of Song and Drama Division in Madhya Pradesh

6594. **Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether centre of Song and Drama Division was located in Bhopal, Madhya Pradesh and later on in 1973 it was shifted to Patna in Bihar whereas there is already a centre of Song and Drama Division in Darbhanga District of Bihar;

(b) if so, the reasons for shifting this centre from Bhopal; and

(c) whether Government propose to set up the centre of Song and Drama Division again in Madhya Pradesh keeping in view the state's requirements as well as the people's demand and if so, when?

The Minister of State for Information and Broadcasting (Shri Jagbir Singh): (a) Yes, Sir.

(b) A decision was taken by the Government in 1973 that the troupes located at Delhi should be shifted to centres near their area of operation. Accordingly, it was decided that the U.P. & Bihar Departmental Drama Troupe which was then located at Delhi may be shifted from Delhi to Patna. It was felt that as the headquarters of the U.P. & Bihar Departmental Troupe were being shifted from Delhi to Patna, the headquarters of Bhopal office also should be shifted to Patna for better administrative control.

(c) The scheme for setting up a centre at Bhopal is under active consideration of the Government.

कटिहार में उद्योगों की स्थापना और उनके लिए वित्तीय सहायता

6595. **श्री युवराज** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है बिहार में कटिहार जिला एक पिछड़ा हुआ जिला है ;

(ख) क्या जनता सरकार की ग्रामीण उद्योगीकरण सम्बन्धी नीति के अनुसार योजना आयोग ने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए सरकारी सहायता देने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो कटिहार में कौन-कौन से उद्योग स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है और ये उद्योग कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) बिहार के पुराने पूर्णिया जिले को जिसे अब पूर्णिया और कटिहार जिलों में विभक्त कर दिया गया है रियायती वित्तीय सुविधाएं पाने का पात्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला स्वीकार किया गया है ।

(ख) योजना आयोग ने देश के 247 जिलों को रियायती वित्तीय सुविधाएं प्राप्त करने के लिए और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया है। इन 247 जिलों में से 101 जिलों/क्षेत्रों को 15 प्रतिशत केन्द्रीय निवेश राज सहायता पाने का पात्र स्वीकार किया गया है ।

(ग) मैं० कल्याण इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, कलकत्ता को 19 स्ट्रैन्डस से अधिक के कन्डक्टरों का उत्पादन करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया है। निम्नलिखित उद्योगों को उनके सामने दी गई वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए दो आशय भी जारी किए गए हैं :—

1. श्री प्रभात किरण लक्ष्मपुर, पी० ओ० जमालपुर जिला, मुंगेर 2. श्री विनोद कुमार चमारिया, पी० 38, इण्डिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता ।	आक्सीजन गैस लपेटने और पैक करने के कागज 6000 मी० टन

Functions of Producers and Programme Executive

6596. **Shri T. S. Negi:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to USQ No. 3078 dated 15th March, 1978 and state:

(a) criteria and stage of appointment of a producer is made at a particular station;

(b) whether it is a fact that being an expert in his art the producer can perform an act which the Programme Executive cannot;

(c) whether it is also a fact that interviews were held for appointment of producers at Delhi Stations of A.I.R. during the last 6 months because Programme Executives were not available for these units; and

(d) the special qualifications of the Programme Executive promoted during the last two years in Delhi and whether they have got extensive field knowledge?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) The strength of Programme Officers at a Station is determined in accordance with the norms prescribed by the Staff Inspection Unit. Programme Officers include both Producers and Programme Executives. Posts of Producers are sanctioned according to the requirements of a Station. Producers are appointed by 100% limited selection from amongst all categories of Staff Artists fulfilling the prescribed qualifications, failing which by direct recruitment.

(b) No, Sir. Both Producers and Programme Executives are expected to be experts in some field/discipline or another and perform similar functions, except that the Programme Executives, by virtue of their being regular Government Servants, also perform administrative functions.

(c) An interview was conducted for the post of Producer in the External Services Division of All India Radio, New Delhi on 27th February, 1978, but it is not a fact that it was on account of non-availability of a Programme Executive.

(d) Programme Executives are promoted as Assistant Station Directors according to the recruitment Rules, on the basis of their all-India seniority and not station-wise. No separate recruitment of Assistant Station Director for Delhi was held.

5-Crore Expansion of BHEL, Khelar (Jhansi)

6597. **Shri Laxminarain Nayak:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have sanctioned a further amount of Rs. 5 crore for the expansion of BHEL factory, Khelar (Jhansi); and

(b) if so, whether it would be expanded towards Orchha on the border of Tikamgarh district in Madhya Pradesh adjoining Khelar and whether more funds are proposed to be provided therefor?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चण्डीगढ़ के निदेशक पर किया गया व्यय

6598. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **विज्ञान तथा प्रौद्योगिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान निदेशक, केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़ (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक प्रयोगशाला) के विदेशो के दौरों पर खर्च सहित यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते पर कितनी राशि खर्च की गई है ;

(ख) गत चार वर्षों में उनके द्वारा स्टाफ कार में की गई यात्राओं पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) गत चार वर्षों में केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन के निदेशक के दफतर (ओफिशियल) तथा रिहायशी टेलीफोन बिलों के भुगतान पर कितनी राशि खर्च की गई है ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोराश्जी देसाई): (क) लगभग रुपये 53014 (भारत में रुपये 29407 और विदेशों में रु० 23607) ।

(ख) लगभग रुपये 84781 ।

(ग) लगभग रुपये 690091 ।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में कर्मचारियों की नियुक्ति

6599. **डा० महादीपक सिंह शाक्य** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1975–78 वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग भवन, दिल्ली में अनेक कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया था और कई अन्य अधिकारी सीधे नियुक्त किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और नियुक्तियों के लिए अर्हताएं क्या थी तथा क्या अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइति) : (क) और (ख) : संलग्न विवरण के अनुसार 1975–78 के दौरान कर्मचारियों में से 11 की पदोन्नति की गई तथा कर्मचारी वर्ग में से 31 विभिन्न पदों पर चुने गए । इन में से 5 कर्मचारी अनुसूचित जातियों के हैं। विभिन्न पदों के लिये योग्यता उनके उत्तर दायित्वों के अनुरुप रखी गई हैं। इस अवधि के दौरान बाहरसे कोई भी सीधी भर्ती नहीं की गई थी।

विवरण

क्र० सं०	पदनाम	ग्रेड	पदोन्नति	कर्मचारी वर्ग में संचयन
1.	प्रभारी	425–700	1	..
2.	सहायक प्रभारी	380–640	1	..
3.	आशुलिपिक	425–700	..	1
4.	सेल्स मैन–I	380–640	2	1
5.	लेखाकार–III	380–640	..	1
6.	कटर मास्टर	380–640	1	..
7.	उच्च श्रेणी लिपिक	330–560	2	1
8.	सेल्समैन–II	330–560	3	1
9.	हेल्पर/पैकर	210–290	..	25
10.	दफ्तरी प्रवरण (सेलेक्शन ग्रेड)	210–270	1	1
	योग		11	31

Amount sanctioned for projects for Gujarat

6600. **Shri Chhitu Gamit:** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the amount of money asked for by the Gujarat Government for their Annual Plan of each of the years from 1974-75 to 1978-79, the amount sanctioned by the Planning Commission therefor and that provided in each of the said years;

(b) the amount of money sanctioned for each project of 1978-79 in the State; and

(c) whether any amount, out of the said sanctioned amount, has been earmarked for measures regarding flood-control and cyclones in Gujarat and if so, the special features of the scheme in this regard?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai): (a) Statement I (enclosed) indicates the outlays proposed by the State Government and those approved by the Planning Commission for the years 1974-75 to 1978-79.

(b) Statement II (enclosed) gives the sectoral break-up of the approved outlay of Rs. 335 crores for 1978-79.

(c) Out of the approved outlay for 1978-79, Rs. 3.50 crores has been allocated for flood Control measures. The amount is proposed to be utilised for flood control works and protection of salinity ingress.

STATEMENT I

Annual Plans 1974-75 to 1978-79—Gujarat

(Rs. crores)

Annual Plan Year	Outlay proposed by the State Government	Outlay approved by the Planning Commission	Revised approved outlay	Actual/ Anticipated expenditure
1	2	3	4	5
1974-75	150.00	143.32	160.12	188.22
1975-76	180.02	187.65	218.20	236.15
1976-77	225.00	193.25	218.50	249.37
1977-78	305.75	280.58	302.01	303.92
1978-79	332.18	335.00	..	..

NOTE.—Revised approved outlay (Col. 4) and Actual/Anticipated Expenditure (Col. 5) include expenditure on natural calamities.

STATEMENT II

Annual Plan 1978-79—Gujarat

(Rs. lakhs)

Head of Development	Agreed Outlay
1	2
Agriculture	1260
Land Reforms	181
Minor Irrigation	1193
Soil and Water, Conservation	400
Area Development :	
(*a*) Approved Command Areas (*b*) Other Area Development Activities }	85
Animal Husbandry and Dairy Development	340
Fisheries	275
Forests	680
Investment in Agril. Financial Institutions	100
Community Development and Panchayats	595
I. *Agriculture and Allied Services* :—	**5109**
II. *Co-operation*	**533**
Irrigation	7825
Flood Control	350
Power	9225

Statement II—Contd.

1	2
III. *Water and Power Development*	**17400**
Industries	780
Village and Small Industries	365
Mining and Metallurgical Industries	150
VI. *Industry and Minerals*	**1295**
Ports, Light Houses and Shipping	150
Roads and Bridges	1745
Road Transport	840
Tourism	25
V. *Transport and Communications*	**2760**
General Education Art and Culture	1031
Technical Education	102
Medical excluding E.S.I. Employees State Insurance Scheme Public Health and Sanitation	371
Sewerage and Water Supply	1765
Housing excluding Police Housing Police Housing	975
Urban Development	325
State Capital Projects	289
Information and Publicity	10
Labour and Labour Welfare	71
Welfare of Sch. Castes, Sch. Tribes and Other Backward Classes	1225
Social Welfare	23
Nutrition	127
VI. *Social and Community Services*	**6314**
Secretaria—Economic Services	25
Social and Backward Areas	50
Economic Advice and Statistics	14
VII. *Economic Services*	**89**
GRAND TOTAL	33500

6—132 LSS/ND/78

नियंत्रित कपड़े के उत्पादन और बिक्री में घाटा

6601. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियंत्रित कपड़े के उत्पादन तथा बिक्री में भारी घाटा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी कपड़ा मिलों तथा अन्य कपड़ा मिलों को कितना घाटा हुआ ; और

(ग) क्या सरकार ऐसे कपड़ा उद्योगो को संरक्षण देने पर विचार कर रही है जो नियंत्रित कपड़ा बनाने के कारण रुग्ण हो गये हैं और यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइति) : (क) तथा (ख) : नियंत्रित कपड़े के उत्पादन में निहित घाटा मिल द्वारा बनाई गई विशिष्ट किस्मों तथा उत्पादन सम्बन्धी अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। चूंकि उत्पादन के कारण भिन्न-भिन्न होते हैं अतः घाटे का ठीक-ठीक सुनिश्चित कर पाना संभव नहीं है।

(ग) वित्तीय दृष्टि से कमजोर मिलों के नियंत्रित कपड़ों के उत्पादन में क्रमबद्ध छट दी जाती है जो उनके आरक्षित भण्डार समाप्त हो जाने की सीमा पर निर्भर करती है ।

Electricity consumption for Agriculture in Madhya Pradesh

†6602. **Shri Yamuna Prasad Shastri :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the percentage of electricity consumption for agriculture purpose in various States of the country;

(b) whether the electricity consumption for agriculture purposes is only 5 percent in Madhya Pradesh; and

(c) if so, whether the Central Government would provide more funds to Madhya Pradesh so as to enable it to raise the said percentage of electricity consumption to a level which may compare favourably with that of the other States in 1978-79?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) A statement indicating the actual energy consumption for agricultural purposes during the year 1976-77 in various States of the country is enclosed as Annexure.

(b) The electricity consumption for agricultural purposes in Madhya Pradesh during the year 1976-77 was 6.1%.

(c) The allocation of funds for rural electrification in Madhya Pradesh has been increasing from year to year. The electricity consumption for agricultural purposes in M.P. has also been increasing.

Statement

Energy Consumption in Agriculture Sectors for the year 1976-77 (Provisional)

Sl. No.	States/U.Ts.	Energy sold (M. IWH)		Percentage of agriculture consumption to total consumption
		Total energy consumption	Energy consumption by agricultural sector	
1	2	3	4	5
1.	Andhra Pradesh	3429	751	21·9
2.	Assam	522	5·5	1.1
3.	Bihar	4112	501	12.2
4.	Gujarat	5489	918	16.7
5.	Haryana	1871	720	38.5
6.	Himachal Pradesh	226	3·4	1·5
7.	Jammu & Kashmir	297	60	20.5
8.	Karnataka	4694	396	8.4
9.	Kerala	2110	92	4·4
10.	Madhya Pradesh	3736	228	6.1
11.	Maharashtra	10811	933	8.6
12.	Manipur	11	*Neg.	*Neg.
13.	Meghalaya	44	*Neg.	*Neg.
14.	Nagaland	17	*Neg.	*Neg.
15.	Orissa	2048	10	0.5
16.	Punjab	3586	973	27.1
17.	Rajasthan	2103	428	20.4
18.	Sikkim	—	—	—
19.	Tamil Nadu	6522	1695	26.0
20.	Tripura	14	1.2	8.3
21.	Uttar Pradesh	7072	1855	26.2
22.	West Bengal	5882	68	1.2
	Union Territories			
	(*a*) Chandigarh	114	2.1	1.8
	(*b*) Pondicherry	117	35·4	30.2
	(*c*) Delhi	1596	5·1	0.3
	(*d*) Rest	175	2.1	1.2
	TOTAL (ALL-INDIA)	66598	9683	14.53

*Negligible.

मनोपुर में मिजो विद्रोहियों का प्रवेश

6603. **श्री अनन्त दुबे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 24 फरवरी, 1978 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "एलबर्ट आन बोर्डर एज मिजो रबल्स एंटर मनीपुर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार का पता है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले म सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख) : सरकार ने उन समाचारों को देखा है। संघ शासित क्षेत्र प्राधिकारी तथा हमारी सुरक्षा सेनाएं मिजोरम में कुछ गैरकानूनी तत्वों द्वारा पैदा की गई स्थिति से निटपने के लिए उपयुक्त और आवश्यक कार्रवाई कर रही हैं।

युद्ध टैंक का विकास

6604. **श्री सरत कार** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवाडी के कम्बैट वीहिकिल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा स्वदेशी डिजाइन का मुख्य युद्ध टैंक बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस परियोजना में वर्तमान विजय टैंक में नवीनतम आविष्कार का समावेश करके इसके आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है; और

(ग) यदिहां, तो आवाडी में हेवी वीहिकल फैक्टरी में उत्पादन प्रक्रिया में किये जाने वाले परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में ब्यौरे देना लोकहित में नहीं होगा। जी हां, विजयन्त टैंक में कुछ सुधार करने के लिए एक प्रस्ताव है।

(ग) इस संबंध में ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

Hindi Officers

6605. **Shri Ramjiwan Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received some representations to the effect that *ad hoc* Hindi Officers should be included without any examination in the Secretariat Hindi service proposed to be created by Government; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) and (b) : Some representations had been received in this regard and Government have taken up this matter with the Union Public Service Commission.

Loss in B.H.E.L.

6606. **Shri Madan Tiwari:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) the causes of the recurring loss as also the increasing loss in production in the Bharat Heavy Electricals Limited, Bhopal (Madhya Pradesh);

(b) whether Government propose to enquire into the causes thereof; and

(c) if so, when and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) BHEL, Bhopal has been making a profit ever since 1971-72. The production has also been constantly rising during the last few years ending 31-3-77. There is, therefore, neither recurring financial loss nor loss in production in BHEL, Bhopal.

(b) & (c): Do not arise.

हाइड्रोजन और आक्सीजन गैस जेनेरेटर

6607. **श्री रामधारी शास्त्री** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा विज्ञान प्रयोगशाला में 1972 में प्रयोगशाला के उपकरणों में गैस भरने तथा गैस जमा करने के लिए एक हाइड्रोजन और आक्सीजन गैस जेनेरेटर खरीदे थे ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी धनराशि खर्च की गई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जब से इस जेनेरेटर को खरीदा गया है तब से इसका कोई उपयोग नहीं किया गया तथा प्रयोगशाला द्वारा लाखों रुपयों के मूल्य की गैस बाजार से खरीदी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस जेनेरेटर को क्यों खरीदा गया था तथा क्या सरकार का विचार इस जेनेरेटर पर उससे अधिक धनराशि खर्च करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1972 में रक्षा विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा हाइड्रोजन गैस के उत्पादन के लिए एक इलैक्ट्रोलिटिक जेनेरेटर खरीदा गया था, आक्सीजन गैस तो उसका केवल उप-उत्पादन था।

(ख) सहायक पुर्जों सहित जेनेरेटर की कुल कीमत 3,41,500 रु० थी। (विदेशी पूंजी का कोई अंश नहीं था।)

(ग) जी, नहीं। 1 जनवरी 1973 में संयंत्र को चालू कर दिया गया था और एक उच्च अग्रता प्राप्त वर्गीकृत परियोजना की हाइड्रोजेनशन प्रक्रिया के लिए प्रारम्भिक प्रयोगों में इसका प्रयोग किया गया था। इस परियोजना के लिए इस संयंत्र का लगातार प्रयोग नहीं किया जा सका जैसा कि पहले विचार किया गया था, क्योंकि परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि उच्च दाब हाइड्रोजन के प्रयोग से उच्चतर क्षमता पैदा हो जाएगी। जेनेरेटर में अतिरिक्त कम्प्रेसर और ऐसे उच्च दाब हाइड्रोजन के लिए संचयन सुविधाओं

की व्यवस्था नहीं थी। संचयन सुविधाओं के बढ़ाने का अर्थ होता अतिरिक्त व्यय करना और समय लगाना तथा जेनरेटर और कम्प्रेसर दोनों को चलाने के लिए अधिक विद्युत शक्ति प्राप्त करने की कठिनाइयां पैदा होतीं। जनरेटर लगाने से अब तक बाजार से इस परियोजना के लिए लगभग 30,000 रु० की उच्च दाब गैस खरीदी गई है।

(घ) किसी रसायन प्रयोग शाला के लिए हाइड्रोजन जेनरेटर एक अमूल्य सुविधा है। इस मामले में रक्षा विज्ञान प्रयोगशाला के लिए जैनरेटर इस विचार से खरीदा गया था कि उक्त उच्च अग्रता प्राप्त परियोजना के सम्बन्ध में इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। इस परियोजना से संबंधित प्रयोगिक संयंत्र को सफलता-पूर्वक स्थापित करने के बाद, इस क्षेत्र में और अधिक विकास के लिए इसे हैदराबाद की उस दूसरी रक्षा प्रयोगशाला में ले जाया गया है जो इस क्षेत्र में और आगे विकास करने के लिए स्थापित की गयी है। हाइड्रोजन जेनरेटर को भी उसी प्रयोगशाला में भेजने का विचार है जहां इसकी आवश्यकता है इसमें कोई व्यर्थ का व्यय नहीं हुआ है और इसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्राइवेट पार्टियों द्वारा कोयला खनन

6608. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्षत क्षेत्रों में कोयला खनन कार्य करने के लिए प्राइवेट पार्टियो को अनुमति देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय नौसेना के जहाजों पर क्रास आफ सेंट जार्ज ध्वज बदलना

6609. **श्री यादवेन्द्र दत्त :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना के जहाजों पर क्रास आफ सेंट जार्ज (रेड डस्टर) ध्वज फहराया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह ब्रिटिश नौसेना का ध्वज है और भारतीय नौसेना परम्पराओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता ;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त ध्वज को बदलने तथा उसके स्थान पर ऐसा भारतीय ध्वज लगाने का विचार है जो भारतीय नौसेना की परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करता हो; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : भारतीय नौसेना के ध्वज में ऊपरी भाग में बायीं ओर राष्ट्रीय ध्वज के साथ रेड क्रास अंकित है। यह ब्रिटिश नौसेना का ध्वज नहीं है। इसके ऊपरी भाग में बायीं ओर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारतीय विशिष्टता का प्रतिनिधित्व करता है।

(ग) और (घ) : उपयुक्त समय पर इस सुझाव पर विचार किया जाएगा।

Investment in Tannery and Foot-wear Corporation, Kanpur

6610. **Shri Ram Gopal Singh:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the total capital investment made in Tannery and Footwear Corporation, Kanpur;

(b) the amount of profit earned and loss suffered by the Corporation so far; and

(c) the measures being taken by Government to manage properly the working of this factory?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) The total capital investment made in the Tannery and Footwear Corporation of India Limited, Kanpur, is as follows :—

(i) Equity	... Rs. 395.92 lakhs
(ii) Capital loan	... Rs. 140.59 "
(iii) Other short-term loans	... Rs. 679.60 "

(b) The Corporation has been incurring losses since its inception in 1969, and its total accumulated loss upto 31-3-1978 is of the order of Rs. 895 lakhs.

(c) The following measures have been and are being taken to improve the working of the Corporation :—

(i) The top management has been re-vamped;

(ii) A foreign footwear technician has been appointed to improve the quality of footwear production and train Indian personnel;

(iii) The services of a number of senior Managers have been terminated and new Managers recruited in their place;

(iv) A Vigilance Cell has been set up to identify and root out sources of corruption in the Corporation;

(v) A phased programme of modernisation and replacement of plant and machinery is under implementation;

(vi) Vigorous efforts are being made to increase production, improve marketing, recover outstanding dues and liquidate the high inventory;

(vii) A Corporate Plan to diversify and increase production upto the optimum level is being prepared for implementation.

आनन्द मार्ग के एक अधिकारी की प्रधान मंत्री के साथ भेंट

6611. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आनन्द मार्ग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने प्रधान मंत्री को यह आश्वासन दिया है कि भारत में और विदेशों में हाल में हुई हिंसात्मक और तोड़फोड़ की गतिविधियों में इस संगठन का कोई हाथ नहीं था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) : 1 मार्च, 1978 को आनन्द मार्ग प्रचारक संघ के निर्माण सचिव आचार्य नित्योबाधानंद अवधूत प्रधान मंत्री से मिले थे और एक अभ्यावदन दिया था जिसमें अन्य बातों के साथ यह कहा गया था कि मार्ग अहिंसा में विश्वास रखता है, संदिग्ध तोड़फोड़ अथवा अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों को धमकी भरे पत्रों के भेजने के किसी कार्य में उनका हाथ नहीं है, और यह कि उनका यू०पी०आर०एफ० के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रधान मंत्री ने इस दावे को अस्वीकार कर दिया कि आनन्द मार्ग का धमकी भरे पत्रों के पीछे कोई हाथ नहीं है और यह कि यू०पी०आर० एफ० का आनन्द मार्ग के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रधान मंत्री ने सलाह दी कि मार्ग के नेताओं को हिंसक गतिविधियों और धमकी भरे पत्र लिखने की भर्त्सना करनी चाहिए और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करने की अपनी नेक नियत सिद्ध करनी चाहिए ।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई के निदेशक का वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में तबादला

6612. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री वसन्त साठे :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री जी० एम० बनातवाला :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई के निदेशक डा० आर० रामन्ना का सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर अथवा किसी अन्य पद पर तबादला किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस तबादले के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस कार्यवाही से भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के कर्मचारियों के दिलों में कुछ आशंकाएं पैदा हुई हैं जैसा कि 18, 19 और 20 मार्च के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) : इलक्ट्रानिकी विभाग के सचिव एवं इलैक्ट्रानिकी आयोग के अध्यक्ष प्रोफैसर एम० जी० के० मेनन उक्त पदों के साथ ही साथ रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के पद का कार्यभार भी संभाले हुए थे । इस पद के कार्यभार तथा इसके साथ जुड़े उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए यह अनुभव किया गया कि इस पद पर पूर्ण-कालिक रूप से एक वैज्ञानिक का होना जरूरी है। सरकार को

निगाह में अन्य लोगों के साथ-साथ डा० रमन्ना भी थे तथा अन्त में, डा० रमन्ना का चयन उनकी अपनी अर्हताओं तथा इस पद की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया ।

(ग) यदि किसी प्रकार की आशंकायें हैं तो वे पूर्णतः निर्मूल हैं।

मैसर्स हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा आयातित मशीनों का बेचा जाना

6613. **श्री डी० आमात :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, हैदराबाद ने आयातित टेलीविजन डिफ्लैक्शन कम्पोनेन्टस और इक्विपमेंट मशीनें बेची हैं ;

(ख) यदि हां, तो मशीनें किसको तथा कितने मूल्य पर बेची गयी हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि उपरोक्त आयातित मशीनों और उपकरणों की खरीद के लिए कुछ अन्य फर्में हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के साथ पत्र-व्यवहार कर रही थीं ;

(घ) यदि हां, तो मैसर्स हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि०, हैदराबाद द्वारा 24 जून, 1977 को उक्त फर्म को यह नकारात्मक उत्तर भेजने दिया गया कि वह आयातित टेलीविजन डिफ्लैक्शन कम्पोनेन्टस् और इक्विपमेंट मशीने नहीं बेचना चाहता और इन मशीनों के निपटान के लिए टेंडर क्यों नहीं मांगे गये; और

(ङ) क्या यह सच है कि इन मशीनों के निपटान के लिए उस फर्म के साथ बात-चीत की गयी थी, जो रुचि रखने वाली एकमात्र फर्म थी और उस विशेष फर्म के साथ पक्षपात किया गया, क्योंकि टेंडर आदि नहीं मांगे गये थे और मशीनें उनको बेच दी गयी थीं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) मेसर्स हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, हैदराबाद (एच ए एल) ने टा० वो० डिफ्लैक्शन यूनिटों के किसी आयातित संघटक-पुर्जे की बिक्री नहीं की है। परन्तु डिफ्लैक्शन संघटक-पुर्जे के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली कुछ आयातित सामग्री, देशी सामग्री और पूंजीगत उपस्करों को बेचा/किराए पर दिया है।

(ख) हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम के एक संयुक्त क्षेत्र उपक्रम मेसर्स सुचित्रा इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लिमिटेड को 72,000 रु० वार्षिक किराए पर मशीनें किराए पर दी गई, बेची नहीं गई ।

(ग) कुल 6 फर्में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के साथ लिखापढ़ी कर रही थी ।

(घ) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने सामग्री और उपस्कर बेचने और (ख) में उल्लिखित फर्म को मशीनें किराए पर देने का निश्चय करने के बाद उन अन्य सभी फर्मों को नकारात्मक उत्तर भेज दिए थे जिन्होंने इसके साथ लिखापढ़ी की थी ।

(ङ) ऊपर (ग) और (घ) को देखते हुए यह कहना सही नहीं होगा कि केवल उसी फर्म के साथ समझौता-वार्ता की गई जिसमें रुचि थी और उस विशिष्ट फर्म के साथ पक्षपात किया गया। इस फर्म द्वारा सबसे अच्छी शर्तें रखे जाने के कारण ही इसके साथ सौदा किया गया ।

Setting up of Industries in Mandla

6614. **Shri Shyamlal Dhurve:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether in Mandla, a backward Adivasi area in Madhya Pradesh, besides minerals forest wealth is also available; and

(b) if so, the details of the action being taken for setting up industries there based on this raw material?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) Yes, Sir. The techno-economic survey of Mandla had identified forest resources of Sal seed, Myrabolan, Lac, Gum, Soft wood and Bamboo in the District.

(b) The centrally sponsored scheme of Rural Industries Projects Programme is in operation in Mandla from the beginning of the Fifth Five Year Plan, i.e. from the year 1974-75 for intensive development of small scale industries in the district based on local resources including forest resources. Under the Scheme the prospective entrepreneurs are given guidance and assistance in selecting suitable lines of production, technology and obtaining loans etc.

दूरगामी मारक विमान के मूल्यांकन के लिए रक्षा दल की विदेश यात्रा

6615. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री सरत कार :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरगामी मारक विमान के पूर्व-मूल्यांकन के लिए माह फरवरी, 1978 में विशेषज्ञों का एक रक्षा दल विदेश गया था, यदि हां, तो विशेषज्ञ दल ने किन-किन देशों का दौरा किया और अब वापस आ गया है ;

(ख) क्या उन्होंने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विशेषज्ञ प्रतिवेदन के बाद सरकार ने अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(घ) विमानों को खरीदने में कुल कितना खर्च होगा और उनकी कुल संख्या कितनी है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) : केंबरा और हंटरों को पुरानी पलांट के स्थान पर नए किस्म के विमान खरीदने के लिए जो दल फ्रांस, स्वीडन और यूनाइटेड किंग्डम में बातचीत करने के लिए भेजा गया था उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इस पर सरकार विचार कर रही है। इन तीनों प्रतियोगी विमानों के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है । माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इस स्थिति में इस बारे में ब्यौरे प्रस्तुत करना सम्भव नहीं होगा।

हल्दिया गोदी के लिए 'मोहनाइट कास्टिंग' के लिए मैसर्स बिन्नी एण्ड कम्पनी के साथ ठेका

6616. **श्री सुशील कुमार धारा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दिया गोदी के लिए 'मोहिनाइट कास्टिंग' के लिए मैसर्स बिन्नी एण्ड कम्पनी के साथ ठेका किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस ठेके को समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां।

(ख) जिस ठेकेदार ने मोहिनाइट कास्टिंग की सप्लाई के लिए मैसर्स बिन्नी इंजीनियरिंग कंपनी के साथ एक ठेका किया था, उसने इसे समाप्त कर दिया क्योंकि कास्टिंग के निरीक्षण, परीक्षण और विशिष्टियों के मामले में उप-ठेकेदार के साथ उसके कुछ मतभेद हो गए थे।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो अब इस मामले की जांच कर रहा है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार म झगडा

6617. **श्री राम सेवक हजारी :**
श्री चित्त बसु :
क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क), क्या 23 मार्च, 1978 को भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स, हरिद्वार के श्रमिकों और सी० आई०एस०एफ० कर्मचारियों के बीच कोई झगड़ा हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और इसके परिणामस्वरूप जान और माल की कितनी क्षति हुई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की कोई जांच कराने का है और यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, हां।

(ख) पहचान पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में एक श्रमिक और ड्यूटी पर तैनात सेन्ट्रल इण्डस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (सी०आई०एस०एफ०) के कार्मिकों के बीच झगड़ा हो गया था। संबंधित श्रमिकों ने आरोप लगाया कि सी०आई०एस०एफ० के एक सहायक उप-निरीक्षक ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था और मुख्यत: इसके कारण दंगे की स्थिति और श्रमिकों और सी०आई०एस०एफ० के कार्मिकों के बीच मारपीट हुई। सी०आई० एस०एफ० के कार्मिकों ने बताया है कि उन्होंने अपनी रक्षा के लिए लाठी चार्ज और गोली चलाई। उत्तर प्रदेश पुलिस वास्तविक कारणों की जांच पड़ताल कर रही है। इस घटना में 23 श्रमिकों को चोटें आई, इनमें गोली से घायल हुए 8 श्रमिक भी शामिल है। सी०आई०एस०एफ० के 110 कार्मिक घायल हुये थे, इनमें दो सहायक कमाडेन्ट भी

शामिल है जिन्हें गम्भीर चोटें आईं। सी०आई०एस०एफ० के एक सहायक उप-निरीक्षक को जिसे हरिद्वारा चिकित्सालय में भर्ती किया गया था, चोटों के कारण मृत्यु हो गई। लगभग 50,000 रुपये की सम्पत्ति का नुकसान होने का अनुमान है।

(ग) सम्पूर्ण घटना की जांच दोनों पक्षों द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा रही है। इस प्रकार की घटनाएं न होने देने का सुनिश्चित करने के लिए (1) श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच परस्पर सम्पर्क में सुधार कर, और (2) उड़न दस्ते सहित मोबाइल आर्म्ड रिजर्व जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से सहायता हेतु सम्पर्क किया गया है, की व्यवस्था करके पहले ही एहतियाती उपाय दिए गए हैं।

प्रति व्यक्ति आय

6618. **श्री बी० सी० कामले :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 में उल्लिखित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, कमजोर वर्गों की प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के अन्त में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी ;

(ख) इन लोगों की इतनी कम प्रति व्यक्ति आय के क्या कारण हैं; और

(ग) इन लोगों की औसत भारतीय के स्तर तक लाने के लिये इनकी प्रति व्यक्ति आय, बढ़ाने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : प्रति व्यक्ति आय का सामाजिक समूहों के आधार पर अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े तथा कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए बहुत पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है और यह आशा है कि इन स्कीमों के कार्यान्वित हो जाने से उनकी प्रति व्यक्ति आय में और सामान्य सुख-सुविधा में पर्याप्त सुधार होगा। इस योजना में निहित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम से उनकी स्थिति में और अधिक सुधार होगा।

तिहाड़ जेल में लाठी चार्ज के बारे में बवेजा आयोग का प्रतिवेदन

6619. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ स्थित सेन्ट्रल जेल में 2 अक्तूबर, 1975 (गांधी जयन्ती) को हुई लाठी चार्ज की घटना की जांच करने के लिए गठित जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है ;

(ग) क्या उक्त प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) : जी हां, श्रीमन। आयोग के निष्कर्ष तथा जांच परिणाम रिपोर्ट में दर्शाये गए हैं, जिसकी प्रतियां सभापटल पर रखी जा रही हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में सीमेंट की कमी

6620. **श्री मीठा लाल पटेल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में इस समय सीमेंट की भारी कमी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य को सप्लाई किया जाने वाला सीमेंट का कोटा काफी घटा दिया गया है और यदि हां तो कितना और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि किसानों को अपने कुओं आदि का निर्माण पूरा करने के लिए सीमेंट प्राप्त नहीं हो रहा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइति) : (क) से (ग) : वर्ष 1976-77 में 6.49 लाख मी० टन में स वर्ष 1977-78 में 6.40 लाख मी० टन (अनन्तिम) सीमेंट भेजा गया था। पहले कुछ आबंटितियो द्वारा सीमेंट न उठाये जाने के कारण जितनी मात्रा उपलब्ध होने की संभावना थी उससे कुछ ही अधिक मात्रा में सीमेंट का आबंटन किया गया था। मांग में तेजी तथा आबंटित मात्रा की उठान में सुधार हो जाने से अब उतना ही आबंटन किया जाता है जितना वास्तविक उत्पादन उपलब्ध होता है। राज्य में सीमेंट की कमी देश में सम्पूर्ण रुप से सीमेंट की कमी का ही एक हिस्सा है। जब तक राज्य में किसानों को सीमेंट संभरण किये जाने का संबंध है, राज्य सरकार ने बताया है कि यद्यपि कुओं को पूरा करने की मांग पूरी करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं, किन्तु सीमेंट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण सारी मांग को पूरा कर सकना संभव नहीं हो सका है।

राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक

6621. **श्री श्याम सुन्दर लाल** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् 18 तथा 19 मार्च, 1978 को हुई अपनी बैठक में केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के बारें में कोई निर्णय नहीं ले सकी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार का विचार किस प्रकार की कार्यवाही करने का है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विभिन्न राज्यों के 11 मुख्य मंत्रियों ने इस प्रयोजन के लिए एक समानान्तर समिति गठित करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र तथा राज्य सरकारो के बीच किसी टकराव को रोकने के लिए सरकार द्वारा अपनायें गये रुख का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख): राष्ट्रीय विकास परिषद् को 18 और 19 मार्च, 1978 को बुलाई गई बैठक का मुख्य प्रयोजन 1978-83 के पांच वर्षो की योजना के प्रारुप पर विचार करना था। केन्द्र और राज्य के वित्तीय संबंधों का प्रश्न भी उपस्थित किया गया था। सभी संगत बातों पर विचार करते हुए, राष्ट्रीय विकास परिषद् ने यह अनुभव किया कि वर्तमान वित्तीय प्रबंधों के बारे में, सांविधानिक उपबन्धों की दृष्टि से, और अधिक विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् की एक समिति स्थापित करने के लिए सहमति हुई। यह समिति, अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सहायता के गाडगिल फार्मूले और योजना में केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमो के क्षेत्र-विस्तार की समीक्षा करेगी।

(ग) समाचार पत्रों को पहले की सूचनाओं के अनुसार कुछ मख्य मंत्रियों ने केन्द्र और राज्य के वित्तीय संबंधी के संबंध में एक सम्मेलन चंड़ीगढ़ में करने का प्रस्ताव किया था। हाल की समाचार पत्र की एक सूचना से यह पता चलता है कि यह प्रस्ताव समाप्त हो गया प्रतीत होता है ।

(घ) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच किसी प्रकार के टकराव का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि दोनो का एक ही उद्देश्य है कि विकास के लिए अधिकतम संसाधन जुटाए जाए और वांछित रुप में संतुलित वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उनका प्रभावी रुप में उपयोग किया जाए ।

Public Enterprise Centre for continuing education

6622. **Shri Bhanu Kumar Shastri:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether any institution by the name of Public Enterprise Centre for continuing Education has been opened by the Ministry, if so, the estimated annual expenditure thereon and the Ministry which will meet this expenditure; and

(b) the difference in the functions of this Centre and those of National Labour Institute, if there is no difference, why this Centre has been opened?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) The Public Enterprises Centre for Continuing Education has been set up with Central Government Public Enterprises as its constituent members. The estimated annual expenditure of the Centre for the year 1978-79 is Rs. 28 lakhs which would be met by Public Sector Undertakings.

(b) The Public Enterprises Centre is primarily concerned with developing a public sector ethos, assisting the public enterprises towards achieving their objectives with the involvement of trade unions and other participants and enlarging the role of public enterprises in rural development. The main objective of National Labour Institute is to disseminate knowledge of the necessary techniques and skills to those required to handle labour relations at Centre and State levels. The institute is also involved in inter-related and inter-linked activities of education and training, research consultancy and publication. The functions of the two institutions are therefore distinct.

देश में मैसर्स लार्सन एण्ड ट्यूब्रो कम्पनी में कार्यरत विदेशी व्यक्तियों की संख्या

6623. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस देश में मैसर्स लार्सन एण्ड ट्यूब्रो कम्पनी में कितने विदेशी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ;

(ख) वर्ष 1976-77 में उनको औसतन कितनी धनराशि दी गई तथा उन पर अन्य क्या खर्च किया गया ;

(ग) क्या इस कम्पनी को विदेशी कर्मचारियों के बिना चलाया जा सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस देश में विदेशियों को रखने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) मे० लारसेन एण्ड टावरों में इस समय कोई भी विदेशी पूर्णकालिक कर्मचारी अथवा पूर्ण कालिक निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं है। किन्तु एक विदेशी कम्पनी के गैर प्रशासनिय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है ।

(ख) भाग (क) : मेंउल्लिखित विदेशी पर वर्ष 1976-77 में जैसा कि कम्पनी के तुलन पत्र में दिखलाया गया है परिश्रमिक और अन्य मदों पर व्यय की गई कुल राशि 2,25,171 रु० है ।

(ग) और (घ) : जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कम्पनी में इस समय मात्र एक विदेशी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है उसे कम्पनी की 19 अगस्त, 1977 की हुई वार्षिक महासभा की बैठक में निदेशक चुना गया है। विदेशियों को साधारण निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी नहीं है ।

केरल में राष्ट्रीय राजपथों के लिए धनराशि

6624. **श्री जार्ज मैथ्यू** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजपथों की मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए अतिरिक्त धनराशि मांगी है ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने उसके लिए अनुमति दे दी है ;

(ग) केरल में इस वर्ष राष्ट्रीय राजपथ व्यवस्था में सुधार के लिए कितनी राशि का नियतन किया गया है ; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय राजपथ 47 का मार्ग बदल कर अकांमाली से मुवत्तुपुजा-कोट्टयम तथा त्रिवेन्द्रम से बोकर गुजारने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) : जी हां, 1977-78 के दौरान केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और मरम्मत के लिए केरल सरकार की शुरू में 41.00 लाख रू० की राशि आबंटित की गयी। परन्तु राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए और अधिक धन की मांग की। सभी राज्यों की मांगों को तथा उपलब्ध धनराशि को देखते हुए, केरल सरकार को 23.70 लाख रू० और दिए गए, जिसे मिलाकर 1977-78 के लिए उसका कुल आबंटन 64.70 लाख रु० हो गया।

(ग) संसद की स्वीकृति के अधीन चालू वित्तिय वर्ष 1978-79 के दौरान केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास/सुधार के लिए 294.00 लाख रू० निर्धारित किए गए हैं।

(घ) केरल सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 और 47 के पुर्नसंरेखण का प्रस्ताव किया, जिसका स्पष्ट अर्थ अंगमाली-कोट्टायम-त्रिवेंद्रम मार्ग को, जो एक राज्य राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना था। भारत सरकार इस समय किसी राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की स्थिति में नहीं है।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री का योजना आयोग को लिखा गया नोट

6625. **श्री सौगत राय :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैट्रोलियम और रसायन मंत्री ने योजना आयोग को एक लम्बा नोट लिखा है जिसमें यह कहा है कि केवल उत्पादन में वृद्धि से वितरण सम्बन्धी न्याय नहीं दिलाया जा सकता ; और

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख): केन्द्रीय मंत्रालयों और मंत्रिमंडल के साथ विचार-विमर्श करने के बाद पंचवर्षीय योजना का प्रारुप (1978-83) तैयार किया गया है। योजना आयोग ने इस योजना और इसकी कार्यनीतियों के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रियों के साथ भी विचार-विमर्श किया है, जिसमें पैट्रोलियम और रसायन मंत्री भी शामिल हैं।

योजना आयोग ने इस विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अंन्तिम रूप दिया है। वितरक नीतियों के संबंध में आयोग की सिफारिशें योजना के प्रारूप के खंड 1 में सर्व सुलभ न्याय' विषयक अध्याय में की गई है।

भारत अर्थ मूवर्स का विस्तार

6626. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बंगलौर नामक कम्पनी का विचार बडे पैमाने पर विस्तार करने का है जिससे महत्वपूर्ण क्षेत्र के बड़े उद्योगों की ओर से संभावित भारी मांग का पूरा किया जा सके; और

(ख) क्या कुछ विदेशी कम्पनीयों के साथ सहयोग करार करने के बारे में कम्पनी ने सरकार से स्वीकृति ले ली थी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) कम्पनी ने एक सामूहिक योजना बनाई है जिसका उद्देश्य दीर्घकालीन उपाय के रूप में उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि करना है। इसकी स्वीकृति के लिए कम्पनी उपयुक्त समय पर सरकार के पास प्रस्ताव भेजेगी।

सरकार ने डी-325 क्रालर ट्रेक्टर बनाने के लिए जपान के मेसर्स कोमतसू के साथ सहयोग करार करने के लिए कम्पनी के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण के बारे में गुजरात से अभ्यावेदन

6627. **श्री विनोद भाई शेठ :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण, जिसका कार्य प्रायोजित नियतन से बहुत ही पीछे है, के बारे म गुजरात सरकार की और से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) गुजरात में राष्ट्रीय राजपथों की कुल लम्बाई कितनी है और वहां राष्ट्रीय राजपथो की कुल कितनी लम्बाई की योजना बनाई गयी है; और

(ग) सरकार का विचार इस लक्ष्य को कब पूरा करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) : गुजरात सरकार मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में नए मार्गों को शामिल करने के लिए समय-समय पर प्रस्ताव करती रही है, परन्तु इन प्रस्तावो को स्वीकार नही किया जा सका क्योंकि उपलब्ध संसाधन मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधीत "चालू कार्यों" के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इस समय, गुजरात में 1352 कि० मी० राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत सरकार ने गुजरात सहित किसी भी राज्य के लिए मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में नए मार्ग शामिल करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है और इस लिए, ऐसे किसी लक्ष्य को पूरा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Manufacture of Soap, Leather, Cotton Textiles through Small Scale Industries

6628. **Shri Sharad Yadav**: Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether Government propose to consider the concept that small scale industry does not mean mere small investment but it also involves a special technique as envisaged in the Election manifesto of the Janta Party and whether industry will be given a new difinition in accordance with that;

(b) whether Government are giving a serious thought to ensure the manufacture of cotton textiles, leather shoes and soaps through small techniques with a view to solve the un-employment problem; and

(c) the quantity of said goods being manufactured in the country and the share out of it still being manufactured by the big industries?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) As per the statement on Industrial Policy which had considered the contents of the election manifesto of Janata Party and which was laid on the Table of the House, existing definition of small scale industry will remain; within the small scale sector special attention will be given to units in the tiny sector.

(b) In the Industrial Policy Statement, it has been clearly specified that the Government will not permit any expansion in the weaving capacity in the organised mill and powerloom sector. The Government will enforce the existing reservation and further extend it to other items. Manufacture of leather footwear and soap is already reserved for the small scale sector since 1967-68.

(c) The estimated production of the three items in the country and the extent to which they are produced in large industries are given below:

Item	Year	Unit	Total production in large scale and registered small scale sectors	Large Industry
(i) Textiles (khadi, handloom, powerloom and mill sectors)	1976-77	million meter cotton cloth	8283	4164*
(ii) Shoes (leather footwear)	1977	million pairs	34·27	14·27
(iii) Laundry soap . .	1977	tonnes	6,52,100	2,92,100

*Excludes power loom

Promotion of teachers in Hindi teaching scheme

6629. **Shrimati Chandravati:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the total number of various categories of posts under the Hindi Teaching Scheme;

(b) the number of teachers under the Hindi Teaching Scheme, who have been working on the same post for more than 20 years;

(c) whether there is any proposal to bring Hindi teachers under the Hindi Cadre in order to provide avenues of promotion to them; and

(d) if not, whether any scheme for their promotion is under consideration?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): (a) The number of sanctioned posts in Hindi Teaching Scheme is as under:—

Group-A I. Joint Director—1
II. Deputy Director—5

Group-B I. Assistant Director—25
II. Assistant Director—19
(Typing and Stenography)

Group-C I. Hindi Instructor—245
II. Research Assistant—3
III. U.D.C.—25
IV. Stenographer Gr. III—8
V. L.D.C.—53

Group-D I. Daftry—2
II. Peon—95
III. Chaukidar—6

(b) Fortytwo.

(c) No Sir.

(d) The posts of Assistant Director are filled by promotion of the Hindi Instructors only and Government consider that adequate opportunities exist for promotion of Hindi Instructors.

Heads of Departments belonging to SC & ST

6630. **Shri Govind Ram Miri:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes working as Head of the Department in Central Government indicating the percentage thereof in relation to the total number of offices?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): The required information is being collected from all Ministries/ Departments and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

उद्योगों में सरकारी क्षेत्र का हस्तक्षेप

6631. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन उद्योगों में, जहां गैर-सरकारी क्षेत्र के वर्तमान निर्माता अनुचित कार्यों में लगे हुए हैं, सरकारी क्षेत्र द्वारा हस्तक्षेप करने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी ऐसे कौन-कौन से उद्योग हैं जहां सरकार का विचार हस्तक्षेप करने का है; और

(ग) इन गैर-सरकारी उद्योगों द्वारा अपनाये गये कदाचारों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) : सरकारी क्षेत्र को सौंपी गई भूमिका का स्पष्टीकरण उद्योग मंत्री द्वारा 23 दिसम्बर, 1977 को लोक सभा के समक्ष रखे गये औद्योगिक नीति संबंधी विवरण के पैरा 21 में किया गया है। तदनुसार सरकारी क्षेत्र को अनेक क्षेत्रों में बढ़ती हुई भूमिका निभानी होगी। इस क्षेत्र में न केवल महत्वपूर्ण एवं आधारभूत आवश्यक वस्तुएं ही बनाई जायेंगी अपितु उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनाये रखने के वास्ते भी इसका उपयोग एक स्थिर तथा प्रभावी माध्यम के रूप में किया जायेगा।

कागज निर्माताओं के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

6632. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कागज निर्माताओं को फिर से वही मूल्य लाने के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे हैं जो 31 दिसम्बर, 1977 से पहले प्रचलित थे; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्तों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइति) : (क) तथा (ख) : यद्यपि कागज की कीमतों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है किन्तु सरकार उद्योग को किसी प्रर्याप्त औचित्य के बिना कीमतों में एक पक्षीय वृद्धि करने से निरूत्साहित करती रही है। कुछ मिलों द्वारा सरकार के परामर्श के बिना कीमतों में की गई वृद्धि के बारे में सरकार की अप्रसन्नता जनवरी, 1978 में हुई बैठक में कागज उद्योग को बता दी गई थी। सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि 1977 के मूल्य स्तर को पुन : बनाये रखा जाये। साथ साथ लिखाई तथा छपाई के कागज की सामान्य किस्मों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अभ्युपाय किए गये हैं इससे मूल्य स्थिति में सुधार होने की संभावना है। अग्रेतर विनियमकारी अभ्युपाय तथा आयात करने की संभावना के प्रश्न पर विचार उद्योग की प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के पश्चात् किया जायेगा।

पणजी में दूरदर्शन केन्द्र

6633. **श्री अमृत कासर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पणजी (गोवा) में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि योजना धनराशि की कमी के कारण पिछड़ रही है तो क्या सरकार को पता है कि युगोस्लाविया के दल ने गोआ की हाल की अपनी यात्रा में एक ऐसी योजना का सुझाव दिया है जिसके द्वारा बम्बई दूरदर्शन के कार्यक्रमों को 1 लाख रुपए तक के व्यय पर गोआ में दिखाया जा सकता है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) पणजी में रिलेट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव अनवरत योजना (1978–83) के मसौदे में शामिल किया गया है। तथापि, इसका कार्यान्वयन संसाधनो की उपलब्धि तथा योजना आयोग द्वारा प्रदान की जाने वाली प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा ।

(ख) सरकार को इस प्रकार के किसी सुझाव की जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Manufacture of Power Generation equipments

6634. **Shri Aghan Singh Thakur:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state the steps being taken by Government to ensure high quality of power generation equipments being manufactured in the public and private sectors in the country?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): There is no specific proposal, as such, under Government's consideration to ensure quality control of power generation equipment manufactured in the country. Manufacturers both in the Public and Private Sector are, however, in constant interaction with the customers and are generally conscious of their responsibilities to ensure quality control and improvement where necessary. BHEL, as the largest producer of boilers and the only producer of turbines and generators, has already introduced the newer and improved generation of boilers in collaboration with one of the most reputed manufacturers abroad. It has also entered into a collaboration with another reputed company for thermal turbosets covering a range of 200 to 1000 MW and these sets will have improved performance and quality parameters. All other necessary measures required on the shop floor, for vendor items, packing, erection and commissioning are being taken. The private sector units have also access to foreign technical assistance where required.

जनजाति विकास के लिए पंचवर्षीय योजना

6635. **श्री पायस टिर्की :**

श्री कंवर लाल गुप्त :

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जनजाति विकास के लिए एक पंचवर्षीय योजना तैयार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें और ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना कब आरम्भ की जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) : जन जाति विकास के लिए प्रस्ताव पांचवी पंच वर्षीय योजना 1978–83 के प्रारूप में शामिल किये गये हैं जिन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई है। इस दस्तावेज के खण्ड 1 के अध्याय 9 और खण्ड 3 के अध्याय 1 तथा 10 में ब्यौरें दिये गये हैं। योजना चालू वित्तीय वर्ष से शुरू हो गई है।

औद्योगीकरण की गति धीमी होना

6636. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ के अध्यक्ष ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि विद्युत उत्पादन के विकास की अपेक्षा उद्योगों को प्राथमिकता देने के गलत दृष्टिकोण के कारण औद्योगीकरण की गति धीमी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह सुझाव भी दिया है कि जब तक व्यापक श्रमिक विधेयक कानून न बन जायें ; तब तक श्रमिक विवादों के बारे में शान्ति बनायी रखी जाये ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके सुझावों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या मुख्य कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) : भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल के अध्यक्ष से उपर्युक्त किस्म का कोई सुझाव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

मध्य प्रदेश में सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा अर्जित भूमि के लिए मुआवजा

6637. **श्री सूर्यनारायण सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के सिंद्दी जिले में ज्योन्ते कोयला खानों की स्थापना के लिए सन्ट्रल कोल फील्डस लिमिटेड द्वारा अर्जित भूमि के लिए भूमि मालिकों को मुआवजा नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं: और

(ग) सम्बन्धित पार्टियों को उसके भुगतान के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) : कुल 16.36 लाख रुपए के देय मुआवजे में से 14.72 लाख रुपए की धनराशि का भुगतान पार्टियों को पहले ही किया जा चुका है। शेष 1.64 लाख रुपए की धनराशि का भुगतान उन जोतदारों को किया जाएगा जिनके पक्ष में राज्य सरकार के प्राधिकारी स्वामीत्व संबंधी निर्णय देंगे।

Employees of official languages department removed from service during emergency

6638. **Shri Roop Nath Singh Yadav :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1951 on the 30th November, 1977 and state:

(a) whether the officer belonging to Scheduled Caste has since been reinstated; and

(b) if not, when he will be reinstated?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) and (b) : His case along with other similar cases is also under consideration and it is too early to say anything in this matter at this stage.

Freedom fighters pension to employees whose service were terminated during Emergency

6639. **Shri Raj Keshar Singh:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some States like Punjab have decided to give pension to the persons detained during the emergency by treating them as freedom fighters:

(b) if so, the names of such States alongwith the amount of pension to be paid, Statewise;

(c) whether Central Government also propose to give such pension to Government employees whose services were terminated for not complying with the wrong orders during emergency; and

(d) if not, the reasons for adopting a different attitude towards these two categories of citizens?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): (a) & (b): According to available information only the Government of Punjab have decided to grant pension at the following rates to those persons who suffered imprisonment/detention during the internal emergency:—

(i) Rs. 25/- p.m. to those persons who suffered imprisonment/detention or remained in jail for period upto three months.

(ii) Rs. 50/- p.m. to those persons who suffered imprisonment/detention for a period exceeding three months but less than six months.

(iii) Rs. 100/- p.m. to those persons who suffered imprisonment/detention for a period above six months.

(c) No sir. No case of termination of service of any Central Government employee for non-compliance with orders during the emergency has come to notice.

(d) Does not arise.

हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्स लिमिटेड की शिकायत

6640. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या इलेक्ट्रॉनिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा कम्प्यूटर पेरिफेरलस के आयात के लिए एक बड़े औद्योगिक गृह को लाइसेंस दिए जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उपक्रम हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्स लिमिटेड से कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कम्पनी द्वारा की गई शिकायत का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) शिकायत में यह बताया गया है कि ऐसे आयात लाइसेंसों की जिनमें कुंजीपटल (की बोर्ड) अथवा उसके पुर्जे भी शामिल हैं, जारी करने का अर्थ यह होगा कि इलेक्ट्रॉनिकी परिकलित्रों (कैलकुलेटरों) के निर्माण में लगी कम्पनियों में से बड़ी औद्योगिक

कम्पनियों को विशेष प्राथमिकता मिलेगी तथा खासकर लघु क्षेत्र के उद्योगों को तुलना में तो विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इस मामले पर न केवल आयात नीति तथा उन लाइसेंसों के अंतर्गत आने वाले अन्य औद्योगिक लाइसेंस शुदा उत्पादन की दृष्टि से, अपितु एकाधिकारों तथा निर्बन्धन कारी व्यापार प्रथा अधियिम के प्रावधानों की दृष्टि से भी जांच की जा रही है।

Industrial Development in U.P.

6641. **Shri Ganga Bhakt Singh:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether some districts have been selected under the rural industrial programme including 13 districts from Uttar Pradesh which include only 3 backward districts out of the 39 backward districts in the State;

(b) if so, the states from which above districts have been selected;

(c) the criteria followed in their selection; and

(d) the reasons for not including all the 39 backward districts of Uttar Pradesh?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) The centrally sponsored scheme of Rural Industries Projects Programme is being implemented in 112 districts in the country, including 13 districts in Uttar Pradesh. Out of these 13 districts, 11 are backward districts.

(b) All the 22 States in the country are covered under the programme.

(c) and (d): For the selection of the districts under the Rural Industrial Programme in 1962-63, the following criteria were adopted:

(i) where agricultural conditions are favourable and a considerable agricultural effort is being organised, and, at the same time, there is heavy pressure of population;

(ii) where agriculture is undertaken mainly under unirrigated conditions and there is considerable need for additional employment;

(iii) where there is considerable un-employment because of unfavourable natural conditions and lack of dvelopment of potential resources;

(iv) tribal and other backward areas;

(v) areas in which large industrial projects have been or are being established, so as to achieve integrated industrial-rural development, agriculture and small industries being developed together within the region of the industrial projects; and

(vi) areas in the neighbourhood of rural universities and institutions.

For the extension of the RIP during the Fifth Five Year Plan period, it was decided that the districts should be selected from among the industrially backward districts of the various States.

Initially, only 45 projects were undertaken for the rural industrial programme and these were allotted to various States. Four more projects were added which were to be taken up around the industrial complexes like Bhilai, Ranchi, Durgapur, etc. Five more were taken up—One in the newly formed State of Haryana

and 4 others around the Rural Electrification Projects. In 1970, it was decided to take up 50 more projects for the Vth Five Year Plan which were to be selected from among the industrially backward districts in the country. The number of projects was, however, raised to 57 during the Vth Plan period making a total of 112 projects in the country.

वरिष्ठ सहायकों को पदोन्नति

6642. **श्री विनायक प्रसाद यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ शर्तों को पूरा करने वाले वरिष्ठ सहायकों (सीनीयर असिस्टैन्टों) की गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर एक अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि दी जाती है ;

(ख) क्या यह सच है कि सहायकों को दक्षता रोध पार करने की अनुमति दी जाती है और उन्हें 'अच्छी' रिपोर्टों के आधार पर पदोन्नति करके अनुभाग अधिकारी के रूप में स्थानापन्न स्थिति में कार्य करने दिया जाता है परन्तु वे 'अच्छी' रिपोर्टों के आधार पर अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि के पात्र नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार 'अच्छी' रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि देगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटील) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) दक्षता रोध पार करने की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिपोर्टों के सम्पूर्ण मूल्यांकन पर दी जाती है। अनुभाग अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है, बशर्ते कि अधिकारी अनुपयुक्त न पाए जाए ।

(ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

वेस्टिंग हाउस सैक्सबी फार्मर लिमिटेड द्वारा एयर ब्रेक उपकरण बनाने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

6643. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्टिंग हाऊस सेक्सबी फार्मर लिमिटेड ने, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, रेलवे रोलिंग स्टाक के लिये एयर-ब्रेक उपकरण बनाने हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिये निर्यात दायित्वों की पूर्ण शर्त लगाई है;

(ग) क्या कम्पनी ने बिना किसी पूर्व शर्त के लाइसेंस देने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या निर्णय किया गया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) : जी, हां।

(घ) इस मामले में आगे विचार किया जा रहा है तथा शीघ्र ही निर्णय हो जाने की आशा है।

कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति

6644. **श्री अरविन्द बाला पजमोर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 10 महीनों में केन्द्रीय सरकार के कितने अधिकारियो को सजा के रूप में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) नियमों के अंतर्गत कितने अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के लिए तीन महीने का नोटिस दिया गया था और उन्हें समय से पूर्व ही सेवा निवृत्त कर दिया गया; और

(ग) क्या सरकार समय से पूर्व सेवा निवृत्ति का नोटिस देने से पूर्व अधिकारियों की सेवा निवृत्त किए जाने के कारण बताने का अवसर देती है जिनको वजह से उनको सेवा निवृत्ति निश्चित की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटील) : (क) तथा (ख) : सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । इसे एकत्रित किया जाएगा और जितना जल्दी सम्भव हो सकेगा सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) अनिवार्य सेवा निवृत्ति के विपरीत समयपूर्व-सेवानिवृत्ति कोई दण्ड नहीं है और केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई है। इस प्रकार, जिस कर्मचारी की समयपूर्व सेवा निवृत्ति किया जाना होता है उसे अपने बचाव के लिए अवसर दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Heavy Industries in the Country

6645. **Shri Chhabiram Argal :** Will the Minister of Industry be pleased to state :

(a) state-wise number of heavy industries in the country indicating their locations and the number of registered plants functioning as also the number of plants closed and the reasons therefor; and

(b) the total capital invested in heavy industries in the country by way of Government loans and by other institutions and corporations?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) & (b): The information is being collected and will be laid on the table of the House.

सेवा काल बढ़ाने संबंधी नीति

6646. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सरकार की नीति है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को विशेष रूप से ऐसे प्रशासनिक कार्य पर जिनके लिए विशेष/तकनीकी जानकारी अथवा विशेषज्ञता की अपेक्षा नहीं, नियुक्त कर्मचारियों की अधिवर्षता प्राप्त कर लेने के उपरान्त सेवा काल में वृद्धि न दी जाये जिससे अवर कर्मचारियों में पदोन्नति के अवसर कम न हो और उनका नैतिक बल कम न हो; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति का उल्लंघन करके अभी भी सेवाकाल में अनेक वृद्धियां का जाती है और यदि हां, तो स्वतंत्र कार्यालय सहित केन्द्रीय सरकार कार्यालयों में 1977 में और 1978 में अब तक अधिवर्षता प्राप्त करने के बाद कर्मचारियों को सेवा काल में वृद्धि अथवा पुनः नियुक्ति के मामलों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटील) : (क) जी हां, श्रीमन् । सेवा में वृद्धि बहुत ही कम और केवल ऐसी आपवादिक परिस्थितियो में ही दी जाती है, जहां स्पष्टतया लोकहित में ऐसा किया जाना निश्चित हो जाएं ।

(ख) ऐसा कोई भी मामला जानकारी में नहीं आया है, जिसमें लोकहित को छोड़कर, सेवा में वृद्धि की गई हो ।

भटिण्डा में गुरू नानक देव संयंत्र का विस्तार

6647. **डा० बलदेव प्रकाश** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब राज्य बिजली बोर्ड की ओर से भटिण्डा स्थित गुरू नानक देव थर्मल प्लांट के विस्तार हेतु मंजूरी के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस संयंत्र में पांचवे तथा छठे एककों को जोड़कर इसका विस्तार करने के लिए परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ग) क्या उक्त परियोजना तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य पाई गई ; और

(घ) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इसके विस्तार के लिए मंजुरी दे दी है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) और (घ) : भटिण्डा में गुरू नानक देव ताप विद्युत् संयंत्र के विस्तार की योजना की तकनीकी-आर्थिक जांच केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण में की जा रही है ।

पौड़ी गढ़वाल में रेडियो स्टेशन

6648. **श्री जगन्नाथ शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि पौड़ी गढ़वाल में रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए स्वीकृति दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कार्य आरंभ न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) उत्तर प्रदेश में कुमाऊ-गढ़वाल क्षेत्र में प्रसारण सेवा का विस्तार करने की स्वीकृति योजना में नजीबाबाद में उच्च शक्ति वाला एक मीडियम वेव ट्रांन्समीटर और नजीबाबाद, पौडी-गढ़वाल तथा अलमोड़ा में स्टूडियो केन्द्र स्थापित करने तथा इन तीनों स्टूडियों केन्द्रों पर स्टाफ क्वार्टरों की व्यवस्था करने की कल्पना है । इस प्रकार पौडी में केवल एक स्टूडियो केन्द्र की ही स्थापना की योजना है, पूर्णरुपेण केन्द्र की नहीं ।

(ख) पौड़ी में स्टूडियो के निर्माण का कार्य पिछले चार वर्षों के दौरान वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण आस्थगित कर दिया गया था । तथापि, अब निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में हाथ में लेने का प्रस्ताव है ।

Request for funds for development of Agriculture and allied programme in Sikkim

6649. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Planning** be pleased to refer to the reply to U.S. Question No. 1740 dated 6-3-1978 regarding expenditure on development of agriculture in Sikkim and state:

(a) the time by which the Five Year Plan for Sikkim will be finalised;

(b) whether the Sikkim Government have sent any scheme to Central Government for the development of agriculture, land reforms, distribution of seeds, more production, foodgrains and fertilizers, co-operation, irrigation and flood control; and

(c) if so, the funds demanded from the Centre by the State Government in this regard?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) The next Five Year Plan of Sikkim is likely to be finalised by the end of the year.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

राज्यों को कृषि और सिंचाई के लिए धनराशि का आबंटन

6650. **श्री जार्ज मैथ्यू :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978–79 के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को कृषि और सिंचाई के लिए आयोजना धनराशि का आवंटन क्या है ;

(ख) उपरोक्त आवंटित धनराशि का व्यय किन विशिष्ट शीर्षकों के अन्तर्गत किया जाना है ; और

(ग) प्रत्येक राज्य द्वारा उपरोक्त शीर्षकों के अन्तर्गत केन्द्र से कितनी धनराशि की मांग की गई थी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), से (ग) : वर्ष 1978–79 के लिए कृषि और सिंचाई विकास के लिए राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावित परिव्ययों और योजना आयोग द्वारा सहमत परिव्ययों का शीर्षवार विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 2084/78]**

केशवानन्द भारती मामले में अन्तर्ग्रस्त कोयला कम्पनियां

6651. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केशवानन्द भारती नामक मामले से जाने जाने वाले 1973 के मौलिक अधिकारों सम्बन्धी मामले में कोई कोयला कम्पनियां अन्तर्ग्रस्त थीं ;

(ख) क्या उक्त कम्पनियों को सरकारी प्रबंध की विशेष अवधि के लिए लेखा परीक्षित खाते प्रस्तुत किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उन खातों के बारे में सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां उपलब्ध अथवा प्राप्त कर ली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त लेखे कब तक प्राप्त होंगे ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) सेठी आइलिंग एण्ड वैन्चूकैचरिंग कारपोरेशन लि० तथा ओरियंटल कोल कम्पनी नामक दो कोयला कम्पनियों की रिट याचिकाओं की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में केशवानन्द भारती की रिट याचिका के साथ हुई थी। कोयला कम्पनियों ने अन्य बातों के साथ साथ कोककर कोयला खान (राष्ट्रीकरण) अधिनियम की संवैधानिक वैधता तथा संविधान के 24 वें संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती दी थी ।

(ख) जी हां, प्रत्येक कम्पनी को एक खान को छोड़कर ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और बाद में सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) शेष दो खानों का आडिट किया जा रहा है और वह जल्दी ही पूरा हो जाएगा ।

कम्पनियों के लेखें

6652. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा संसद के दोनों सदनों में यह आश्वासन दिया गया था कि कोयला खनन कम्पनियों की ओर से कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित नियमित लेखो के प्रकाशन में किसी प्रकार के विलम्ब की माफ कर दिया जायेगा और/अथवा छूट दे दी जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) व (ख) : सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Villages submerged due to Rihand Dam of U.P.

6653. **Shri Sukhendra Singh :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the number of villages in Sidhi district of Madhya Pradesh submerged due to Rihand dam of Uttar Pradesh ;

(b) the action taken to rehabilitate the people of the affected villages; and

(c) the amount of compensation paid to them?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) 39.

(b) According to the information received from the Government of Madhya Pradesh, 1766 displaced families have been given land ranging from 3 acres to 15 acres.

(c) The State Government have stated that land compensation amounting to Rs. 41,26,115 has been paid.

Appointment of AIR Artistes

6654. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Artistes working in Akashvani and Doordarshan on contract basis have been working on the same contract system which was introduced during the British Rule in India; and

(b) whether Government propose to bring about any change therein?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) No, Sir. The contract form of Staff Artistes has undergone many changes since then. The terms and conditions of Staff Artistes are now more or less at par with those of Government servants, except in respect of Pension. In lieu of pension, they get benefits of Contributory Provident Fund. In addition, Gratuity, as admissible to regular Government servants, is also admissible to them under certain conditions.

(b) The matter is likely to be reviewed when a decision is taken on the recommendations of the Verghese Committee.

रुग्ण एककों को स्वस्थ एककों के साथ मिलाया जाना

6655. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या उद्योग मंत्री 5 अगस्त, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6315 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1977 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 में जोड़ी गई नई धारा 72क के अनुसार रुग्ण एककों को स्वस्थ एककों के साथ मिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि कोई प्रगति नहीं हुई है, तो क्या कारणों का पता लगाया गया है; और

(घ) इस उद्देश्य की पूर्ति की लिए सरकार और क्या कार्यवाही करना चाहती है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइति): (क) से (घ) : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72क में प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार "विशिष्ट प्राधिकरण" की सिफारिश पर घोषणा करेगी कि औद्योगिक उपक्रम की स्वामित्व वाली कम्पनी का अन्य कम्पनी के साथ विलय इस सम्बन्ध में निर्धारित की गई शर्तों को पूरी करती है तथा ऐसी घोषणा के पश्चात् विलयित कम्पनी उसमें उल्लेख की गई कर-सम्बन्धी रियायतों को प्राप्त करने की हकदार हो सकेगी। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 72क के प्रयोजन के लिये विशिष्ट प्राधिकरण का गठन अक्तूबर, 1977 में सचिव, औद्योगिक विकास विभाग की अध्यक्षता में किया गया था तथा सचिव कम्पनी कार्य विभाग, सचिव, श्रम मंत्रालय, सचिव, आर्थिक कार्य-विभाग तथा अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर केन्द्रीय बोर्ड इसके सदस्य थे। कर

सम्बन्धी रियायतें प्राप्त करने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों को फरवरी, 1978 में प्रकाशित कर दिया गया था। अभी तक, आयकर अधिनियम की धारा 72 क के अधीन 5 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। सरकार लोक हित में उचित समझे जाने वाले उपयुक्त अभ्युपाय करेगी।

राज्य सरकारों को हथकरघा विकास योजना के लिए सहायता

6656. **श्री परमानन्द गोविन्दजी-वाला :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हथकरघा विकास योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को सहायता जारी करते समय, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों द्वारा समान मात्रा में धनराशि देने पर प्रायः जोर दे रही है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकारों ने यह अनुरोध किया है कि समान मात्रा में अंशदान के लिए जोर न दिया जाय; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) केन्द्र सरकार अनेक हाथ-करघा योजनाओं में बराबर की धनराशि लगाये जाने पर जोर दिये बिना ही धनराशि की व्यवस्था करके राज्य सरकारों की सहायता करती है। केवल हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के प्राथमिक स्तर तथा शीर्षस्थ विपणन स्तर पर ही शेयर पूंजी सहायता योजनाओं के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा समान मात्रा में अंशदान किये जाने का प्रावधान है।

(ख) और (ग) : राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने हमारी बैठकों में बराबर की राशि लगाने की शर्तों में छूट दिये जाने के संबंध में चर्चा की थी। अभी तक इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि केन्द्र सरकार का मत यह है कि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र जैसे हाथकरघा उद्योग का विकास करने में राज्य सरकारें भी एक समान ही प्रयास करें ताकि इन योजनाओं के लिये अतिरिक्त साधन स्रोत मिल सकें।

मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सहायता

6657. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की विशेष समस्याओं को हल करने के लिए अधिक केन्द्रीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा क्या ब्यौरा दिया गया है तथा इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : मध्य प्रदेश सरकार ने गाडगिल फार्मूले के अंतर्गत विशेष समस्याओं के लिए उसके लिए केन्द्रीय सहायता के आवंटन की मांग की थी

और यह सुझाव दिया था कि यदि आवश्यकता हो तो गाडगिल फार्मूले के अंतर्गत राज्यों की विशेष समस्याओं के लिए आवंटन के लिए पहले निर्धारित की गई कुल सहायता को इस प्रयोजन के लिए बढ़ा दिया जाए राज्य सरकार को यह स्पष्ट किया गया कि गाडगिल फार्मूले के अंतर्गत विशेष समस्याओं के लिए निर्धारित सहायता के वितरण के लिए अपनाए गए सिद्धांतों के अनुसार राज्य सरकार को ऐसी सहायता में से कोई भी आवंटन नहीं किया जा सकता। तथापि, राज्य सरकार को जनजातीय विकास और सूखा-प्रवृत्त क्षेत्रों के विकास के लिए, इन प्रयोजनों के लिए गाडगिल फार्मूले से बाहर की गई विशेष धनराशि की व्यवस्था में से पर्याप्त सहायता प्राप्त हो रही है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बनाई जानेवाली समिति गाडगिल फार्मूले और केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के क्षेत्र-विस्तार की जांच करेगी।

निर्यात के लिए माल

5358. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में लादे गए निर्यात माल के बारे में 1 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1218 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि के अंत से बम्बई के बंदरगाहों में और पहली पंचवर्षीय योजनावधि के अन्त से कलकत्ता के बंदरगाहों में निर्यात के लिए माल के लदान में कमी होने के क्या कारण हैं;

(ख) वर्ष 1977 के दौरान सभी बड़े भारतीय बंदरगाहों से निर्यात किए गए सामान्य निर्यात माल का कुल वजन कितना था और पहली तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में यह आंकड़े क्या थे;

(ग) तीसरी योजना के अंत के बाद से कलकत्ता में सामान्य निर्यात मालं में कमी क्यों आई; और

(घ) 'सामान्य निर्यात माल' की स्वीकृति परिमाण क्या है और इस क़िस्म के माल में कौन-कौन सी वस्तुएं शामिल हैं तथा क्या इनमें चाय, जूट, रुई, खालें तथा चमड़ा आदि शामिल हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) तीसरी योजना के अंत से बंबई पत्तन में धरा उठाई किए गए निर्यात माल (जिसमें तटीय माल शामिल है) में कमी पी० ओ० एल० पदार्थों के तटीय निर्यात में भारी गिरावट आ जाने के कारण थी और संभवत: इसका कारण मद्रास और कोचीन में हाल में तेलशोधक कारखानों की स्थापना करना है।

पहली योजना के अंत से कलकत्ता में निर्यात माल के आवागमन में कमी का कारण कोयले के निर्यात (तटीय और विदेशी दोनों) में गिरावट आ जाना, खनीजि लौह को कलकत्ता से अन्य बड़े पत्तनों की ओर मोड़ देना तथा अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में जूट व जूट-पदार्थों की मांग में कमी आ जाना है।

(ख) बड़े भारतीय पत्तनों द्वारा धरा उठाई किए गए सामान्य निर्यात माल का वजन :—

(टनों में)

पत्तन	1977	पहली पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष (1955-56)	तीसरी पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष (1965-66)
बम्बई . . .	31,81,000	14,02,000	15,08,000
कलकत्ता . .	17,85,000	18,01,000	20,50,000
मद्रास . . .	6,38,575	2,96,832	3,04,428
कोचीन . . .	4,37,000	3,94,000	4,59,000
विशाखापत्तनम् . .	4,07,000	1,30,000	1,75,000
मारमुगाव . . .	1,48,000	19,000	42,000
काण्डला . . .	75,545	15,200	47,270
पारादीप . . .	6,77,000	कुछ नहीं (पत्तन नवम्बर, 1966 में यातायात के लिए खोला गया)	कुछ नहीं
नव मंगलौर . . .	98,324	कुछ नहीं (पत्तन 1974 में चालू हुआ)	कुछ नहीं
नवलूतीकोरिन . . .	2,47,251	कुछ नहीं (पत्तन 1974 में चालू हुआ)	कुछ नहीं
कुल . .	76,94,695	40,58,032	45,85,698

(ग) कलकत्ता पत्तन में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत से सामान्य माल के लदान में गिरावट आने का मुख्य कारण जूट-पदार्थों के निर्यात में गिरावट का आ जाना है।

(घ) सामान्य माल की कोई सर्वसंमत परिभाषा नहीं है। माल का यह वर्गीकरण करना या न करना पदार्थ की किस्म की अपेक्षा मुख्यतः उसके भौतिक स्वरूप अथवा पैकेज पर निर्भर करता है। मुख्यतः निर्यात में सामान्य माल में आर्द्र और शुष्क भारी माल को छोड़कर सभी माल शामिल है। अतः, इस में चाय, जूट, कपास, चमड़ा और खालें इत्यादि शामिल हैं।

Payment of Tax by Owners and Share Holders of Hope Textile Mill, Indore

6659. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Industry** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5020 on the 23rd December, 1977 regarding payment of tax by the owners and share holders of Hope Textile Mill, Indore and state:

(a) whether the proprietors of the Hope Textile Mill, Indore have sold cotton, received by them at fixed prices, to other mills at higher rates and if so, the year-wise quantity of cotton supplied to this mill since its inception to date by Government through its authorised agency; and

(b) whether the length and width of the controlled cloth manufactured in the mill are not found as per the markings thereon and whether half or one metre of cloth is found short in each roll (Thaan) of cloth and thousands of bales and lakhs of such rolls of cloth (Thaans) have been sold in the market and whether Government have received complaints in respect of both these facts and if so, the action being taken by Government to check it?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) & (b): Necessary information is being collected and shall be laid on the Table of the Sabha shortly.

"छोटे पैमाने के एककों के निर्यात में वृद्धि" शीर्षक समाचार

6660. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 20 मार्च, 1978 के "टाइम्स आफ इंण्डिया" में पृष्ठ 10 पर "स्माल स्केल यूनिट्स एक्सपोर्टस इन्क्रीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार का आधार क्या है;

(ख) आंकड़े तैयार करने के लिये आंकड़े एकत्रित करने की क्या प्रणाली उपयोग में लाई गई और देश में 1976-77 में कुल 17.07 प्रतिशत निर्यात में छोटे पैमाने के कितने एककों का योगदान रहा;

(ग) गत् पांच वर्षों के दौरान छोटे पैमाने के उद्योगों ने कितने मदों का मद-वार निर्यात किया और प्रत्येक वर्ष इन मदों का छोटे पमाने के कितने एककों ने निर्यात किया;

(घ) क्रमश: पहली तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में कुल निर्यातों में छोटे पैमाने के एककों का अनुमानत: कितना अंशदान रहा; और

(ङ) क्रमश: तीसरी और पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त में छोटे पैमाने के कितने एकक अपने उत्पादों का निर्यात कर रहे थे?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) यह रिपोर्ट 1976-77 के लघु उद्योगों के निर्यात निष्पादन की विकास आयुक्त लघु उद्योग के कार्यालय द्वारा की गई वार्षिक संवीक्षा पर आधारित है।

(ख) यह संवीक्षा निर्यात संवर्द्धन परिषदों द्वारा दी गई जानकारी पर और इन परिषदों के अधीन वस्तुओं, लघु एककों द्वारा किए गए कुल निर्यातों पर निर्यातों के बारे में आधारित है। 1976-77 में देश से 17.07 प्रतिशत कुल निर्यात करने वाले लघु एककों की ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ग) गत तीन वर्षों (1974-75, 1975-76 और 1976-77) में लघु क्षेत्र द्वारा किए गए वस्तुवार कुल निर्यातों और निर्यातों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। प्रत्येक वर्ष में इन वस्तुओं का निर्यात करने वाले लघु एककों की सख्या उपलब्ध नहीं है। तुलना के आधार पर गत दो वर्षों के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) : इन विषयों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 2085/78]

विदेशी कम्पनियों द्वारा अवैध रूप से बाहर लाभांश भेजा जाना

6661. **श्री महेन्द्र सिंह सैयांवाला :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम हुआ है कि कुछ विदेशी कंपनिया अपनी अनधिकृत क्षमता बढ़ा रही हैं और अपना अतिरिक्त लाभ नियमित रुप से बाहर भेजने में लगी हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों की संख्या कितनी है, उनके नाम क्या हैं, उनकी एकाधिकृत क्षमता कितनी है और गत एक वर्ष में उन्होंने कितनी अतिरिक्त राशि बाहर भेजी है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) सरकार को लाइसेंस प्राप्त उपक्रमों जिनमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल है, के द्वारा अनधिकृत अतिरिक्त उत्पादन की समस्या की जानकारी है और उस पर नियंत्रण के अभ्युपायों और तरीकों पर विचार किया जा रहा है। अनधिकृत अतिरिक्त उत्पादन पर नियंत्रण से अनधिकृत अधिक उत्पादन के जरिये होने वाले अतिरिक्त लाभ स्वाभाविक रूप से समाप्त होंगे।

(ख) उद्योग मंत्रालय द्वारा विदेशी कम्पनियों द्वारा अनधिकृत उत्पादन के जरिय होने वाले अतिरिक्त लाभ तथा गत एक वर्ष के दौरान बाहर भेजी गई राशि के कोई अनुमान नहीं लगाये गये हैं।

कपड़े तथा सूत के उत्पादन में तथा कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत में कमी

6662. **श्री चित्त बसु :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1977 में सभी प्रकार के कपड़े के उत्पादन में 2.5 प्रतिशत की और सूत के उत्पादन में 3.5 प्रतिशत की कमी हुई है और गत बारह वर्षों के दौरान कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत 16.85 मीटर से घटकर 13.73 मीटर रह गई; और

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास इस स्थिति के लिये क्या स्पष्टीकरण है और इस में सुधार करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) वर्ष 1976 में हुए 10820 लाख किलोग्राम उत्पादन के मुकाबले वर्ष 1977 में मिश्रित धागे के उत्पादन सहित 10760 लाख किलोग्राम सूती धागे का उत्पादन हुआ है जो 0.51 प्रतिशत का अंतर दर्शाता है। वर्ष 1976 में हुए 42161 लाख मी० के मुकाबिले वर्ष 1977 में मिश्रित कपड़े का उत्पादन शामिल करके 41470 लाख मीटर सूती कपड़े का उत्पादन हुआ जो 1 64 प्रतिशत का अन्तर दिखाता है। कपड़ों की मिश्रित और नकली रेशमी वस्त्र की प्रतिव्यक्ति खपत 1964 में 16.85 मी० थी उससे गिरकर 1976 में 13.73 मी० रह गई।

(ख) यह प्रवृति खास तौर से मन्दी की स्थिति से वस्त्रों की स्थिर प्रभावी मांग के कारण पैदा हुई है। टिकाऊ किस्म के गैर सूती रेशों के उपयोग के फलस्वरुप टिकाऊपन में वृद्धि हो जाने तथा कपड़ों को सिलाई पद्धति में हुए परिवर्तनों के फलस्वरुप भी प्रति व्यक्ति खपत में गिरावट आई है। प्रतिव्यक्ति खपत को उपभोगताओं की क्रयशक्ति में सुधार करके कुछ हद तक बढाया जा सकता है। छठी योजना के हमारे कार्यक्रम के अंग के रूप में वस्त्रों की पूर्ति बढाने के लिए प्रयास किए जायेंगे ।

Construction of bridge on National Highway No. 8-B near Porbunder

6663. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the Jalaram Colony, Porbunder and the Porbunder Chamber of Commerce and Industry, Porbunder have addressed representations to the Government of India for construction a new bridge on the South side of Kerly bridge on the National Highway No. 8-B near Porbunder city in Saurashtra; Gujarat and also for the Kerly bridge on the South side;

(b) if so, when these representations were sent to the Central Government indicating the demands made therein and the action taken or proposed to be taken by Government thereon and when the proposed action will be taken;

(c) whether Gujarat Government had also sent similar recommendations to the Central Government and if so, when; and

(d) whether Central Government have accorded necessary sanction for implementing the aforesaid recommendations of the Gujarat Government and if so, when and in what form and if not, when the said sanction will be accorded?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram) : (a) to (d) : Representations from the plot owners of Jalaram Colony, Porbunder for shifting the approved northern site of the proposed new Kerly bridge towards the southern side of the existing bridge were received in November, 1977, but no such representation has been received from the Porbunder Chamber of Commerce and Industry; only their reminder dated the 17th November, 1977 was received on 30th November, 1977. These representations received from Jalaram Colony plot holders have been referred to the State Government of Gujarat for comments/recommendations which are still awaited. Further action will be taken after receipt of the final recommendations from the State Government.

Assistance to Misa detenus who died in Gujarat Jails

6664. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that four of the persons detained under MISA or DIR in Gujarat during emergncy died either in jail or when they were on parole and if so, the names of the village and district to which they belonged;

(b) whether Central Government have provided any financial or other assistance to the families of these four persons and if so, when and the amount and the nature of the assistance provided and if not, the reasons therefor and when, how much and what assistance will be provided to them;

(c) whether it is also a fact that a person of Bantva City of Junagarh district of Saurashtra who had been detained under MISA during emergency died when he was on parole and his widow sent representations to the Ministry of Home Affairs on 31st January, 1978 and 23rd February, 1978; and

(d) if so, the demands made therein by her and the amount and nature of assistance proposed to be provided by Government to her and when this assistance will be provided to her?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): (a) and (b): Government of Gujarat have so far reported seven cases of MISA Detenus who died either in jail or within three months from the date of release. The position in respect of each of these cases is indicated in the attached statement.

(c) and (d): The reference is perhaps to case mentioned at No. 1 in the attached statement. The widow (Smt. Vidyaben Bherumal) has been sanctioned a pension of Rs. 300/- per month under MISA Detenus Pension Scheme w.e.f. 1-10-1976.

Statement showing the Details of M.I.S.A. Detenus who died while in Custody or within Three Months from the date of Release in Gujarat and Action taken on the Applications from their Dependents for Grant of Pension under M.I.S.A. Detenus Pension Scheme

Sl. No.	Name of the applicant and the deceased Detenu M.I.S.A.	Residential Address	Action taken
1.	Smt. Vidyaben Bherumal widow of late Shri Bherumal.	C/o Lal Brothers, Shivaji Chowk, BANTWA (Saurashtra).	A pension of Rs. 300 per month *w.e.f.* 1-10-1976 has been sanctioned to the widow on 22-2-1978.
2.	Smt. Madhukanta w/o late Shri Kantilal N. Sodha.	Dhananinaka, Baharpura, Amreli.	Under consideration in consultation with State Government.
3.	Smt. Kesharben Nathalal w/o late Shri Nathalal Valjibhai.	Bethak Road, Khambhalia, District Jamnagar.	Rejected. The State Govt. did not recommend the case on the basis of annual income.
4.	Smt. Kokilaben w/o late Shri Harivadan P. Bhatt.	Dukal Pole, Rander, Tal. Chorasi, Distt. Surat.	A pension of Rs. 200 per month *w.e.f.* 1-5-1976 has been sanctioned to the widow on 22-2-1978.
5.	Smt. Pushpaben w/o late Shri Ramniklal Kasturchand Vania (Shah).	19, Swastik Society, Surendranagar.	Rejected. The case has not been recommended by the State Govt. as the financial position of the family is sound and does not justify the grant of pension.
6.	Shri Haribhai Jerambhai Sujitra, father of late Shri Himat, at Bhagat.	Sukhnath Road, Manekpara, Amreli.	Under consideration in consultation with State Government.
7.	Smt. Fatmaben Isabji Modan w/o late Shri Isabji Abhram Modan.	Gobifali, Dhandhuka, District, Ahmedabad.	Rejected. The case has not been recommended by the State Government as the deceased was murdered by some one after his release on parole.

Setting up of Super Thermal Power Station at Kahalgaon

6665. **Dr. Ramji Singh:** Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) whether he gave some positive assurance to the Press in regard to the setting up of a Super Thermal Power Station in Kahalgaon;

(b) whether coal deposits in Lalbhatia coalfield within a distance of 7-8 miles in the area adjoining Kahalgaon, Vast Ganga water resources there, availability of rail and road transport facility and sufficient land for setting up super thermal power station as also technical feasibility of the scheme are the strong points in favour of setting up a super thermal power station there; and

(c) if so, when Government will take a decision in this regard?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) to (c): The Bihar Electricity Board have submitted a proposal in December 1977 for setting up a large thermal power station at Kahalgaon to meet the power demands in the State of Bihar as also in the adjoining areas in the Eastern Region. The proposal is being techno-economically examined in the Central Electricity Authority from considerations of the power demands and availability of natural resources. A decision will be taken after evaluating all the options available.

Expenditure on last Sputnik

6667. **Shri O. P. Tyagi:** Will the Minister of **Space** be pleased to state:

(a) the total expenditure incurred on the launching of the last Sputnik and the extent to which success was achieved by Government in achieving the objective for which it was launched; and

(b) when Government propose to launch the next Sputnik?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai): (a) Presumably the Hon'ble Member is referring to Aryabhata. No expenditure was incurred as such on its launching. Free launch service was provided by the Government of U.S.S.R. The cost of the satellite which was designed and fabricated in India was Rs. 3.67 cores. The Aryabhata Mission has achieved its objectives of indigenous design and fabrication of a spaceworthy system and evaluation of its performance in orbit. A firm base has also been established in satellite technology with which it is now possible to design and fabricate more complex application technology satellites.

(b) It is proposed to launch the second satellite before the end of 1978.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं का पुनर्गठन

6668. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं का पुनर्गठन करने के प्रस्ताव पर सरकार कब से विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय कर लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) वर्ष 1977 के मध्य से सी० एस० आई० आर० प्रयोगशालाओं को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) वै० औ० अ० प० को सोसाइटी ने दिनांक 23-11-77 को अपनी बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया है कि सत्रह राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं / संस्थान/ संग्रहालय/ अनुसंधान संस्थान (सूची संलग्न-परिशिष्ट) को मंत्रालय को स्थानान्तरित कर दिया जाये और (1860 के 21वें) संस्था पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत संस्था के रूप में पंजीकृत कर दिया जाये। यह निर्णय इस आधार पर लिया गया था कि प्रयोगशालाओं के समूह जो राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठानों से संबंधित है जैसे तेल, कोयला, और जन उपयोग की सेवाएं जैसे भवन, सड़कों को संबंधित मंत्रालयों के साथ जोड़ा जा सके। इसके अतिरिक्त वे प्रयोगशालाएं जो स्वरुप-में-बहु-विषयक नहीं हैं और जिनका विशेष किसी क्षेत्र/विशेष में कोई विशिष्ट स्थान है और मोटे तौर पर किसी एक मंत्रालय से संबंधित है जैसे कपड़ा, जूट, रबड़ और स्वचालित वाहन आदि को भी सी० एस० आई० आर० से स्थानान्तरित कर दिया जाना चाहिये। विज्ञान का प्रसार करने के लिये सी० एस० आई०आर० के तीन संग्रहालय (बिड़ला औद्योगिक और प्रौद्योगिकी संग्रहालय, विश्वैशरैया औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय, नेहरु विज्ञान केन्द्र) को शिक्षा मंत्रालय के साथ संलग्न कर दिया जाना चाहिये। और उनको सुचारु रुप से चलाने के लिये एक नवीन वैज्ञानिक संग्रहालय परिषद् का निर्माण किया जाना चाहिये।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

मंत्रालयों को स्थानान्तरित की जाने वाली प्रयोगशालाओं/संस्थान/संग्रहालयों/अनुसंधान संस्थानों की सूची जो उनके सामने प्रदर्शित की गई हैं

1. केन्द्रीय इंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद।	ऊर्जा मंत्रालय को
2. भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, देहरादून।	पैट्रोलियम मंत्रालय को
3. केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान,	जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय को
4. केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान	आवास एवं निर्माण मंत्रालय को
5. बिरला औद्योगिकी एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय, कलकत्ता	शिक्षा मंत्रालय को
6. विश्वैरैया औद्योगिकी एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय, बैंगलौर	,,
7. नेहरू विज्ञान केन्द्र, बम्बई	,,
8. अहमदाबाद कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान	उद्योग मंत्रालय को
9. बम्बई कपड़ा अनुसंधान संस्थान	,,
10. सिल्क और आर्ट सिल्क मिल्स अनुसंधान संस्थान	,,
11. दक्षिण भारत कपड़ा अनुसंधान संस्थान	,,
12. ऊन अनुसंधान संस्था	,,
13. भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संस्था	,,
14. स्वचालित वाहन अनुसंधान संस्था, पूना	,,
15. भारतीय प्लाइवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान	,,
16. सीमेन्ट अनुसंधान संस्थान भारत, फरीदाबाद	,,
17. भारतीय रबड़ उत्पादक अनुसंधान संस्था, बम्बई।	,,

एक समान सड़क यातायात नियम

6669. **श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वह एक समान सड़क यातायात नियमों के पक्ष में हैं क्योंकि विभिन्न राज्यों में विद्यमान भिन्न-भिन्न प्रकार के नियमों के कारण भ्रष्ट अधिकारी ट्रांसपोर्टरों को परेशान करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां ।

(ख) इस मामले में यथासंभव एकरुपता सुनिश्चित करने के लिए मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत संवैधानिक नियमों को अधिसूचित करने के मार्गदर्शन हेतु राज्य सरकारों को माडल मोटर गाड़ी नियम भेजे गए। पिछले कुछ वर्षों में मोटर गाड़ियों के नियम और डिजाइन में हुए सुधारों और परिवर्तनों का जायजा लेने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों तथा सड़क परिवहन आपरेटरों की एसोसिएशनों के साथ परामर्श करके मॉडल नियमों का पुनरोक्षण किया जाए और उन्हें अद्यतन बनाया जाए ।

विक्रम साराभाइ अन्तरिक्ष केन्द्र (भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन) के कर्मचारियों की मांगें

6670. **श्री वयालार रवि** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र (भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन) कर्मचारी यूनियन, थुम्बा से मांगों का अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो मांगों की मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : (क), (ख) और (ग): विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के कर्मचारियों के एक वर्ग से मई, 1977 में कुछ मांगों का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। इन मांगों का स्वरुप और उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा लोक सभा में 23 नवम्बर, 1977 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1300 के उत्तर में बताया गया था। कर्मचारियों के उसी वर्ग से अर्थात् विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केंद्र कर्मचारी यूनियन से 13-3-1978 को कुछ और मांगों का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जो कि मुख्यतया सेवा संबंधी मामलों, उन्नति के अवसरों, स्टाफ कल्याण इत्यादि से संबंधित हैं। इनकी जांच की जा रही है।

Memorandum on behalf of the D.G.I. Employees Union, Calcutta

6671. **Shri Daya Ram Shakya**: Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether a memorandum was received in February, 1978 on behalf of the D.G.I. Employees Union (East India) Calcutta; and

(b) if so, the main demands made therein and the demands accepted by Government?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Sher Singh): (a) A memorandum was received from the D.G.I. Karmachari Sangha (East India) in February 1978.

(b) The demand of the Sangha is to get recognition, which is under consideration of the Government.

भागलपुर (बिहार) के विद्युत्करघा बुनकरों को धागे की सप्लाई में कठिनाइयां

6672. **श्री ए० के० राय :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भागलपुर (बिहार) में विद्युतकर्घा बुनकरों को धागे की सप्लाई प्राप्त करने में लगातार कठिनाइयां हो रही हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम के चेयरमैन तथा उप-प्रबंधक ने बुनकर संघ के साथ 13 फरवरी, 1978 को एक बैठक में दो-तीन दिन के भीतर धागे की सप्लाई कर देने का वचन दिया था ;

(ग) क्या यह सच है कि इसके बावजूद भी कोई सप्लाई नहीं की गई ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइति) : (क) से (घ) : राष्ट्रीय वस्त्र निगम (पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार और उड़ीसा), जो राष्ट्रीय वस्त्र निगम की एक सहायक है, के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में विद्युत करघा बुनकरों ने अभ्यावेदन किया था कि उन्हें उनकी सम्पूर्ण आवश्यकता के अनुसार स्टैपल धागा नहीं मिल रहा है। सहायक कं० के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उनके द्वारा संचालित कं० में इस किस्म के धागे का उत्पादन नहीं किया जाता है । उन्हें यह भी बताया गया कि विशेष मांग के आधार पर उन्होंने सामान्य शर्तों पर उनकी मिलों में बनाये जा रहे धागे की किस्म /काउन्ट का समरण किया जा सकता है 14 मार्च, 1978 को सूती धागे के मूल्यों की एक सूची भी उन्हें भेजी गई थी। परन्तु अभी तक उनसे कोई मांगपत्र (इन्डेंट) प्राप्त नहीं हुआ है ।

राज्यों द्वारा 1977-78 में उप-योजनाओं के लिए प्राप्त सहायता का उपयोग

6673. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने वित्त वर्ष 1977–78 में उप-योजना क्षेत्रों के लिए राज्यों को, राज्यवार, कितनी केन्द्रीय सहायता दी ;

(ख) वित्त वर्ष के समाप्त होने से पहले किन-किन राज्यों ने उक्त सहायता का पूरा उपयोग किया ; और

(ग) धन का समय पर उपयोग कराने के लिए क्या प्रशासनिक उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) : 1977–78 के दौरान आदिवासी उप-योजना के संबंध में राज्य सरकारों को दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि तथा अनुमानित व्यय का विवरण संलग्न है।

(ग) उप-योजना क्षेत्रों में किये गये प्रशासनिक उपायों में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं के लिए परियोजना अधिकारियों की नियुक्ति, परियोजना-स्तर के अधिकारियों को वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों का उपयुक्त प्रत्यायोजन तथा परियोजना-स्तर की समितियों का गठन शामिल है।

विवरण

1977-78 के दौरान आदिवासी उप–योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दी गई राशि	अनमानित व्यय
		(रु० लाखों में)	
1.	आंध्र प्रदेश	285.25	268.00
2.	असम	257.00	252.00
3.	बिहार	807.50	779.00
4.	गुजरात	473.10	473.10
5.	हिमाचल प्रदेश	90.00	73.48
6.	कर्नाटक	24.00	22.00
7.	केरल	25.00	25.10
8.	मध्य प्रदेश	1,554.25	1,621.10
9.	महाराष्ट्र	378.25	378.25
10.	मणिपुर	128.00	124.00
11.	उड़ीसा	770.15	745.00
12.	राजस्थान	298.10	273.40
13.	तमिलनाडु	45.00	46.00
14.	त्रिपुरा	96.40	83.00
15.	उत्तर प्रदेश	15.00	14.00
16.	पश्चिम बंगाल	225.00	205.50
17.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	17.00	16.50
18.	गोवा, दमन व द्वीप	11.00	11.00
	जोड़	5,500.00	5,410.43

औद्योगिक लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण

6674. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों की स्थापना का विकेन्द्रीकरण करने की दृष्टि से औद्योगिक लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क), (ख) और (ग) : उद्योग मंत्री द्वारा 23 दिसम्बर, 1977 को संसद के समक्ष रखे गये औद्योगिक नीति संबधी विवरण में देश के विभिन्न क्षेत्रों के संन्तुलित विकास का सुनिश्चिय करने के बारे में अन्य बातों के साथ-साथ उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति का उल्लेख किया गया है ।

Import of Mini Cement Plants

6675. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the names of countries from which Government propose to procure mini cement plants; and

(b) if so, details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) As a result of meeting recently taken by the M(I) for the setting up of mini cement plants, it has been decided to constitute a Working Group to go into all aspects relating to the choice of technology for the establishment of mini cement plant which includes choice of processes, optimum size of operation and necessity to import technology from abroad. The Working Group is expected to submit its Report to the Government within six weeks. The decision on the general question of import of mini cement plant technology, if any would be finalised after the Report of the Working Group has been considered.

(b) Does not arise.

'नसबन्दी' फिल्म के विरुद्ध शिकायत

6676. **श्री महीलाल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी कथा चित्र नसबन्दी' में नर्सिंग व्यवसाय और नर्सों को नैतिक आघात पहुचाया गया है ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में नर्सों और जनता स विरोध पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो फिल्म के निर्माता के विरूद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : (क) 'नसबंदी' नामक फिल्म चिकित्सा व्यवसाय में रत लोगों तथा राज्य एवं केन्द्रीय सरकार के परिवार कल्याण विभागों के सम्बन्धित अधिकारियों सहित फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा देखी गई थी। इनमें से किसी भी अधिकारी या गैर सरकारी व्यक्ति ने यह महसूस नहीं किया कि फिल्म में नर्सिंग व्यवसाय तथा नर्सों को अपमानजनक ढंग से दिखाया गया है।

(ख) और (ग) : फिल्म से संबंधित कुछ पोस्टरों के विरुद्ध महाराष्ट्र गवर्नमेंट नर्सिज फेडरेशन, पुणे से एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसे राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया था।

Distribution of cloth by N.T.C., Madhya Pradesh

6677. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Industry be pleased to state :

(a) whether a new policy of distribution of cloth has been formulated by the National Textile Corporation of Madhya Pradesh and if so, details thereof;

(b) whether huge stock of cloth has accumulated in each mill of National Textile Corporation, Madhya Pradesh as a result of this new policy regarding distribution of cloth; and if so, the value of cloth accumulated in all the seven mills of the State; and

(c) the amount of interest being paid to banks by each mill due to accumulation of huge stock of cloth and the steps being taken to reduce the burden of interest in future?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) From January, 1977, sale of cloth by National Textile Corporation (Madhya Pradesh) Ltd. is effected by a Committee consisting of General Manager, Sales Manager of the concerned mill, Manager (Marketing), Financial Adviser and Chief Accounts Officer of the NTC (M.P.) Ltd.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

केन्द्रीय सरकार में मुस्लिम कर्मचारी

6678. **श्री जी० एम० बनतवाला :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की, विभागवार, तथा श्रेणीवार संख्या क्या है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार की सेवा में मुस्लिम कर्मचारियों की विभागवार तथा श्रेणीवार संख्या क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनुसिंह पाटील) : (क) रोजगार तथा प्रशिक्षण महा निदेशालय, श्रम मंत्रालय को दिनांक 26 मार्च, 1977 की रिपोर्ट में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की जनगणना (31 मार्च, 1975 को) के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में कर्मचारियों की कुल संख्या 29,70,124 थी जिनमें से 32,531 समूह 'क'

57,936 समूह 'ख', 15,78,767 समूह 'ग', 12,86,534 समूह 'घ' के कर्मचारी हैं। कर्मचारियों की विभागवार तथा श्रेणीवार (राजपत्रित तथा अराजपत्रित) संख्या परिशिष्ट में दी गई है।

(ख) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा मुस्लिम कर्मचारियों सहित, अल्पसंख्यक समुदायों के सम्बन्ध में की गई नियुक्तियों की संख्या के बारे में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, इसलिए ऐसे कर्मचारियों के विभागवार तथा श्रेणीवार आंकड़े दिया जाना सम्भव नहीं है। विभिन्न अल्पसंख्यकों के रोजगार के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करना तथा दिया जाना वांछनीय नहीं होगा, जिनके सम्बन्ध में सरकारी सेवा में कोई आरक्षण नहीं था।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 2086/28]

राज्यों में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में नियम

6679. **श्री सरत कार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में मंत्रीपरिषद के गठन के बारे में उस राज्य की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए नियम बनाने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) नहीं, श्रीमान्, जी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी द्वारा कल-पुर्जों का अवैध आयात और उन्हें संयंत्रों के रूप में जोड़ना

6680. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **उद्योग** मंत्री ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी द्वारा पुर्जों के अवैध आयात तथा उन्हें संयंत्रों के रूप में जोड़ने के बारे में 16 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 571 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात तथा निर्यात नियंत्रक द्वारा उक्त आरोप की जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) : आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक ने बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा नई दिल्ली में सीमाशुल्क प्राधिकारियों से पूछताछ के पश्चात् यह बताया है कि अतिरिक्त पुर्जों और सहायक पुर्जों के बहाने जटिल प्रकार की मशीनों के अवैध आयात की सूचना उन्हें इन प्राधिकारियों से अभितक नहीं मिली है।

Defrauding of about 40 crores for awarding contract by the Hindustan Paper Corporation

6681. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether a sum of about Rs. 40 crores has been defrauded in the bargaining with three companies in the award of contract by the Hindustan Paper Corporation for setting up of a paper mill (vide the report appearing in the Panchajanya of 3-12-77);

(b) if so, whether an inquiry has been conducted by Government in the matter; and

(c) if so, the outcome thereof and the action taken against the guilty persons ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) to (c): Government have been apprised of the facts relating to the contract for supply of Paper machines for the Nowgong & Cachar Projects and is satisfied that the procedure followed by Hindustan Paper Corporation is in order. The contract for the supply of paper machines was entered into by the Hindustan Paper Corporation after taking into account all relevant considerations.

विदेशी तथा भारतीय स्वामित्व के बड़े उद्योग

6682. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (एक) जूते, (दो) लांड्री सोप, वाशिंग एण्ड टायलट सोप, सिन्थेटिक डिटरजैन्ट आदि, तथा (तीन) माचिस का उत्पादन करने वाले विदेशी तथा भारतीय स्वामित्व के बड़े उद्योगों के नाम क्या हैं और इनमें से प्रत्येक उद्योग ने गत पांच वर्षों में इन वस्तुओं का कितन-कितना उत्पादन किया है ;

(ख) सी० ओ० बी० लाइसेंस/निर्यात दायित्वों के अन्तर्गत गत पांच वर्षों में किन उद्योगों को क्षमता विस्तार की अनुमति दी गई ; और

(ग) गत पांच वर्षों में लघु क्षेत्र के उद्योगों ने इन वस्तुओं का कितना उत्पादन किया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइति) : (क) और (ख) : प्राप्त जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) विकास आयुक्त, लघु उद्योग द्वारा 1972 और 1977 के लघु क्षेत्र के अनुमानित आंकड़े निम्न लिखित हैं :—

वस्तु	उत्पादन करोड़ रुपयों में	
	1972	1977
1. जूते	13.06	30
2. दियासलाई . . .	11.64	53
3. (क) लाण्ड्री साबुन . .	57.34	144
(ख) नहाने के साबुन . .	2.89	अनुमान नहीं लगाया है
(ग) प्रक्षालक	..	60

टिप्पणी :—(क) 1972 का उत्पादन 1973–74 में की गई लघु औद्योगिक एककों की गणना पर आधारित है ।

(ख) 1.2 और 3(क) का उत्पादन छोटे नमूने (स्माल सेम्पिल) पर अनुमानित है ।

(ग) 3(ग) का उत्पादन राज्य व्यापार निगम द्वारा संभरण किए गए कच्चे माल पर अनुमानित है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2087/78]

Appointment of Casual Cameramen

6683. **Shri Arjun Singh Bhadoria:**
Shri R. L. P. Verma:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is not possible to absorb casual cameramen in the centres of Doordarshan where they are working;

(b) whether some casual cameramen at certain centres are being removed and in their place cameramen from outside are being appointed; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) Casual artists including cameramen are engaged as a stop gap arrangement against vacancies including the leave vacancies. Those casual artists who apply for the posts when advertised in the Press and get selected for regular appointment are absorbed at the same Kendra if the selection also pertains to that Kendra.

(b) The very nature of their engagement is 'casual'. Such engagement is only in the absence of regular incumbents. There is therefore no question of 'removal' of casual cameramen.

(c) Does not arise.

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा हड़ताल

6684. **श्री ए० के० राय :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1977 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा हड़ताल और प्रदर्शन किये गये थे, यदि हां, तो इस हड़ताल के कारण, स्वरूप और परिस्थितियां क्या हैं ;

(ख) क्या अधिकारियों द्वारा हड़ताल के उस दिन श्रमिकों ने कोयले के उत्पादन में वृद्धि की, यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या इन अधिकारियो द्वारा यह हड़ताल गैर-कानूनी थी, यदि हां, तो उसके लिए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या उच्च प्रबन्धक-वर्ग इन अधिकारियों के साथ मिला हुआ था और उसने स्वयं ही उन्हें हड़ताल करने के लिए उकसाया था ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (घ): झरिया कोयला क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति के कारण अधिकारियों पर हमले भी हो रहे थे और इसके प्रति विरोध प्रकट करने के लिए भा० को० को० लि० के अधिकांश अधिकारियों ने 30 अगस्त, 1977 को आकस्मिक अवकाश की अर्जियां दी थीं। उनमें से कुछ लोग शान्तिपूर्ण जलूस लेकर डिप्टी-कमिश्नर, धनबाद के यहां भी गए थे जहां जाकर उन्होंने सुरक्षा का अच्छा प्रबंध करने तथा शान्ति और सुव्यवस्था बनाए रखने की मांग की। खानों के संचालन से सम्बद्ध अधिकारियों ने ऐसे प्रबन्ध किए कि उत्पादन सामान्य रूप से जारी

रहे और साथ ही सुरक्षा का स्तर न गिरने पाए। 30 अगस्त, 1977 का उत्पादन 64.5 हजार टन का था जबकि उसके बाद अगले दिन उत्पादन 65.8 हजार टन रहा। प्रबंध मण्डल ने आकस्मिक अवकाश की अर्जियां अस्वीकार कर दी और यह निश्चय किया कि उस दिन अधिकारियों को भी गैरहाजिर माना जाएगा और उसे किसी प्रकार की छुट्टी अथवा भुगतान में शामिल नहीं किया जाएगा। इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता कि शीर्षस्थ अधिकारियों की इन अधिकारियों के साथ मिली भगत थी।

Missing of four ships of S.C.I. in March, 1978

6685. **Shri Ramanand Tiwary:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether four ships of the ships of the Shipping Corporation of India have been missing for the past several days;

(b) if so, whether a search was undertaken and causes of disapperance thereof ascertained; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram): (a) No. Sir.

(b) & (c) : Do not arise.

Talks of Information Minister with Staff Artistes regarding their Problems

6686. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to U.S.Q. No. 1937 dated 8-3-1978 and state:

(a) whether it is a fact that some representatives of Staff Artistes met the Secretary, Ministry of Information and Broadcasting in the first week of March in support of their demands;

(b) whether it is also a fact that the Secretary has accepted some of their demands and has also agreed to provide relief to some categories of staff Artistes; and

(c) if so, how the pay scales of Staff Artistes are being revised and the categories of persons proposed to be given promotion?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) Yes, Sir.

(b) and (c): The fee scales of staff artistes were revised in June 1976 on the analogy of Third Pay Commission's recommendations for comparable categories of Government employees. There is no proposal for further revision of fee scales of staff artistes.

Proposal for providing Selection Grade to certain categories of staff artistes on the analogy of similar Selection Grades for equivalent civil posts is being examined.

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चंडीगढ़ में एक वैज्ञानिक की मृत्यु

6687. **श्री भगत राम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चंडीगढ के एक कक्ष में जुलाई, 1977 में एक वैज्ञानिक कार्य के समय में रहस्यात्मक परिस्थितियों में मृत पाया गया था ;

(ख) क्या कुछ दिन बाद उसके पिता ने भी आत्महत्या कर ली थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (आई०एस०टी०सी०) में साक्षात्कार के लिए आये दो युवक स्थानीय झील में डूबे पाये गये थे ;

(घ) क्या पुलिस ने इन मामलों की जांच की है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकाले ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) चंडीगढ़ प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मनदीप पाल सिंह नामक एक सहयोगी प्रशिक्षक एसोसिएट इंसट्रक्टर 1 जुलाई, 1977 को केन्द्रीय विज्ञानिक संगठन के एक कमरे में मृत पाया गया था ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) तथा (ङ) : स्थानीय पुलिस ने उक्त मामलों की जांच-पड़ताल की थी और उनके निष्कर्ष इस प्रकार हैं :—

भारत स्विस प्रशिक्षण केन्द्र में एक सहयोगी प्रशिक्षक श्री मनदीप पाल सिंह अपने कार्यालय में कार्यालय के समय में जहरीला रसायन पीकर आत्महत्या से मृत पाया गया था। उन्होंने हाथ से लिखा एक पत्र छोड़ा था जिसमें कहा गया था कि वह आत्महत्या कर रहे हैं और किसी की गलती नहीं है। स्थानीय पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अंतर्गत जांच पड़ताल की और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आत्महत्या पारिवारिक परिस्थियों के कारण की गई थी। उनके पिता 2 जुलाई, 1977 को सुखना झील, चंडीगढ़ में डूबे पाये गये थे। उन्हें अपने पुत्र की आत्महत्या का भारी सदमा हुआ था। वे 1 जुलाई, 1977 को अपने घर से बाहर निकले थे और अगली सुबह उनका शव झील में पाया गया।

एक दूसरी घटना में 17 वर्षीय तथा 18 वर्षीय दो लड़के 19 जुलाई, 1977 को सुखना झील में डूबे गये थे। लड़कों ने एक पेडल्ड बोट किराये पर ली थी। लड़के जो तरना नहीं जानते थे, अपनी लाइफ-जैक्ट्स अपने साथ नहीं ले गए थे। जब वे गहरे पानी में थे तो उन्होंने पेडल्ड नौका को गलत ढंग से चलाया जो पानी में डूब गई।

दो लड़कों के डूबने की घटना की एक मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच की गई थी। रिपोर्ट में भी यह कहा गया कि संतुलन खो जाने के कारण दुखांत घटना हुई जिसके परिणामस्वरूप नौका डूब गई ।

बेरोजगार व्यक्तियों को खपाने की राजस्थान सरकार की योजना

6688. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार की सहायता से बेरोजगार व्यक्तियों को खपाने की कोई नई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

उड़ीसा में अनन्तपुर कोयला क्षेत्र का विकास

6689. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में अनन्तपुर कोयला क्षेत्र का विकास करने की संभावना पर कोयला अधिकारियों ने जापान की मित्सी कम्पनी के साथ बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) व (ख) : जापान की मैसर्स मितसुई एण्ड कं० ने अनन्त कोयला परियोजना के विकास में कुछ रूचि दिखाई है। उस कम्पनी के विशेषज्ञों ने हाल में तालचेर कोयला क्षेत्र के आसपास की खानों का भी दौरा किया है और ऊर्जा मंत्री, सचिव (कोयला विभाग) तथा कोल इंडिया लि० के अधिकारियों से बातचीत की है। इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

Central Assistance to U.P. for Rural Electrification

†6690. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether Central Financial assistance has been provided to States for rural electrification;

(b) the amount given to Uttar Pradesh and whether the same is not inadequate for the State; and

(c) if so, whether additional amount will be provided to this State?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) Rural electrification programme are financed through 3 sources, (a) Rural Electrification Corporation; (b) under the Minimum Needs Programme funds for which are routed through the R.E.C.; and (c) by the State Governments themselves.

(b) & (c): An outlay of Rs. 20.97 crores was provided in the Annual Plan for 1977-78 for rural electrification in Uttar Pradesh. The details are as follows:—

	(Rs. Crores)
Rural Electrification Corporation	7.97
Minimum Needs Programme	5.00
Normal Development Programme of the State . .	8.00
	20.97

The allocation has been increasing over successive Annual Plan periods.

सोलापुर कपड़ा एककों को सहायता

6691. **श्री वसन्त साठे**: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकार ने सोलापुर म उन कपड़ा एककों को पुनः आरम्भ करने के लिए वित्तीय सहायता मांगी है जिन्हें आग लग जाने के कारण बन्द कर दिया गया है और जिसके कारण बहुत से मजदूर बेरोजगार हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या एककों को पुनः चालू करने के लिए राज्य सरकार अथवा अन्य पार्टियों ने सरकार से सहायता मांगी थी और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गयी है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठते।

कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

6692. **श्री वसन्त साठे**: क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने उन कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए कोई योजना बनाई है जो सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और 1978–79 के लिए कितना धन दिया गया है तथा 1977–78 में राज्यवार इस प्रयोजना के लिए वास्तव में कितना धन उपयोग में लाया गया;

(ग) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में मिलों के आधुनिकीकरण के लिए प्रस्ताव में विलम्ब हो गया है और इसके कारण क्या हैं और विदर्भ क्षेत्र में कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए प्रस्ताव में शीघ्रता के लिए क्या कार्यवाही की गई है और इस प्रयोजन के लिए 1978–79 में कितना धन रखा गया है; और

(घ) क्या सरकार महाराष्ट्र के कुछ कपड़ा मिलों को अपने हाथ में लेने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है और उसका ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) और (ख): राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने 203.28 करोड़ रुपय के परिव्यय से 100 राष्ट्रीयकृत कपड़ा मिलों का

अवस्थाबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण करने के लिये एक निवेश योजना तैयार की है। इस निवेश योजना के सहायक मिलों के अनुसार अलग-अलग आंकड़े इस प्रकार हैं :—

सहायक मिल का नाम	निवेश योजना (करोड़ रु० में)
राष्ट्रीय वस्त्र निगम (दिल्ली, पंजाब और राजस्थान)	10.03
राष्ट्रीय वस्त्र निगम (उत्तर प्रदेश)	11.59
राष्ट्रीय वस्त्र निगम (वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार और उड़ीसा)	27.99
राष्ट्रीय वस्त्र निगम (मध्य प्रदेश)	14.40
राष्ट्रीय वस्त्र निगम (गुजरात)	20.21
राष्ट्रीय वस्त्र निगम (महाराष्ट्रा उत्तरी)	41.71
राष्ट्रीय वस्त्र निगम (महाराष्ट्रा दक्षिणी)	34.20
राष्ट्रीय वस्त्र निगम (आन्ध्र प्रदेश, करनाटका, केरला और माहे)	23.65
राष्ट्रीय वस्त्र निगम (तमिलनाडु और पांडीचेरी)	19.50

1978–79 वर्ष के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के आधुनिकीकरण के लिये 20.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है इस बजट प्रावधान के अलावा राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने अपनी मिलों की आधुनिकीकरण करने के लिए मार्च, 1978 के अंत तक कुल 17.31 करोड़ रुपये के सुलभ ऋण के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से भी अनुरोध किया है। वर्ष 1977–78 के दौरान आधुनिकीकरण के लिये दी गई ा सहायक मिलवार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

सहायक मिल का नाम	दी गई राशि (लाख रु० में)
राष्ट्रीय वस्त्र निगम (दिल्ली, पंजाब और राजस्थान)	430.00
राष्ट्रीय वस्त्र निगम (उत्तर प्रदेश)	236.00
राष्ट्रीय वस्त्र निगम (वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार और उड़ीसा)	410.00
राष्ट्रीय वस्त्र निगम (मध्य प्रदेश)	253.00
राष्ट्रीय वस्त्र निगम (गुजरात)	..
राष्ट्रीय वस्त्र निगम (महाराष्ट्रा उत्तरी)	475.00
राष्ट्रीय वस्त्र निगम (महाराष्ट्रा दक्षिणी)	535.00
राष्ट्रीय वस्त्र निगम (आन्ध्र प्रदेश, करनाटका, केरला और माहे)	510.00
राष्ट्रीय वस्त्र निगम (तमिलनाडु और पांडीचेरी)	508.00
कुल	3,357.00

(ग) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में पांच मिलों के लिए 378.21 लाख रुपये की लागत के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसमें से, दिसम्बर, 1977 के अन्त तक 4 मिलों में 142.59 लाख रुपये की लागत के आधुनिकीकरण कार्यक्रम लागू किये जा चुके हैं। विद्यमान भवन का विस्तार/मरम्मत की जाने के कारण एक मिल में आधुनिकीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कुछ देरी हो गई है। निर्माण-योजनाओं के लिये भवन निर्माण विद की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

1978-79 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम को मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस प्रावधान का मिलवार आबंटन अभी तक नहीं किया गया है।

(घ) इस समय ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Import of Tractors

6695. **Shri Rajendra Kumar Sharma:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) the total number of tractors manufactured in the country during 1976-77 and 1977-78;

(b) whether tractors were imported from foreign countries despite self-sufficiency of the country in this respect;

(c) if so, the total number of and the value of the tractors imported; and

(d) whether Government will set up new units for manufacturing tractors in other parts of the country and if so, whether such a unit will be set up in Uttar Pradesh also?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): **(a):** The production of tractors during the last two years has been as under:

1976-77	33,146 nos.
1977-78 (April, 77 to Feb. 78)	35,925 nos.

(b) & (c): As a general policy, commercial imports of tractors have been stopped since 1973 except for tractors contracted for under the different World Bank finance projects. In the case of these projects, tractors have been supplied both out of indigenous production and out of imports. The details, indicated by Ministry of Agriculture in respect of these projects together with information on the number of tractors originally envisaged for supply and numbers actually supplied out of indigenous production and imports, is given in the statement attached with the available information on the value of imports.

(d) The licensed capacity already approved is adequate to meet the demand for tractors. The capacity approved includes the capacity of 12,000 nos. per annum licensed for a unit in Uttar Pradesh.

STATEMENT

Details of tractors supplied under World Bank Project.

Sl. No.	Name of the Project	Date of commencement	Date of completion	No. of tractors to be supplied	Number of tractors delivered				Total (Imported & Indigenous)	
					Imported		Indigneous		Nos.	Value in Rupees.
					Nos.	Value in Rs.	Nos.	Value in Rs.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Andhra Pradesh Agricultural Credit Project.	8-1-71	30-6-77	1,500	846	2,68,36,024	421	2,24,55,749	1,267	4,92,91,773
2.	Haryana Agricultural Credit Project Phase I.	11-6-71	30-6-77	6,000	145	62,70,090	2,132	8,35,99,966	2,277	8,98,70,056
	Phase II.			—	250	1,48,33,750	1,574	6,53,36,736	1,824	8,01,70,486
3.	Karnataka Agricultural Project	7-1-72	30-6-77	2,808	1,164	—	1,644	—	2,808	11,16,49,925
4.	Tamilnadu Agricultural Credit Project	11-6-71	31-12-77	1,500	776	N.A.	724	N.A.	1,500	N.A.
5.	Punjab Agricultural Project Phase I . . .	Sept.'70	30-6-77	1,025	546	N.A.	355	N.A.	901	N.A.
	Phase II . .			6,975	2,920	N.A.	2,887	N.A.	5,807	N.A.

टाटा आयल एण्ड सोप मिल्स तथा हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा सप्लाई किये गये नहाने के साबुन

6696. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाटा आयल एण्ड सोप मिल्स तथा हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने गत एक वर्ष के दौरान कुल कितनी मात्रा में नहाने को साबुन सप्लाई किए ; और

(ख) इन फर्मों ने गत छः महीनों में नहाने के साबुन कुल कितनी मात्रा में सप्लाई किए ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) : फर्मों द्वारा सप्लाई किये गय नहाने के साबुन की मात्रा के बारे में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। तथापि मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड तथा मैसर्स टाटा आयल एण्ड सोप मिल्स, कम्पनी लिमिटड द्वारा वर्ष 1977 तथा सितम्बर, 1977 से फरवरी, 1978 (6 महीने) के दौरान नहाने के साबुन का उत्पादन निम्न प्रकार हुआ है :—

फर्म का नाम	नहाने के साबुन का उत्पादन (मी० टन में) 1977	सितम्बर, से फरवरी, 78
1. मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि० (2 एकक) . . .	98,051	55,691
2. मैसर्स टाटा आयल एण्ड सोप मिल्स कं० लिमिटेड (6 एकक).	17,022	8,627

साबून का मल्य

6697. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**
श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति से पहले और उसके उठाए जाने के बाद साबुनों के मूल्यों की स्थिति का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या यह सच है कि इस समय जो साबुन प्रयोग में लाये जा रहे हैं वे मूल्यों के अनुरूप संतोषजनक और अच्छी किस्म के नहीं हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइती) : (क) आपात स्थिति से पहले और उसके बाद साबुनों के मूल्यों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) विभिन्न ब्राण्ड वाले साबुनों टी० एफ० एम० वस्तुओं में प्रचुर कमी के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थी । नागरिक आपूर्ति तथा सहकारिता विभाग ने भारतीय मानक सस्था मे संगठित क्षेत्र तथा लघु क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों द्वारा तैयार किए जाने वाले नहाने के साबुनों की किस्म के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए कहा गया है ।

विवरण

साबून के मूल्य (रुपयों में)

अवधि	टाटा 501 60 का हाफ बार केस बम्बई	हमाम बड़ा 144 टिक्की बम्बई	लक्स टाइलेट 12 टिक्की बम्बई	सनलाईट 12 टिक्की बम्बई	सरल 144 टिक्की बम्बई
फरवरी 1977	67.50	157.20	12.86	10.20	109.86
मार्च 1977	67.50	157.20	12.86	10.20	109.86
अप्रैल 1977	67.50	157.20	12.86	10.20	109.86

टिप्पण :मूल्य प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह के है ।

राज्यों की लाटरियों को बंद करने संबंधी प्रस्ताव

6698. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों को लाटरियों को बन्द करने सम्बन्धी कानून बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब और किस प्रकार ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार का विचार है कि इसमें कानूनी तथा संवैधानिक कठिनाइयां होने के कारण राज्यों की लाटरियों को बन्द करने से कोई खास लाभ नहीं होगा ।

मृत्यु दंड को समाप्त करना

6999. **श्री समर गुह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मृत्यु दण्ड को समाप्त करने के लिए आचार्य कृपलानी और लोक नायक जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई अपील की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हा, तो उस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटील) : (क) इस विषय पर सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है ।

(ख) संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1972 की धारा 124 में पहले ही व्यवस्था है कि हत्या के लिए सामान्य सजा आजीवन कारावास होगी । विधेयक में यथा प्रतिवेदित धारा 302 के अधीन केवल कुछ उग्र परिस्थितियों में अर्थात जहां पूर्व योजना के बाद हत्या की गई है और अत्यन्त क्रूरता या असाधारण चरित्रहीनता या आजीवन कारावास का दण्ड भोगने की अवधि में जब ऐसी सजा अन्तिम रूप से दी गई हो

अथवा हत्यारे ने ऐसा अपराध किया हो या सेना या पुलिस बल के सदस्य या सरकारी कर्मचारी जिसका कर्तव्य विधि व्यवस्था बनाए रखना है कि हत्या के लिए आजीवन कारावास के स्थान पर मृत्यु दण्ड देने को न्यायालय को छूट होगी। संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक में ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसके लिए मृत्यु दण्ड देना अनिवार्य होगा और धारा 305 में मृत्यु दण्ड की व्यवस्था नहीं होगी। विधेयक में इन उपबन्धों तथा कुछ अन्य उपबन्धों का प्रभाव यह होगा कि हत्या के लिए मृत्यु दण्ड बहुत कम दिया जायेगा और आजीवन कारावास कानूनी सजा होगी। संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक संसद में विचार के लिए अभी रखा जाना है।

Alleged Missing of Files

6700. **Shri Sukhendra Singh:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether his Ministry has received complaints from other Central Ministries or State Governments that some files belonging to period of former Congress Government are missing;

(b) if so, the details of these Ministries and State Governments; and

(c) the action taken by Government against the officers or persons running the former Government responsible therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): (a), (b) and (c): The information is being collected and will be placed on the table of the House in due course.

ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम

6702. **श्री सुखेन्द्र सिंह :**
श्री गोविन्दराम मिरी :
श्री फूलचन्द वर्मा :
श्री सुभाष आहुजा :
श्री माधव राव सिन्धिया :
श्री छबि राम अर्गल :
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :
श्री परमानन्द गोविन्दजीभाला :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार भविष्य में ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम चलाने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यह कार्यक्रम कब आरम्भ किया जाएगा ;

(ग) क्या इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के अन्य पिछड़े जिलों को भी सम्मिलित करने का निर्णय किया गया है और यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के अन्य पिछड़े जिलों में भी केन्द्रीय पूंजी लागत अनुदान योजना लागू करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय लिए जाने की आशा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईती) : (क) और (ख) : ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम पहली बार 1962-63 में प्रारम्भ किया गया था। अब जिला उद्योग केन्द्र योजना में इसके विलयन का प्रस्ताव किया गया है जिसका कार्य मई, 1978 से प्रारम्भ हो जायेगा।

(ग) जी, हां। राज्य को, जिला उद्योग केन्द्रों के अधीन सभी पिछड़े जिलों को शामिल करने के लिए कहा गया है जिसमें ग्रामीण उद्योग परियोजना के अंश भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश राज्य सरकर से प्रस्ताव मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) और (ङ): 1978-83 के लिये बनाई गई नयी पंचवर्षीय योजना के संबंध में रियायतों/राजसहायताओं की अन्य योजनाओं सहित केन्द्रीय राजसहायता योजना भी योजना आयोग की संवीक्षा के अधीन है।

तमिलनाडु में कपड़ा उद्योग के लिए लाइसेंस

6703. **श्री जी० भुवारहन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) तमिलनाडु में गत पांच वर्षों में कपड़ा उद्योग के लिए कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईती) : (क) 1973-77 में तमिलनाडु में वस्त्र उद्योग के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के बनाने के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत 98 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये थे।

(ख) प्रश्न हो नहीं उठता।

सेलम में ग्लुकोस फैक्टरी के लिये लाइसेंस

6704. **श्री जी० भुवारहन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने सेलम में जहां पर टोपिओका स्टार्च बहुल्यता में उपलब्ध है, एक ग्लुकोस फैक्टरी की स्थापना के लिये लाइसेंस दिया है ; और

(ख) वर्तमान स्थिति क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईती) : (क) और (ख): जी, नहीं। किन्तु टोपिओका स्टार्च के आधार पर ग्लुकोस का कारखाना लगाने के लिए आवेदन यदि प्राप्त होता है तो उस परगुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

तमिलनाडु में घड़ी कारखान के लिए लाइसेंस

706. **श्री जी० भुवारहन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में घड़ी कारखाना आरम्भ करने के लिये अब तक कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं; और

(ख) लाइसेंस कब दिये गये थे और इस बारे में अद्यतन स्थिति क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईती): (क) और (ख) घड़ी के कारखाने लगाने के इच्छुक उद्यमियों को उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन कलाई घड़ियों "यान्त्रिक" का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती। किन्तु संयन्त्र और मशीनों में 10 लाख रुपये से अधिक के निवेश के मामले में पंजीयन के लिए तकनीकी विकास के महानिदेशालय में आवेदन करना होता है। संयन्त्र और मशीनों में 10 लाख रुपये से कम निवेश के मामले में घड़ी का कारखाना लगाने के लिए विकास आयुक्त (लघु उद्योग) की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। मैं० साउथ इण्डिया वाच इण्डस्ट्रीज, होसर द्वारा तमिल नाडु में घड़ी का कारखाना लगाने के लिए विकास आयुक्त ने अनुमति दी थी। यह अनुमति विकास आयुक्त (लघु उद्योग) द्वारा 26-5-1977 को दी गई थी। मैसर्स साउथ इण्डिया वाच इण्डस्ट्रीज ने जमीन प्राप्त कर ली है और घड़ियां तैयार करने के लिए संयन्त्र और मशीनें प्राप्त कर ली हैं। उपकरणों के आयात के लिए कम्पनी ने पहले ही 1,68,500 रुपये मूल्य का आयात लाइसेन्स प्राप्त कर लिया है।

इसके अलावा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० द्वारा घड़ी बनाने का एक कारखाना उटी में लगाया गया है जो पहले से ही काम कर रहा है।

फिल्म जांच पनल का पुनर्गठन

6707. **श्री सुरेन्द्र बिक्रम :**
श्री प्रद्युम्न बल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्म सेन्सर बोर्ड से सम्बद्ध फिल्म जांच पैनल का पुनर्गठन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(i) फिल्म सेन्सर बोर्ड, बम्बई के सलाहकार पैनल के सदस्य :

1. श्रीमती उमा दा० कुन्हा
2. डा० सुनील कोठारी
3. श्री अरविन्द कुमार
4. श्री विक्रम सिंह
5. डा० सुरेश पी० दलाल
6. श्री रिचर्ड लेन-स्मिथ
7. डा० (प्रो०) अर्जुन गोविन्दराम मीरचन्दानी

विवरण—जारी

8. डा० श्रीधर मिश्र
9. डा० सी० एल० प्रभात
10. श्रीमती शान्ता शेल्के
11. श्री रघबीर सिंह
12. श्री बकी नारायण
13. श्रीमती विजया मेहता
14. श्रीमती कल्लोलिनी पवीर हजरत
15. डा० (श्रीमती) रामोला कोक्कर
16. श्री इरफान उल्लाह खान
17. डा० (श्रीमती) पन्ना रायजी
18. कुमारी शिरिन भट्ट
19. श्री फिरोज रंगूनवाला
20. श्री हरीश भनोट
21. श्री डेरीयस कूपर
22. कुमारी यूनिस डि सूजा
23. श्रीमती कंचनमाला हरमलकर
24. श्री सदानन्द रेगे
25. श्रीमती सरोजिनी शंकर वैद्य
26. श्री सुधीर नन्दगांवकर
27. श्रीमती वीना रंगनेकर
28. श्री महेन्द्र गांधी
29. श्रीमती प्रणेयिनी जगदीश मुंशी
30. श्रीमती अखतर जेकोब
31. श्रीमती रेखा विपिन खक्कर
32. श्री एम० के० वर्मा
33. श्री जग मोहन
34. श्रीमती वंदना वियंकर
35. श्री डब्ल्यू वाई० गाडगील
36. श्री रसीकलाल भुटा
37. प्रा० पुष्पा भावे
38. श्रीमती विमल परांजपे
39. श्रीमती मृणालिनी देसाई
40. श्रीमती उषा गोकानी
41. श्रीमती शिरीश पै
42. श्री खालीद अंसारी

विवरण—जारी

43. श्री ई० मेनेजीस
44. डा० अमरनाथ दुबे
45. श्रीमती उषा प्रियमवाडा
46. श्री मुकेश मित्तर

(ii) फिल्म सेन्सर बोर्ड, कलकत्ता के सलाहकार पेनल के सदस्य :

1. श्री शरत मिश्र
2. डा० गौरी शंकर भट्टाचार्जी
3. श्री गौर किशोर घोष
4. श्री बाग्वेश्वर झा
5. श्रीमती आर्ती टेगोर
6. श्रीमती कृष्णा घोष
7. श्री प्रफुल्ल राय
8. श्री मणीन्द्र राय
9. श्री राणाजय कालेकर
10. श्री तरुण राय
11. श्री अरोती श्रीमल
12. श्री अमित चौधरी
13. श्री प्रशान्त सन्याल

(iii) फिल्म सेन्सर बोर्ड, मद्रास के सलाहकार पेनल के सदस्य :

तमिल :

1. श्री एस० वालचन्द्र
2. श्रीमती गीता विश्वनाथन
3. श्री कविगनार पूनादियान
4. कुमारी मैत्रयो रामदोराई
5. श्री एम० मोहम्मद मुस्तफा
6. श्री के० पद्मनाभन
7. श्रीमती पद्मा पार्थसारथी
8. श्री आर० पार्थसारथी
9. श्री श्रीधर एस० राजन
10. श्री जे० तीगराजन (अशोक मित्रन)
11. श्रीमती प्रेमा परान्थमन
12. डा० उषा जगन्नाथन

तेलुगु :

1. श्री जी० अप्पा राव
2. श्री के० गोपालन

विवरण—जारी

3. श्री जयदेव बाबू
4. श्री कम्मीनेनी कृष्णमूर्ति
5. श्री नन्दा गोपाल
6. श्रीमती के० रामलक्ष्मी
7. श्री एम० सत्यनारायण
8. श्रीमती शमसिया हबीबुल्लाह बड़शाह
9. श्री वी० डी० राव
10. श्रीमती वसंता रामकृष्ण
11. श्रीमती पुष्पलता प्रसाद

कन्नड़ :

1. डा० कृष्ण भट्ट खैंताजो
2. श्री श्रीकृष्ण भट्ट
3. श्री एस० एन० कुमार
4. श्रीमती एन० एस० ललिथमा (उषा अरसु)
5. श्री बी० राधाकृष्णन
6. श्री के० एम० राघवेन्द्र राव
7. श्री बी० जी० एल० स्वामी

मलयालम :

1. श्रीमतो अम्यू मैथ्यू
2. श्रीमती भ्यमे राजमणिकम्
3. डा० पी० के० कृष्णन्
4. श्री के० सी० मैनन
5. डा० एम० के० पवित्रन्
6. डा० के० के० राजा
7. श्रीमती सरस्वती प्रताप

हिन्दी :

1. डा० जे० अग्रवाल
2. श्रीमती इंदिरा एस० मेहता
3. श्रीमती मीरा चारी
4. श्रीमती निर्मला गोकरन्
5. श्रीमती सीता बद्रीनाथ
6. श्रीमती स्नेहलता दतार

गांवों में आर्थिक विकास के लिये औद्योगिक फर्में

6708. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औद्योगिक फर्मों तथा कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हों ने आर्थिक विकास के लिए विभिन्न राज्यों में गावों को चुना है ;

(ख) प्रत्येक राज्यों में ऐसे गांवों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) वहां किए जाने वाले विकास के बारे में मुख्य बातें क्या हैं और इसमें अनुमानत: कितनी राशि की पूंजी निवेश होगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइति) : (क) से (ग): उन कम्पनियों की सूची निम्न प्रकार है जिनके ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 ग के अधीन कुछ शर्तें पूरी करने पर स्वीकृति प्रदान की गई है :

संख्या	कम्पनी का नाम
1.	मैं० ग्रीव्स काटन एण्ड कं० लि०
2.	मैं० ईस्ट इण्डियन प्रोडयूस लि०
3.	मैं० मोदीपन लि०
4.	मैं० मोदी स्पीनिंग एण्ड वीवींग मिल्स कं० लि०
5.	मैं० केमिकल्स एण्ड फिबरस आफ इण्डिया लि०
6.	मैं० जिन्दल अल्यूमिनियम लि०
7.	मैं० इण्डियन पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि०
8.	मैं० भगतपुर टी कम्पनी लि०
9.	मैं० बल्मफील्ड टी कम्पनी लि०
10.	मैं० मफतलाल फाइन स्पीनिंग एण्ड मैन्यु० कं० लि०
11.	मैं० होईचैस्ट डाईज एण्ड कैमिकल्स लि०
12.	मैं० मफतलाल इन्डस्ट्रीज लि०
13.	मैं० इण्डियन डाईस्टफ इण्डस्ट्रीज लि०
14.	मैं० मीहिर टैक्सटाइल्स लि०
15.	मैं० इन्डो बर्मा पैट्रोलियम कं० लि०
16.	मैं० स्टैन्डर्ड मिल्स कम्पनी लि०
17.	मैं० फैरो अलायस कारपोरेशन लि०
18.	मैं० आई० डी० एल० कैमिकल्स लि०
19.	मैं० नेशनल आरगेनिक कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज लि०
20.	मैं० सीतालक्ष्मी मिल्स लि०
21.	मैं० सोमैया आरगनो कैमिकल्स लि०
22.	मैं० टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कं० लि०
23.	मैं० वजीर सुलतान टोबेको कं० लि०
24.	पोलीलीफाइन इण्डस्ट्रीज लि०

क्र० सं०	कम्पनी का नाम
25.	हिन्दुस्तान आरगेनिक कैमिकल्स लि०
26.	अहमदाबाद अडवान्स मिल्स लि०
27.	टाटा योदोगावा लि०
28.	बेलपाहर रिफ्रेक्टरी लि०
29.	टाटा सन्स लि०
30.	दि टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि०
31.	लैक्मे लि०
32.	दि टाटा हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर सप्लाई कं० लि०
33.	दि टाटा पावर कं० लि०
34.	दि तारा कैमिकल्स लि०
35.	टाटा फाइनले लि०
36.	वोल्टास लि०
37.	दि टाटा आयल मिल्स कं० लि०
38.	दि आन्ध्र वैली पावर सप्लाई कं० लि०
39.	टाटा एक्सपोर्ट लि०
40.	इण्डियन वैजीटेबल प्रोड्क्टस लि०
41.	गोकाक पटेल वोकार्ट लि०
42.	फोरब्स फोरब्स कैम्पबैल एण्ड कं० लि०
43.	ग्रेट इस्टर्न शिपिंग कं० लि०
44.	गुडलास नैरोलेक पेन्टस लि०

निम्नलिखित राज्यों में ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा :—

1. आन्ध्र प्रदेश
2. गुजरात
3. हरयाणा
4. मध्य प्रदेश
5. महाराष्ट्र
6. तमिलनाडु
7. उत्तर प्रदेश
8. पश्चिम बंगाल

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 ग ग के प्रयोजन के लिए स्वीकृति देने हेतू विचारार्थ ग्रामीण विकास परियोजनाओं की श्रेणियों के बारे में एक उदाहरणात्मक सूची नीचे दी गई है :—

(1) स्वत: रोजगार प्रदान करने के लिए गरीब ग्रामीणों द्वारा चुने हुए क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योग स्थापित करने में सहायता ।

(2) औषधालयों, प्रसूति एवम् शिशु कल्याण केन्द्रों और परिवार कल्याण केन्द्रों की (क) स्थापना करना और (ख) उन्हें चलाना ।

(3) स्कूली बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम ।

(4) शैक्षिक और व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की (क) स्थापना करना और (ख) उन्हें चलाना ।

(5) गांवों को मिलाने वाली सड़कों, गांव की गलियों मार्गों और नालियों का (क) निर्माण और (ख) देख रेख ।

(6) कुओं ट्यूब बेलों आदि जैसी पीने के पानी की परियोजनाओं का (क) निर्माण और (ख) देखरेख तथा कुओं और तालाबों की सफाई ।

(7) ग्रामीण विद्युतीकरण अर्थात गावों की सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था और हरिजन जनजाति गृहों का विद्युतिकरण ।

(8) सरकार ग्राम पंचायत आदि द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में दिए गए स्थानों पर मकान बनाने के लिए समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करना ।

(9) छोटे/सीमान्त किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु ट्यूबवेल्स की बोरिंग तथा पम्पिंग सेट लगाने सहित छोटी सिंचाई योजनाएं ।

(10) छोटे/सीमान्त किसानों को अच्छी किस्म के बीजों की आपूर्ति करना और बीज परीक्षण हेतु सुविधाएं प्रदान करना तथा बीज-फार्म स्थापित करने में ऐसे किसानों की सहायता करना ।

(11) छोटे/सीमान्त किसानों को उर्वरक और किटकनाशक दवाईयों की सप्लाई करना और ऐसे किसानों को उर्वरक, कीटनाशक द्वारा दवाओं आदि का प्रयोग करने हेतु उनका मार्गदर्शन करना एवं प्रशिक्षण देना ।

(12) छोटे/सीमान्त किसानों को संयन्त्र प्रयोग हेतु ग्राम पंचायत को संयंत्र सुरक्षा उपकरण, स्पेयर्स, फार्म-मशीनों, साज-सामान आदि की आपूर्ति करना ।

(13) पशुपालन-पशु-चिकित्सा औषधालयों, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों आदि की स्थापना करके पशुओं की नसलों में सुधार करने तथा डेयरी उत्पादों की प्रक्रिया और विपणन में किसानों की सहायता करना ।

(14) मुर्गीपालन, बागवानी, मछली पालन आदि में छोटे/सीमान्त किसानों, भूमिहीन श्रमिकों आदि के वर्गों की सहायता करना ।

(15) फार्म मशीनों की सर्विसिंग और मरम्मत के लिए कार्यशालाओं की स्थापना करना और कामगरों, मिस्त्रियों आदि को प्रशिक्षण देना ।

Assistant directors in Hindi Teaching Scheme

6709. **Shri Surendra Bikram :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons who have been working as Assistant Directors (formerly Assistant Supervisors/Supervisors) in Hindi Teaching Scheme for the past more than six years;

(b) whether they include such incumbents as were Hindi Teachers in the above scheme and were not transferred outside Delhi on promotion and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) Eight.

(b) No, Sir.

(c) Question does not arise.

Basis for the nominations to Hindi advisory committees

6710. **Shri Surendra Bikaram :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the basis on which members are nominated to the Hindi Advisory Committees of various Ministries;

(b) whether any distinguished retired Hindi officers or any such other officers have been nominated as members in the Committees;

(c) if so, the basis of their selection; and

(d) whether persons working for the promotion of Hindi as official language in non-Hindi speaking areas have also been taken in these committees?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) For nominating members to be Hindi Salahkar Samitis of the various Ministries Kendriya Hindi Samiti have laid down certain guidelines which may be seen in the Annexure.

(b) Yes, Sir.

(c) According to the guidelines the basis of selection is good knowledge of the working of the Ministry and special interest in propagation and development of Hindi.

(d) Yes, Sir.

विवरण

हिन्दी सलाहकार समितियों के गठन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

सदस्य संख्या :--वैसे कोई निश्चित सदस्य संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रत्येक मंत्रालय को अपने कार्य के स्वरूप और क्षेत्र को देखते हुए यह संख्या निश्चित करनी होगी । सामान्यतः किसी भी समिति में 30 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक तो इससे विचार-विमर्श में सुविधा होगी और दूसरे यात्रा और दैनिक भत्तों पर भी अधिक व्यय नहीं होगा ।

10—132 LSS/ND/78

विवरण —जारी

2. **वर्गवार विभाजन :—**

(क) **सरकारी सदस्य** :—जाहिर है कि मंत्रालय के मंत्री समिति के अध्यक्ष होंगे । राज्य मंत्री, उपमंत्री, सचिव, अपर सचिव तथा संबंधित संयुक्त सचिव मिति के पदेन सदस्य होंगे । साथ ही संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के अध्यक्ष, ानिदेशक, निदेशक, महाप्रबंधक, प्रबंधक आदि को भी, जो मंत्रालय के महत्वपूर्ण र्य देख रहे हैं, समिति का पदेन सदस्य रखा जाये । (यदि मंत्री जो चाहें तो वे राज मंत्री, उपमंत्री को समिति का उपाध्यक्ष नामित कर दें, ताकि उनकी अनुपस्थिति मे वे बैठक को अध्यक्षता कर सकें) । राजभाषा विभाग के सचिव तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार सभी समितियों के पदेन सदस्य रहेंगे । राजभाषा विभाग का एक अ प्रतिनिधि भी सभी समितियों में अवश्य रखा जाना चाहिये ।

(ख) **गैर सरकारी सदस्य** :—ऐसे व्यक्तियों को ही सदस्य नामित करना चाहिए जिन्हें हिन्दी के प्रचार-प्रसार तथा विकास में विशेष रूचि हो और जो संबंधित मंत्रालय के कार्यकलाप की अच्छी जानकारी रखते हो ।

समिति के सदस्यों को चुनते समय नीचे लिखी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये :—

(1) संसद सदस्यों की संख्या :—समिति में सामान्यतया संसद के 4 सदस्य हों—2 लोक सभा से और 2 राज्य सभा से ।

(2) अन्य गैर सरकारी सदस्य :—मंत्रालयों के कार्यक्षेत्र से संबंधित और हिन्दी में रूचि रखने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त नीचें लिखी अखिल भारतीय हिन्दी संस्थाओं से भी एक या दो प्रतिनिधि रखे जाने चाहिए —

1. अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ
2. नागरी प्रचारिणी सभा
3. राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा तथा
4. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ।

यदि केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद को भी प्रतिनिधित्व देना हो, तो उसके अध्यक्ष को ही नामित किया जाये ।

जहा तक हो, दिल्ली के बाहर के सदस्यों की संख्या कम ही रखी जाए ताकि यात्रा और दैनिक भत्तों में मितव्ययिता बरती जा सके । जब कभी राजभाषा विभाग को ऐसा प्रतीत हो कि किसी खास वर्ग या क्षेत्र को किसी समिति में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है, तो वह उस समिति में अधिक से अधिक 3 व्यक्तियों को सदस्य नामित कर सकता है ।

3. **राजभाषा विभाग से परामर्श** :—केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णय के अनुसार सभी मंत्रालयों और विभागों को अपनी सलाहकार समितियों के गठन के बारे में भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार से राय लेना अनिवार्य है । अब एक नया राजभाषा विभाग बन गया है । इस विभाग के सचिव, भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार भी हैं । इसलिये अब समितियों के गठन के बारे में राजभाषा विभाग से ही पूर्व परामर्श काफी होगा । इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि परामर्श संबंधित मंत्री के अन्तिम आदेश लेने के पहले किया जाये ।

विवरण—जारी

4. समिति का कार्यक्षेत्र :—विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियों का काम केन्द्रीय हिन्दी समिति और गृह मंत्रालय (अब राष्ट्रभाषा विभाग) की हिन्दी सलाहकार समिति द्वारा सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी के प्रयोग के संबंध में निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन और अपने मंत्रालयों के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में सलाह देना है। यदि इन मंत्रालयों से संबद्ध हिन्दी सलाहकार समितियां राजभाषा नीति के संबंध में कोई बुनियादी परिवर्तन सुझाती है तो मंत्रालय को चाहिये कि वे राजभाषा विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना उन पर अमल न करें।

Public life free from corruption

6711. **Dr. Ramji Singh :**
Shri Rajendra Kumar Sharma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether urgent and stringent steps were promised in the Janata Party's election manifesto for making public life free from corruption;

(b) if so, what stringent steps were taken during the past one year;

(c) whether corruption incidence has come down as a result; and

(d) the number of suggestions out of these made by the Santhanam Committee regarding corruption implemented during the past one year and further action proposed to be taken in this regard?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) : Yes, Sir.

(b) (i) With a view to providing an effective institution to combat corruption at higher political levels, a Bill namely, the Lokpal Bill 1977, which differs in material respects from the earlier Bills of 1968 and 1971, was introduced in the Lok Sabha in July 1977 for the setting up of the institution of Lokpal to inquire into complaints of corruption, etc. against public men, including Prime Minister, Union Ministers, Chief Ministers of States and Members of Parliament.

(ii) Commissions of Inquiry under the Commissions of Inquiry Act, 1952, were set up to inquire into specific allegations made against public men and others.

(iii) Certain organisational changes have been effected in the Central Bureau of Investigation which is the main investigating agency at the Centre.

(iv) A proposal is under consideration to introduce in Parliament a Bill to provide for all Members of Parliament making a declaration of their assets and liabilities.

(v) Departments/Public Undertakings where chances of corruption are greater were taken by the CBI under the Programme of work for 1977, and special attention was paid to these Departments/Public Undertakings.

(c) The incidence of corruption is not susceptible of valuation statistically. However, the cumulative effect of the steps taken by the Government during the last one year may be expected to have a cleansing effect on the administration.

(d) At the time the present Government took over there were 4 major recommendations of the Santhanam Committee on which a final decision had not been taken by the previous Government. These relate to (i) procedure for making inquiry against Ministers; (ii) Code of Conduct for Legislators; and (iii) Code of Conduct for political parties. As mentioned above, the Lokpal Bill 1977 which envisages the setting up of the institution of Lokpal for inquiries into complaints against public men was introduced in Lok Sabha in July, 1977. A proposal is being worked out to introduce in Parliament a Bill to provide for all Members of Parliament making a declaration of their assets, liabilities and business interests.

केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों की सूची

6712. **श्री जेव० एम० अवारी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उप-सचिव के ग्रेड में पदोन्नति के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों की एक सूची सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो सूची में कितने अधिकारी सम्मिलित किये गये हैं और उनकी सापेक्षिक वरिष्ठता क्या है ;

(ग) अब तक जो अधिकारी उप-सचिव के पद पर विभुक्त किये जा चुके हैं सूची में उनकी क्रम संख्या क्या है ;

(घ) जूनियर अधिकारियों को नियुक्त करके सूची में वरिष्ठता का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं जबकि उनसे वरिष्ठ अधिकारियों की अभी नियुक्तियाँ की जानी हैं ; और

(ङ) जब तक सूची में सम्मिलित केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारीयों को नियुक्त नहीं कर दिया जाता तब तक बाहरी लोगो की नियुक्ति के रोके जा सकने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनुसिंह पाटील) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) 48 अधिकारी । प्रवर सूची में परस्पर वरिष्ठता संलग्न सूची के अनुसार है ।

(ग) सूची में क्रम संख्या 1 पर दिए हुए अधिकारी को नियमित आधार पर उपसचिव के पद पर नियुक्त कर दिया गया है । अन्य कुछ अधिकारी केवल अल्पकालीन आधार पर स्थानापन्न ग्रुप से उप-सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं ।

(घ) तथा (ङ) : केन्द्र में उप-सचिव के पद किसी सेवा के लिए आरक्षित नहीं हैं । इन पदों पर नियुक्तियां प्रत्रेक कार्य की अपेक्षा के अनुसार तैनाती के लिए उपलब्ध अधिकारियों में से की जाती हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रवर सूची से के० स० से० के अधिकारियों की नियुक्तियों का क्रम वह नहीं हो सकता, जिसमें उनके नाम दिए गए हों । फिर भी, अलग अलग विभागों में कार्य कर रहे केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रवर सूची के अधिकारियों की उसी क्रम में नियुक्ति की जाती है, जिसमें प्रवर सूची में उनके नाम दिए गए हैं ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा (उप सचिव) के चयन ग्रेड में नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे गए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 अधिकारियों की प्रवर सूची

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	क्रम संख्या	अधिकारी का नाम
	सर्वश्री		सर्वश्री
1	एस० एस० एल० मल्होत्रा	25	कुमारी पी० एस० शकुन्तला
2	आर० सी० जैन	26	पी० बी० कुलकर्णी
3	तखत राम	27	ए० के० वर्मा
4	एम० के० रामस्वामी	28	के० सी० कंकण
5	आर० लुइखम (अनुसूचित जन जाति)	29	आर० ए० रशीद
6	परमातम सिंह	30	बी० पी० पांडे
7	राम ऋषि सिंह	31	ओ० पी० एस० भाटिया
8	टी० एन० कृष्णमूर्ति	32	ओ० पी० कोहली
9	दर्शन सिंह	33	वी० आर० आयर
10	आर० एस० साने	34	बी० आर० चव्हान
11	पाखर राम अहीर (अनुसूचित जाति)	35	एन० के० अग्रवाल
12	एस० सी० रे (अनु० जा०)	36	पी० जी० लेले
13	जे० आर० जैन	37	पी० आर० चन्द्रन
14	एम० ई० थोमस	38	टी० सी० ए० श्रीनिवासन
15	एस० एन० दुग्गल	39	वी० एस० राघवन
16	वी० रामचन्द्रन	40	पी० एस० पारवानी
17	रूप राम	41	टी० के० रामचन्द्रन
18	ए० वी० श्रीनिवासन	42	बी० के० डे
19	एस० एस० क्षेत्री	43	पी० वी० सक्सेना
20	एस० रंगास्वामी	44	ए० के० गारडे
21	बी० डी० खैर	45	एस० आर० शर्मा
22	टी० वी० नायर	46	के० वी० बालासुब्रामणियन
23	शीशपाल सिंह	47	एस० एल० कौशल
24	आर० एस० अहलूवालिया	48	के० वी० आयर

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा संहिताओं और नियम पुस्तिकाओं का हिन्दी में अनुवाद

6713. **श्री मोहन लाल पिपिल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित विभिन्न प्रकार की संहिताओं, नियम पुस्तिकाओं तथा अन्य प्रक्रिया संबंधी साहित्य का केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा हिन्दी में अनुवाद किया जाना होता है

(ख) यदि हां, तो ब्यूरो ने अपनी स्थापना के बाद वर्षवार, किन संहिताओं और नियम पुस्तिकाओं का अनुवाद किया है ; और

(ग) ब्यूरो के पास कौन सी संहिताए और नियम पुस्तिकाए अभी भी अनुवाद हेतु पड़ी हैं और ब्युरो इन नियम पुस्तिकाओं/संहिताओं आदि का अनुवाद कब तक कर देगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागो से संबंधित, असांविधिक प्रकार के, मैनुअलों, नियम पुस्तकों तथा कार्य विधि साहित्य का हिन्दी में अनुवाद किया जाता है ।

(ख) स्थापना के बाद से ब्यूरो ने जिन मैनुअलों, नियम पुस्तकों आदि का अनुवाद किया है, उनकी वर्षवार सूची अनुलग्नक-1 पर है ।

(ग) ब्यूरो द्वारा जिन मैनुअलों, नियम पुस्तको आदि का अनुवाद अभी बाकी है, उनकी सूची अनुलग्नक-2 पर है । आशा है कि यह अनुवाद कार्य लगभग दो वर्षों में पूरा हो जाएगा ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2088/75]

उत्तर प्रदेश में विभिन्न पार्टियों को सैनिक भूमि का पट्टे पर दिया जाना

6714. **श्री मोहन लाल पिपिल :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 में उत्तर प्रदेश में विभिन्न पार्टियों को सैनिक भूमि का और छावनियों का कुल कितना क्षेत्र पट्टे पर दिया गया

(ख) सम्बद्ध पार्टियों से कुल कितना किराया प्राप्त हुआ; और

(ग) गैर-सरकारी पार्टियों को पट्टे पर उक्त भूमि आबंटित करने के लिये क्या कसौटी अपनाई गई ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) रक्षा भूमि मुख्यत: रक्षा संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए होती है । जो भूमि अस्थायी तौर पर फालतू होती है अथवा जिसका अन्तिम निपटान करने में समय लगने की सम्भावना होती है उसे थोड़े समय के लिए कृषि प्रयोजन के लिए पट्टे पर दे दिया जाता है ।

रक्षा भूमि को कृषि और भवन निर्माण के लिए निजी पार्टियों को देने के लिए निम्नलिखित मानदण्ड अपनाए जाते हैं :—

कृषि प्रयोजन के पट्टे :

(1) अस्थायी तौर पर रक्षा भूमि केवल उन भूतपूर्व सैनिकों को पट्टे पर दी जाती है जो लाभकारी नौकरी पर नहीं लगे हुए हैं अथवा सभी स्रोतों से उनकी मासिक आय पेंशन मिलाकर 400 रुपए

से अधिक नहीं है अथवा उनके पास सभी स्रोतों से प्राप्त 5 एकड़ सिंचाई वाली भूमि और 10 एकड़ असिंचित भूमि से अधिक नहीं है। इस बारे में केवल ऐसे आवेदनों पर ही विचार किया जाता है जिनके साथ पात्रता के बारे मे शपथ-पत्र होता है और जो जिला सैनिक, नाविक और वायुसैनिक बोर्डों के माध्यम से प्राप्त होते हैं ।

(2) यदि अस्थायी तौर पर फालतू भूमि का पट्टा लेने के लिए कोई भूतपूर्व सैनिक अथवा उनकी सहकारी समितियां नहीं मिलती हैं तो ऐसी भूमि का पट्टा उन गरीब भूमिहीन व्यक्तियों को दे दिया जाता है जिनके पास सिंचाई वाली कुल भूमि (स्वामित्व तथा किसी स्रोत से प्राप्त पट्टे पर भूमि सहित) 5 एकड़ से कम और बिना सिंचाई वाली भूमि 10 एकड़ से कम है और जिसकी सब स्रोतों से आय 200 रुपए प्रति मास से कम होती है। इसके लिए उन्हीं व्यक्तियों के आवेदनों पर विचार किया जाता है जिनके साथ उनकी पात्रता की पुष्टि में शपथ-पत्र होता है और वे कलक्टर, तहसीलदार के माध्यम से प्राप्त होते है ।

(3) इन पात्र भूतपूर्व सैनिकों अथवा भूमिहीन गरीब व्यक्तियों को 5 एकड़ सिंचाई वाली तथा 10 एकड़ बिना सिंचाई वाली भूमि से अधिक भूमि पट्टे पर नहीं दी जाती जिसमें वह भूमि भी शामिल होगी जो सभी स्रोतों से खरीदी गई अथवा पट्टे पर ली गई है ।

(4) भूतपूर्व सैनिकों अथवा भूमिहीन गरीब व्यक्तियों को, पट्टा प्राप्त करने की पात्रता निश्चित करने के लिए उनकी पति/पत्नी तथा नजदीकी रिश्तेदारों की आय, भूमि का स्वामित्व/पट्टा भी सम्मिलित किया जाता है ।

भवन निर्माण के लिए पट्टा :

रिहायशी मकान बनाने के लिए कोई भूमि पट्टे पर नहीं दी जाती है । परन्तु यदि रक्षा भूमि फालतू हो और उसे मकान आदि के लिए पट्टे पर दिया जा सकता हो तो उसे डाक खानों, बैंकों, स्कूलों जैसी केवल सार्वजनिक संस्थाओं को ही दिया जाता है। पंजीकृत अथवा सार्वजनिक निकायों द्वारा चलाए जाने वाली मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित धर्मार्थ और शैक्षणिक संस्थाओं को पट्टे पर भूमि देने के संबंध में ऐसे पट्टे की शर्तें हर मामले के औचित्य के आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है ।

बिहार में चीनी प्रकाशनों और पत्रिकाओं का पकड़ा जाना

6715. **श्री ए० के० राय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी प्रकाशनों को, यहां तक कि पत्रिकाओं को भी समस्त बिहार में रोका गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या नीति है और चीनी प्रकाशनों के रोकने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) 1976 में हांगकांग से भेजे गए कुछ चीनी प्रकाशन रोक दिए गए थे क्योंकि उनमें भारत की सीमाओं के बारे में सन्देह व्यक्त किया गया था ।

(ख) वर्तमान नीति के अनुसार समुद्र अथवा भूमि के जरिए कोई पुस्तक, पत्रिका अथवा अन्य कागजात जिसमें भारत की सीमाओं के बारे में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सन्देह व्यक्त किया गया हो लाने पर रोक है ।

Crimes involving Women in Delhi

6716. **Shri Ishwar Chaudhry:**
Shri Rajkeshar Singh:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether incidence of crimes particularly with women has been increasing in the capital;

(b) if so, the extent of increase during the past two years crime-wise and year-wise; and

(c) the steps taken by Government to check them?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil): (a) & (b): The figures of crime against women during the year 1973, 1974, 1976, and 1977 are as below:

Crime Head	1973	1974	1976	1977
Snatching	198	208	111	207
Kidnapping & abduction . .	576	556	224	253
Molestation of women .	71	49	37	71
Rape	73	66	58	60

For obvious reasons comparison should be with the pre-emergency period.

(c) The crime involving women is receiving the personal attention of senior police officers in Delhi. Besides the general measures to check the crime such as intensifying day and night mobile patrolling, posting pickets at strategic points, keeping surveillance over known bad characters, the following steps are also being taken:

(i) Checking of suspected vehicles found moving during late hours;

(ii) Keeping strict watch over the activities of persons of ill-repute in the area.

(iii) Deploying uniformed and plain clothes men at bus stops, cinemas, hotels, railway stations, parks and other such places.

छपाई के कागज के उत्पादन पर नियंत्रण

6717. **श्री के० ए० राजन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छपाई के सफेद कागज के उत्पादन पर नियंत्रण रखने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि छपाई कागज निर्माता कृत्रिम कमी पैदा करने के उद्देश्य से जानबूझ कर उत्पादन कम कर रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) : कल्चरल कागजों की कम मात्रा में उपलब्धता को समस्या का समाधान करने की दृष्टि से सरकार ने 1 अगस्त, 1974 को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन कागज (उत्पादन नियंत्रण) आदेश, 1974 जारी किया। इस आदेश के अन्तर्गत 25 मी० टन अथवा इससे अधिक प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाली मिलों की अपनी उत्पादन क्षमता का 57 प्रतिशत कल्चरल कागज को छह नियंत्रित किस्मों अर्थात् छपाई का सफेद कागज (30 प्रतिशत), क्रीमलेड/वोव पेपर (16 प्रतिशत), छपाई का रंगीन कागज (1.5 प्रतिशत) और डुप्लिकेटिंग एवं टाइपिंग पेपर (0.5 प्रतिशत) के रुप में उत्पादित करना होता है। किन्तु बाद में संशोधन कर अन्य किस्मों सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटाकर केवल छपाई के सफेद कागज की निर्धारित प्रतिशतता (30 प्रतिशत) तक उत्पादन करने का प्रावधान किया गया।

वर्ष 1978 के आरम्भ में स्थिति की संवीक्षा करने पर यह ज्ञात हुआ कि गत 2 वर्षों में कागज तथा गत्ते के उत्पादन में एक लाख मी० टन से अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 1977 में छपाई के सफेद कागज के उत्पादन की प्रतिशतता में कमी आई जो गत वर्ष में प्रचलित लगभग 60 प्रतिशत के उत्पादन स्तर से कम होकर 57 प्रतिशत के स्तर तक रह गई। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए एक नया आदेश अर्थात् कागज (उत्पादन विनियमन) आदेश, 1978 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत 8 मार्च, 1978 को जारी किया गया। अन्य बातों के साथ साथ इस आदेश में यह व्यवस्था है कि 25 मी० टन अथवा इससे अधिक प्रतिदिन की अधिष्ठापित क्षमता वाली मिलों को अपने कुल उत्पादन के 30 प्रतिशत तक छपाई के सफेद कागज का उत्पादन करना होगा तथा लिखाई एवं छपाई के कागज की अन्य 5 किस्मों (क्रीमलेड या वोव कागज, छपाई का रंगीन कागज, डुप्लिकेटिंग पेपर, आफसेट या लोथो पेपर तथा टाइपिंग पेपर) का उपादन कुल उत्पादन के कम से कम 33 प्रतिशत तक करना होगा जिसमें क्रीमलेड अथवा वोव पेपर का उपादन 20 प्रतिशत से कम नहीं होगा। इससे कागज की सामान्य मूल किस्मों की उपलब्धता में वृद्धि होने की आशा है।

आर० आई० एम० सी०, देहरादून विद्यार्थियों का प्रवश

6718. **श्री क० बी० चेतरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर० आई० एम० सी०, देहरादून में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिये रक्षा मंत्रालय ने क्या कसौटी निर्धारित की है ;

(ख) राज्यवार, यदि कोई कोटा है, तो कितना ;

(ग) क्या मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों अन्य अल्प समुदायों के आवेदकों को कोई छूट दी है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) ग न वर्षों के दौरान राज्यवार चुने गये उम्मीदवारों के नाम क्या हैं ;

(च) क्या परोक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने का कोई उपबन्ध है जैसा कि अन्य मामलों में शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालेज, देहरादून में प्रवेश एक अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा और तत्पश्चात् मौखिक परीक्षा तथा डाक्टरी जांच के आधार पर वर्ष में दो बार अर्थात् जनवरी और अगस्त में किया जाता है ।

(ख) विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को आबंटित रिक्त स्थानों का विवरण परिशिष्ट 'क' पर दिया गया है । इन स्थानों को भरा जाना इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्रवेश परीक्षा आदि में लड़कों के पास होने पर निर्भर करता है ।

(ग) और (घ) : चूंकि प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से चुने जाने वाले लड़कों की संख्या बहुत कम होती है--अधिकतर राज्यों को केवल एक स्थान मिलता है--इसलिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य अल्प संख्यक समुदायों के लड़कों के लिए किसी छूट की व्यवस्था नहीं की गई है । लेकिन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह जैसे पिछड़े क्षेत्रों के लिए एक स्थान सुरक्षित रखा जाता है बशर्ते कि इन क्षेत्रों का उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा में पास हो ।

(ङ) अगस्त, 1975 से जनवरी, 1978 तक पिछले 6 सत्रों के दौरान प्रवेश परीक्षा पास करने पर चुने जाने वाले और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालेज में प्रवेश पाने वाले लड़कों के नामों का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर दिया गया है ।

(च) और (छ) : राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालेज, रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक संस्थान है । राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालेज में ही प्रश्न पत्रों को तैयार किया जाता है और वहीं उनकी जांच की जाती है लेकिन थल सेना मुख्यालय में इनकी समीक्षा की जाती है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिय संख्या एल० टी० 6718/78]

सौर ऊर्जा के प्रयोग में उपलब्धियां

6719. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री सौर ऊर्जा पर सम्मेलन के बारे में 22 फरवरी, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 202 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977-78 में उपलब्धियों के विशेष संदर्भ में देश में सौर ऊर्जा के प्रयोग में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) अनुसंधान और प्रयोग के इस क्षेत्र में गतिरोध के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर विशेष रूप से बल देते हुए सौर ऊर्जा के विभिन्न प्रयोजनों के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल को सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है । इस क्षेत्र में प्रयास अभी तक अनुसंधान और विकास की अवस्था में है । महत्वपूर्ण वित्तीय निवेशों के साथ संगठित रूप से अनुसंधान और विकास कार्य कोई दो वर्ष पहले ही आरम्भ किया गया था और आम तौर पर नवीन प्रौद्योगिकियों को व्यापारिक स्तर तक पहुंचते हुए कई वर्ष लग जाते हैं । गत दो वर्षों के दौरान की गई निरन्तर कोशिशों के परिणाम स्वरूप कई सौर ऊर्जा यंत्रों यथा जल तापन प्रणाली, कृषि उत्पादों के लिए शुष्ककों आदि के प्रोटोटाइपों का सफलतापूर्वक विकास किया जा चुका है । इनमें से कई यंत्रों के देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय परीक्षण किए जा रहे हैं ।

1977-78 के दौरान प्राप्त उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

(1) अन्नामलाई विश्वविद्यालय द्वारा एक-टन-प्रतिदिन क्षमता के धान शुष्कक के प्रोटोटाइप को सफलतापूर्वक तैयारी ।

(2) 10 टन प्रतिदिन क्षमता के धान शुष्कक को लधियाना के पास लाडोवाल में केन्द्रीय राज्य फार्म (खेत) में नेशनल इन्डस्ट्रियल डिवेलपमेन्ट कार्पोरेशन द्वारा प्रतिष्ठापित किया गया था। गौहाटी (असम) में एक और नाज शुष्कक की प्रतिष्ठापना का कार्य आरम्भ किया गया ।

(3) भारत–एफ० आर० जी० सहयोग करार के अधीन भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्ज़ लि० ने इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालोज़ी, मद्रास के सहयोग से एक 10–किलोवाट का प्रायोगिक सौर शक्ति संयंत्र सफलतापूर्वक प्रतिष्ठापित किया है और इसे चालू किया गया है ।

(4) घरेलू इस्तेमाल के लिए और होटलों, अतिथिगृहों, छात्रावासों आदि में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए सौर ऊर्जा तापन प्रणालियों का भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्ज़ लिमिटेड और राष्ट्रीय भौतिकीय प्रयोगशाला द्वारा विकास किया गया है। ऐसी बड़े पैमाने पर की गई एक व्यवस्था कुतुब होटल में पूरी होने वाली है ।

(5) इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ साइंस, बंगलौर में सौर सैलों के लिए फ्रेस्नल कन्डैसर बनाने के लिए जानकारी का विकास किया गया ।

(6) सैन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लि० में सिलिकान सौर सैलों की संविरचना ।

सौर ऊर्जा के आधार पर शीत संग्रहागार, कम लागत के सौर सैलों, संग्राही विकास आदि जैसी अन्य परियोजनाओं में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इनके लिए धन की व्यवस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई है ।

(ख) इस दिशा में कार्य धीमा हो गया है। इसके विपरीत अनुसंधान और विकास को त्वरित किया जा रहा है और अतिरिक्त निवेशों की व्यवस्था की जा रही ताकि सौर ऊर्जा और ऊर्जा के अन्य स्रोतों के उपयोग के लिए सफलतापूर्वक उत्पादों और युक्तियों का विकास किया जा सके ।

दिल्ली में कोयले की कमी

6721. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कोयले की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) दिल्ली में कोयले की कितनी आवश्यकता है और गत तीन महीनों में कितना कोयला सप्लाई किया गया ;

(घ) क्या दिल्ली प्रशासन ने कोयले की कमी के बारे में कोई शिकायत की है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचंद्रन) : (क) व (ख) : दिल्ली को सप्लाई करने के लिए कोयले की कोई कमी नहीं है। परन्तु फरवरी और मार्च, 1978 के महीनों में दिल्ली के लिए साफ्ट कोक के लदान में और फलस्वरूप यहां आने वाली मात्रा में कुछ कमी हुई। दिल्ली में अधिक मात्रा में कोयला पहुंचाने के लिए कार्रवाई की गई है।

(ग) दिल्ली में गत तीन महीनों में साफ्ट कोक की मांग और पूर्ति नीचे दी गई है :—

महीना	मांग (टनों में)	पूर्ति
जनवरी, 78	40,320	32,610
फरवरी, 78 . .	35,840	21,260
मार्च, 78.	33,600	22,620

(घ) व (ङ) : दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली को अधिक कोयला भेजने के प्रश्न पर बातचीत प्रारंभ कर दी है।

संगणकों के निर्माण के लिए देश में उपलब्ध विशेषज्ञता

6722. **श्री एस० आर० दामानी :**
श्री डी० डी० देसाई :
डा० वसन्त कुमार पंडित :

क्या **इलक्ट्रॉनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विदेशों में बने संगणकों से मुकाबला करने वाले संगणकों का निर्माण करने के लिए देश में विशेषज्ञता का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; उक्त कार्य कौन सा संगठन कर रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका देश में कब विकास किया जाएगा ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), से (ग) : इलैक्ट्रानिकी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड इस समय टी० डी० सी०-312 तथा टी० डी० सी०-316 किस्म के तृतीय उत्थान-काल (थर्ड जेनरेशन) के मिनी कम्प्यूटरों तथा माइक्रो-78 जैसे चतुर्थ उत्थान काल (फोर्थ जेनरेशन) के सूक्ष्म-संसाधित्रों (माइक्रो प्रोसेसरों) का निर्माण तथा विपणन कर रहा है। भारत इलैक्ट्रानिकी लिमिटेड ने बेलकाम-1 नामक एक मिनी काम्प्यूटर विकसित किया है। इलैक्ट्रानिकी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड टी० डी० सी०-332 किस्म के एक मध्यम आकार के कम्प्यूटर को भी विकसित कर रहा है। इन कम्प्यूटरों में उसी प्रकार के डिजाइन तथा संघटक पुर्जे लगे हैं जैसे कि विश्व के किसी भी समकालीन क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन प्रणालियों की विश्वसनीयता में सुधार लाने और उन्हें स प्रकार के साफ्टवेयर उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त विकास कार्य किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य उनका विभिन्न अनुप्रयोगों में इस्तेमाल करना है। इसी आधार पर वे उन्नत विदेशी डिजाइनों की तुलना कर सकेंगे। सरकार उसके लिए उन्हें वित्तीय सहायता दे रही है। निजी क्षेत्र के कुछ एककों ने सूक्ष्म संसाधित्र (माइक्रो प्रोसेसर) पर आधारित कैश रजिस्टरों, लेखांकन तथा बीजकांकन मशीनों का विकास किया है। आंतरिक आवश्यकताओं तथा निर्यात संबंधी आवश्यकताओं इन दोनों ही के लिए कम्प्यूटर-साफ्टवेयर का भी विकास कर लिया गया है।

दोपहर के समय दिल्ली परिवहन निगम की बसों को अन्य प्रयोजन के लिए चलाना

6723. **श्री मोहिन्दर सिंह संहिवाला :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिदिन दोपहर के समय दिल्ली परिवहन निगम की बहुत सी बसों को कुछ पब्लिक स्कूलों के लिए चलाया जाता है जिससे दोपहर में बस सेवा अन्तराल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और बस यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है ; और

(ख) यदि हां, तो थोड़े लोगों के लाभ के लिए बस सेवा में इस व्यवधान के क्या कारण हैं जब कि वे अपने लिए दूसरी व्यवस्था भी कर सकते हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) : निगम ने दिल्ली में मान्यता प्राप्त स्कूलों को प्रातःकाल और दोपहर बाद की दो अलग अलग पारियों में, जब निगम के पास कुछ बसें फालतू होती हैं, 274 बसें किराए पर दे रखी हैं। स्कूल ड्यूटी पर लगी बसों का समय वह व्यस्त- तम समय नहीं होता जब निगम को अधिकतम संख्या में बसें चलानी होती हैं। इससे यात्रियों को बिना किसी असुविधा के निगम की कमाई बढ़ाने में सहायता मिलती है ।

Expenditure incurred on programmes of A.I.R.

6724. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred monthly on various programmes broadcast over the All India Radio; and

(b) the per hour payments made to the people partaking in these programmes?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) and (b): Such data asked for is not maintained.

The compilation of the information will not be commensurate with the results required to be achieved.

सरकारी आवास वाले रक्षा कर्मचारियों की संख्या

6725. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में काम करने वाले ऐसे रक्षा कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन्हें सरकारी आवास दिये गये हैं ;

(ख) दिल्ली/नई दिल्ली में काम करने वाले ऐस रक्षा कर्मचारियों की संख्या क्या है जो सरकारी आवास के हकदार हैं परन्तु जिन्हें अभी तक सरकारी आवास आबंटित नहीं किया जा सका ; और

(ग) मंत्रालय, थल सेना, वायु सेना, तथा जल सेना के मुख्यालयों तथा अन्य अधीनस्थ कार्यालयों में काम करने वाले सभी हकदार रक्षा कर्मचारियों को सरकारी आवास देने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : अनुमानतः प्रश्न रक्षा सिविलियन कर्मचारियों के बारे में है। सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों/अन्तर सेवा संगठनों और रक्षा प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे रक्षा कर्मचारी, निर्माण और आवास मंत्रालय के सम्पदा निदेशालय द्वारा निर्धारित दिल्ली/नई दिल्ली की सीमाओं के अनुसार उस निदेशालय द्वारा नियन्त्रित जनरल पूल से आवास पाने के हकदार होते हैं ।

सम्पदा निदेशालय द्वारा निर्धारित सीमाओं से बाहर जैसे दिल्ली छावनी और शकूरबस्ती में कार्य करने वाले रक्षा सिविलियन कर्मचारी जनरल पूल से आवास पाने के हकदार नहीं हैं । वे सेवा कार्मिकों से फालतू स्टेशन पूल का आवास पा सकते हैं । परन्तु जब सेवा कार्मिकों को आवास की आवश्यकता होती है तो सिविलियन कर्मिकों को ऐसे आवास खाली करने होते हैं । इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को कठिनाई कम करने के लिए सरकार कठिन स्टेशनों पर, जिन में दिल्ली छावनी सम्मिलित है, कर्मचारियों की संख्या के 15 प्रतिशत तक आवास देने के लिए भी सहमत हो गई है । अभी तक आवास की 566 यूनिटें बनाई जा चुकी हैं । यदि धन उपलब्ध होता है तो आगे और मकान बनाए जाएंगे ।

आयुध कारखाना, अम्बाझारी में 'ओवर-टाइम' और 'टूल डाउन' हड़तालों की संख्या

6726. **श्री दया राम शाक्य :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध कारखाना, अम्बाझारी में जनवरी, 1975 से दिसम्बर, 1977 तक की अवधि में कितनी 'ओवर टाइम' तथा 'टूल-डाउन' हड़तालें हुई और उन हड़तालों का आह्वान किन संगठनों (मजदूर संघों) के द्वारा किया गया था ;

(ख) क्या ओवर-टाइम/टूल डाउन हड़तालों का आह्वान करने वाले मजदूर संघों के पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी और यदि हां, तो कितने पदाधिकारियों के विरुद्ध और वे किस संगठन (मजदूर संघ) के थे ; और

(ग) क्या 11 नवम्बर से 26 दिसम्बर, 1977 के बीच आयुध कारखाना अम्बाझारी के मुख्य द्वार के सामने एक क्रमिक भूख हड़ताल हुई थी ; और यदि हां तो उसका आह्वान किस संगठन ने किया और रक्षा मंत्रालय से संबद्ध, उनकी मांग क्या थी और अब तक कितनी मांगें स्वीकार की गई हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जनवरी, 1975 से दिसम्बर, 1977 तक समयोपरि कार्य और "टूल डाउन" के बारे में कर्मचारी संघों की ओर के हड़ताल का कोई आह्वान नहीं किया गया ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां, इसका आयोजन आयुध निर्माणी मजदूर संघ द्वारा किया गया था । इसमें आठ मांगें रखी गई थीं । वे मांगें तथा इनकी वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

(1) अम्बाझारी में सैनिक स्कूल खोलना

वर्ष 1978-79 में केन्द्रीय विद्यालयों के नियमन का प्रश्न विचाराधीन है ।

(2) व्यवसाय पर महाराष्ट्र राज्य कर से छूट

यह कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और निर्माणी प्रबन्ध इसकी वसूली संबंधी कानूनी पहलू पर विधि और न्याय मंत्रालय को कलकत्ता स्थित सचिवालय शाखा के साथ परामर्श कर के विचार किया जा रहा है ।

(3) नागपुर और अम्बाझारी के बीच स्थानीय रेलगाड़ी चलाना

इस मांग के समर्थन में आंकड़े प्राप्त हो गए हैं और इस मामले में रेल मंत्रालय को लिखा जा रहा है ।

(4) बोनस की अदायगी

आयुध निर्माणी के कर्मचारियों पर बोनस अधिनियम लागू नहीं होता ।

(5) एक औद्योगिक कर्मचारी के साथ किए गए अन्याय को दूर करना

इस मामले की जांच की गई है और जांच करने पर अन्याय का आरोप सही नहीं पाया गया ।

(6) निर्माणी अस्पताल में डाक्टरों की संख्या बढ़ाना

यहां 5-1-78 से मेडिकल अफसर का एक और पद मंजूर किया गया है और मेडिकल अफसर ने इस नए पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

(7) कुछ अफसरों और कर्मचारियों की बदली

इस पर विचार किया जा रहा है ।

(8) औद्योगिक कर्मचारियों की वरिष्ठता के आधार पर, न कि ट्रेड परीक्षा के आधार पर पदोन्नति

इस पर विचार किया जा रहा है ।

केन्द्रीय सचिवालय में गैर-राजपत्रित कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त यूनियनें

6727. **श्री भगत राम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय में गैर-राजपत्रित कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली कितनी यूनियनों को मान्यता मिली हुई है ;

(ख) किसी यूनियन के पास सरकार की मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए; और

(ग) किन नई यूनियनों ने मान्यता के लिए आवेदन किया है और मान्यता देने के मामले में सरकार का क्या दृष्टि कोण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनुसिंह पाटील) : (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में गैर-राजपत्रित कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली निम्नलिखित एसोसिएशनों/यूनियनों को इस समय मान्यता मिली हुई है :

(1) सेंट्रल सेक्रेटेरियट स्टनोग्राफर्स सर्विस ऐसोसिएशन ।

(2) सेंट्रल सेक्रेटरियट असिस्टेंट्स ऐसोसिएशन ।

(3) सेंट्रल सेक्रेटरियट सर्विस डायरेक्ट रेंकरुट असिस्टेंट्स ऐसोसिएशन ।

(4) सेंट्रल गवर्नमेंट क्लर्क्स यूनियन ।

(5) केन्द्रीय सचिवालय समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एसोसिएशन ।

(6) सेंट्रल गवर्नमेंट क्लास-IV एम्पलाइज एसोसिएशन ।

(7) सेन्ट्रल गवर्नमेंट डिसपैच राइडर्स एसोसिएशन ।

(8) सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ कार ड्राइवर्स एसोसिएशन ।

(ख) सरकार द्वारा किसी एसोसिएशन को तब मान्यता दी जाती है जबकि सरकार स्वयं इस बातसे सन्तुष्ट हो जाए कि एसोसिएशन अपेक्षित मानदण्डों (संलग्न अनुबंध में निर्दिष्ट) को पूरा करती है । सरकार उन संवर्गों की संख्या को भी ध्यान में रखती है जिसका प्रतिनिधित्व किया जाता हो और पहले से ही विद्यमान एसोसिएशन (एसोसिएशनों) की सदस्यता तथा जहां इन संवर्गों के संबंध में मान्यता प्राप्त एसोसिएशनें पहले से ही विद्यमान हो वहां और अधिक एसोसिएशनों को मान्यता दिए जाने की आवश्यकता आदि को भी ध्यान में रखती है ।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय कर्मचारी संघ तथा सेंट्रल सेक्रेटरियट नान गजेटिड एम्पलाइज यूनियन ने मान्यता प्राप्ति के लिए आवेदन किया है । उनसे अनुरोध किया गया है कि वे विशेष रूप से उन कर्मचारियों के वर्गों को बतायें जिनके संबंध में मान्यता प्राप्त करनी है और इस प्रकार के कर्मचारियों के प्रत्येक वर्ग की सदस्यता के ब्यौरे भी दें ।

विवरण

1. ऐसोसिएशन/यूनियन का प्राथमिक ध्येय अपने सदस्यों के सामान्य सेवा हितों की वृद्धि करना होगा ।

2. ऐसोसिएशन/यूनियन, किसी जाति, जनजाति अथवा धार्मिक नाम या इनके भीतर किसी समूह अथवा ऐसी जाति, जनजाति, अथवा धार्मिक नाम के वर्ग पर आधारित नहीं होगी ।

3. एसोसिएशन/यूनियन के सदस्यों की संख्या प्रत्येक उस वर्ग/वर्गों के जिसका यह प्रतिनिधित्व करना चाहती है, कुल कर्मचारी की संख्या के 15% से कम नहीं होनी चाहिए ।

4. कोई ऐसा व्यक्ति, जो सरकारी कर्मचारी नहीं है ऐसोसिएशन/यूनियन के कार्यों के साथ संबंधित नहीं होगा ।

5. ऐसोसिएशन/यूनियन की कार्यकारिणी केवल सदस्यों में से ही नियुक्त की जायेगी ।

6. सेवा ऐसोसिएशन/यूनियन की धनराशि पूर्णतः सदस्यो के चन्दों और सरकार द्वारा दिए गए अनुदान, यदि कोई हो, से एकत्रित की जाएगी और इस धनराशि का प्रयोग केवल ऐसोसिएशन/यूनियन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जाएगा ।

7. ऐसोसिएशन/यूनियन ऐसे किसी मामले को छोडकर, जो एसोसिएशन/यूनियन के सदस्यों के सामान्य हित का हो, कोई अभ्यावेदन या शिष्ट मण्डल नहीं भेजेगी ।

8. ऐसोसिएशन/यूनियन सेवा के मामलों से संबंधित सरकारी कर्मचारियों के किसी व्यक्तिगत मामले का पक्ष था समर्थन नहीं करेगी ।

9. ऐसोसिएशन/यूनियन कोई राजनीतिक धनराशि नहीं रखेगी और न ही किसी राजनीतिक दल या राजनीतिज्ञों के विचारों का प्रचार करने में भाग लेगी ।

विवरण—जारी

10. ऐसोसिएशन/यूनियन के सभी अभ्यावेदन उचित माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे तथा सामान्य रूप से विभाग या कार्यालय के सचिव या अध्यक्ष को संबोधित किए जाएंगे ।

11. ऐसोसिएशन/यूनियन के सदस्यों तथा पदाधिकारियों की एक सूची, नियमों की एक अद्यतन प्रति और इसके लेखों का एक लेखा-परीक्षित विवरण आम वार्षिक बैठक के बाद, उचित माध्यम से प्रत्येक वर्ष सरकार को भेजा जायेगा, जिससे कि वह प्रत्येक वर्ष की पहली जुलाई से पहले सरकार के पास पहुंच जाए ।

12. ऐसोसिएशन/यूनियन के नियमों में किसी महत्वपूर्ण स्वरूप का संशोधन केवल सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही किया जायेगा और किसी कम महत्व के अन्य किसी संशोधन की सूचना उचित माध्यम से सरकार को समीक्षण के लिये सूचनार्थ भेजी जाएगी ।

13. ऐसोसिएशन/यूनियन द्वारा किसी अन्य यूनियन, सेवा ऐसोसिएशन या संघ के साथ सम्बद्ध होने की इच्छा करने से पहले सरकार की पूर्व अनुमति ली जायेगी ।

14. ऐसोसिएशन/यूनियन की किसी ऐसे स्वयं या सेवा ऐसोसिएशन के परिसंघ के साथ सम्बद्धता समाप्त हो जायेगी, जिसकी मान्यता सरकार द्वारा वापस ले ली जाती है ।

15. ऐसोसिएशन/यूनियन सरकार के पूर्व-अनुमोदन के बिना किसी नियतकालिक पत्रिका या बूलेटिन का प्रारम्भ या प्रकाशन नहीं करेगी ।

16. एसोसिएशन/यूनियन किसी भी नियतकालिक पत्रिका या बूलेटिन को प्रकाशित करना बंद कर देगी, यदि सरकार द्वारा ऐसा करने के लिये इन आधारों पर निदेश दिया जाए कि इसका प्रकाशन केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी राज्य प्राधिकरण, या सरकारी कर्मचारियों के मध्य अच्छे सम्बन्धों, और सरकार या किसी राज्य प्राधिकरण के हितों के विपरीत है ।

17. ऐसोसिएशन/यूनियन कोई ऐसा कार्य नहीं करेगी या ऐसे कार्य किए जाने में सहायता नहीं करेगी, जो यदि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किया जाए जिससे केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियम 1964 के नियम 8, 9, 11, 12, 16 तथा 20 के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन होता हो ।

18. ऐसोसिएशन/यूनियन किसी भी विदेशी प्राधिकारी के साथ सरकारी माध्यम को छोड़कर कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगी और सरकार को इसे रोकने का अधिकार होगा; और

19. ऐसोसिएशन/यूनियन या इसकी ओर से किसी पदाधिकारी द्वारा सरकार या किसी सरकारी प्राधिकारी को लिखे गए पत्रों में कोई असम्मानजनक अथवा अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

भारत स्वीस प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण के लिये सी० एस० आई० ओ० का स्वीस फाउंडेशन से सहयोग

6728. **श्री भगत राम**: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० एस० आई० ओ० चण्डीगढ़ ने सी० एस० आई० ओ० से संबद्ध भारत स्वीस प्रशिक्षण केन्द्र (आई० एस० टी० सी०) में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिये हाल ही में स्वीस फाउण्डेशन (गर्वमेंट आफ स्वीट्जरलण्ड) से सहयोग किया है ;

(ख) क्या सहयोग से पूर्व सेन्टर के नाम के साथ "स्वीस" शब्द जोड़ा गया है

(ग) क्या कुछ वर्ष पूर्व सहयोग समाप्त कर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो नये सहयोग के क्या कारण हैं और क्या नया सहयोग करते समय सहयोग समाप्त किये जाने के कारणों पर विचार किया गया था ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1963 में केन्द्र प्रारम्भ किया गया था, यह केन्द्र स्वीस सहयोग से प्रारम्भ किया गया था इसलिये इसका नाम उस समय "इंडो-स्वीस-ट्रेनिंग सेन्टर" रखा गया था ।

(ग) जी, हां ।

(घ) वर्तमान मुद्रा एवं सांचे ढालने का पाठ्यक्रम संबंधी सहयोग इसलिये प्रारम्भ किया गया था क्योंकि देश में ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता अधिक थी ।

नंगल राया, दिल्ली छावनी में रेलवे फाटक पर उपरि पुल

6729. **श्री नटवरलाल बी० परमार :**
श्री सुशील कुमार धारा :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री नंगल राया, दिल्ली छावनी में रेलवे फाटक पर उपरि पूल के बारे में 27 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4951 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नंगल राया, दिल्ली छावणी में रेलवे फाटक पर उपरि पुल के निर्माण में इस बीच क्या प्रगति हुई है ;

(ख) या यह सच है कि दिल्ली छावणी प्राधिकरण ने अन्तिम समय पर कुछ बाधाएं पैदा कर दी है जिसके कारण परियोजना की क्रियान्विति रुक गई है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है जिससे उक्त महत्वपूर्ण परियोजना का निर्माण बिना विलम्ब आरम्भ किया जा सके ; और

(घ) क्या सरकार ने यदि जेल रोड क्रासिंग पर उप-मार्ग अथवा उपरि पुल का निर्माण नहीं किया जा सकता, तो पंखा रोड क्रासिंग पर उप-मार्ग अथवा उपरि पुल के निर्माण के वैकल्पित प्रस्ताव पर विचार किया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (घ) : रक्षा अधिकारियों ने अभी तक नांगल राया दिल्ली कैंट रेलवे क्रासिंग के लिए प्रस्तावित उपरि पुल के निर्माण के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी है। दिल्ली नगर निगम इस परियोजना को इन्वार्ज है और महापौर ने अब यह मामला रक्षा और गृह मंत्रियों के साथ स्वीकृति प्राप्त करने हेतु उठाया है। पंखा रोड के चौराहे पर भूमिगत मार्ग अथवा एक उपरि पुल के निर्माण के लिए कोई वैकल्पिक प्रस्ताव नहीं है ।

केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गये व्यापक यातायात और ढलाई अध्ययन के अनुसार पंखा रोड पर भूमिगत मार्ग/उपरि पुल के निर्माण की कोई सिफारिश नहीं की गई है।

रेडियो लाइसेंस शुल्क को समाप्त करना

6730. **श्री के० मालन्ना** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेडियो लाइसेंस शुल्क समाप्त करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है क्यों कि रेडियो शिक्षा, जानकारी तथा मनोरंजन का सबसे सस्ता, सरल तथा द्रुत साधन है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) : इस समय वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण रेडियो लाइसेंस फीस को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विपक्ष के नेता को मान्यता प्रदान करने के बारे में घोषणा

ANNOUNCEMENT RE. RECOGNITION OF THE LEADER OF THE OPPOSITION

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि मैंने निर्णय किया है कि चूंकि अब कांग्रेस दल (आई) को लोक सभा में विपक्ष में सबसे अधिक सदस्य संख्या हो गई है, इसलिये लोक सभा में कांग्रेस दल के नेता श्री यशवन्त राव चव्हाण लोक सभा में विपक्ष के नेता नहीं रहे है और कांग्रेस दल (आई) के नेता, श्री सी०एम० स्टीफन को लोक सभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दे दी गयी है ।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE. QUESTION OF PRIVILEGE

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : श्रीमन्, मैंने नियम 222 के अन्तर्गत एक सूचना श्री संजय गांधी की पत्नी श्रीमती मेनका गांधी, सम्पादक 'सूर्य', 12 विलिंग्डन क्रेसेन्ट के विरूद्ध विशेषाधिकार का मामला उठाने के लिए दी थी क्योंकि उसने अपने पत्र में मेरे विरुद्ध झूटा और दुर्भावनापूर्ण प्रचार किया है । मैं इस मामले में आपका संरक्षण चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला मेरे विचाराधीन है ।

श्री सौगत राय : मैंने विशेषाधिकार के प्रश्न का जो नोटिस दिया है, आप उस पर अपना निर्णय कब तक देंगे । पहले मैंने सभा से इस मामले में संरक्षण मांगा है । यदि सभा ने मुझे संरक्षण न दिया तो, मुझे न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपकी सूचना आज ही मिली है और इस पर निर्णय शीघ्र ही दिया जायेगा । परन्तु मैं अभी यह नहीं बता सकूंगा कि मैं इस पर निर्णय कब तक दूंगा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई पूर्वोत्तर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान तमिलनाडु में प्रतिदिन हो रही गोली चलने की घटनाओं की ओर दिलाना चाहता हू । ऐसा लगता है कि पुलिस को गोली चलाने में प्रसन्नता होती है । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले पर चर्चा की अनुमति दें ।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : श्रीमन्, मैंने आपको नियम 222 के अन्तर्गत एक सूचना प्रधान मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का मामला उठाने के लिए दी थी । आपको यह बताया गया होगा कि यह मामला निदेश 115 के अन्तगत आता है, परन्तु निदेश 115 का मामला तब बनता है

जब कि वक्तव्य में कोई गलती है परन्तु यह तो सभा को जानबूझकर गुमराह करने का मामला है। मैंने आपको एक पत्र भी लिखा था जिसमें मैंने आपसे अनुरोध किया था कि मुझे वैयक्तिक स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी जाये। उसकी भी अनुमति नहीं दी गई।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक वैयक्तिक स्पष्टीकरण देने सम्बन्धी आपके पत्र का सम्बन्ध है, वह मैंने तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री को भेजा है। जहां तक नियम 222 के अन्तर्गत आपकी सूचना का सम्बन्ध है, मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है चूंकि मुझे आपका कथन स्वीकार्य नहीं है।

श्री वयालार रवि : मैंने प्रधान मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगाया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको वैयक्तिक स्पष्टीकरण देने के लिए अवसर दूंगा, परन्तु आज नहीं।

श्री वयालार रवि : मैं अपना पत्र और वैयक्तिक स्पष्टीकरण आपको प्रातः 9.30 पर भेजा था। आप उस वक्तव्य में से जितने चाहे वाक्य काट सकते हैं। परन्तु उसे सम्बन्धित मंत्री को भेजने की प्रक्रिया ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले पर विचार करूंगा।

Shri Brij Bhushan Tiwari (Khalilabad) : Sir, I have given a notice of Calling Attention on a very important subject. Certain other Members have also given similar notice. There is no Vice-Chancellor in Banaras Hindu University for the last several months. The University is lying closed. No educational activity is taking place there. I may be allowed to raise this point in the House.

अध्यक्ष महोदय : जहां तक बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करने का प्रश्न है, इस विषय पर शिक्षा मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के दौरान चर्चा की जा सकती है। संसदीय प्रक्रिया का यह एक सुस्थापित नियम है कि जब किसी मंत्रालय की मांगें चर्चाधीन हो या उनपर निकट भविष्य में चर्चा की जाने वाली हो तो उस मंत्रालय से सम्बन्धित किसी भी विषय पर अलग से चर्चा की अनुमति नहीं दी जाती है।

Shri Vinayak Prasad Yadav (Saharasa) : Sir, I gave a notice of Calling Attention about the situation in Tamil Nadu where agitation is taking more serious turn and firing is also taking place and the farmers are being killed.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

वर्ष 1978-79 के लिए अन्तरिक्ष इलक्ट्रानिक्स और परमाणु ऊर्जा विभागों के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वर्ष 1978–79 के लिए अन्तरिक्ष विभाग के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2070/78]

(2) वर्ष 1978–79 के लिए इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अनुदानों की ब्यौरेवार माँगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2071/78]

(3) वर्ष 1978-79 के लिये परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुदानों की ब्यौरेवार माँगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2072/78]

केन्द्रीय जेल, तिहाड़ में लाठी-प्रहार की घटना की जांच सम्बन्धी बवेजा आयोग का प्रतिवेदन और उत्तर को शुद्ध करने वाला एक विवरण

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) 2 अक्तूबर, 1975 को केन्द्रीय जेल, तिहाड़ में लाठी प्रहार की घटना की जाँच सम्बन्धी बवेजा आयोग का प्रतिवेदन।

(दो) प्रतिवेदन पर की गयी कार्यवाही का ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2073/78]

(2) दिल्ली में अतिरिक्त बाधाओं के बारे में श्री कंवर लाल गुप्त के तारांकित प्रश्न संख्या 410 के अनुपूरक प्रश्न के 22 मार्च, 1978 को दिए गए उत्तर को शुद्ध करने वाला एक विवरण।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2074/78]

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : तिहाड़ जेल में किये गये लाठी चार्ज के बारे में गृह मंत्री ने बवेजा आयोग का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। यह इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि नौकरशाही ने हमारी सरकार को कैसे पथभ्रष्ट किया। मेरे प्रश्न का यह उत्तर दिया गया था कि तिहाड़ जेल में लाठी नहीं चलाई गई जबकि गृह मंत्री स्वयं तिहाड़ जेल में थे। बाद में इस बारे में उप-राज्यपाल के विरुद्ध विशेषाधिकार का मामला उठाये जाने पर गृह मंत्री ने जांच का आश्वासन दिया था। श्री बवेजा ने अपने निष्कर्ष में इस बात का उल्लेख किया है कि तिहाड़ जेल में लाठी चलाई गई और अनेक लोग जख्मी हुए। मैं चाहता हूँ कि इस मामले पर चर्चा की जाये। दूसरे, प्रतिवेदन को सब सदस्यों में परिचालित किया जाये जिससे लोगों को इस बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। गलत साक्ष्य देने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं श्री कंवर लाल गुप्त के विचारों का समर्थन करता हूं। इस मामले में सदन में चर्चा की जानी चाहिये और सदस्यों को भी स्थिति का अध्ययन कर समय समय पर उसकी सूचना सदन को देनी चाहिये अन्यथा सदन को सचाई का पता नहीं लग पायेगा। यह बहुत दुःख की बात है कि जेल में नजरबन्द राजनीतिक बन्दियों पर 2 अक्तूबर, 1975 जैसे पवित्र दिन लाठी चलाई गई और उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप मामले पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल उदाहरण दे रहा हूं। जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद ही यह बात जानकारी में आई, अन्यथा दिल्ली प्रशासन यही कहता रहता कि .....आप संसद और संसद सदस्यों को क्या अधिकार दे रहे हैं जिससे इस प्रकार के अत्याचार न हो। यदि श्री गुप्त अन्य मामला नहीं उठाते तो सभा की जानकारी में यह बात नहीं आती। **(अन्तर्बाधाएं)** मेरी इस बात में रुचि नहीं है कि दोषी पाये गये नौकरशाही अधिकारियों को कमी सजा मिले। कानून इस मामले में अपना कार्य स्वयं करेगा। मैं चाहता हूँ कि इस मामले की जांच या तो प्रक्रिया समिति या अन्य समिति के माध्यम से या स्वतःही की जानी चाहिये जिससे अधिकारी गुमराह न करें।

Shri Vinayak Prasad Yadav (Saharsa): I have given notice on Item No. 4.

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता। **(अन्तर्बाधाएं)**

सभा पटल पर रख गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की समीक्षा

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस): मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षत लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2075/78]

गोदी कर्मकार (नियोजन का विनियमन), दूसरा संशोधन नियम, 1978, वाणिज्य पोत (सुरक्षा अभिसमय प्रमाण-पत्र) संशोधन अधिनियम, 1978 और मोटरयान (ड्राइविंग लाइसेंस फीस) नियम, 1978

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) गोदी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम 1948 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गोदी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) दूसरा संशोधन नियम, 1978 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 18 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 449 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2076/78]

(2) वाणिज्य पोत अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वाणिज्य पोत (सुरक्षा अभिसमय प्रमाण-पत्र) संशोधन नियम, 1978 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 18 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 382 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2077/78]

(3) मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (4) के अन्तर्गत मोटरयान (ड्राइविंग लाइसेंस फीस) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 19 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 763(ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका शुद्धि पत्र जो दिनांक 20 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 180(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2078/78]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सा०सां०नि० 392 जो दिनांक 25 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिस में दिनांक 10 दिसम्बर, 1977 की अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1655 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(2) सा० सां० नि० 427 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 3 दिसम्बर, 1977 की अधिसूचना संख्या सा० सां०नि० 1634 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी० 2079/78]

नवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुरेहमान) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(1) नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी० 2080/78]

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1976-77 का प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्ला) : मैं संविधान के अनुछेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1976-77 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियां खंड I—अप्रत्यक्ष कर और खण्ड II—प्रत्यक्ष कर (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2081/78]

लोक लेखा समिती
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

66वां प्रतिवेदन

श्री अशोक कृष्ण दत्त (डमडम) : मैं स्वर्ण के अवैध आयात के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 218 वे प्रतिवेदन (पाचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सहमति का 66वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिती
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

16वां प्रतिवेदन

श्री विनोद भाई बी० सेठ (जामनगर) : मै गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 16वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

एक स्विस बैंक को 100---110 लाख डालरों के कथित अन्तरण के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. ALLEGED TRANSFER OF 100—110 MILLION DOLLARS TO A SWISS BANK

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : माननीय सदस्य, श्री एस० एन० मिश्र ने 2 मार्च, 1978 को इस सदन के समक्ष अपने वक्तव्य में पिछली सरकार के शासन काल में एक स्विस बैंक में 10-11 मिलियन डालर का भुगतान किये जाने का उल्लेख किया था और इस मामले का स्पष्टीकरण कुछ इस तरह माँगा था कि जिसकी परिधि में विदेश मंत्रालय भी आ जाता है। मैंने इन भुगतानों की सावधानीपूर्वक जाँच की है ।

यह सच है कि 15 मार्च, और 28 अक्तूबर, 1976 को पचपन-पचपन लाख डालर के दो भुगतान स्वीकृत किये गये थे । ये भुगतान भारत सरकार और ईरान की सरकार के बीच एक वाणिज्यिक लेन-देन की शर्तों के अधीन थे जो कि तत्कालीन प्रधान मंत्री के आदेश से हमारे आर्थिक-कार्य प्रभाग ने किया था । करार की शर्तों के अनुसार आंशिक भुगतान स्विट्जरलैंड में किया जाना था । इसलिए विदेश मंत्रालय के बजट में 'विशेष विदेशाधीन कार्य' शीर्षक के अंतर्गत धनराशि का प्रावधान किया गया था । इन धनराशियों का भुगतान चैक द्वारा किया गया था और इसमें किसी भारतीय को गैर-कानूनी रुप से भुगतान किये जाने की कोई बात नहीं थी ।

मैं कुछ और मामलों के बारे में भी स्थिति स्पष्ट करना चाहुंगा जिनका सदस्य महोदय ने अपने वक्तव्य में संकेत किया था । 'अशोक ट्रेडर' जिसके साथ हिन्दुजा परिवार का संबंध है, ईरान

में पंजीकृत एक कंपनी है। यह भारतीय कंपनी नहीं है और जहाँ तक हमें ज्ञात है, यह भुगतान इसे नहीं हुआ था। इन भुगतानों का कुद्रमुख करार से अथवा ईरान को सोमेंट और चीनी की बिक्री से भी कोई संबंध नहीं है।

इस लेन-देन से सम्बद्ध तथ्यों को स्पष्ट कर देने के बाद, जिसका प्राधिकार पिछली सरकार ने दिया था, मैं यह कहना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार ने यह फैसला किया है कि वर्तमान या भावी करारों में इस प्रकार के आंशिक भुगतान का कोई प्रावधान नहीं रखा जाएगा। साथ ही मैं इस बात की पुष्टि भी करना चाहूँगा कि ईरान के साथ संबंध विकसित करना हम अपने राष्ट्रीय हित में समझते हैं। विशेष रूप से, विगत फरवरी में राजभान्य महामहिम शहंशाह की यात्रा के समय स्थापित निकट संपर्क और दूरगामी समझ-बूझ को देखते हुए, हम ईरान के साथ पारस्परिक आस्था, लाभदायक सहयोग और विश्वास के संबंध विकसित करना चाहते हैं। पिछले लेन-देन को लेकर अगर कोई गलतफहमी पैदा हो जाती है तो यह हमारी नितियों और हमारे इरादों के विपरीत होगा।

———

वर्ष 1978-79 के विपण मौसम के लिए गेहूं की मूल्य वसूली नीति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. PRICE AND PROCUREMENT POLICY FOR WHEAT FOR 1978-79 MARKETING SEASON

कृषि तथा सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : सरकार ने कृषि मूल्य आयोग की 1978-79 के रबी विपणन मौसम के लिए गेहूं की मूल्य तथा वसूली नीति सम्बन्धी सिफारिशों पर बारीकी से विचार किया है और गेहूं उत्पादक राज्यों के मुख्यमंत्रियों/खाद्य मंत्रियों/कृषि मंत्रियों के साथ भी इन सिफारिशों पर विचार विमर्श किया है।

2. इस विचार-विमर्श की दृष्टि में सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिये हैं :—

(i) गेहूं का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि उचित औसत किस्म के गेहूं की सभी किस्मों का वसूली मूल्य 112.50 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए जबकि पिछले वर्ष यह मूल्य 110 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था।

(ii) केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए दिए जाने वाले गेहूं का निर्गम मूल्य 125 रुपये प्रति क्विंटल बना रहेगा।

(iii) वसूली मूल्य में वृद्धि करने और निर्गम मूल्य में कोई परिवर्तन न करने से सामान्यतया जो अतिरिक्त राज सहायता देनी होगी वह भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी। तथापि, गेहूं की दृष्टि से अधिशेष राज्यों के साथ चर्चा की जाएगी कि वे मण्डी प्रभार, बिक्रीकर आदि जैसे वसूली प्रभारों में कटौती करें ताकि वसूली मूल्य में वृद्धि को यथा सम्भव उनसे पूरा किया जा सके।

(iv) स्टेट पब्लिक एजेंसियों द्वारा गेहूं की वसूली मुख्यतया समर्थन खरीदारी के रूप में होगी और इसीलिए राज्यवार गेहूं की वसूली के लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। राज्य सरकारों से कहा जाएगा कि वे उत्पादकों/व्यापारियों पर किसी प्रकार की

लेवी न लगाएं। समर्थन मूल्य पर खरीदारी करने के लिए व्यापक प्रबन्ध किए जाएंगे ताकि सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप और उत्पादकों द्वारा बिक्री के लिए पेश किए गया गेहूं का सारा स्टाक वसूली मूल्य पर खरीदा जा सके।

(v) उपभोक्ताओं के लिए खुले बाजार में गेहूं की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने और यदि सम्भव हो किसान को वसूली मूल्य से अधिक मूल्य दिलाने के लिए देशभर में गेहूं के अबाध संचलन की नीति जोकि पिछले वर्ष लागू की गई थी, जारी रहेगी।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाये।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृषि के बारे में शीघ्र ही वादविवाद होगा .... (रिकार्ड मत करिये)

(व्यवधान)**

Shri Om Prakash Tyagi (Bahraich): Kindly listen to me, My point of order is that when the Minister has announced this price * *

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)**

श्री पी० राजगोपाल नायडू : .... (व्यवधान)**

समितियों के निर्वाचन

(1) प्राक्कलन समिति

ELECTION TO COMMITTEE

Shrimati Mrinal Gore (Bombay North): I beg to move.

"That the members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (1) of Rule 311 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, thirty members from among themselves to serve as members of the Committee on Estimates for the term beginning on the 1st May, 1978 and ending on the 30th April, 1979."

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1978 से आरम्भ होने वाले और 30 अप्रैल, 1979 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 30 सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

---

(2) लोक लेखा समिति

श्री गौरी शंकर राय (गाजीपुर) मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालक सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा पेक्षित रीति से 1 मई, 1978 से आरम्भ होने वाले और 30 अप्रैल, 1979 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें।"

**कार्यकारी वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालक सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1978 से आरम्भ होने वाले और 30 अप्रैल, 1979 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

श्री गौरी शंकर राय : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1978 से आरम्भ होने वाले और 30 अप्रैल, 1979 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करन हेतु राज्य सभा से 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिये सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1978 से आरम्भ होने वाले और 30 अप्रैल, 1979 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिये सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

---

(3) सरकारी उपक्रमों संबंध समिति

श्री त्रिदिब चौधरी (बरहामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धीत नियमों के नियम 312 ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1978 से आरम्भ होने वाले और 30 अप्रैल, 1979 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रुप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करे ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 312ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1978 से आरम्भ होने वाले और 30 अप्रैल, 1979 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रुप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करे ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

---

(4) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

श्री राम धन : (लालगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 331 (ख) के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1978 से आरम्भ होने वाले और 30 अप्रैल, 1979 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है कि :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 331 (ख) के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1978 से आरम्भ होने वाले और 30 अप्रैल, 1979 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

श्री राम धन : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1978 से आरम्भ होने वाले और 30 अप्रैल, 1979 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से 10 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है कि :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1978 से आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 1979 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से 10 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : महोदय, मैंने यह देखा है कि समितियों के लिये सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में लोक-सभा में 'इलेक्ट' (चुनाव) शब्द का उपयोग किया जाता है किन्तु राज्य से नोमीनेट (मनोनीत) शब्द का उपयोग किया जाता है। राज्य सभा के निर्वाचित निकाय है तथा वह सदस्यों को मनोनीत कैसे कर सकती है। उसके सभापति आपकी भांति सदस्यों को मनोनीत कर सकते है स्वयं राज्य सभा नहीं। अतः मैं जानना चाहता हुँ कि क्या इस शब्द का उपयोग उचित है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य की आपत्ति में कुछ सार अवश्य है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यह जिस रूप में दिया गया है वह बिल्कुल ठीक है । यह उस सदन का कार्य है कि वह किस प्रकार कार्य करता है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों की टिप्पणियां नोट कर ली गई हैं ।

लोकपाल विधेयक---संयुक्त समिति के लिए सदस्य नियुक्त करने के लिए राज्य सभा से सिफारिश

LOK PAL BILL — RECOMMENDATION TO RAJYA SABHA TO APPOINT MEMBERS TO JOINT COMMITTEE

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा जन सेवकों के विरूद्ध अवचार के अविकथन की जांच करने के लिए लोक पाल की नियुक्ति का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में सर्वश्री के० ए० कृष्ण स्वामी और डी० पी० सिंह, के राज्य सभा की सदस्यता से निवृत्त होने के कारण रिक्त हुए स्थानों पर राज्य सभा के दो सदस्य नियुक्त करे तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है कि :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा जन सेवकों के विरूद्ध अवचार के अविकथन की जांच करने के लिए लोक पाल की नियुक्ति का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में सर्वश्री के० ए० कृष्ण-स्वामी और डी० पी० सिंह के राज्य सभा की सदस्यता से निवृत्त होने के कारण रिक्त हुए स्थानों पर राज्य सभा के दो सदस्य नियुक्त करे तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक

KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION (AMENDMENT) BILL

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री जार्ज फर्नांडिस : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ।

नियम 377 के अधीन मामले
MATTERS UNDER RULE 377

(1) डाक और तार विभाग द्वारा शिक्षित युवक और युवतियों के शोषण का कथित समाचार

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER **in the Chair**]

Shri Harikesh Bahadur (Gorakhpur): Sir, Post and Telegraph Department of the Ministry of Communication has been exploiting the educated unemployed by engaging them on daily wages at the rate of 9 Rupees per day. Even after completing several years of their continuous service in this department such graduates and post graduates are not made regular employees.

I have came to know that an officer of R.M.S. Gorakhpur practice corruption and demands illegal gratification for confirming such persons. He should be transferred immediately.

(2) बिहार के समस्तीपुर जिले के रोहुआ रामपुर गांव में आग लगने की कथित घटनाएं

Shri Ram Sewak Hazari (Rosera): Sir, in Rohuha, Rampur village, in the district of Samastipur of the State of Bihar, about 400 houses and the entire goods were turned into the heap of ashes on 6th April, 1978 when the *Ponala* kept on the roof of a house caught fire from the electric wire as they were loose. Fortunately there was no loss of life but certain cattle heads were burnt. Property worth crores of rupees has been destroyed. The relief being given by the State Government is meagre. I therefore request, that the Central Government should provide adequate relief to the aggrieved persons of that village. Central excise duty should also not be recovered from that village, I also request the Prime Minister that he should give certain amount of money from his fund to these unfortunate persons. The Electric department should also be asked to examine the causes of such carelessness.

(3) डाक और तार विभाग द्वारा केवल हिन्दी के टेलीफोन बिल फार्मों के इस्तेमाल किये जाने का कथित समाचार

श्री के० गोपाल (करुर) : महोदय, हमें यह आश्वासन दिया गया था कि अहिन्दी भाषियों पर हिन्दी नहीं थोपी जायेगी। मैं यह टेलीफोन बिल प्रस्तुत करता हूं जो केवल हिन्दी में है। डाक तथा तार विभाग केन्द्रीय विभाग है तथा इसे केवल हिन्दी का ही उपयोग नहीं करना चाहिये। जो व्यक्ति हिन्दी नहीं जानते उनके लिये इससे बहुत कठिनाई होती है।

(4) अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ, अहमदाबाद डिवीजन के पदाधिकारियों द्वारा कथित आमरण अनशन

श्री अहसान जाफरी (अहमदाबाद) : आल इंडिया पोस्टल एम्प्लाइज यूनियन (पोस्टमैन क्लास चार और ई०डी०एफ०) के 15 पदाधिकारियों ने 10 अप्रैल, 1978 से आमरण भूख हड़ताल आरम्भ की है।

दुःख की बात है कि डाक-तार विभाग कार्यकुशलता के नाम पर डाकियों का शोषण कर रहा है तथा उनसे बहुत अधिक कार्य लेता है। अहमदाबाद डिवीजन में एक पोस्टमैन को दो डिलीवरी सौंपी जाती हैं जो लगभग 10 घंटे का काम है। दिनांक 10 मार्च, 1978 को गुजरात के पोस्ट मास्टर जनरल ने पोस्टमैनों को यह आश्वासन दिया था कि उनको एक ही डिलवरी दी जाएगी किन्तु बाद में उनको कारण बताओ नोटिस दिये गये जिससे उन्हें आमरण भूख-हड़ताल करनी पड़ी। गुजरात में और विशेषकर अहमदाबाद में स्थिति बहुत खराब है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस समस्या को सुलझाने के लिये तुरंत कदम उठाये जाने चाहिये।

अनुदानों की मांगे 1978-79

DEMANDS FOR GRANTS 1978-79

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण अपना भाषण जारी कर सकती हैं।

Shrimati P. Chavan (Karad): Sir, I would like to add that education policy has not so far been laid down in the country. I suggest in this connection that Government should give priority to the adult education so that all persons can get opportunity to get education. Education will also help in the implementation of family planning and prohibition programmes.

I also suggest that private educational institutions should be nationalised because of the fact that these private institutions work with profit motive and practise corruption at various levels. There language formula should also be adopted to encourage regional languages.

Education should be made job-oriented and large number of vocational schools should be opened to achieve this purpose to avoid further increase in unemployment. The performance of N.C.E.R.T. is not satisfactory. The number of girls school is inadequate and the Government should give more and more attention to this side to encourage women education.

I would also like to suggest that Government should take immediate steps to see that students are not exploited by the political parties.

प्रो० शिब्बन लाल सक्सेना (महाराजगंज) : किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नति के लिये शिक्षा एक शक्तिशाली माध्यम है। इसलिये देश की ऐसी शिक्षा प्रणाली को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये जिससे कि देश के लोगों के व्यक्तित्व का विकास हो जो हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति पर आधारित हो।

जब लार्ड मेकॉले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरम्भ की थी तो उनके दिमाग में एक बात थी कि प्रत्येक भारतीय वस्तु को कलंकित किया जाये। इसका प्रभाव भारतीय लोगों के दिमाग पर गत सात पीढ़ियों तक अनवरत रूप से पड़ा रहा। इतना ही नहीं इसका इतना प्रभाव पड़ा कि आज भी प्रत्येक भारतीय हर भारतीय वस्तु को निम्न कोटि की समझता है। पश्चिमी देशों की हर वस्तु को उच्च कोटि की समझता है।

ऐसी परिस्थितियों में भारत में शिक्षा संबंधी पुनर्निर्माण का मुख्य उद्देश्य लोगों के मन से इस भ्रान्ति अथवा गलतफहमी को हटाना होना चाहिये और शिक्षा के माध्यम से भारत की नई पीढ़ी के मन से हीनता की भावना को दूर करने के लिये अथक प्रयास किये जाने चाहियें और नवयुवकों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास किया जाना चाहिये ।

शिक्षा के सम्बन्ध में कोठारी आयोग का प्रतिवेदन बहुत ही प्रतिक्रियावादी है और इसे भविष्य के लिये भारत में शैक्षणिक योजना का आधार नहीं बनाया जा सकता ।

भारत में शिक्षा के बारे में एक राष्ट्रीय योजना बनाने के लिये एक नये शिक्षा आयोग को नियुक्ति तत्काल की जानी चाहिये, जिसमें कि हमारे उच्च योग्यता प्राप्त शिक्षा शास्त्री रखे जा सकें, जो वास्तविक रूप में देशभक्त हों ।

जहां तक संस्कृत का सम्बन्ध है, यह सभी भाषाओं की जननी है और इसलिये इसे प्रत्येक छात्र के लिये आरम्भ से ही एक अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिये, ताकि जब छात्र बड़े हों तो उन्हें उस भाषा का पूरा ज्ञान हो । समय आ गया है कि तीन भाषायी फार्मूले से से अंग्रेजी भाषा को हटा दिया जाये । जो लोग अंग्रेजी का अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिये यह स्वैच्छिक विषय हो सकता है ।

विश्वविद्यालय स्तर तक प्रादेशिक भाषा में पढ़ाने के प्रस्ताव से, जैसा कि दो भाषा सूत्र में कहा गया है, देश की एकता भंग हो जायेगी । इसलिये मैं इस बात से असहमत हूँ और इस सूत्र को अपनाने का कड़ा विरोध करता हूँ ।

शर्म की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 30 वर्षों के पश्चात् भी विभिन्न विषयों तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की, विश्व की विभिन्न भाषाओं की महत्वपूर्ण पुस्तकों का हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा अथवा हिन्दी में अनुवाद नहीं हो पाया है । मंत्री जी को एक अनुवाद विभाग की स्थापना करनी चाहिये जो कि कला, विज्ञान, इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, औषधि, कृषि आदि विषयों की मानक पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद करे । यह कार्य जनता सरकार की पांच वर्षों की अवधि समाप्त होने से पहले होना चहिये, चाहे इसके लिये 100 करोड़ रुपये ही क्यों न व्यय करने पड़े ।

गत छः महीनों में विभिन्न राज्यों में छात्रों द्वारा उपद्रव की 80 घटनायें घटी हैं । इन उपद्रवों का कारण छात्रों की फिजूल की मांगें थीं । ऐसे मामलें में आम तौर पर अध्यापक-राजनीतिज्ञों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये छात्रों को भड़काया । कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में मुश्किल से 5 प्रतिशत छात्र यूनियन में वास्तविक रूचि करते हैं और वे उपकुलपतियों, प्रोफेसरों, प्रबन्धकों, प्रधानाचार्यों और प्राध्यापकों पर अपना रोष डालने का प्रयास करते हैं । यदि यूनियन के चन्दे को स्वैच्छिक बना दिया जाये तो बहुत कम प्रतिशत छात्र चन्दा देंगे और यूनियन स्वतः ही समाप्त हो जायेंगी । तब वे 5 प्रतिशत छात्र उपद्रव नहीं कर पायेंगे और अध्ययन करने वाले शेष 95 प्रतिशत छात्रों के अध्ययन में गड़बड़ पैदा नहीं कर पायेंगे ।

भारत की जन संख्या 60 करोड़ से अधिक हैं । 223.4 करोड़ रुपये का वर्तमान शिक्षा बजट इस देश के लिये बहुत ही कम है । अतः मैं मांग करता हूँ कि इसे तुरन्त बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये किया जाना चाहिये ।

विश्वविद्यालयों में प्रतिछात्र खर्च लगभग 1600 रुपये है जब कि सम्बद्ध कालिजों मे , जहां पर बी०ए० तथा एम० ए० के 90 प्रतिशत छात्र पढ़ते हैं, यह केवल प्रतिछात्र 10 रूपये है । यह सर्वथा अन्याय है और अनुचित है और इसे तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिये । विश्व विद्यालयों और कालजों में प्रतिछात्र व्यय लगभग बराबर होना चाहिये ।

सम्बद्ध कालिजों को आबंटित अनुदानों को देने सम्बन्धी औपचारिकताओं में इतनी जटिल हैं कि उन सभी को पूरा करना कठिन है इन्हें सरल बनाया जाना चाहिये ।

यदि सरकार वास्तव में सम्बद्ध कालिजों की सहायता करना चाहती है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शत प्रतिशत अनुदान देना चाहिये । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सम्बन्धित राज्य सरकार के साथ इस बारे में ताल मेल बिठाना चाहिये ।

Kumari Maniben Vallabhbhai Patel (Mehsana): At present there is too much load of exercisebooks on the students and thereby education of children is also proving too expensive. The teachers are also not able to give real education through exercise books the number of exercise books should, therefore, the minimised to the extent possible.

By having tuitions teachers neither get time to prepare for teaching in schools, not sufficient energy is left in them to perform their duties most efficiently. The teachers should not, therefore, be allowed to have tuitions at all.

Life of our great leaders and our ancestors and bright aspects of the history of the nation should also be taught to the students with a view to increase in them the feelings of patriotism and a sense of dignity. Education should not be imparted from employment point of view only. It should also be aimed at achieving the mental and moral development and broad outlook of the pupils.

Attempts should be made to raise the present low level of education. More attention should be paid for decency in habits and high moral of teachers, so that students do not develop bad habits.

We should find out ways to disqualify such teachers as are frequently taking part in strikes etc., and creating disturbances.

Experiments should not be made in the field of education by frequently changing the system of education, this creates difficulty in availability of text books and thus causes confusion in studies.

Education should also aim at removing inferiority complex from among the students of poor and backward classes.

Interest towards teaching profession should be created in teacher trainees, so that they may perform their jobs sincerly and efficiently. Educational institutions showing better performance and standards should be encouraged.

श्री एन टोम्बी सिंह (आन्तरिक मणिपुर) : मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ कि जो कुछ पुरानी सरकार ने किया वह सब गलत था । मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय राजनैतिक दृष्टिकोन से नहीं अपितु उन पर शिक्षा की दृष्टि से विचार करेंगे ।

शिक्षा नीति के बारे में व्यापक चर्चा हुई है। शिक्षा नीति में स्थायित्व होना चाहिए सरकार चाहे जो भी आये, शिक्षा मंत्री कोई भी बने। यदि ऐसा नहीं होगा तो शिक्षक, विश्वविद्यालय तथा विभिन्न स्तर पर अन्य लोग तथा नीतियों को क्रियान्वित करने वाले कार्यकारी अधिकारी इस विचार से कार्य करेंगे कि थोड़े बहुत समय में सरकार बदल जायेगी और उसके साथ ही नीति भी।

भारत में कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनको आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है परन्तु उनको साहित्य अकादमी ने मान्यता दी हुई है और वे विकसित भाषाएं हैं। आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को जो सुविधाएं मिलती हैं वे इन भाषाओं को नहीं मिलती हैं। यह घोषणा की गई है कि आठवीं अनुसूची को बदला नहीं जायगा। इससे यह आशंका उत्पन्न हो गई है कि मान्यता प्राप्त भाषाओं को आठवीं अनुसूची में कभी भी शामिल नहीं किया जायेगा और न उन्हें कोई सुविधाएं मिलेंगी। सरकार और संसद दो आठवीं अनुसूची पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि सुविधाएं देने के मामले में आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं और साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में कोई अन्तर न रहे।

यदि सरकार आठवीं अनुसूची के मनीपुरी भाषा को शामिल नहीं करना चाहती है तो इस भाषा के बारे में कुछ विचार करना चाहिए। मनीपुर विधान सभा ने एक विधेयक पारित करके इस भाषाको राज्य की राज भाषा का दर्जा दिया है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि इस भाषा का सभी उद्देशों के लिए साहित्यिक रुप से विकास किया जाना चाहिए। डा० सुनितिकुमार चटर्जी अपनी एक पुस्तक में इस भाषा के महत्व को स्वीकार किया है। उन्होंने ही साहित्य अकादमी से इस भाषा को मान्यता दिलाई और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम में इस भाषा को स्थान मिला।

मनीपुरी भाषा मनीपुर राज्य की राजभाषा है। इस भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के मामले म काफी विलम्ब हो चुकी है। यह मामला कई वर्षों से खटाई में पड़ा हुआ है। शिक्षा मंत्रालय गृह मंत्रालय को इस विषय पर कह सकता है। जब तक इसको आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाता है तब तक शिक्षा मंत्रालय को इस भाषा के विकास का कार्य अपने हाथ में लेना चाहिये। त्रिपुरी और आसाम में अल्पसंख्यांक मनीपुरी जनसंख्या के लिए उनकी मातृभाषा में शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए।

मनीपुर में संस्कृत, हिंदी, भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि वहां के लोग राष्ट्र की मुख्य धारणा के साथ चल सके। मनीपुर साहित्य परिषद, मनीपुर संस्कृत परिषद और अन्य संगठन इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार को वहां संस्कृत के कालेजों और स्कूलों को दिए जानेवाले अनुदानों में वृद्धि करनी चाहिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और वहां संस्कृत और हिंदी जैसी भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

आपने अपने प्रतिवेदन में समूचे देश म ग्रामीण खेलकूदों को सहयोग और संरक्षण देने की बात कही है। मनीपुर मे मुकना, खोंग कंगजे, सागोल कंगज जैसे अनेक प्रकार के देशी खेल हैं जिनका अध्ययन करके उन्हें राष्ट्रीय खेल का रूप दिया जा सकता है। वे बहुत अधिक वैज्ञानिक हैं। उनका केवल खेल के रूप मे महत्व नहीं है अपितु वे शारीरिक विकास मे भी अच्छा योगदान देते हैं। शिक्षा मंत्रालय को इनके विकास हेतु अनुदान देना चाहिए ताकि इनको राष्ट्रीय रूप दिया जा सके।

संगीत नाटक अकादमी ने मनीपुर में जवाहरलाल नेहरू नृत्य अकादमी जो मनीपुरी नृत्य अकादमी है, की स्थापना की है । इसको मिलने वाला धन पर्याप्त नहीं है हाल में एक नृत्य नाटिका संस्थान की स्थापना हुई है । इसको जवाहरलाल नेहरू नृत्य अकादमी से अलग रखा जाना चाहिए जिसके लिए धन की आवश्यकता होगी । इसके अतिरिक्त हमें शास्त्रीय नृत्य के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिए अन्यथा इसका स्तर बनाए रखना कठिन हो जाएगा विशेष कर बड़े नगरों में न केवल मनीपुरी अपितु अन्य शास्त्रीय नृत्यों को उचित संरक्षण और उचित प्रचार दिया जाना चाहिए ।

Shri Ram Awadhesh Singh (Bikramganj): The advent of Janata Party is marked by many changes in various departments of the Government but the Education department is untouched by it and is running on the same old pattern of the Congress regime. It is a matter of regret that the Janata Government is following the policy of the Congress Party.

It has been the policy of the Congress Government to maintain class distinction in the society. They established public schools which are prohibited for the weaker sections of the society so that the officer's son may become ruler and the son of the poor may become peon. No change has been brought to this policy. Has any son of the farmer become I.A.S. or I.P.S.? Why this has happened because the Government is adopting double policy. Only the son of an I.A.S. can become I.A.S. This same old policy is intact.

The Congress Government had adopted three language formula. This is a mischivous propoganda to carry on English. English cannot be replaced till this policy is continued. I want development of regional languages. English is a language of ruler and exploiter. Today the farmer, labourer of South cannot meet his counterparts in North because English stands in the way. The ruling party wants such language which only a handful persons can understand. If the language of the people become the state language then the son of the poor man will partake in the state affairs. To avoid this the ruling party wants English to continue.

Now I will draw the attention of the Government towards cultural importance. Cultural misconceptions come in the way of revolution. It has assumed such proportion that no progress can be made. This misconception is being spread through old religious books and scriptures. It is preached in the text books that man is small and the idol of God is big. This type of conception is a great hurdle in the way of man to bring about revolution. The Education Ministry should stop such wrong writings in the text books.

The previous Government boasted that they had spent so much on the education of Harijans and Tribals but the factual position is different. Nothing has been done for their education. I want to know from the present Government what will be their language policy and how much amount will be spent on the education of the Harijans, Adivasis and backward classes.

Shri S. S. Somani (Chittorgarh): It cannot be denied that the Education department is responsible for the national character building of the youths. The present day problems are the result of the lack of such characteristic. Our national leaders did not set an image before them of what type of youth they wanted. We should have adopted such education policy just after independence which might have turned out such youth who would have been equally useful for every occasions. But we failed.

We talk of vedic education, discipline and patriotism for the students. But have we made any provision for it in the Budget. The student should be given training from ploughing to handling rifle. This will instil discipline and social awareness in him.

Our education system do not mould students to follow a disciplined life. We have to turn out ideal youths and instil national character in youths. The education has to be job oriented.

The Kothari Commission has recommended job oriented education. But it does not seen practical. Whatever education system you adopt, should be implemented honestly. Everyone should be taught three R's. Illiteracy is a great hindrance in the way of development of democracy.

The officials of education department are working in the same old pattern despite the change of Government. This should be changed. I want to give an example of a Central School, Sagar. Here the C.B.I. conducted an enquiry into the charges against a Principal but another person who assisted the C.B.I. in its works was suspended but nothing happened to the Principal. This should be looked into. In the National Institute of Sanskrit, there is a case of a Superintendent who is under suspension. He is being pressurised not to speak against the officials. The charges against him are serious. This may also be looked into. The third case is about the five thousand instructors and teachers of National fitness core. Their pay grade has not been changed since 1957 and neither they are getting increments for the last four years. The Government should do something for them.

The Delhi Administration is unwilling to absorb 349 teachers. These teachers are very much mentally perturbed and want to resort to strike. I have stopped them from taking such step. Their cases should be looked into. Public schools should be abolished at the earliest.

Central School Organisation should no more be allowed to remain an autonomous body, as under the present set up officials are not paying any attention to the removal of grievances of the employees of these Schools.

We have to build a new society and new generation. Therefore steps should be taken to build such a generation of youths which is patriotic and self-reliant. I support the demands of grants.

Shri Kacharulal Hemraj Jain (Balaghat): There is an urgent need to take steps to ensure that teachers of primary schools in the rural areas are better looked after. Today we find that teachers in urban areas get city allowance and house rent allowance but no such allowance is paid to teachers in the rural areas, where 80 percent of our people live. Teachers in our villages have no facilities. If the Government really want to improve the educational standards, it has to take a decision that teachers in rural areas should get higher salary than what the teachers in the cities are getting. They must also get other necessary facilities.

There are no proper buildings for schools in the villages and no houses for teachers who come with their families to the villages on transfer. Village panchayats can be asked to take up the work of constructing houses for the teachers and they can charge suitable rent for these houses.

Today Harijans and Adivasi students are getting scholarships. These scholarships should be given to the children of those persons also whose income is upto Rs. 500 only.

The Government must pay proper attention to education and educational institutions in the villages. In my district, there are 1204 primary schools, out of which 262 schools have Government buildings and 355 are run in buildings put up by villagers or village panchayats. The rest of the schools are functioning in some small temples or similar other places which are not at all fit for the purpose. The number of teachers in these schools is much below the required strength. Under these conditions, how can one expect the younger generation to get the type of education and the standard of education that is needed?

There are polytechnics for students who can not afford to study in expensive engineering and other technical colleges. But there is no guarantee of employment for those who take diplomas from these polytechnics.

Text books are changed every year and they are becoming costlier also. It has become difficult for an ordinary man to meet the educational expenses of his children. The Government should look into this matter also.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं मंत्री महोदय को बुलाता हूं ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ? जब तक आप नियम उद्धृत नहीं करते आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते और इस प्रकार कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान)**

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है । मैंने प्राथमिकता का विशेष चुनाव किया हुआ है जिसके अन्तर्गत शिक्षा को सर्वाधिक प्राथमिकता दी हुई है । मुझे दस मिनट का समय दिया गया जो खत्म नहीं हुआ है । आप मुझे कम से कम तीन मिनट का समय अवश्य दीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मावलंकर, कृपया आप बैठ जाइये । आपने सूचना और प्रसारण, शिक्षा और विदेशी मामलों पर प्राथमिकता दी थी । लेकिन आप सभी मंत्रालयों की मांगों पर जो आप चाहते हैं, नहीं बोल सकते हैं । अन्य सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि इसके लिये समय-सारिणी है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : विगत में वाद-विवाद का समय बढ़ा दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि समय बढ़ा दिया जाता है तो यह एक अलग विषय है ।

(व्यवधान)**

जो कुछ माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा ।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय की मांगों पर माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये कुछ महत्वपूर्ण सुझावों के लिये धन्यवाद देता हूं। यदि प्रो० मावलंकर का शिक्षा संबंधी कोई विशेष मुद्दा और सुझाव है तो उस पर अवश्य विचार किया जायेगा।

प्रो० पी० जी० मावलंकर: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभा में गणपूर्ति (कोरम) नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: सदस्यों को गिना जाये और यदि गणपूर्ति नहीं है तो घंटी बजाई जाये।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र: इस सरकार की प्राथमिकताओं से यह पता चलेगा कि वर्तमान नीति पिछली कांग्रेस सरकार की नीति से कितनी भिन्न है। हम प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य बनाने, बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों और अन्य व्यक्तियों को अनौपचारिक शिक्षा देने तथा प्रौढ़ शिक्षा को प्राथमिकता देंगे।

सर्व प्रथम हम अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा पर आधारित व्यापक शिक्षा के संबंध में अगली पंचवर्षीय योजना में 3 करोड़ से अधिक बच्चों को शिक्षा देंगे, इनमें से कुछ को औपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत और कुछ को अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत शिक्षा दी जाएगी। अत: जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते उनके लिए अधिक स्कूल खोलने का विचार है। हम बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों के लिये जिनकी संख्या बहुत अधिक है एक बड़ी अनौपचारिक शिक्षा योजना शुरू कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलाने का प्रयत्न किया जाएगा। बड़े पैमाने पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की स्थापना हम पहले ही कर चुके हैं। हमने 15 से 35 वर्ष के बीच के 10 करोड़ प्रौढ़ व्यक्तियों को 5 वर्ष के अन्दर शिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। शिक्षा के सम्बन्ध में हमारा यह एक बड़ा परिवर्तन है।

पिछली योजना में हमने शिक्षा को व्यापक बनाने के लिये निम्न स्तर पर शिक्षा पर अधिक जोर नहीं दिया गया। पिछली योजना में प्राथमिक शिक्षा के लिये केवल 32 प्रतिशत धन का प्रावधान किया गया था। अब योजना आयोग ने इसके लिए 50 प्रतिशत धनराशि का प्रावधान किया है। पिछली योजना में प्रौढ़ शिक्षा के लिये केवल 18 करोड़ रुपया रखा गया था जबकि अब 200 करोड़ रुपया रखा गया है। हमने कम से कम 5 वर्ष के लिये उच्च शिक्षा के अपने प्रावधान में कमी कर दी है। इस पर 40 प्रतिशत धन खर्च होगा जबकि पहले यह 60 प्रतिशत था। हमारी नीति में यह एक बड़ा अन्तर है। हम पिछड़े वर्गों को शिक्षा देना चाहते हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोलना चाहते हैं।

हमें शिक्षा को उचित परिप्रेक्ष्य में देखना है। शिक्षा योजनाओं और नीति को लागू करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है।

संविधान के 42वें संशोधन के अधीन शिक्षा के विषय को समवर्ती सूची में लाया गया है। जब तक इसमें पुन: संशोधन नहीं किया जाता, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि इस बारे में हमारी सरकार का रवैया क्या होगा। यदि यह समवर्ती सूची में भी

रहता है तो भी इसमें केन्द्रीय सरकार को कार्यकारी प्राधिकार प्रदान नहीं हो पायेगा। अतः ऊपर से शिक्षा की समान प्रणाली लागू करना सम्भव नहीं है। अतः हमने शिक्षा की समस्याओं पर चर्चा करने के लिये राज्यों को विश्वास में लिया है और उन प्राथमिकताओं के बारे में सर्वसम्मति हुई है जिसका अनुमोदन सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों ने किया है। जिन नीतियों को हम लागू करने का प्रस्ताव रखते हैं, उन्हें प्रभावी बनाने के लिये विभिन्न कार्यकारी दल गठित किये गये हैं और अन्ततोगत्वा प्रारूप योजना बनकर तैयार हो गई है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय राज्यों के परामर्श से मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने का प्रयास करेगा ताकि जो निर्णय लिया जाये वह उन अधिकांश राज्यों के अनुमोदन से लिया जाये जहां यह नीति लागू की जायेगी।

बहुत से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने इसे लागू नहीं किया है। अतः इस बारे में उचित स्तर पर राज्यों के शिक्षा मंत्रियों अथवा उनके प्रतिनिधियों के साथ इन नीतियों पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया जायेगा।

स्कूल स्तर पर वर्तमान शिक्षा प्रणाली के बारे में बहुत मतभेद रहा है। बहुत से माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है कि 10+2+3 प्रणाली में विशेषकर स्कूल स्तर पर विषयों तथा पुस्तकों से बोझिल है। परन्तु गुजरात विश्वविद्यालय के उप-कुलपति श्री ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है और इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। उन्होंने विषयों की संख्या कम करने का सुझाव दिया है और यह भी निदेश दिया है कि 7 विषयों से अधिक में परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। मार्च, 1978 में हुई गत परीक्षा में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पाठ्यक्रम को एक-तिहाई कम कर दिया। आगामी परीक्षाओं के लिये भी यह निकाय पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण कर रहा है। जिन विषयों को पटेल समिति ने सिफारिश नहीं की है उन्हें यह निकाय अलग रखने की कोशिश करेगा। नई पाठ्यपुस्तकें लिखने के लिये आदेश दिये जा रहे हैं ताकि छात्रों पर पुस्तकों का भार न हो। केन्द्रीय सरकार ने इसका पालन किया है जिसका सम्बन्ध देश के लगभग 100 स्कूलों से है।

शेष हजारों स्कूलों का संचालन 8 राज्य सरकारों द्वारा उनके माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के माध्यम से किया जा रहा है। मैंने गत फरवरी में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के सम्मेलन की दो बैठकों में भाग लिया था। उन के समक्ष पटेल समिति का प्रतिवेदन रखा गया था। उन्होंने पटेल समिति के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। पाठ्यक्रम में कटौती करना, पुस्तकों की संख्या में तथा उनके पृष्ठों में कमी करना राज्य सरकारों का काम है। यह एक बड़ा कदम है कि स्कूल पद्धति में ये परिवर्तन स्वीकार कर लिये गये हैं और वे इस मामले में आगे कार्यवाही कर रहे हैं।

अभी हमने कुछ शिकायतें सुनी जो पुस्तकें बदलने के बारे में है। हम नहीं चाहते कि ऐसा किया जाये परन्तु जब परिवर्तन होना है तो पुस्तकों में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। श्री टोम्बी सिंह ने चेतावनी दी है और प्रो० मलहोत्रा ने कहा है कि शिक्षा पद्धति में जल्दी जल्दी परिवर्तन नहीं होना चाहिये। इस सभा ने 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वीकृत की थी जिसमें यह निर्णय किया गया था कि हर पांचवें वर्ष इसका पुनर्विलोकन

[डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र]

किया जाना चाहिये। दस वर्ष बीत गये हैं। इस बीच कुछ नहीं किया गया। हमने अब इस नीति का पुनर्विलोकन किया है जिसके परिणामस्वरूप कुछ प्रमुख परिवर्तन स्वीकृत किये गये हैं जिन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है।

Shri Ram Awadhesh Singh: It is contradictory to tell that we shall make quick changes and to tell we shall do it gradually.

Dr. Pratap Chandra Chander: There is nothing contradictory in it. Whatever we have decided can be implemented with the help of State Governments.

प्रौढ़ शिक्षा के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड गठित किया जा चुका है। प्रौढ़ साक्षरों के लिये पुस्तकें भी तैयार की जा रही हैं। हमने राज्य सरकारों को अनुदेश दे दिये हैं कि वे राज्य प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड गठित करें। उसके अधीन जिला प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड और खंड प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड हों ताकि प्रौढ़ शिक्षा का उचित विकेन्द्रीकरण हो सके। योजना आयोग ने इस कार्य के लिये भारी धन राशि का आवंटन किया है। इसके अतिरिक्त हम कुछ प्रायोगिक परियोजनाएं तैयार कर रहे हैं। इस क्षेत्र में कई स्वैच्छिक संगठन भी हैं। हमने प्रौढ़ शिक्षा आरंभ करने के लिये 2 अक्तूबर, 1978 को तारीख निश्चित कर दी है।

कुछ माननीय सदस्यों ने शिक्षा को व्यावसायिक बनाने का उल्लेख किया है। 10+2 पद्धति के अन्तर्गत जमा दो स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान है। परन्तु हमारा यह अनुभव रहा है कि छात्र इसके प्रति आकर्षित नहीं हुए हैं। पश्चिम बंगाल में 66,000 छात्रों में से 2000 के लगभग छात्रों ने व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश लिया तथा दिल्ली में 35,000 में से केवल 700 ने। अतः मैं अध्यापकों और प्रिंसिपलों के प्रतिनिधियों से मिला और डा० मैलकोम आदिशेषय्या की अध्यक्षता में एक और समिति गठित की है। उसने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। कार्य अनुभव के सम्बन्ध में अब समेकित पाठ्यक्रम होगा।

पटेल समिति और आदिशेषय्या समिति दोनों ने ही कुछ सुझाव दिये हैं और हमने शिक्षा में काम को समेकित करने का प्रयास किया है ताकि पहली कक्षा से आगे की कक्षाओं तक छात्र लगभग 20 से 50 प्रतिशत तक समय सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादिता कार्य में लगायें।

आज यह होता है कि शिक्षा पाने वाला छात्र शारीरिक काम को अपनी इज्जत के अनुरूप नहीं समझता है। इस को आदर प्रदान किया जाना चाहिये ताकि बच्चों को इस मामले में विशेष प्रोत्साहन मिले।

काम के इस अंश को शिक्षा व्यवस्था में स्थान देने के लिये हमने विशेष दल गठित किये हैं। हमारे देश में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की भिन्न भिन्न समस्याएं हैं। हमें यह पता लगाना है कि किस प्रकार का काम समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप रहेगा।

यदि हम ऐसा कर सकें तो हम महात्मा गांधी की शिक्षा नीति को थोड़े रूप में वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाविष्ट कर सकेंगे।

अगले दिन मैं श्रम मंत्री के साथ चर्चा कर रहा था। उन्होंने बहुत से स्कूल और निकाय चला रखे हैं जहां श्रमिकों को शिक्षा दी जा रही है। उनमें लगभग 80,000 अध्यापक हैं। ये श्रमिक संगठित क्षेत्र के हैं। यदि श्रमिक शिक्षा को प्रौढ़ शिक्षा के साथ जोड़ दिया जाये तो बेहतर ढंग के श्रमिक हो जायेंगे। इसी प्रकार मैंने कृषि मंत्री श्री बरनाला के साथ भी बातचीत की। विभिन्न भागों में चल रही विस्तार परियोजनाओं में काम कर रहे श्रमिकों को यदि प्रौढ़ शिक्षा दी जाये तो शिक्षा और विकास साथ-साथ चलेगा और उससे श्रमिक कुशल हो जायेंगे। यह नया दृष्टिकोण है। अब प्रश्न यह है कि हमें इस कार्य में सफलता किस प्रकार मिलेगी? हम सफल तब हो ही सकते हैं जब सदन के सभी वर्ग शुभ कामना रखें और अपने निजी प्रयासों से कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में योगदान दें। अन्यथा नहीं।

जहां तक ढांचे का सम्बन्ध है, 10+2 और 8+4 पद्धति के बारे में बहुत भ्रांति हो रही है। एक जगह इस बात पर सहमति है कि स्कूल की शिक्षा 12 वर्षों तक होनी चाहिये परन्तु इसमें व्यवधान नहीं आता है। इस प्रयोजन के लिये हमारे स्कूल पर्याप्त नहीं है। सभी प्राइमरी, मिडल और सेकंडरी स्कूलों को 12 वर्ष तक भी शिक्षा देने वाले स्कूलों में बदलना संभव नहीं है। फिर भी यह मामला विचाराधीन है। माननीय सदस्यों ने मुझे स्पष्ट निर्णय देने के लिये कहा है परन्तु मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं क्योंकि इस मामले पर राज्य सरकारों के साथ बातचीत करनी होगी। यदि ऊपर से कोई चीज थोपी जाये तो शिक्षा के क्षेत्र में सब कुछ अस्तव्यस्त हो जायेगा। अतः मैंने इस वर्ष राज्य सरकारों की बैठक बुलाने का प्रस्ताव किया जो हमारी नई शिक्षा नीति पूरी हो जाने के बाद बुलाया जायेगा। इस प्रयोजन के लिये बड़ी समिति गठित करने की अपेक्षा मैंने उच्च शिक्षा शास्त्रियों जैसे डा० डी० एस० कोठारी, डा० प्रेम किरपाल तथा अन्य शिक्षा शास्त्रियों से बातचीत की है। यह थोड़े समय में ही तैयार हो जायगी। इस सत्र में तो संभव नहीं है परन्तु अगले सत्र में सभा के समक्ष उसे रख देंगे। विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को बुलायेंगे और नीति का प्रारूप उनके समक्ष रखेंगे।

बहुत से माननीय सदस्यों ने उच्च शिक्षा को निरर्थक बताया है। ऐसी बात नहीं है। हमें इंजीनियरों, डाक्टरों, वैज्ञानिकों तथा विभिन्न सेवाओं के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता है। इस समय उच्च शिला के लिये धन का नियतन कम है। इसमें शिक्षा के स्तर में सुधार करके ही सुधार किया जा सकता है।

मैंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने योजना बनाई है जिसे सभी उपकुलपतियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अब हमें उसे नई शिक्षा नीति में समाविष्ट करना है।

हम शनैः शनैः और शांतिपूर्वक ठोस कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।

इसी प्रकार तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहां कार्यकारी दल है जो आगामी कुछ वर्षों में होने वाली जनशक्ति योजना तथा अन्य आवश्यकताओं को जांच कर चुका है। इसने तकनीकी शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिये उपाय सुझाये हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने जो निष्कर्ष निकाला है उसे भी नई शिक्षा नीति में समाविष्ट किया जायगा। इस प्रकार हम कुछ मूल परिवर्तन कर रहे हैं।

[डॉ० प्रताप चन्द्र चन्द्र]

माननीय सदस्य श्री सुन्हा साहिब ने कल कहा कि हम खेलकूद की उपेक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब माइकल फैरीरा विश्व बिलियर्ड चैंपिइयन बने तो हमने उसकी योग्यता को मान्यता नहीं दी और न ही उसकी विदेश जाने में कोई मदद की। यद्यपि वह यह जानकारी लेने के लिये यहां उपस्थित नहीं हैं तथापि मैं आपके माध्यम से उन्हें बताता हूं कि यह बात गलत है। हमने कैनबरा स्थित भारतीय उच्च आयोग को टेलेक्स भेजकर बधाई संदेश दिया और उनका शतप्रतिशत किमान खर्च दिया।

श्रीमती पार्वती देवी ने लेहस्थि बौद्ध दर्शन के स्कूलों के बारे में कहा। मैं एक प्रतीनिधि मंडल से मिल चुका हूं। वहां एक व्यक्ति है जो प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर रहा है। मैंने सदस्य महोदया को आश्वासन दिया है कि उस व्यक्ति के स्थान पर स्थायी रूप से पद पर रहने वाले व्यक्ति को लगा दिया जायेगा।

माननीय सदस्य श्री बैरो ने पब्लिक स्कूलों और अल्पसंख्यकों के स्कूलों के बारे में उल्लेख किया है। अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि पब्लिक स्कूल बंद होने चाहियें। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि समूचे देश में एक ही प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए परन्तु क्या हम इसे क्रियान्वित कर रहे हैं? यह बड़ी समस्या है।

डा० रामजी सिंह ने बताया कि बिहार में अनेक स्कूलों में दीवारों और छतें नहीं हैं। यह स्थिति है। हम किस प्रकार की समानता ला रहे हैं? परन्तु इसमें पब्लिक स्कूलों का प्रश्य भी आता है। संविधान के अनुछेद 30 के अनुसार जो स्कूल अल्पसंख्यकों—भाषाई और धार्मिक—द्वारा संस्थापित और संचालित हैं उन्हें नहीं बदला जा सकता।

Shri Chandra Shekhar Singh: This article should be deleted.

Shri Ugrasen (Deoria): This article should be deleted. Public schools should not be there.

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यदि माननीय सदस्य इसमें संशोधन करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु एक विकल्प का सुझाव दिया गया था...

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जब वह बोल रहे हैं तो इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइये।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : कल माननीय सदस्यों ने अन्य विकल्प का सुझाव दिया था।

Shri Ugrasen: Education is being imparted in two types of mother tongue. Nation cannot be built up unless Public Schools are abolished.

Shri Ram Awadhesh Singh (Bikramganj) **:** I rise on a point of order. When the children of affluent people read in Public School, we demand their abolition.

Mr. Chairman: There is no point of order.

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : जैसा कि मैं कह चुका हूं, हमने इस मामले पर पूरा विचार किया है। हम चाहते हैं कि एक ही प्रकार की शिक्षा हो परन्तु संविधान के अनुसार अल्पसंख्यकों कों स्कूल चलाने की गारंटी मिली हुई है...

श्री वसंत साठे : अल्पसंख्यक अपने लिये स्कूल चला सकते हैं परन्तु उनमें धनी वर्ग के बच्चे अधिकतम संख्या में पढ़ते हैं। यह वास्तविक समस्या है।

Shri Y. P. Shastri (Rewa) : There are Public Schools like Scindia Public School etc., other than those run by minorities or religious communities. The children of the rich study in these schools and they get through I.A.S. examinations whereas the children of the poor lag behind. This practice can be stopped.

श्री ए० ई० टी० बैरो (नाम-निर्देशित-आंग्ल भारतीय) : श्री साठे ने जो व्याख्या की है वह न्यायालयो द्वारा की गई व्याख्या से भिन्न है। बम्बई स्कूल्स मामले में मानव अधिकारियों की धारा 26 उद्धृत की गई और उच्चतम न्यायालय में यह पुष्टि भी की गई कि माता-पिता को यह अधिकार है कि अपने बच्चो को वे जिस प्रकार की शिक्षा देना चाहें उसका चयन कर सकते हैं।

Dr. Susheela Nayar (Jhansi): If the parents want to teach their children by paying high fees and if the public schools do not take any money from the Government and run those schools themselves by charging high fees; how can the Government snatch away this right of their... **(Interruptions).**

An hon. Member: These are schools or shops?
(Interruptions).

Mr. Chairman: Please sit down. Please hear the hon. Minister.

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं श्री बैरो सहित सभी सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि उन्हें यह कतई डर नहीं होना चाहिये कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं की जायेगी।

श्री वसन्त साठे : पहले आप असमानता की स्थिति पैदा करते हैं और फिर उन असमानताओं का औचित्य सिद्ध करते हैं।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : दिल्ली के स्कूलों संबंधी विशेष मामलों में दिल्ली प्रशासन, बिना किसी को परेशान किये, जांच करने को तैयार है। यदि सभा चाहे कि ऐसा कोई तरीका निकाला जाना चाहिये कि एकरूपता आ जाय तो मैं इस पर खुशी से विचार करने को तैयार हूं।

भाषा संबंधी भी कई समस्यायें हैं। कहा गया है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा तक तो मातृभाषा के उपयोग का संविधान में भी प्रावधान है परन्तु हमारे देश में बहुतसारी मातृभाषायें हैं। वर्ष 1971 की गणना के अनुसार 1651 बड़ी भाषायें तथा भाषाओं के समान ही बोलियां हैं। अतः सभी लोगों में तो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना बहुत कठिन है। तथापि सरकार सभी भाषाओं का विकास करने के लिये सहायता दे रही है जिसमें संविधान में उल्लिखित राष्ट्रीय भाषायें ही नहीं वरन् अन्य बहुत सी भाषायें भी हैं। इस के लिए एक सरकारी संस्थान बना हुआ है। जहां किसी भाषा की अपनी लिपि नहीं है वहां सरकार देवनागरी लिपि प्रदान करने का प्रयास कर रही है ताकि वे अपनी भाषा को लिख भी सकें। फिर कालेज स्तर पर विभिन्न

[डॉ० प्रताप चन्द्र चन्द्र]

भाषाओं में किताबें लिखने को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों को एक करोड़ रुपये दिये गये हैं तथा इस योजना के अधीन लगभग 40,000 पुस्तकें छपी भी हैं। अब स्थिति यह है कि प्राथमिक शिक्षा तक हम जहां तक हो सके मातृभाषा में शिक्षा देने को कटिबद्ध हैं। मैं कह रहा हूं 'जहां तक संभव हो सके' क्योंकि कई भाषायें तो ऐसी हैं जो लिखी भी नहीं जातो हैं। परन्तु माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर हमें क्षेत्रीय भाषाओं का भी सहारा लेना पड़ता है क्योंकि सभी मातभाषाये उच्च शिक्षा दिये जाने के लिये सुविकसित नहीं हैं।

विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा, यथा संभव क्षेत्रीय भाषा के माध्यम में दी जाती है। इसी लिये कालेज स्तर को क्षेत्रीय भाषाओं में लगभग 40,000 पाठ्य पुस्तकें छपी भी चुकी हैं। आज अनेक विश्वविद्यालय क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से अनेक विषयों की शिक्षा दे रहे हैं परन्तु विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि विषयों के लिये पुस्तकें धीरे धीरे तैयार की जा रही है।

(व्यवधान)

Shri Chandra Shekhar Singh (Varanasi): How could Japan change them?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र: मुझे नहीं मालूम। वहां मुख्य भाषा एक जापानी भाषा है जबकि हमारे यहां 1600 बड़ी भाषायें हैं तथा अन्य बड़ी बोलियां हैं। उन्हें यह अन्तर भी ले समझना चाहिये। क्यूबा में इतनी अल्प अवधि में सभी लोगों का साक्षर होने का एक मात्र कारण यही है कि वहां केवल एक ही भाषा, स्पेनिश भाषा है। परन्तु हमारे यहां तो बड़ी कठिनाई है। फिर भी सरकार इस संबंध में विचार कर रही है। श्री जयप्रकाश नारायण ने शिक्षा संबंधी जो योजना हमारे पास भेजी है उसमें त्रिभाषा फार्मूले की सिफारिश की है। उसमें भी कहा गया है कि सभी प्रकार की प्राथमिक शिक्षा मातृ-भाषा में दी जानी चाहिये; माध्यमिक स्तर पर त्रि-भाषा फार्मूला अपनाया जाये जिसके अन्तर्गत अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में मातृभाषा, हिन्दी तथा अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के अलावा अंग्रेजी तथा कोई अन्य भारतीय भाषा हो। ये सुझाव हमें माननीय श्री जयप्रकाश नारायण जी ने दिये हैं और हम भी इन सभी भाषाओं का विकास करने की नीति अपना रहे हैं।

सरकार खेल-कूदों को बढ़ावा देने को बहुत उत्सुक है। यह सच है कि संविधान के अनुसार केन्द्र सरकार इनके लिये काफी ध्यान नहीं दे सकती क्योंकि खेल-कूद अभी भी राज्यों का विषय है। फिर भी राज्य सरकारों को खेल के मैदानों, शिविरों तथा ग्रामीण खेल-कूदों के लिये हम सहायता देने का प्रयास कर रहे हैं। हम नई खेल-कूद संबंधी एक नई नीति अपना रहे हैं ताकि ग्रामीण खेलों तथा अन्य खेलों को बढ़ावा मिले। हम खेल-कूदों को जीवन का एक अंग बनाना चाहते हैं।

यद्यपि हम खेल-कूद संबंधी गतिविधियों को देश-भर में फैलाना चाहते हैं, इस में आम खेल तथा प्रतियोगितापूर्ण खेल भी शामिल हैं, परन्तु फिर हमने वर्ष 1982 के ऐशियायी खेल आयोजित न करने का निर्णय किया है। इस बारे में पहली सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय न करके केवल इतना निर्णय किया

था कि 1982 में एशियाडी खेल आयोजित करने की पेशकश तो की जाये परन्तु वित्तीय कारणों से इस पेशकश को वापस ले लिया जाये। उस समय यह सुझाव दिया गया था कि इस आयोजन पर 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे परन्तु इस पर विचार करने वाली समिति ने इस पर खर्च का अनुमान 80 करोड़ रुपये बताया। फिर मैंने भी एक समिति कायम की ताकि यह देखा जाय कि कम से कम कितनी राशि जरूरी होगी। उस समिति ने भी 50 करोड़ रुपये से कम न खर्च होने की बात कही। इसके अतिरिक्त भवनो आदि के निर्माण पर भी 10 करोड़ रुपये का खर्च होना था। अब यह देखना चाहिये जो गरीब देश अपने अध्यापको तक को उनके वेतन देने अथवा स्कूलो का निर्माण करने में भी असमर्थ है तो फिर एक या दो मास के खेलों पर इतनी बड़ी राशि खर्च करना ऐश वर्व की बात ही तो होगी। अतः हमने ये खेल न आयोजित करने का निर्णय किया।

श्री वसन्त साठे : अकादमियों के बारे में आपने कुछ नही कहा। संस्कृति विभाग भी तो आपके अधीन है।

Shri Om Prakash Tyagi: He has not announced about old history. What he is doing about wrong things said about Aryans in the history books?

श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र : इतिहास की पुस्तकों के बारे में मत देने के लिये हमने विशेषज्ञों को कहा है। वैसे हम पुस्तकों के लेखन के मामले मे हस्तक्षेप नही करना चाहते। अतः हम इसका दायित्व नहीं ले रहे हम कोई निणय विशेषज्ञों का मत प्राप्त होने के बाद ही करेंगे।

तथापि हम पाठ्य पुस्तको की समूची पद्धति को बदलने जा रहे हैं और पाठ्य पुस्तकों का नया क्रम शुरु करेंगे। माध्यमिक शिक्षा के आधारभूत परिवर्तन किया जा रहा है और खर्चाहीन पुस्तक के इलावा अन्य कई पाठ्य पुस्तक भी पाठ्यक्रम से हटा दी जायगी।

संस्कृति के बारे मे मैं श्री साठे से पूरी तरह सहमत हूं कि अकादमी स्तर पर सुधार किया जाना च हिये। हमने इस अकादमियों मे नये चेयरमैन रखे हैं और इस समस्या पर विचार किया जा रहा है। सी प्रकार नृत्य-मंडालियो की सहायता करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

इसी प्रकार मद्य निषेध का मामला भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल प्रधान मंत्री की सनक नही है जैसाकि कुछ पत्रकार सिद्ध करने का प्रयास कर रहे है। इस सिलसिले में मैंने सभी राज्यों के संबंधित मंत्रियों, कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेस, मार्क्सवादी जनता सभी दलो के प्रतिनिधियों को बुलाया था और सभी मिलकर एक मत से यह निर्णय किया था कद्यनिषेध को चरण बद्ध तरीके से चार वर्ष के भीतर लागू कर दिया जाना चाहिये। साथ ही इसके आर्थिक पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिये।

श्री वसन्त साठे : यह खयाली पुलाव है।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : श्री साठे के दलने भी इसे स्वीकारा है। मद्य निषेध नीति गुजरात तथा तामिल नाडू में सफल हुई है तो मेरे देश में भी सफल होगी।

मैं अवरोध करता हूं कि अनुदानों की मांगें पारित कर दी जाये।

Shri Vinayak Prasad Yadav (Saharsa) : Sir, yesterday I had raised a fundamental question about the implementation of the report of Kaka Kalelkar Commission, as promised by the Janata Party in the manifesto. The hon.

Minister has left out that question. That report provides for 25 to 33 percent reservation in the posts under educational institutions and Government jobs. This mandatory provision has not so far been implemented. The hon. Minister should give an answer to that.

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं पहले ही अनेक बार कह चुका हूं कि हम अनसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के विद्यार्थियों को शिक्षा क्षेत्र में सहायता करने के प्रयास कर रहे है । आई०आई०टी० में भी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को, जब वे पास नहीं हुए तो हमने कहा कि उनके लिये विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी और उनको पास कर दिया गया। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि शिक्षानीति में परिवर्तन के साथ-साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की ओर ध्यान दिया जायगा (**अन्तर्बाधाएं**)

सभापति महोदय : हमारे पास समय कम है । मैं कटौती प्रस्ताव लेता हूं । श्री पी० राजगोपाल नायडू, क्या आप अपना प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखना चाहते हैं अथवा उसे वापिस ले रहे हैं?

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : मैं उसे सभा में मतदान के लिये रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय : प्रो० शिब्बनलाल सक्सेना और श्री ए०ई०टी० बैरो क्या चाहते हैं ?

प्रो० शिब्बनलाल सक्सेना (महाराजगंज) : मैं प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं ।

श्री ए०इ०टी० बैरो (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : मैं प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

सभापति महोदय : क्या सभा प्रो० शिब्बनलाल सक्सेना और श्री ए०ई०टी० बैरो को अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति देती है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां ।

कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापिस लिये गये
The cut motions were, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : अब मैं श्री राजगोपाल नायडू द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।
The motion was negatived.

सभापति महोदय द्वारा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के वर्ष 1978-79 के अनुदानों की निम्न मांगें मतदान के लिये रखी गई और स्वीकृत हुई ।

The following demands for grants in respect of Ministry of Education and Social Welfare for the year 1978-79 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
25.	शिक्षा विभाग	1,46,56,000
26.	शिक्षा	1,81,82,97,000
27.	समाज कल्याण विभाग	20,73,68,000

सभापति महोदय द्वारा संस्कृति विभाग के वर्ष 1978-79 के अनुदानों की निम्न मांगें मतदान के लिये रखी गईं और स्वीकृत हुईं :—

The following demands for Grants in respect of Department of Culture for the year 1978-79 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
97.	संस्कृति विभाग	9,12,67,000
98.	पुरातत्व	5,99,96,000

श्रम मंत्रालय

सभापति महोदय : सभा अब श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 65 और 66 पर चर्चा और मतदान करेगी । इसके लिये 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है ।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों और प्रबन्धकों में सामंजस्य होना नितान्त आवश्यक है। कोई भी देश औद्योगिक अशान्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि इसके परिणामस्वरूप देश को कार्य, काम के कितने दिनों, उत्पादन में भारी हानि होगी। इस विषय पर बिना पक्षपात विचार किया जाना चाहिये ।

गत वर्ष हड़ताल में 6,68,852 कर्मचारियों ने भाग लिया और उससे पहले वर्ष 18,76,710 कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया। वर्ष 1976-77 में 1,14,77,549 काम के घंटे नष्ट हुए लेकिन 1977-78 में 2,12,14,281 काम के घंटे नष्ट हुए इसके लिये कौन दोषी है ? कर्मचारियों को अपनी मांगे घेराव, हड़ताल आदि द्वारा पूरी करवाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है। हमें ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिये कि कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने की आवश्यकता न पड़े । इसके लिये कर्मचारियों में विश्वास की भावना पैदा करनी होगी । यदि वह यह अनुभव करें कि उद्योग उनके हैं और और वे उद्योग के लिये है, तो हड़ताल की क्या आवश्यकता है और हड़ताल किसके विरूद्ध की जायेगी । हम कर्मचारियों के लिये केवल नैतिक सहानुभूति प्रकट करते हैं। कर्मचारियों के प्रबन्ध में भाग लेने सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और वह विचाराधीन है। सरकार को कर्मचारियों के प्रबन्ध में भाग लेने के मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इसे कानून के अन्तर्गत अनिवार्य बताया जाना चाहिये। बोर्ड के निदेशकों में कर्मचारियों के प्रतिनिधि होने चाहिये। बोर्ड के निदेशकों में एक तिहाई प्रतिनिधित्व कर्मचारियों का, एक तिहाई उद्यमकर्त्ताओं अथवा पूंजी निवेशकर्त्ताओं का और एक तिहाई वित्तीय संस्थाओं का होना चहिये । लेकिन कार्मिक संघों को बीच में मत लाइये । यदि सरकार एक उद्योग, एक यूनियन की परिभाषा में विश्वास रखती है तो इसको प्राप्त करने का एक मात्र उपाय यह है कि सब कर्मचारियों को प्रबन्ध बोर्डों में अपने प्रतिनिधियों को सीधे चुनने की अनुमति दी जाये ।

जैसा कि मैंने कहा यह मात्र दिखावा नहीं होना चाहिये । निदशक बोर्ड में बस एक आदमी रख लिया और कह दिया कि हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। प्रबंध में प्रतिनिधित्व नीचे के स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक होना चहिये। मजूरी तथा बोनस आदि के संबंधित विवादों में मजदूरों को ठीक से पता ही नहीं

होता कि प्रबन्धकों ने क्या लाभ व हानि दिखाई है। अगर मजदूरों को वहां प्रतिनिधित्व मिला हो तो उन्हें सारी स्थिति की जानकारी हो सकती है। और उसके फलस्वरूप स्वत: ही लाभ की भागीदारी की एक प्रणाली बन जायेगी।

प्रबंध में प्रतिनिधित्व पा जाने के बाद मजदूर स्वयं ही, अपने ही विरूद्ध, हड़ताल करना कभी नहीं चाहेंगे। और यही इस समस्या का एक मात्र हल है।

औद्योगिक विधान से मजदूरों को जो सबसे अधिक कष्ट पहुंचता है उसका कारण है विवादों के निपटारे में विलंब होना। व्यवस्था कुछ भी हो कोई भी विवाद वर्षों के बाद ही हल हो पाता है। मजूरी संबंधी एक विवाद पूरे 16 वर्ष के बाद हल हुआ था। और उसे भी उच्चतम न्यायालय ने हल किया था। इस बीच मजदूर क्या करें इतने लम्बे समय के गुजरने के बाद वेतन के निर्धारण का क्या लाभ होगा। अत: औद्योगिक कानून एक वाहियात चीज है। न्यूनतम मजूरी की ही बात ले लीजिये। उच्चतम न्यायालय ने मजूरी को तीन भागों में बांटा है – जीवन यापन मजूरी, उचित मजूरी तथा औद्योगिक न्यूनतम मजूरी। कुछ भी हो मजूरी इतनी अवश्य होनी चाहिये जिससे कि जीवन की अनिवार्य वस्तुए, कुछ आराम शिक्षा तथा सुस्वास्थ्य सुविधायें जुटाई जा सकें। क्या ऐसा चाहना असामान्य बात है? साथ ही न्यूनतम मजूरी कभी कम नहीं की जानी चाहिये और मूल्यों में वृद्धि की पूरी मात्रा में क्षतिपूर्ति की जानी चाहिये। क्या हमने इस बात को स्वीकारते हुए भी न्यूनतम मजूरी अधिनियम में इन बातों के लिये प्रावधान किया है? नहीं किया है। 1948 का यह अधिनियम तो उसी पुराने परिवेश में है और इसमें मूल्य वृद्धि की क्षतिपूर्ति करने अथवा न्यूनतम मजरी की रक्षा करने का प्रावधान करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

अत: इस व्यापक विधान के विषय में सोचते समय हमें तीन बातों का ध्यान रखना चाहिये। सर्वप्रथम उद्योग की परिभाषा की बात है। उच्चतम न्यायालय ने उद्योग की परिभाषा अपने हाल ही के निर्णय में दे दी है। वह एक व्यापक आफर पर दी गई परिभाषा है। हम तो यह चाहते है कि उद्योग की परिभाषा के प्रश्न को अधिक महत्व देने की बजाय नयोक्ता––मजदूर के संबंधों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। नियोक्ता कोई भी हो, मजदूर अर्थात कर्मचारी के हितों की रक्षा की जानी चाहिये। अत: इस अधिनियम का नाम रोजगार सुरक्षा अधिनियम या रोजगार संबंध अधिनियम होना चाहिये।

दूसरे कार्मिक की परिभाषा पर भी विचार करने की जरुरत है।

ऐसी व्यवस्था या प्रणाली बनाई जाये कि मजूरी में वृद्धि जीवन-यापन पर लागत में वृद्धि के अनुसार स्वत: दी जाये। ये दोनों बाते बहुतही आवश्यक है।

तीसरे बोनस के प्रतिशत के बारे में विवाद के लिये हमें यह मानकर कहना चाहिये कि बोनस एक आस्थागित मजूरी होती है। यदि कोई क्रांतिकारी परिवर्तन आता है, स्वयं मजूर प्रबंध को संभाल लेते हैं और उन्हें वास्तविक लाभों का पता चलता है तो स्वयं ही लाभ के बटवारे की योजना बना लेंगे। परन्तु अब तक ऐसा नहीं हो सका मुझे खुशी है कि आपने कम से कम एक वर्ष के लिये तो 8.33 प्रतिशत बोनस बहाल कर दिया है। मुझे यह भी आशा है कि आप अन्य सभी क्षत्रों के लिय भी विधान बनायेंगे। क्यों न ऐसी व्यवस्था और ऐसा प्रावधान रेल कर्मचारियों डाक व तार कर्मचारियों तथा रक्षा कर्मचारियों के लिये भी की जाये ?

औद्योगिक विवादों के अन्तर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण मामला सेवा से हटाने या बरखास्त करने का है। इसके लिये कोई तंत्र बनाया जाना चाहिये। जब नौकरी से हटाने का मामला किसी न्यायालय में चला जाता है। ऐसी सूरत में अगर कर्मचारी अवांछित व्यक्ति है तब तो दूसरी बात है वरना जब तक उस मामले का निर्णय न हो जाये तब तक कर्मचारी को वापस काम पर रखे जाने के आदेश न्यायालय द्वारा दिये जाने चाहिये। परन्तु होता यह है कि 10-10 वर्ष मामला चलता है और यदि न्यायालय कर्मचारी के पक्ष में पूरे वेतन तथा बकाया वेतन आदि सहित निर्णय दे देता है तो नियोक्ता को उस समय की भी मजूरी देनी पड़ती है जब कि कर्मचारी ने काम ही नहीं किया होता यह चाहिये कि अदालत कहें कि मामले का निपटारा होने तक कर्मचारी काम करता रहे और उसे वेतन मिलता रहे। नियोक्ता इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यो बनाते है? वह कर्मचारी को वापस काम पर लेने में अपना अपमान क्यों समझे?

जबरन छुट्टीयां तथा ताल बन्दियां से कर्मचारी वर्ग को बहुत कष्ट हुआ है। इस बारे में बना कानून दोष पूर्ण है। तालाबन्दी होने पर कर्मचारी बेचारा बेरोज़गार और बेसहारा हो जाता है। क्या उसके वेतन को रक्षा नहीं की जानी चाहिये? मैं श्रम मंत्री तथा साथ ही उद्योग मंत्री से अनुरोध करुंगा कि वह उन प्रतिष्ठानों का प्रबंध अधिग्रहीत कर लेने के प्रश्न पर विचार करे जहां तालाबन्दी का उद्देश्य कर्मचारियों को परेशान करना दिखाई देता हो ऐसी अवस्था में नियोक्ता को अपना उद्योग तुरत चालू करने के आदेश दे सकने का कानून होना चाहिये। यह शक्ति अब सरकार के पास नहीं है। इसके लिये आप औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम में संशोधन कर सकते है... (व्यवधान)

कृषि श्रमिक आज तक उपेक्षित रखा गया है। इस समस्या पर हम सभी ने विचार करना है किसी पर दोष देने की जरुरत नहीं है। यह वस्तुतः एक बिखरा हुआ क्षेत्र है और इन श्रमिकों को संगठित नहीं किया जा सकता है। अतः उसके हितों की रक्षा के लिये कानून बनाने की ज़रुरत है ताकि उसे काम मिल सके उसके रोज़गार को सुरक्षा मिल सके। उसके रोज़गार को हमेशा छूट जाने का खतरा रहता है। कृषि श्रमिकों के मामले मे कर्मचारी संघ की जैसी गतिविधियों नहीं हो सकती यह उनके लिये हानिकर होगा। कृषि उपकरणों आदि। का बंटवारा उनके माध्यम से करने के अलावा अन्य कोई उचित व्यवस्था बनाकर उनके दिलों की रक्षा की जानी चाहिये।

रोज़गार के क्षेत्र में सरकार काफ़ी कुछ नहीं कर पाई है। वस्तुतः इस समस्या को केवल श्रम मंत्रालय हल नहीं कर सकता। इसे तो सभी मंत्रालय, सभी सरकारें तथा समूचा देश मिलकर ही हल कर सकता है। इसके लिये ग्रामीण क्षेत्रों में लघू उद्योगों में उत्पादकता की गतिविधियां बढ़ाना होगा ताकि अधिकाधिक लोगों को रोज़गार मिले। जब भी आप लोगों को रोज़गार देने के उद्देश्य से कोई उद्योग या कृषि उद्योग शुरु करें तो आप उस उद्योग के लिये कच्ची सामग्री की नियमित सप्लाई और वहां बनाये जाने वाले माल के विपणन की भी निश्चित रूप से व्यवस्था करें। परन्तु जब तक आपकी अर्थ व्यवस्था मांग और सप्लाई की विचारधारा पर आधारित रहेगी तब तक उत्पादों की मांग भी सीमित रहेगी।

आज हमारे देश में केवल दो करोड़ लोगों को ही क्रय-शक्ति प्राप्त है और आप चाहते है कि ये सारे उत्पाद उनके लिये महानगरों में जायें। क्या होगा इससे? इसके लिये कृपया ग्रामिण क्षत्रों में क्रय-शक्ति पैदा कीजिये। फिर विपणन की सारी प्रक्रिया एक राष्ट्रीय संगठन के अधीन लाई जानी चाहिये। इसी से उत्पादन तथा रोज़गार की गारंटी मिल सकेगी।

कभी कभी मैं महसूस करता हूं कि श्रम तथा शिक्षा विभागों को सरकार द्वारा गैर-प्राथमिकता वाले विभाग माना जाता है।

अत: मेरा निवेदन है कि सरकार को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये क्योंकि देश में स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है । जब स्थिति बिगड़ जाती है तो उस पर नियंत्रण करना बहुत कठिन हो जाता है । अत: सरकार को एक समुचित श्रम नीति बनानी चाहिये । आशा है सरकार श्रम सम्बन्धी व्यापक विधेयक इस सत्र में लायेगी ।

श्रम मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
65	1	श्री शिब्बन लाल सक्सेना	संगठित चीनी श्रमिकों के साथ अन्याय जिनकी वर्ष में 6 महीनों के लिये निम्नतम मजूरी 300 रुपए प्रतिमास से कम है जब कि सीमेंट, कपड़ा मिल, इस्पात, डाक्स और अन्य संगठित उद्योग में सभी बारह महीनों में निम्नतम मजूरी 400 रु० से 600 रु० तक रही।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें
	2	श्री पूर्णा सिंह	क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों की असफलता	,,
	3	श्री पूर्णा सिंह	आसाम के बागान श्रमिकों के लिये कल्याण योजनाओं का अभाव ।	,,
	4	श्रीमती पार्वती कृष्णन	रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण का पुनर्गठन करने और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को सहायता से भ्रष्ट व्यवहार समाप्त करने की आवश्यकता ।	,,
	5	,,	कर्मचारी राज्य बीमा निगम को मालिकों द्वारा देय बकाया राशि वसूल करने और दोषी मालिकों के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	,,
	6	,,	समान पारिश्रमिक अधिनियम को पूरी तरह लागू करने की आवश्यकता	,,
	7	,,	बेरोजगारी भत्ता देना सुनिश्चित करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता ।	,,
	8	,,	सभी रेल कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के क्षेत्राधिकार में लाने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
	9	श्रीमती पार्वत कृष्णन	श्रमिक संघों को गुप्त मत द्वारा मान्यता देने की पद्धति लागू करने में विलम्ब ।	राशि में से 100 रु० घटा दिये गये ।
	10	,,	भविष्य निधि योजना की बकाया राशि नियोजकों से वसूल करने और उनके विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही करने में असफलता ।	,,
	11	,,	श्रमिक संघों के 1971 में हुए सम्मेलन द्वारा सर्वसम्मति से की गई सिफारिश के अनुसार विधान बनाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करने में असफलता ।	,,
	12	,,	रेल सहित सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस देना सुनिश्चित करने में असफलता ।	,,
	13	,,	वर्ष 1975 से 8.33 प्रतिशत बोनस बहाल करने में असफलता ।	,,
	14	,,	सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में हड़ताल होने की स्थिति में हस्तक्षेप करने और वार्ता आरम्भ कराने में असफलता, जिसके अभाव में कर्मचारियों को मालिकों द्वारा डराया धमकाया जाता है ।	,,
	15	,,	कर्मचारी राज्य बीमा सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार करने और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यकरण को और युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता ।	,,
	16	,,	भविष्य निधि की राशि का भुगतान करने में अनावश्यक विलम्ब और इस संगठन का कार्य युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता ।	,,
	17	,,	औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत आवास की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने में असफलता ।	,,
	18	,,	खान सुरक्षा सम्मेलनों की सिफारिशें लागू करने में असफलता ।	,,
	19	,,	खान सुरक्षा निदेशालय के कार्यकरण को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
66	20	श्रीमती पार्वती कृष्णन	इंजीनियरी, कपड़ा आर पटसन उद्योग के सरकारी नियंत्रण के बाद बन्द हुए एककों के कर्मचारियों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने में असफलता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जाय
	21	,,	बन्धक श्रमिकों का संरक्षण और उनके लिए रोजगार सुनिश्चित करने के साथ-साथ बन्धक मजदूरी प्रथा का उन्मूलन करने के लिए जोरदार कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	,,
65	22	श्री पी० राजगोपाल नायडू ।	श्रम संबंध विधेयक शीघ्र लाने में असफलता	,,
	23	,,	श्रमिकों को कारखाना-मालिकों द्वारा शोषण से बचाने में असफलता ।	,,
	24	,,	श्रम सम्बन्धी कानूनों को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने में असफलता ।	,,
,,				
	25	,,	औद्योगिक विवादों को हल करने में और इस प्रकार हड़तालों को रोकने में सन्धि कराने वाली व्यवस्था की असफलता ।	,,
	26	,,	कारखाना-मालिकों को श्रमिकों के साथ संधि कराने वाले अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने के लिये बाध्य करने में असफलता ।	,,
66	27	,,	कोयला खनिकों के लिये मकानों की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
	28	,,	रोजगार कार्यालयों का मूल्यांकन करने में असफलता ।	,,
	29	,,	श्रमिकों के कल्याण सम्बन्धी उपायों को कार्यान्वित करने में असफलता ।	,,
	30	,,	श्रम संबंधी आंकड़ों को बेहतर ढंग से रखने में असफलता ।	,,
	31	,,	खानों में सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ बनाने म असफलता ।	,,

Shrimati Ahilya P. Rangnekar (Bombay North Central) : Sir, labour problem has become law and order problem in the country now. During the recent past about 100 workers have died on account of police firing. In most of the cases when police was asked to open fire, the workers were not at fault. Only those persons were responsible for such firing who could not solve the problem through negotiation.

It is also a fact that in the majority of the cases the management did not appreciate the difficulties of the workers and did not accept the demands of the workers. The management attacked the workers in most of the cases. So far as the question of 'mandays lost' is concerned the Report of Labour Commissioner says that most of the mandays are lost due to the lock outs and lay offs resorted to by management.

In certain industries the management has not paid the wages to the workers for two months and the workers have been forced to agitate but the concerned State Government has not taken any initiative to intervene.

In a meeting convened by the Union Minister in May he promised that the victims of emergency would be reinstated. But that promise has not been fulfilled so far by the Government in the Audit and Accounts Department, Defence Department etc. In the National Textiles Corporation also the employees who were removed from service during the emergency have not so far been taken back in the service. The hon'ble Minister should look into this matter and see that his promise is fulfilled.

It is a wrong policy to declare bonus every year. There should be a statutory policy in this regard. The Supreme Court has decided in the case of L.I.C. employees that the agreement with the employees should be honoured. The Government should declare that all such agreements in other institutions should also be honoured.

During the emergency the work load of workers was increased. The Government should see to it that this burden is reduced and normalcy is restored.

With regard to dearness allowance the public sector enterprises have stated that for every increase of one point there should be an increase of Rs. 1.30 and not more than that. As a result of this employees in private sector are not getting justice in the matter of dearness allowance.

The employers have boycotted the wage board for newspaper employees on baseless grounds. This is not good. The Government should force all private employers to implement the recommendations of wage boards. Those employers who do not implement the wage board recommendations should be sent to jail. A suitable legislation should be enacted for that purpose.

It is good that old apex body has been dissolved and a meeting of all trade unions is called. But this is not being implemented in States. The hon'ble Minister should look into the matter.

The offices of Provident Commissioners are not functioning properly. The Commissioners are making many tours for various places. Moreover, they are not protecting the interest of the workers. Suitable steps should be taken to ensure their proper functioning so that interests of workers are protected.

There are 478 public sector enterprises which have not paid the provident fund dues of workers in full. The hon'ble Minister should intervene in the matter and also see that the persons who are raising their voice against corruption of the employers, are not victimised.

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : सर्वप्रथम मैं श्रम-मंत्री को अपने मंत्रालय के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये बधाई देता हूं। जनता सरकार की पिछले वर्ष की अनिवार्य बचत योजना को समाप्त करना, कर्मचारियों को बहाल करना, बोनस देना आदि उपलब्धियां श्रम मंत्री के प्रयासों का ही परिणाम है।

जनता सरकार जब सत्ता में आई उस समय कर्मचारियों के बीच तनाव था और लोकतंत्रीय सरकार के आने पर इस तनाव का समाप्त होना स्वाभाविक ही था। आपतकालीन स्थिति के दौरान श्रमिक मोर्चे पर हुई गड़बड़ी को ठीक करने के लिये हमारी सरकार का काफी समय लगा है। हम कुछ अधिक काम कर सकते थे और कुछ अच्छे परिणाम दिखा सकते थे यदि हमारा समय इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिये न लगता। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्ष के दौरान श्रम मंत्रालय पिछले वर्ष की अपेक्षा इससे भी अधिक बेहतर कार्य करेगा। गत एक वर्ष के दौरान तीन प्रकार की हड़तालें हुई हैं। इनमें से कुछ हड़तालें उचित थी। जीवन बीमा निगम के श्रेणी III तथा श्रेणी IV के कर्मचारियों की एक दिन की हड़ताल उचित ही थी। 1974 में कर्मचारियों तथा प्रबंधकों के बीच एक करार हुआ था। आपात काल में इस करार को भंग किया गया था। इसी प्रकार, आपात काल के दौरान कुछ ऐसे ठेकों पर हस्ताक्षर किये गये जिन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया। भारतीय तेल अधिकारियों ने आपात-काल से पहले एक ठेके पर हस्ताक्षर किये थे जिसे आपातकाल के दौरान वापस लिया गया। श्रम मंत्री को उन ठेकों और हड़तालों की जांच-पड़ताल करनी चाहिये जिन पर आपातकालीन स्थिति से पहले दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किये गये लेकिन आपातकालीन स्थिति के दौरान एक पक्षने इन्हें वापस ले लिया और जिन्हें अब तक भी बहाल नहीं किया गया।

बम्बई में विशेष रूप से, जो एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र है, कुछ हड़तालें हुई हैं जो जान-बूझकर जनता सरकार को परेशान करने के उद्देश्य से की गई है। कर्मचारियों के प्रति कोई प्रेमभाव नहीं है कोई भी ऐसी मांग नहीं जो कर्मचारीयों के हित में हो।

इन हड़तालों के कारण बहुत से प्रमुख उद्योगों को हानि हो रही है और इसके परिणामस्वरूप श्रमिक दुखी है। कर्मचारी स्वयं हड़ताल नहीं चाहते है लेकिन वे गुंडागर्दी से डरते हैं।

तीसरी प्रकार की हड़ताल का उद्देश्य मुख्यतया अपने नेतृत्व को बनाये रखना है। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस और इसके मंत्रीगण श्रमिक क्षेत्र में अपनी पकड़ को खो रहे हैं। यह स्पष्ट था कि सरकार की बैंक कर्मचारियों के साथ वेतन के पुनरीक्षण के प्रश्न पर बातचीत करने में रुचि थी। लेकिन कांग्रेस तथा सी०पी०आई० के नेतृत्व वाली बैंक कर्मचारियों की यूनियन ने महसूस किया कि यदि बातचीत हुई तो वे पूरी तरह से पकड़ खो देंगी। अतः उन्होंने हड़तालों को प्रोत्साहन दिया क्योंकि वे कर्मचारियों पर अपना प्रभाव बनाये रखना चाहते थे।

यदि जनता सरकार के लिये परेशानी पैदा करने वाली और अपना नेतृत्व कायम रखने के लिये की जाने वाली हड़तालों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो देश में 1977 के दौरान होने वाली हड़तालों की संख्या 1975 में हुई हड़तालों की संख्या से कम होती। अतः श्रमिकों को दोषी मानने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा क्योंकि उनकी शिकायतें जायज हैं। यह आश्चर्य की बात है कि 1964 की तुलना में 1977 में श्रमिकों की वास्तविक मजूरी कम है।

इस देश में ऐसे उद्योग भी हैं जिनमें गत 15, 20 वर्षों से हड़ताल नहीं हुयी है। ऐसा किस प्रकार संभव है इस बात की जांच की जानी चाहिये । जांच करने से यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जहां के प्रबन्धक मजदूरों के साथ मानवता का व्यवहार करते हैं, उन्हें दबाने का प्रयास नहीं करते, उन्हें नौकरी से निकाल फैंकने की बात नहीं करते, वहां हड़ताल नहीं होती । मंत्री महोदय को सामूदायिक सौदेबाजी की प्रक्रिया को सशक्त बनाना चाहिये । भारत में सामूहिक सौदेबाजी की परिकल्पना बहुत क्षीण है। इसके दो कारण हैं। पहला यह कि पुराने मान्यता प्राप्त संघ, विशेषतया कांग्रेसी और कम्यूनिस्ट संघ समय के अनुकूल नहीं है। रेलवे और बैंकों जैसे संस्थानों में सदस्यता की सूची और उसका उचित सत्यापन किया जाना चाहिये । मंत्रीमहोदय को नौकरशाही के बारे में सावधान रहना चाहिये क्यों कि नौकरशाही का कुछ तत्वों के साथ गठबन्धन है। नौकरशाही ने यह सुनिश्चित करने के लिये कुछ तत्वों के साथ षड़यंत्र किया है कि कम्यूनिस्ट और कांग्रेसी संघों को मान्यता मिले ।

नौकरशाही के कुछ तत्वों का भूतपूर्व निराश कांग्रेसी तत्वों से गठबन्धन है और ये अच्छी श्रम-व्यवस्था में तोड़-फोड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। श्रम मंत्री महोदय को यथाशीघ्र संघों में निर्वाचन की संकल्पना लाने का प्रयास करना चाहिये । आय और मूल्य नीति का उत्सर्जन करने से पहले एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति बनानी चाहिये। हमें व्यापक आय और मूल्य नीति बनने तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये ।

मंत्री महोदय को कार्य के अधिकार की संकल्पना पर विचार करना चाहिय क्योंकि इसी से श्रमिकों के दिल-दिमागों में सुरक्षा की भावना पैदा होती है । जब तक काम के अधिकार की कल्पना पैदा नहीं की जायेगी तब तक श्रमिकों को शांत करना संभव नहीं है। महिलाओं के लिये अंश कालिक रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिये अन्यथा महिलायें श्रमिक दल में गम्भीरता पूर्वक योगदान नहीं दे सकेंगी ।

श्रम मंत्री महोदय को श्रम-आयुक्त के कार्यालय में सुधार करना चाहिये। श्रम आयुक्तों के कार्यालय में बहुत अधिक काम है । इन कार्यालयों का स्तर और दर्जा बढ़ाया जाना चाहिये ।

मंत्री महोदय को सभी आर्थिक हितों का राष्ट्रीय गोलमेज़ सम्मेलन का आयोजन करना चाहिये ताकि हम औद्योगिक सम्बन्धों के लिये कोई ठोस कार्य प्रणाली बना सकें। औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक यथाशीघ्र संसद में पेश किया जाना चाहिये ।

Shri Manoharlal (Kanpur) : During 19 month's emergency period workers were denied their rights of bonus, trade union rights and compulsory deposit scheme was thrust upon them. Janata Party Government has restored all the rights of the workers. The Government, specially the hon. Minister deserve appreciation for this.

I would like to request that Government should give a sympathetic consideration to demand for bonus by the Railway and P. & T. employees. These employees should get bonus.

I would like to tell Shri Sathe that during 1976-77 the figure regarding mandays lost is 1,28,00,000. The then Government had usurped all the rights of the workers. The figure regarding mandays lost last year is 1,15,20,000. Shri Sathe may well understand it.

[श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासीन हुये
Shri M. Satyanarayan Rao in the Chair.]

[Shri Manoharlal]

The reason of workers agitation as we have witnessed during Janata Government regime is that the workers have been allowed to air their grievances by the present Government. There is no threat of MISA or DIR to the voice of the workers. There is no threat to the trade union rights of the workers as it was during emergency in Congress regime.

The conditions imposed for drawing the C.D.S. amount should be relaxed so that the employees may draw their deposited amount.

I am sorry to say that there is no change in the attitude of bureaucracy. They are functioning in arbitrary manners. What happened in Swadeshi Cotton Mill Kanpur is an example to it. The Department of Labour is responsible for this. 187 workers have not drawn their pay. I would like to know from the Government to enquire the whereabouts of these 187 workers. The Janata Government must clarify it so that there can be no confusion. I demand that the Swadeshi Cotton Mill should be reopened because the C.P.I. and the Congress have started creating violence there.

The J. J. Kailash Mill has been closed down for the last two years. The hon. Minister should make efforts to get it reopened.

The hon. Minister of Labour has said that the Provident Fund Organisation is an autonomous body. When it is an autonomous body, why should it work directly under Labour Ministry ? The Labour Ministry should have no control over it.

73,000 establishments, which come within the purview of Provident Fund Act, have not paid the arrears to the tune of Rs. 1827.25 lakhs. It can be assessed that how the workers can benefit when these establishments do not pay huge arrears. No stringent action is taken against them to recover the arrears. A number of factories do not fall within the Provident Fund Scheme. Such factories should be brought within the Provident Fund Scheme.

Today there is great unrest among the workers. It is these due to three factors. First, there is no National Wage Policy, secondly, Labour Laws are obsolete and thirdly, the industrial relations are not on sound footing. The hon. Minister should pay attention to this situation. The hon. Minister stated that the National Wage Policy would be declared soon but it has not been declared so far. The Government constituted the Bhoothalingam Committee in this regard but the workers have no faith in it because they did not consult the representatives of the workers. The hon. Minister should pay attention to it and declare a national wage policy soon.

Our Labour Laws are obsolete. They were enacted in 1927, 1947 and 1950. No Act is effective to-day. A number of factories do not implement them. Crores of workers are engaged on temporary basis. They are not allowed to complete 240 days. The owners get the new forms filled in by the workers thereby depriving them of completing 240 days of service. The hon. Minister should pay attention to this also.

Workers face great difficulty due to inordinate delay that takes place in deciding cases in Labour Courts. Collective bargaining should be affected immediately whatever agreement is done, it should be implemented because the workers have lost faith in Labour Courts. The hon. Minister should bring about improvement in Labour Courts.

Attention should be paid to the living conditions of the workers. These workers are paid Rs. 3 to 5 at many places but the full prescribed wages of Rs. 6-70 paise is paid at few places. The progress of India depends upon workers. Their interests should be kept in view so that there can be more production.

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि गत एक वर्ष के दौरान सरकार की ओर से पूर्ण निष्क्रियता और अक्षयता दिखाई गई ।

मैं जानता हूं कि अकेले मंत्री महोदय ही श्रमिक स्थिति का निर्धारण नहीं करते हैं । वह तो प्राय: निस्सहाय दर्शन की भांति रहते हैं क्योंकि राज्य सरकार के मंत्री कार्य नहीं करते हैं । मैं अन्य श्रम मंत्री को जानता हूं परन्तु उन्हें भी दु:खी हृदय से श्रमिकों के बोनस का अधिकार लेने का अधिकतम पारित करना पड़ा । श्री रवीन्द्र वर्मा देख रहे हैं कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है ।

वर्ष 1976 में श्रमिकों का दमन किया गया तो वर्ष 1977 में सरकार की निष्क्रियता से हिंसा ई ।

श्रमिक अशांति के बावजूद सरकार को संतोष है जो उसके द्वारा बताये गये आंकड़ों से झलकता है । प्रतिवेदन के पृष्ठ 8 पर बताया गया है कि गत सात वर्षों के दौरान आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि औसतन कुल 200 लाख जन दिवसों की हानि हुई जो 1971 में हुई हानि के अतिरिक्त है जो 165.5 लाख थी । यह तो आंकड़ों सम्बन्धी चतुराई है जो उनके मंत्रालय के विद्वान अधिकारियों ने की है । वस्तुत: तथ्य यह है कि तालाबंदी के कारण वर्ष 1976 में लगभग 100 लाख जनदिवसों को हानि हुई । वर्ष 1976 में हड़तालों के कारण लगभग 20 लाख जनदिवसों की हानि हुई जो 1977 में बढ़कर 100 लाख हो गई । मालिक भी उसी ढंग से बर्ताव कर रहे हैं । सरकार ने नैतिक अधिकार खो दिया है जो वह हस्तक्षेप नहीं कर सकती है । हड़तालों और तालाबंदी का सरकारी क्षेत्रपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है । गत अप्रैल में भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची में, मई में बम्बई गोदी श्रमिकों ने हड़ताल की, अगस्त में हिन्दुस्तान शिपयार्ड में गड़बड़ हुई । इस प्रकार कई अन्य सरकारी क्षेत्र के कारखानों में हड़तालें हुई । इतना ही नहीं, सरकार की कुल मिलाकर जो नीति है वह सरकारी क्षेत्र के प्रति उदासीनता की नीति है । यहां यह कहा जाता है कि श्रम मंत्री ने दर्जनों मामलों में हस्तक्षेप किया । जबकि बहुत कम मामलों में केन्द्रीय श्रम मंत्री ने हस्तक्षेप करने की परवाह की ।

जब पत्तन तथा गोदी श्रमिकों ने हड़ताल की थी तब श्रम मंत्री का संचार कर्मचारियों के लिये लाभप्रद था परन्तु अब वह बेलाडिल्ला के श्रमिकों के छंटनी के मामले में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं । कानपुर में स्वदेशी काटन मिल्स और हरिद्वार में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स आदि में हड़ताल के मामले में भी वह स्वयं को असमर्थ बताते हैं । मंत्री महोदय को इन मामलों में भी उचित कार्यवाही करनी चाहिये । समाचार-पत्र के कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक अंतरिम समझौते की घोषणा अप्रैल में की गई थी । फिर दिसम्बर, में अचानक ही नियोजकों ने मंजूरी बोर्ड में भाग न लेने का निर्णय कर लिया । इस प्रतिवेदन में लिखा है कि श्रम मंत्री समस्या का समाधान करने के लिये उनके साथ बातचीत कर रहे हैं परन्तु वे गत दो तीन महीनों से समाचार पत्र मजूरी बोर्ड में भाग ही नहीं ले रहे हैं । ऐसा प्रतीत होता है श्रम मंत्री समितियां नियुक्त करने मात्र से ही संतुष्ट हैं । अब तक कोई ठोस कार्यवाही

[श्री सौगत राय]

नहीं की गई है । औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक को अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि ये समितियां बहुत अधिक समय लगा रही है जिससे यह मंत्रालय अपना प्रमुख काम, जो कि कानून बनाने का है, नहीं कर सका ।

औद्योगिक स्थिति के सम्बन्ध में मजदूर संघो की निष्ठा बदले जाने की बात कही गई है और इसका कारण मजदूर संघों की संख्या अधिक होना बताया है । परन्तु इसके लिये सरकार स्वयं जम्मेदार है । उन्होंने इंडियन लेबर कांफ्रेस का पुनः सक्रिय कर दिया जो ठीक निर्णय है परन्तु उन्होंने भारतीय मजदूर संघ के प्रत्येक व्यक्ति को आमंत्रित कर लिया जोकि नियोजकों का संगठन है । मजदूर संघो को गुप्त मतदान के माध्यम से मान्यता देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है परन्तु इतनी अधिक संख्या में मजदूर संघों को आमंत्रित करना उचित नहीं । आज विभिन्न स्थानों पर श्रमिक अशान्ति है । अब तीन सरकारी उपक्रमों में हड़ताल चल रही है । श्रीमती इन्दिरा गांधी का कहना है कि श्रमजीवी वर्ग ने नगरों में मालिकों के प्रभाव के कारण उनके विरुद्ध मत दिया परन्तु इसका मुख्य कारण मुल्य-वृद्धि है । मालिक सरकार की परवाह नहीं कर रहे है और इसलिये कर्मचारी हिंसा का मार्ग अपना रहे हैं और पुलिस गोली चला रही है । समूचे देश में यही श्रम स्थिति है । सरकार को श्रमिक विवादों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करके विवादों को हल करने का प्रयत्न करना चाहिये । सरकारी उपक्रमों में हड़तालें, तालाबन्दियां आदि बिलकुल नहीं होनी चाहिये ।

पिछली सरकार ने कृषि श्रमिकों और बन्धुआ श्रमिकों के बारे में कुछ कार्यवाही की थी कुछ राज्यों ने कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजूरी निर्धारित की है । अब कृषि श्रमिकों के लिये एक व्यापक विधि बनाने की आवश्यकता है जैसा कि केरल में किया गया है । पिछली सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बन्धुआ श्रमिकों को मुक्त करा दिया था । वर्तमान सरकार ने इस दिशा में अब तक क्या कार्य-वाही की है । बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिये बहुत धीमी गति से काम चल रहा है । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कृषि श्रमिकों और खादी तथा ग्रामोद्योग के कर्मधारियों के लिये भी न्यूनतम मजूरी निर्धारित की जानी चाहिये । कोयला खानों में सुरक्षा व्यवस्था पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये । खान सुरक्षा महानिदेशक को अधिक सतर्क रहना चाहिये । तारा कोयला खदान के अनेक व्यक्ति मारे गये हैं । अतः इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये । पटसन श्रमिको के सम्बन्ध में जितना कम कहा जाय, अच्छा होगा । मेरे क्षेत्र में नाइहाटी और किन्नीसन पटसन मिले गत 6 महीने से बन्द पड़ी है । केन्द्रीय सरकार ने उनको खुलवाने का कोई प्रयत्न नहीं किया । इनमें काम करने वाले 12000 श्रमिकों की जबरी छुट्टी कर दी गई है । परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

रोजगार दफ़्तरों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है । इन में श्रमिकों के प्रतिनिधियों को सम्बद्ध नहीं किया गया है, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है । सरकार को इस बात को सुनिश्चित करने के लिये एक कानून बनाना चाहिये कि सभी रिक्त स्थानों की सूचना रोजगार दफ़्तरों को दी जाये वर्ष 1976 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या 10.78 लाख थी जबकि 1977 में यह संख्या बढ़ कर 12.8 लाख हो गई है और वर्ष 1975 में 38000 लोगों को रोजगार दिलाया गया था जबकि 1977 में इनकी संख्या 35000 रह गई । यह हमारा दुर्भाग्य है कि 30 वर्ष

की आजादी के बाद भी बेरोजगार लोगों की संख्या इतनी अधिक है। केवल पश्चिम बंगाल और केरल सरकारों ने बेरोजगारी भत्ता देने के लिये विधेयक प्रस्तुत किये हैं। केन्द्रीय सरकार को भी इस दिशा में कार्यवाही करनी चाहिये ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि के सम्बन्ध में जिन व्यक्तियों को दोषी पाया जाये उनके विरुद्ध निश्चित रूप से दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिये। मुझे पता चला है कि कुछ सरकारी उपक्रम भी इस कोटि में आते है ।

जब सरकार बोनस को आस्थगित मंजूरी स्वीकार करती है तब इस मामले को भथलिगम समिति को भेजने की क्या आवश्यकता थी ! सरकार को बोनस के बारें में आगामी दो या तीन महीनों में नीति सम्बन्धी घोषणा करनी चाहिये ।

बोनस को एक स्थायी रूप से दिया जाना चाहिये जिससे प्रतिवर्ष बोनस संबंधी कानून बनाने की समस्या समाप्त हो जाये। इन शब्दों के साथ मैं देश में औद्योगिक शान्ति बनाए रखने की मंत्री महोदय के प्रयासों को सफलता की कामना करता हूं ।

The Minister of State in the Ministry of Labour and Parliament Affairs (Dr. Ram Kirpal Sinha) : Shri Saugata Roy has criticised that there is multiplicity of committees in the Labour Ministry. I want to tell him that whatever decisions are taken, the representatives of Labour, Employer, State Governments and the Central Government are consulted in this process. It is based on democratic system. Friends like Shri Saugata Roy say that the excesses of emergency should be forgotten. But the labour class will never forget it. The labour class was greatly affected during the onslaughts of emergency. The services of many workers were terminated and many were jailed. Everyone know what the labour Ministry has taken steps to undo the excesses done to the labour class.

Till now the Council of Labour Education had been working alongwith the urban labourers. The rural labourers, who are not organised, have no knowledge regarding the laws which the Government enact for their benefit. Now the Government have taken decision that such bodies should work alongwith the rural workers to acquaint then of their rights.

The subject of education of labourers should be co-ordinated with the literacy compaign under adult education. The council of labour education has 50 thousand workers teachers. If these teachers are assigned the job of adult education and literacy compaign then the results can be remarkable.

We want to strengthen and make comprehensive the social security. The Scheme of Employees Provident Fund fulfils this aim. It has been complained that there is considerable provident fund arrears. Some arrears belong to those sick mills which have been taken over by the Government. In these arrears the Textile and Jute mills of Bengal and Maharashtra have share of the huge amounts. We are taking steps to recover the arrears. The difficulty is that they go to the court and hence it causes delay. We are examining whether Regional Commissioners of Provident Fund can be rested with powers to recover the arrears as in the case of Income tax officers. We have enhanced the interest on the Employees Provident fund from $7\frac{1}{2}$ percent to 8 percent. We are extending the facility of Employees Provident Fund to the employees of unorganised sector like bidi workers and workers of cottage industries. We are taking steps to improve their working conditions.

Regarding decentralization of Provident fund we are opening more offices at those places where the numbers of workers are more so that they may not have to go to distant places to settle their provident fund cases.

Similarly we are paying attention towards the workers of collieries. We are taking steps to strengthen their offices of provident fund, stremling them and ending the corruption rampant there. We are trying to see that the workers get their annual accounts in time.

The Government is concerned with the plight of the crores of unorganised workers in the villages. I would like to have suggestions from the hon. Members regarding their provision of social security.

We have taken important steps with regard to the hospitals of the Employees State Insurance Corporation. New hospitals are under construction so that the numbers of beds can be increased to 20 thousands. The medical facilities come under the purview of State Governments we have requested them to improve the conditions of the hospitals as early as possible.

Complaints have been received about not getting good medicines in the Hospitals. Steps have been taken to provide good medicines for the workers. Formerly, workers were paid for 56 days in case they fell ill. Now this limit has been raised to 91 days. Machines have been installed for the treatment of tooth and ear diseases for the workers. These facilities were not available before. Steps have been taken to replace kidnies of the workers. Surprise checks have been done at several places. We have determined to remove corruption. But we also want cooperation of the hon. Member in this matter. If you go through all the steps taken by the Janata Government during the last year, I hope you will be satisfied that enough has been done for the welfare of the workers

Shri Ram Das Singh (Giridih) : I thank the Labour Minister for providing relief to the workers who had suffered during the emeregency.

सभापति महोदय : आप अपना भाषण अगले दिन अर्थात् 14 तारीख को जारी रख सकते हैं अब आधे घंटे की चर्चा आरम्भ होगी ।

---

* आधे घंटे की चर्चा—जारी

HALF AN HOUR DISCUSSION—*Contd.*

कुद्रेमुख लोह अयस्क परियोजना के पुरा होने में विलम्ब

Delay in completion of Kudremukh Iron Ore Project

सभापति महोदय : सभा में अब आधे घंटे की चर्चा आरम्भ की जायेगी । श्री लकप्पा ।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैं उपर्युक्त विषय पर चर्चा किसी राजनितिक विचार से नही बल्कि परियोजना को निर्धारित समय पर क्रियान्वित के विचार से कर रहा हूं । करार के अनुसार ईरान को अगस्त, 1980 से लोह अयस्क भेजना आरम्भ किया जायेगा परियोजना के निर्माण में कुछ कठिनाइयां आ रही है जिनसे पता लगता की परियोजना की निर्माण निर्धारित समय में पूरा नहीं हो सकेगा ।

27 फरवरी के "बिजनेस स्टन्ड्र्ड" में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि कद्रेमुख परियोजना की क्रियान्विति में भारत को हानी होगी। मंत्री महोदय ने इसे मात्र आशंका की संज्ञा दी है। हम चाहते हैं कि करार की क्रियान्विति अक्षरश: होनी चाहिये।

परियोजना के निर्माण में आने वाली अनेक कठिनायों की जांच की जानी चाहिये।

योजना के अनुसार परियोजना का निर्माण और क्रियान्विति स्थापित की जाने वाली मशीनों पर निर्भर करता है। बांध जैसी परियोजना भी अभी तक पूरी नही हुई हैं। इस कार्य के लिये 12 बड़े ठेकदारों को नियुक्त किया गया है। लेकिन ठेकेदारों की समस्याएं भी अभी तक हल नहीं हो पाई है। अभी ठेकेदारों से स्थापित की जाने वाली मशीनों के बारे में बातचीत ही की जा रही है। निर्माण कार्य में धन की कमी के कारण भी विलम्ब हो रही है। अभी तक मूलभूत ढांचा ही तैयार नहीं किया गया है।

बोर्ड के निदेशकों की संख्या को भी पूरा नहीं किया गया है। सरकार ने बोर्ड में कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव को शामिल कर लिया है लेकिन कर्नाटक सरकार के माध्यम से दो व्यक्तियों को शामिल करना स्वीकार नहीं किया है और अन्तत: दक्षिण के अन्य राज्यों को उक्त परियोजना से भारी लाभ होगा।

मंगलौर पत्तन की क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिये जिससे लौह-अयस्क लाने वाले 60,000 डी० डब्लू० टी० के जहाज वहां पहुंच सकें। लेकिन इस बात की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। करार की शर्तों के अनुसार यदि सरकार निर्धारित समय में सब सुविधाओं की व्यवस्था नहीं करती तो उसे जुर्माना देना होगा, जो हजारों डालर होगा। इससे देश को लाभ न होकर इरान को लाभ होगा परियोजना के लिये पर्याप्त संख्या में इंजिनियरों की नियुक्ति नहीं की गई है। परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करने के लिये प्रयास नहीं किये जा रहे है।

दिल्ली से जाने वाले अधिकारी ठेकेदारों की कृपा पर निर्भर हैं। उनमें से कुछ ठेकेदारों का नाम वाली सूची में है। विश्व बाजार में लौह-अयस्क की मूल्य पहले ही घट गयी है और इसके मूल्य में और कमी होने से देश को भारी हानि होगी और अन्तत: देश की अर्थ व्यवस्था बिगड़ जायेगी। अत: इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

स्थानीय लोगों की नियुक्ति के बारे में भारी असन्तोष व्याक्त है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की कमी नहीं है। उक्त परियोजना में हजारों व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है।

सरकार परियोजना को करारानुसार निर्धारित समय पर शीघ्रता से क्रियान्वित करने के लिय क्या कार्यवाही कर रही है तथा परियोजना की क्रियान्विति में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

परियोजना को आरम्भ किये चार-पांच महीने हो गये हैं। मंत्री महोदय यह बताएं कि उक्त अवधि में परियोजना के कार्य में क्या प्रगति हुई है।

ठेकेदार अन्य ठेकेदारों को छोटी सड़कों के निर्माण की अनुमति नहीं देते। वे चाहते हैं कि बड़े ठेकेदार काम करें। इन ठेकेदारों द्वारा परियोजना में विलम्ब के प्रयास किये जा रहे हैं। इन बातों को रोकने के लिये सरकार की क्या योजना और मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। मैं इन सब बातो का उत्तर विस्तार से चाहता हूं।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : श्री लकप्पा के प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि यह सच नहीं है कि प्रतिष्ठित कुद्रेमुख परियोजना को, जिसे वर्ष 1979 के अन्त तक पूरा होना था, पूरा होने में दो वर्ष और लग सकते हैं।

श्री के० लकप्पा : मेरे सब प्रश्नों पर का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने बिजली की कमी, मशीनों के स्थापित न किये जाने के कारणों के बारे में भी पूछा था। लेकिन उन्होंने संतोष जनक उत्तर नहीं दिया।

सभापति महोदय : आप उनके उत्तर से सन्तुष्ठ न हो लेकिन उन्होंने उत्तर दे दिया है।

श्री हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : ईरान से जब कुद्रेमुख लौह-अयस्क परियोजना सम्बन्धी समझौता हुआ था तो लोगों को बहुत आशाएं थी लेकिन मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर से सदस्यों को बहुत निराशा हुई है। श्रीमती पार्वती कृष्णन ने 'बिजनेस स्टन्डर्ड' में प्रकाशित लेख का उल्लेख किया है जिसमें कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि परियोजना की क्रियान्विति में अवश्य ही विलम्ब होगा और इसके परिणाम-स्वरूप देश के राजकोष को भारी हानि होगी और भारत और ईरान के सम्बन्ध खराब हो सकते है परियोजना के महत्व को ध्यान में रख ते हुए उक्त विषय पर आधे घंटे की चर्चा उठाई गई है। किसी भी हालत में यह नहीं कहा जा सकता कि परियोजना में प्रगति हुई है। प्रतिष्ठित परियोजना को करार के अनुसार निर्धारित समय में समाप्त किया जाना है। लेकिन मुझे इस बात में शंका है कि उक्त परियोजना निर्धारित समय में पूरी होगी। योजना में बहुत मामूली प्रगति हुई है।

सरकार ने 11 ठेकेदारों को 10 ठेके आबंटित किये हैं। अधिकांश ठेकेदार अच्छी प्रसिद्धि वाले नहीं है और कुछ का नाम काली सूची में है और वह हमेशा और समय की मांग करते आये हैं। वे मूल्यों में वृद्धि चाहते हैं जिससे वे अधिक मल्यों के लिये तर्क कर सकें।

विलम्ब से अन्तर्राष्ट्रीय कठिनाइयां उत्पन्न होंगी और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। करार की अवधि पूरी होनी में थोड़ी समय रह गया है और अब हम यह जानना चाहते हैं कि इस मामले में क्या प्रगति हुई है।

सिविल इंजिनियरिंग कार्य में भी गत छः महीने में नहीं के बराबर प्रगति हुई है क्या बांध के, जो समस्त योजना को मूल अंग है, निर्माण में ढील और कठिनाई आ रही है। पीनाम्बर में भी निर्माण निर्धारित समय से पीछे है। यह मामूली बात नहीं है। इसका राष्ट्र पर भारी प्रभाव पड़ेगा।

सभापति महोदय : आपके दो प्रश्न हैं। पहला यह कि क्या परियोजना समय पर पूरी हो जायगी और दूसरा यह कि इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

श्री के० लकप्पा : उत्तर संतोषजनक नहीं दिया गया है। आप इन्हें विस्तृत जानकारी देने के लिये कहें। वह कल वक्तव्य दे सकते हैं। यदि उन्होंने समस्या का उचित अध्ययन नहीं किया है तो इसे तुच्छ समस्या नहीं समझना चाहिये।

सभापति महोदय : अब समय नहीं है (अंतर्बाधाएं)

डा० हेनरी आस्टिन : जो लोग बंगलौर परियोजना का अध्ययन करने के लिये गये थे उनका कथन है कि वहां के लोगों को कुछ पता नहीं कि वहां क्या हो रहा है। यह पूर्णतया नौकरशाही और सरकारी प्रबन्ध है। एक ऐसी योजना जिस पर 60 करोड़ डालर लगाये गये है बिना जनता के सहयोग के पूरी नहीं हो सकती। मुझे इस बात में भी संन्देह है कि राज्य सरकार की उक्त परियोजना पर अधिकारिता है। किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि वहां क्या हो रहा है।

मंत्री महोदय जानते है इन सभी परियोजनाओं पर संतोषजनक ढंग से कार्य नही हो रहा है। वह इस पर प्रकाश डाले।

श्री बीजू पटनायक : मैं सदन की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि पहली सादलों जिसकी ऊंचाई 36 मीटर और जिसका व्यास 18 मीटर है 7 अप्रैल, 1978 को बनकर तैयार हो गई थी तथा इसमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। जिस रिपोर्ट पर माननीय सदस्य की जानकारी आधारित है वह गलत है, मैंने स्पष्ट रूप में उत्तर दिया था कि कोई विलम्ब नहीं होगा तथा 23 अगस्त, 1980 को पहला निर्यात किया जायेगा।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर): मुझे इस वर्ष जनवरी में मंगलौर का दौरा करने का अवसर मिला। तब मैंने कुद्रेमुख पश्चिम योजना क्षेत्र का भी दौरा किया। अतः मुझे जैसे ही रिपोर्ट पढ़ने को मिली मुझे इस चर्चा में भाग लेने की इच्छा हुई। मैं मंत्री महोदय के इस कथन से सहमत हूं कि सरकार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य कर रही है तथा किसी किसी मामले में निर्धारित कार्यक्रम से पहले भी कार्य हो रहा है। यह निश्चय ही सराहनीय कार्य है। किन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस मामले में कोई अतिरिक्त लागत नहीं आयेगी और यदि आयेगी तो कितनी।

मेरा दुसरा प्रश्न यह है कि क्या इस परियोजना के लिये बिजली की सप्लाई पर्याप्त है। यह सच है कि अभी कई महीने बाकी हैं किन्तु वर्षा ऋतु के महीनों को निकालना पड़ेगा क्योंकि इन महीनों में निर्माण कार्य करना सम्भवन ही है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : समाचारपत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुये है कि भारत को इस परियोजना में भारी हानि हो सकती है। यह भी ज्ञात होता है कि भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में कम मूल्य मिलेंगे। इस बात की भी संभावनाएं हैं कि लागत में बहुत वृद्धि होगी। यह भी समाचार हैं कि इस परियोजना से लाभ नहीं होगा। इन सभी बातों के बारे में सभी को आश्वासन दिया जाना चाहिये।

श्री बीजू पटनायक : जैसे जैसे समय अधिक होता है अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण इस परियोजना की लागत में भी वृद्धि अवश्य होगी। किन्तु मैं सभा से यह विश्वास दिलाता हूं कि लागत में मामूली वृद्धि ही होगी। **(व्यवधान)**

जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है हमने कुछ 'बेल' मूल्य निर्धारित किये हैं जिसमें मंगलौर से ईरान तक ढुलाई लागत भी सम्मिलित है। मोटे तौर पर यही कहा जा सकता कि हमें न बहुत अधिक लाभ ही होगा और न बहुत अधिक हानि भी।

जहां तक बिजली सप्लाई का सम्बन्ध है कर्नाटक सरकार के साथ एक करार किया गया है जिसके अन्तर्गत उसे कुद्रेमुख परियोजना के लिये 80 मैगावाट बिजली की सप्लाई करनी होगी जिससे परियोजना के कार्य में बाधा न पड़ें ।

कर्नाटक सरकार ने हाल में बिजली की दरों में दोगुनी वृद्धि कर दी है जिससे इस परियोजना की लागत में लगभग 2 करोड़ रुपयों की वृद्धि होगी । वहां के मुख्य मंत्री को पत्र लिख दिया गया है। इस प्रकार किसी राज्य ने इतनी मूल्य वृद्धि नहीं की है । **(व्यवधान)**

श्री चित्त बसू को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस परियोजना का कार्य समुचित रूप से चल रहा है । इस परियोजना के निर्माण में जो भी बाधाएं थी उनको दूर कर दिया गया है । पश्चिमी घाट पर सड़क निर्माण का कार्य पहले लोक निर्माण विभाग को सौंपा हुआ था किन्तु मैंने उस कार्य को सेना, सीमा सड़क संगठन और रेलवे को सौंप दिया है जिससे यह कार्य शीघ्र पूरा हो सके । अब यह सड़क बन गई है तथा इस पर वाहन चल रहे है । मैं सनसनीखेज वक्तव्य देने में विश्वास नहीं करता । मुझे जो काम सौंपा गया है मैं उसे पूरी निष्ठा से पूरा कर रहा हूं तथा मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सब काय समय पर संतोषजनक ढंग से पूरा होगा ।

सभापति महोदय : आपके उत्तर के लिए धन्यवाद ।

इसके पश्चात् लोकसभा शुक्रवार, 14 अप्रैल, 1978/24 चैत्र, 1900 (शक) के ग्यारह बजे तक क लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then, adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 14th April, 1978/Chaitra 24, 1900 (Saka).

भा०स०मु०ना०—स8—132 एल एस एस (एन डी)/78-11-8-78—210